



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को छूट पर निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2022 की प्रतिवेदन संख्या 12

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन**

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

**धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को छूट
पर निष्पादन लेखापरीक्षा**

**संघ सरकार
राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर
2022 की प्रतिवेदन संख्या 12**

_____ को लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर रखा गया

विषय सूची

विषय		
	प्राक्कथन	i
	कार्यकारी सार	iii-xi
	सिफारिशों का सार	xiii-xx
अध्याय 1	प्रस्तावना	1-9
अध्याय 2	लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	11-16
अध्याय 3	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) की स्थिति	17-28
अध्याय 4	कुल संख्या और लेखापरीक्षा नमूने का सांख्यिकीय विश्लेषण	29-57
अध्याय 5	न्यासों/संस्थाओं से संबंधित प्रावधानों की प्रणालीगत कमियां/प्रभावकारिता	59-124
अध्याय 6	निर्धारण करने में अधिनियम/नियमावली/परिपत्रों के मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन	125-165
अध्याय 7	न्यासों/संस्थाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा, मॉनिटरिंग और समीक्षा	167-217
	परिशिष्ट	219-255
	संकेताक्षर	256-257

प्राक्कथन

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में आयकर विभाग, संघ सरकार के राजस्व विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं के पूरे किए गए निर्धारणों की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम दिए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वे दृष्टांत हैं जो जनवरी से मार्च 2020 तक और सितम्बर से अक्टूबर 2020 तक की गयी लेखापरीक्षा और अनुपूरक क्षेत्रीय लेखापरीक्षा और अनुवर्ती लेखापरीक्षा जो जनवरी 2022 तक जारी रहे, के दौरान संज्ञान में आए।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) में सरकारी वित्तपोषित सत्त्वों सहित उन विभिन्न सत्त्वों को कर से छूट का प्रावधान है जो धर्मार्थ स्वरूप के उद्देश्यों में लगे हुए हैं ताकि धर्मादा, धर्म, चिकित्सा, शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक उद्देश्यों को प्रोत्साहित और पूरा किया जा सके। ये सत्त्व दान, स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त करते हैं और उन गतिविधियों जो धर्मार्थ स्वरूप की हैं से अन्य आय प्राप्त करते हैं। ऐसे सत्त्वों की प्राप्तियों को उन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना अपेक्षित है जिनके लिए इन न्यासों और संस्थाओं की स्थापना की गई है। आयकर विभाग (आईटीडी) को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि केवल वास्तविक और पात्र न्यासों और संस्थाओं की आय को आयकर के उद्ग्रहण से छूट दी जाए और यह कि वे कर की सही राशि का भुगतान करें।

लेखापरीक्षा आयकर विभाग द्वारा धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को दी गई छूटों पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित जांच करना था:

- i. क्या सीबीडीटी प्रभावी तरीके से यह सुनिश्चित करता है कि धर्मार्थ न्यास और संस्थाएं, जो आयकर अधिनियम की धारा 10(23सी), 11, 12, 13, 80जी(5) के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं, पंजीकरण/अनुमोदन के संबंध में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हैं और उसके बाद भी मॉनीटरिंग सुनिश्चित करते हैं;
- ii. क्या आयकर विभाग अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों के तहत धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट प्रदान करने में दक्ष है और इस तरह की छूट पात्र सत्त्वों को सटीक रूप से और समय पर दी जाती है; और
- iii. क्या धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के निर्धारण से संबंधित अधिनियम/नियमों/सीबीडीटी अनुदेशों में मौजूदा प्रावधान पर्याप्त हैं या कोई कमी/अस्पष्टता/असंगतता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा में निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक संबंधित धर्मार्थ या धार्मिक न्यासों या संस्थाओं के निर्धारण को शामिल किया गया था। प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) ने धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं के संबंध में वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान संसाधित/निर्धारित/परिशोधित आईटीआर से संबंधित 6,89,011 मामलों सहित निर्धारिती-वार डेटा प्रदान किया है। प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) से प्राप्त डेटा का विश्लेषण किया गया था और लेखापरीक्षा मापदंडों के आधार पर हमारे लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा यूनिवर्स के रूप में 6,390 मामलों का एक नमूना तैयार किया गया था।

हालांकि, कोविड -19 महामारी से उत्पन्न मौजूदा स्थिति के कारण, लेखापरीक्षा नमूनों को 5,798 मामलों तक कम कर दिया गया था। इसके अलावा, किसी भी निर्धारिती के संबंध में जिसका निर्धारण लेखापरीक्षा नमूने में किसी विशेष निर्धारण वर्ष के लिए चुना गया था और जहां लेखापरीक्षा ने कमी या गैर-अनुपालन को पाया, लेखापरीक्षा ने, इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2017-18 के बीच, शेष सभी निर्धारणों का भी चयन किया। तदनुसार, 1,028 अतिरिक्त निर्धारण मामलों का चयन इस लेखापरीक्षा के लिए किया गया था।

उपर्युक्त लेखापरीक्षा नमूने के अलावा, संक्षिप्त मामलों की जांच करने के लिए, उन पैन के संबंध में 200 उच्च मूल्य वाले संक्षिप्त मामले, जो अतिरिक्त मामलों सहित मूल नमूने का हिस्सा नहीं थे, को भी लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। इस प्रकार, पीए के लिए कुल लेखापरीक्षा नमूने 7,026 मामलों के थे, विभाग ने जिनमें से 6,260 मामलों के रिकॉर्ड को प्रस्तुत किया और 766 मामलों को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया।

23 दिसंबर 2019 को आयकर विभाग/सीबीडीटी के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा को, जनवरी से मार्च 2020 और सितंबर से अक्टूबर 2020 के दौरान किया गया था। शीर्ष 200 निर्धारितियों सहित पूरक क्षेत्रीय लेखापरीक्षा, शीर्ष 200 संक्षिप्त मामले और 2019 की रिपोर्ट संख्या 9 (प्रत्यक्ष कर) में उल्लेख किए गए मामलों पर अनुवर्ती क्षेत्रीय लेखापरीक्षा सत्यापन जनवरी 2022 तक जारी रहा। सीबीडीटी के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा पर 4 मार्च 2022 को एक प्रस्थान सम्मेलन आयोजित किया गया था।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, हमने 6,260 निर्धारण अभिलेखों की जांच की और 1,580 त्रुटियों को पाया, जो ₹ 1,983.34 करोड़ के कर प्रभाव वाले विभिन्न प्रणालीगत और अनुपालन मुद्दों से संबंधित हैं।

इसके अलावा, हमने 2013 की रिपोर्ट संख्या 20 में, पूर्व पीए निष्कर्षों और 2019 की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 9 (प्रत्यक्ष कर) के अध्याय VI और लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिशों से संबंधित की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) के माध्यम से आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार नीचे दिया गया है:

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंजीकरण प्रक्रिया की आंतरिक लेखापरीक्षा, आय के संचय और इसके उपयोग की अप्रभावी मॉनीटरिंग, विदेशी अंशदान प्राप्तियों और उपयोग की अप्रभावी मॉनीटरिंग, शैक्षिक न्यासों के सर्वेक्षण की अपर्याप्तता, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में टीडीएस के प्रकटीकरण के लिए प्रावधान के अभाव आदि

से संबंधित कतिपय अनियमितताएं, जिन्हें 2013 की हमारी पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 20 में उजागर किया गया था और इस प्रकार की अनियमितताओं के प्रति लोक लेखा समिति (पीएसी) की कुछ विशिष्ट सिफारिशों को आयकर विभाग द्वारा संतोषजनक ढंग से हल नहीं किया था।

(पैराग्राफ 3.2)

- लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक छूट का दावा करने वाले न्यासों/संस्थाओं की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति को पाया था; हालांकि, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए छूट का दावा करने वाले न्यासों/संस्थाओं की संख्या में थोड़ी कमी आई थी।

(पैराग्राफ 4.1.1)

- निर्धारण वर्ष 2014-15 से निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर से संबंधित 6.89 लाख मामलों के डेटा के विश्लेषण से यह पता चलता है कि, आयकर विभाग ने कुल मामलों का केवल 0.25 लाख (3.7 प्रतिशत) की संवीक्षा की और 6.30 लाख (91.4 प्रतिशत) मामलों को स्वचालित प्रणाली में संक्षिप्त तरीके से संसाधित किया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने आयकर विभाग की प्रणाली में कुछ कमियों को पाया जिसके कारण राजस्व की हानि की संभावना के साथ छूट का गलत दावा किया गया जैसे कि:
 - सीएसएस में चयन मानदंडों के लिए आवश्यक डेटा के गलत इनपुट के कारण, आयकर विभाग सिस्टम द्वारा संवीक्षा के लिए बड़ी संख्या में मामलों को गलत तरीके से चुना गया था।
 - रिटर्नों को संक्षिप्त तरीके में संसाधित करने की स्थिति में छूट अनुमत करने से पहले आयकर विभाग सिस्टम के डेटाबेस के साथ आईटीआर फॉर्म-7 में प्रदान किए गए पंजीकरण/अनुमोदन डेटा का मिलान करने के लिए पर्याप्त जांच और सत्यापन का अभाव है। 42 निर्धारण मामलों में, छूट की अनुमति दी गई थी, हालांकि निर्धारितियों ने आईटीआर फॉर्म-7 में अधिनियम की धारा 12ए/10(23सी) के तहत अपने पंजीकरण विवरणों का उल्लेख नहीं किया था। 10 निर्धारण मामलों में, निर्धारितियों ने अपने पंजीकरण से पहले के कई वर्षों के लिए या अधिनियम के तहत कोई पंजीकरण न होने पर छूटों का दावा किया और इसे विभाग द्वारा संक्षिप्त निर्धारण में अनुमति दी गई थी।
 - प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा प्रदान किए गए 6.89 लाख मामलों के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 0.21 लाख मामलों में छूट की

अनुमति दी गयी थी, हालांकि धारा 12ए के तहत पंजीकरण उपलब्ध नहीं था। विदेशी अंशदान के मामले में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 347 मामलों में निर्धारित द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्त किया गया था लेकिन एफसीआरए के तहत पंजीकरण विवरण उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, उपरोक्त संबंधित क्षेत्र में क्षेत्रीय वैधीकरण आईटीआर फॉर्म-7 में उपलब्ध नहीं थे।

(पैराग्राफ 4.1.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4.1 और 5.3.4.2)

- वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयकर विभाग द्वारा संसाधित/निर्धारित/परिशोधित किए गए 6.89 लाख मामलों में से, 5.12 लाख मामलों (74.3 प्रतिशत) में रिटर्न की गई आय ₹ शून्य थी।

(पैराग्राफ 4.1.6)

- उच्च मूल्य छूट के 580 मामलों (जिनकी सकल आय ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक थी) के विश्लेषण से पता चला कि 186 मामले, जो सरकारी सत्त्वों से संबंधित थे, को कुल छूटों (₹ 1.31 लाख करोड़) का 50.8 प्रतिशत प्रदान किया गया था जबकि शेष 394 मामले जो निजी सत्त्वों से संबंधित थे, को कुल छूटों का 49.2 प्रतिशत प्रदान किया गया था।

(पैराग्राफ 4.3.6.2)

- शीर्ष 200 लेखापरीक्षा नमूना मामलों (169 न्यासों/संस्थाओं के मामले) के डेटा के विश्लेषण पर, जहां प्रत्येक मामले के लिए सकल आय ₹ 167.9 करोड़ या उससे अधिक थी, से पता चला कि 169 न्यासों/संस्थाओं में से, 101 न्यास/संस्थाएं सरकारी सत्त्व थे और 66 निजी सत्त्व थे (दो सत्त्वों के लिए रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे)। डेटा के गतिविधिवार विश्लेषण से पता चला कि 30 शीर्ष सरकारी सत्त्व (29 प्रतिशत) अन्य गतिविधियों (जैसे पेंशन और ग्रेच्युटी फंड, कल्याण बोर्ड आदि) में लगे हुए थे, जबकि शीर्ष 28 निजी, सत्त्व (42 प्रतिशत) शैक्षिक कार्यक्रमों में लगे हुए थे।

(पैराग्राफ 4.3.8.1)

- लेखापरीक्षा ने पाया कि सीएसआर फंड से दान के लिए धारा 80 जी के तहत कटौती की अनुमति देने के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। चूंकि धारा 80जी के तहत छूट का दावा करने वाले न्यासों के माध्यम से सीएसआर गतिविधियों के लिए कंपनियों द्वारा पर्याप्त राशि व्यय की जाती है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रावधानों की निर्धारण अधिकारी द्वारा समान रूप से व्याख्या

की जाती है और मुकदमेबाज़ी की संभावना को कम करने के लिए इस मुद्दे पर स्पष्टता लाने के लिए विभाग को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 5.1.2.3)

- आईटी अधिनियम में आय के प्रयोग का अवधारण करने के उद्देश्य से शीर्ष “प्रशासनिक और स्थापना व्यय” के तहत विभिन्न खर्चों को अनुमत करने के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। चूंकि प्रशासनिक और स्थापना व्यय विभिन्न श्रेणियों के हो सकते हैं, जिसका कुछ हिस्सा आय के सृजन के लिए सीधे जिम्मेदार हो सकता है जबकि इसका कुछ हिस्सा धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्य के लिए हो सकता है, इसलिए आयकर विभाग को इस उद्देश्य के लिए अधिनियम में अधिक स्पष्टता लाने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 5.1.2.6)

- आईटी अधिनियम में चालू वर्षों की आय में से एक न्यास से दूसरे न्यास को दान देने को प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, कुछ न्यास/संस्थाएं चालू वर्ष की आय में से 15 प्रतिशत के अनुमेय संचय का लाभ उठाकर और फिर किसी दूसरे न्यास में शेष आय को हस्तांतरित कर अनुचित लाभ उठा रहे हैं, जिससे विभिन्न दानों की एक श्रृंखला बन रही है। लेखापरीक्षा ने चार निर्धारण मामलों में पाया कि जिन न्यासों/संस्थाओं को ₹ 203.29 करोड़ का दान प्राप्त हुआ था, उन न्यासों/संस्थाओं ने संचय के रूप में 15 प्रतिशत की कटौती का दावा करने के बाद ₹ 164.81 करोड़ दान के माध्यम से अन्य न्यासों/संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिए। प्राप्तकर्ता न्यासों/संस्थाओं ने भी 15 प्रतिशत के संचय का दावा करने के बाद अन्य न्यासों को राशि हस्तांतरित कर दी। दान की इस श्रृंखला के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को लाभ से वंचित कर दिया गया और न्यासों/संस्थानों के पास संचय होने में मदद मिली।

(पैराग्राफ 5.1.2.7)

- अनाम दान का पता लगाने के लिए दाताओं की पहचान को सत्यापित करने के लिए कोई मापदंड नहीं थे। लेखापरीक्षा ने छह निर्धारण मामलों को देखा जहां विभाग ने दानदाताओं की सत्यता को सत्यापित नहीं किया और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनाम दान (दानों) पर कर नहीं लगाया। मंत्रालय ने वित्त अधिनियम 2020 द्वारा इस मुद्दे को संबोधित किया है।

(पैराग्राफ 5.1.2.10)

- आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान छूटों के लिए पंजीकृत/अनुमोदित 425 मामलों में से 194 मामलों (45 प्रतिशत) के पंजीकरण/अनुमोदन रिकॉर्ड को प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पंजीकरण/अनुमोदन से संबंधित निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने में कमियां पाई गईं जैसे कि पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करने में विलंब, पंजीकरण को अनियमित प्रदान करना, निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए बिना पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करना, सत्यापन के बिना पंजीकरण प्रदान करना आदि।

(पैराग्राफ 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 और 5.2.5)

- लेखापरीक्षा ने धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के लिए लागू फॉर्म-10बी में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कमियां पाई हैं जैसे कि विभिन्न शीर्षों के तहत प्राप्त के विस्तृत ब्यौरे, कॉर्पस दान के विवरण, आय के माने गए अनुप्रयोग के विवरण आदि का अभाव जिससे निर्धारण की गुणवत्ता, निर्धारिती द्वारा किए गए गलत दावे और राजस्व की हानि प्रभावित हुई।

(पैराग्राफ 5.3.6)

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 11(2) के तहत निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 66 निर्धारण मामलों में संचय की अनुमति दी थी।

(पैराग्राफ 6.3)

- लेखापरीक्षा ने 22 निर्धारण मामलों में देखा जहां निर्धारितियों ने धारा 13 (3) (अर्थात् संबंधित पार्टियां) के तहत निर्दिष्ट व्यक्तियों के लाभ के लिए अपनी आय या संपत्ति का उपयोग किया था, लेकिन आयकर विभाग ने निर्दिष्ट व्यक्तियों के लाभ के लिए उपयोग की जाने वाली आय या संपत्ति की ऐसी राशि पर कर का उद्ग्रहण नहीं किया था।

(पैराग्राफ 6.4)

- लेखापरीक्षा ने निर्धारण आदेशों में आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के गैर अनुपालन पाया, जिसकी परिणति निर्धारितियों को दोहरे लाभों को अनियमित अनुमति के रूप में हुई। आठ निर्धारण मामलों में, परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को आय के अनुप्रयोग के रूप में अनुमति दी गई थी, भले ही ऐसी परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक पूंजीगत व्यय को पहले से ही आय के अनुप्रयोग के रूप में माना गया था। 11 निर्धारण मामलों में, निर्धारण अधिकारी ने कॉर्पस फंड, या अन्य विशिष्ट उद्देश्य निधियों से होने वाली आय के प्रयोग से संबंधित दावों की अनुमति दी थी।

(पैराग्राफ 6.5.1 और 6.5.2)

- 65 निर्धारण मामलों में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने गलत आंकड़ों को अपनाया, कम मांग की गणना की, निर्धारित दर से कम दर पर कर आरोपित किया, गलत रूप से ब्याज/अधिभार का उद्ग्रहण किया, अथवा प्रतिदाय पर ब्याज अधिक प्रदान किया आदि।

(पैराग्राफ 6.8)

- आयकर विभाग ने धारा 11 और 10(23सी) की उप-धाराओं से जुड़ी विभिन्न धर्मार्थ गतिविधियों के लिए विशिष्ट कोड आवंटित नहीं किए हैं, जिसके तहत छूट का दावा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सरकारी/निजी न्यास द्वारा दावा की गई छूट से संबंधित डेटा आईटीआर फार्म 7 में कैप्चर नहीं किए जा रहे थे। आयकर विभाग को अपात्र दावों के जोखिम को कम करने के लिए इन निजी धर्मार्थ सत्त्वों की गतिविधिवार मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 7.1.1)

- यद्यपि पीएसी ने अपनी 104वीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) में सिफारिश की थी कि धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के पंजीकरण/अनुमोदन की प्रक्रिया को आयकर विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे में लाया जाना चाहिए, लेकिन यह वि.व. 2019-20 तक नहीं हुआ था कि संसाधित पंजीकरण आवेदनों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा शुरू हुई। इसके अलावा लेखापरीक्षा ने पाया कि पंजीकरण प्रक्रिया की आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में जारी अनुदेशों को सभी राज्यों में समान रूप से लागू नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में आगे पाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में आयकर विभाग द्वारा जारी परिपत्र केवल धारा 12एए के तहत दिए गए पंजीकरण पर लागू होता है, लेकिन धारा 10(23सी) और 80जी(5) के तहत अनुमोदित मामलों को सम्मिलित नहीं करता है।

(पैराग्राफ 7.1.3 और 7.1.4)

- लेखापरीक्षा ने पाया कि न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों की मॉनीटरिंग के लिए अधिनियम के तहत छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों की संख्या की तुलना में विभाग द्वारा बहुत कम सर्वेक्षण किए गए थे। इसके अलावा, पीएसी की विशिष्ट सिफारिश के बावजूद कि सभी शैक्षिक न्यासों का सर्वेक्षण समयबद्ध तरीके से किया जाए, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा नमूने में शामिल कुल 2,686 शैक्षिक न्यासों (2,105 निर्धारितियों) में से 0.3 प्रतिशत का सर्वेक्षण किया था। इसके अलावा,

उपरोक्त अवधि के दौरान 46 उच्च मूल्य वाले शैक्षिक न्यासों (₹ 200 करोड़ या उससे अधिक की प्राप्ति वाले) के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 7.1.5)

- ऐसे न्यासों/संस्थाओं को छूट देने की अनुमति देने में असंगतता थी जिनकी गतिविधि धर्मार्थ स्वरूप की नहीं थी। 10 निर्धारण मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया जहां निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण किया कि, न्यासों की गतिविधियां एक या अधिक निर्धारण वर्षों के लिए धर्मार्थ स्वरूप की नहीं थीं, लेकिन अन्य निर्धारण वर्षों के लिए छूट की समीक्षा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, हालांकि न्यास के उद्देश्य संबंधित निर्धारण वर्ष के दौरान समान थे जिसकी परिणति छूट की अनियमित स्वीकृति के रूप में हुई।

(पैराग्राफ 7.1.6)

- लेखापरीक्षा ने आठ मामलों में पाया कि धारा 12एए(3) और 12एए(4) के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्यासों/संस्थाओं की प्रास्थिति की समीक्षा नहीं की गई थी, हालांकि निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट से इनकार किया था जो या तो यह मानते हुए कि न्यासों की गतिविधियां वास्तविक नहीं थीं या न्यासों की संपत्ति या आय का संबंधित व्यक्तियों के लाभ के लिए न्यास द्वारा निरंतर उपयोग किया जाता था।

(पैराग्राफ 7.1.7)

- लेखापरीक्षा ने पाया कि वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों की मॉनीटरिंग के अभाव के कारण न्यासों द्वारा छूट के फर्जी दावों के साथ-साथ दानदाताओं को धारा 35(1)(ii) के अंतर्गत जाली प्रमाण-पत्र जारी किए गए।

(पैराग्राफ 7.1.9)

- लेखापरीक्षा में अधिनियम में निर्धारित तरीके से न्यासों/संस्थाओं द्वारा संचय और उसके उपयोगों की प्रभावी मॉनीटरिंग में आयकर विभाग की कमियों का पता चला। 32 निर्धारण मामलों में, विभाग ने धारा 11(2) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पिछली संचित आय के उपयोग की प्रभावी रूप से मॉनीटरिंग नहीं की। इसके अलावा, धारा 10(23सी) के अंतर्गत संचय के प्रयोजन/अवधि की घोषणा के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

(पैराग्राफ 7.1.11 और 7.1.12)

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईटीआर-7 में दर्शाए गए और एफसीआरए अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय (एमएचए) को बताए गए विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उसके उपयोग का सत्यापन करने का आयकर विभाग में कोई तंत्र नहीं है। यद्यपि पीएसी ने विशिष्ट सिफारिश की थी कि विदेशी अंशदान के प्राप्त होने और इसके अनुप्रयोग पर निगरानी रखने के लिए आयकर विभाग को एमएचए के साथ डेटा का आदान प्रदान करने वाला तंत्र प्रतिपादित करना चाहिए, आयकर विभाग को मामले में अभी कार्रवाई करनी शेष है। इस कमी के परिणामस्वरूप 35 मामलों में विदेशी अंशदान पर छूट का गलत दावा किया गया।

(पैराग्राफ 7.1.13)

सिफारिशों का सार

लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि:

- आयकर विभाग इस शर्त पर धारा 12ए के तहत शैक्षिक न्यासों/संस्थाओं को पंजीकरण प्रदान करने पर विचार कर सकता है कि शैक्षिक और गैर-शैक्षिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग लेखाओं का रखरखाव किया जाए और शैक्षिक गतिविधियों को धारा 10(23सी) के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाए। इसके अलावा, सीबीडीटी निर्धारित न्यासों/संस्थाओं द्वारा शैक्षिक और गैर-शैक्षिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग आईटीआर दाखिल करने पर विचार कर सकता है।

(पैराग्राफ 5.1.1)

- परस्परव्यापी धाराओं के दो सेटों के होने का उद्देश्य, विशेष रूप से शैक्षिक और चिकित्सा उद्देश्यों के संबंध में, एक धारा 10(23सी) के तहत 'गैर-लाभार्थ श्रेणी' (जिसमें उच्च प्रतिबंध शामिल हैं) और दूसरा धारा 11 के तहत 'धर्मार्थ श्रेणी' (कम प्रतिबंधों के साथ) लेखापरीक्षा के लिए स्पष्ट नहीं है। तार्किक रूप से, एक चयन के साथ अधिकांश सत्त्व प्रतिबंध की गैर-लाभार्थ श्रेणी की विकल्प नहीं चुनेंगे। सामान्य तौर पर, धारा 10(23सी) की विभिन्न उप-धाराओं के तहत शर्तें, जिसमें यह आवश्यक है कि संस्थाएं पूरी तरह से परोपकारी उद्देश्यों के लिए हैं न कि लाभ के उद्देश्यों के लिए, जो धारा 11 के तहत उन की तुलना में अधिक भारयुक्त हैं, जिसमें 15 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक आय के संचय को ही मात्र प्रतिबंधित करते हैं और "गैर-लाभार्थ" उद्देश्य विशिष्ट नहीं हैं; तथापि, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आय में छूट के प्रावधान लगभग समान हैं।

राजस्व विभाग, स्पष्ट सरकारी नीति निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न श्रेणियों के तहत अधिनियम में इन शर्तों की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है, जिसके संदर्भ में, धर्मार्थ उद्देश्य "पूरी तरह से परोपकारी उद्देश्यों की आवश्यकता के साथ आय में छूट के योग्य हैं, न कि लाभ के उद्देश्य के लिए" और जिसमें धर्मार्थ उद्देश्य ऐसी आवश्यकता के बिना आय छूट के योग्य हैं।

(पैराग्राफ 5.1.1)

- आयकर विभाग संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन के मूल्यांकन पहलुओं की जांच करने के लिए एक मानक परिचालन क्रियाविधि/अनुदेश/दिशानिर्देश जारी कर सकता है और न्यास की संबंधित पार्टी के साथ किए गए लेन-देन की 'युक्तिसंगतता' और 'पर्याप्तता' को उचित ठहराने के लिए एक तंत्र तैयार कर सकता है ताकि निर्धारण अधिकारी निर्धारण की कार्यवाही के दौरान लेन-देन

की युक्तिसंगतता और पर्याप्तता के रूप में स्वयं को संतुष्ट कर सके; और उचित तथा पर्याप्त रूप में निर्धारित राशि के ऊपर संबंधित पार्टियों के लाभ के लिए उपयोग की गई आय या संपत्ति की राशि पर कर उदग्रहण किया जा सके।

(पैराग्राफ 5.1.2.1)

- सीबीडीटी को एक संशोधन लाने या बाध्यकारी स्पष्टीकरण जारी करने पर विचार करना चाहिए कि क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 द्वारा कवर की गई निर्दिष्ट कंपनियों के सीएसआर व्यय में से इन-हाउस/कॉर्पोरेट न्यासों के साथ-साथ न्यासों को दान धारा 80जी के तहत कटौती के लिए पात्र है, या नहीं। ऐसा संशोधन या बाध्यकारी स्पष्टीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है जिसमें निर्धारण अधिकारियों द्वारा सभी निर्धारण प्रभारों में प्रावधानों की समान रूप से व्याख्या की जाए और मुकदमेंबाज़ी की संभावना को कम किया जाए।

(पैराग्राफ 5.1.2.3)

- आयकर विभाग, अधिनियम में नए प्रावधानों को लाने पर विचार कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विशिष्ट उद्देश्य के साथ दान, यदि निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है (जैसे कि बाद में अन्य संगठनों आदि को इस तरह के दान को केवल हस्तांतरित किया जाता है) तो उसमें छूट से इनकार किया जाए और जिस वर्ष में इसका पता लगाया गया है, उस वर्ष में आय के रूप में माना जाना चाहिए।

(पैराग्राफ 5.1.2.4)

- आयकर विभाग प्रशासनिक और स्थापना व्यय के लिए आय के अनुप्रयोग के प्रयोजनार्थ सतत निदान हेतु उचित अनुदेश/स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

(पैराग्राफ 5.1.2.6)

- आयकर विभाग अधिनियम में एक नया प्रावधान लाने पर विचार कर सकता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि चालू वर्ष की आय में से अन्य न्यासों/संस्थाओं से प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान ऐसे प्राप्तकर्ता न्यास या संस्था के पास 15 प्रतिशत की दर से अनुमेय संचय के लिए पात्र नहीं होंगे।

(पैराग्राफ 5.1.2.7)

- आयकर विभाग अधिनियम की धारा 41(1) के प्रावधानों के समान देयता के स्थगन पर स्वैच्छिक अंशदान के रूप में ऋण की आड़ में प्राप्त लंबे समय से

लंबित देयता को करारोपित करने के लिए अधिनियम में एक नया प्रावधान लाने पर विचार कर सकता है

(पैराग्राफ 5.1.2.8)

- आयकर विभाग उन मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यासों को केवल असाधारण मामलों में लगातार संचय की अनुमति दी जाती है जहाँ लगातार और वर्धित संचय रहा था, न्यास की गतिविधियों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के लिए निर्धारण अधिकारियों के लिए एक मानक परिचालन क्रियाविधि जारी करके एक उपयुक्त तंत्र विकसित कर सकता है।

(पैराग्राफ 5.1.2.9)

- आयकर विभाग विशिष्ट मापदंडों (दानदाता के नाम और पते के अलावा) जैसे पैन् आदि को निर्धारित कर सकता है, जिसमें दानदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारिती द्वारा आवश्यक रूप से प्रकटन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आयकर विभाग द्वारा तय किए जाने वाले दान की एक सीमा से अधिक होने पर दाता के पैन् का प्रकटन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। आयकर विभाग धन शोधन के जोखिम को कम करने के लिए निर्धारण प्रक्रिया को मजबूत करने और राजस्व की हानि को रोकने के लिए दानदाताओं के विवरणों को अभिगृहीत करने के लिए आईटीआर में एक नई अनुसूची शुरू करने पर भी विचार कर सकता है।

(पैराग्राफ 5.1.2.10)

- आयकर विभाग यह सुनिश्चित करे कि न्यासों/संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करने के लिए अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा का सीआईटी (ई) द्वारा पालन किया जाए।

(पैराग्राफ 5.2.2)

- आयकर विभाग यह सुनिश्चित करे कि न्यासों/संस्थाओं को पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करते समय सीआईटी (ई) द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

(पैराग्राफ 5.2.4)

- आयकर विभाग यह सुनिश्चित करे कि न्यास/संस्था की गतिविधियों की मौजूदगी और उसकी यथार्थता के बारे में क्षेत्रीय जांच की जा सकती है और पंजीकरण प्रदान करते समय आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसकी एक रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा जाए।

(पैराग्राफ 5.2.5)

- आयकर विभाग उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए उन मामलों की समीक्षा करे जहां निर्धारितियों को छूट दी गई थी, वहां न्यास विलेख में कोई विघटन खंड नहीं था, या विघटन खंड निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा, आयकर विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने की भी आवश्यकता है कि उपयुक्त विघटन खंड के अभाव में सत्त्वों को छूट देने के लिए कोई पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया है।

(पैराग्राफ 5.2.6)

- आयकर विभाग आईटी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठा सकता है ताकि डेटा के इनपुट, संवीक्षा किए जाने वाले मामलों की उचित पहचान के लिए चयन मानदंडों के अनुरूप हों।

आयकर विभाग को आईटीआर 7 में अभिगृहीत डेटा घटकों के विस्तार पर विचार करना चाहिए, यदि आवश्यक हो, तो आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की जाने वाली सकल आय या छूट प्राप्त आय की सीमा के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह प्रासंगिक डेटा को अभिगृहीत करने में सक्षम बनाएगा जो छोटे न्यासों/सत्त्वों को असुविधाजनक बनाए बिना सीएसएस चयन के लिए एक बेहतर और अधिक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण को समर्थ बनाएगा।

(पैराग्राफ 5.3.1)

- आयकर विभाग

क) अधिनियम की धारा 12ए/80जी/10(23सी) के तहत पंजीकृत सभी न्यासों/संस्थाओं के पंजीकरण डेटा को डिजिटल रूप से समेकित कर सकता है और सीपीसी के माध्यम से आईटीआर के प्रसंस्करण के दौरान पंजीकरण की यथार्थता को सत्यापित करने के लिए आईटीआर में फाइल किए गए डेटा के साथ इसका मिलान कर सकता है; और

ख) धारा 12ए(2) के दूसरे परंतुक को उपयुक्त रूप से संशोधित कर सकता है ताकि निर्धारण अधिकारी को ऐसे मामलों की फिर से जांच करने में समर्थ बनाया जा सके जहां निर्धारिती ने वैध पंजीकरण के बिना धारा 11 या 12 के तहत अनियमित छूट का दावा किया है।

(पैराग्राफ 5.3.2)

- आयकर विभाग फार्म आईटीआर-7 में अंशदाता/दानदाता से संबंधित डेटा/सूचना को अभिगृहीत कर सकता है जैसा कि धारा 80जी(5) के संबंध में किया गया

है ताकि अंशदान/दान की गई निधियों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

(पैराग्राफ 5.3.5)

- आयकर विभाग निम्नलिखित को समाविष्ट करते हुए फॉर्म 10बी को संशोधित करने पर विचार कर सकता है:

क) विभिन्न शीर्षों के तहत प्राप्ति का विवरण और पूरी तरह से न्यास द्वारा धारित संपत्ति से प्राप्त आय।

ख) कॉर्पस दान की प्राप्ति, इसके उपयोग और कॉर्पस दान से व्यय के दावे के बारे में विस्तृत जानकारी

ग) पिछले वर्ष में प्राप्त आय के माने गए अनुप्रयोग के दावे पर विस्तृत जानकारी जिसे वास्तविक प्राप्ति के वर्ष में आय के अनुप्रयोग की राशि से कम किया जाना है

घ) आय की रिटर्न में पिछले संचय में से उपयोग का विवरण लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

ताकि निर्धारिती द्वारा किए गए दावे की शुद्धता को सत्यापित करने में निर्धारण अधिकारी को सक्षम बनाया जा सके।

(पैराग्राफ 5.3.6.1, 5.3.6.2, 5.3.6.3 और 7.1.11)

- आयकर विभाग न्यासों/संस्थाओं के लिए अपनी निर्धारण प्रक्रिया को सुदृढ़ कर सकता है ताकि आय की सही गणना और इसके प्रयोग को सुनिश्चित किया जा सके और अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार न्यासों को दोहरे लाभ से बचा जा सके।

(पैराग्राफ 6.2.1, 6.2.2, 6.5.1 और 6.5.2)

- आयकर विभाग न्यासों/संस्थाओं के लिए अपनी निर्धारण प्रक्रिया को सुदृढ़ कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्याप्त हित वाले व्यक्तियों को लाभ के लिए न्यास की आय या संपत्ति का उपयोग किए जाने पर कोई छूट नहीं दी जाती है।

(पैराग्राफ 6.4)

- आयकर विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि सीपीसी-आईटीआर प्रणाली द्वारा आईटीआर के संसाधान के समय रिटर्न फाइल करने में देरी के लिए स्वतः शास्ति का उद्ग्रहण किया जाए।

(पैराग्राफ 6.9)

- आयकर विभाग, सरकारी और निजी सत्त्वों की पहचान करने के लिए, निजी धर्मार्थ सत्त्वों के संबंध में बेहतर मॉनीटरिंग, बेहतर सतर्कता और संवीक्षा चयन के लिए जोखिम के प्रभावी मूल्यांकन के लिए, उन्हें अधिनियम की धारा 11 और 10(23सी) की उप-धाराओं से लिंक करते हुए न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों के विभिन्न वर्गीकरणों के लिए अलग-अलग कोड आबंटित कर सकता है।

आयकर विभाग के कंप्यूटर सहायित संवीक्षा चयन (सीएएसएस) को परिष्कृत किया जाना चाहिए ताकि सरकारी सत्त्वों के लिए कम जोखिम को दर्शाया जा सके और संवीक्षा के लिए चयन की संभावना को कम किया जा सके, अन्य बातें समान रहते हुए, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संवीक्षा के लिए आयकर विभाग के संसाधन सीमित हैं और निजी क्षेत्र में उच्च जोखिम वाले मामलों में बेहतर तरीके से परिनियोजित किया जाना चाहिए।

(पैराग्राफ 7.1.1)

- आयकर विभाग अधिनियम की धारा 10(23सी) और 80जी(5) के तहत अनुमोदित मामलों को विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे में लाने के लिए निर्देश जारी कर सकता है।

(पैराग्राफ 7.1.4)

- आयकर विभाग

क) सीपीसी-आईटीआर/आईटीबीए प्रणाली में डेटा अभिगृहीत कर सकता है, ताकि ग्रेनुलर बिजनेस कोड और अन्य साधनों के माध्यम से संबंधित न्यासों के स्वरूप और गतिविधि का पता लगाया जा सके; और

ख) विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले छूट के मामलों में निजी शैक्षिक न्यासों/संस्थाओं, के संबंध में किए जा रहे सर्वेक्षणों की प्रमात्रा में वृद्धि की जाए, ताकि अधिक प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जा सके और अपात्र दावों की संभावना को कम किया जा सके जैसाकि पीएससी द्वारा इच्छा व्यक्त की गयी है।

(पैराग्राफ 7.1.5)

- आयकर विभाग इस बात की जांच कर सकता है कि किसी भी निर्धारण वर्ष में विभाग ने गैर-धर्मार्थ वाली गतिविधियों पर विचार करते हुए किसी न्यासों/संस्थाओं को छूट देने से इनकार किया हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पहले के वर्षों के निर्धारण की फिर से जांच की जा सकती है कि ऐसे न्यासों/संस्थाओं द्वारा अनुचित लाभ नहीं लिया गया था।

(पैराग्राफ 7.1.6)

- आयकर विभाग पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करने से पहले न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए मानक परिचालन क्रियाविधि/दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

(पैराग्राफ 7.1.8)

- आयकर विभाग धारा 35(2एए) और 35(2एबी) के अनुरूप धारा 35(1)(ii) के तहत अनुमोदन प्रदान करते समय विशेष प्राधिकारी द्वारा न्यास/संस्था की अनुसंधान गतिविधि के प्रमाणन पर विचार कर सकता है।

(पैराग्राफ 7.1.9)

- आयकर विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए एक मॉनीटरिंग तंत्र (संवीक्षा निर्धारण के अतिरिक्त) तैयार कर सकता है कि आईटी अधिनियम की धारा 10(23सी), 11, 12, 13, 80जी(5) के तहत लाभ प्राप्त करने वाले सत्त्व उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं जिनके लिए उनका गठन किया गया है।

(पैराग्राफ 7.1.10)

- आयकर विभाग प्रणाली को डेटा के स्वतः अभिग्रहण द्वारा वर्ष-वार संचय और उपयोग की अनुसूची को बनाए रखने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है ताकि निर्दिष्ट अवधि के बाद किसी भी अव्ययित राशि पर तदनुसार कर लगाया जा सके।

(पैराग्राफ 7.1.11)

- फॉर्म 10बीबी को संशोधित किया जा सकता है ताकि धारा 10(23सी) (iv से viए तक) के तहत पंजीकृत न्यासों/संस्थाओं द्वारा संचित राशियों की मॉनीटरिंग की जा सके। इसके अलावा, आयकर विभाग फॉर्म 10 के समान निर्धारिती द्वारा की जाने वाली विशिष्ट घोषणा पर विचार कर सकता है, जिसके अनुसार धारा 11(2) के तहत निर्धारण अधिकारी/निर्धारित प्राधिकारी को विवरण प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें धारा 10(23सी)(iv से viए) तक के तहत पंजीकृत न्यासों/संस्थाओं द्वारा संचय के उद्देश्य/अवधि को सूचित करते हुए भविष्य के अनुप्रयोग के लिए आय के संचय का विकल्प चुना गया है। इसके अलावा, सीपीसी-आईटीआर/आईटीबीए प्रणाली को डेटा के स्वतः अभिग्रहण करके वर्ष-वार संचय और उपयोग की अनुसूची को बनाए रखने के लिए भी उपयुक्त रूप से आशोधित किया जा सकता है ताकि निर्दिष्ट अवधि के बाद किसी भी अव्ययित राशि पर तदनुसार कर लगाया जा सके।

(पैराग्राफ 7.1.12)

- आयकर विभाग

- क) आईटी आधारित स्वतः अभिग्रहण तंत्र विकसित कर सकता है जिसमें आईटीआर में दर्शाए गए विदेशी प्राप्ति का प्रति-सत्यापन एमएचए के पास उपलब्ध विदेशी प्राप्ति के आंकड़ों से किया जा सके। आयकर विभाग अधिनियम में नए प्रावधानों को लाने पर भी विचार कर सकता है, ताकि एफसीआरए अधिनियम 2010 के उल्लंघन में न्यासों/संस्थाओं द्वारा प्राप्त, उपयोग किए गए, दान किए गए या निवेश किए गए विदेशी अंशदान को आय के रूप में माना जा सके जिसे धारा 11 और 10(23सी) के तहत छूट नहीं दी जानी चाहिए।
- ख) आयकर विभाग प्रणालियों में जांच और वैधीकरण का समावेश कर सकता है ताकि उपयोगकर्ता को आयकर रिटर्न फाइल करते समय समान/विभिन्न फॉर्मों के भीतर असंगत जानकारी/डेटा प्रदान करने के लिए प्रतिबंधित किया जा सके।
- ग) अन्य सरकारी विभाग/निकाय के पास उपलब्ध प्रासंगिक सूचना/डेटा के उपयोग की व्यवहार्यता का पता लगा सकता है जो स्वचालित प्रणाली में आईटीआर का संसाधन करते समय राजकोष में राजस्व की हानि को रोक सकता है।

(पैराग्राफ 7.1.13)

अध्याय 1: प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

धर्मार्थ संगठनों/संस्थानों ने सरकारी दायित्व साझा करते हुए वंचित लोगों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने, विभिन्न धर्मार्थ गतिविधियों के माध्यम से देश का विकास और कल्याण करने तथा गैर-लाभकारी संगठनों/संस्थानों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे संगठन मुख्यतः कॉर्पोरेट प्रतिष्ठानों, सरकारों, स्वैच्छिक अंशदानों और विदेशी अंशदानों आदि से प्राप्त दान, अनुदान, शुल्क आदि पर निर्भर होते हैं। ये संगठन/संस्थान कानूनी दर्जा प्राप्त करने और अपने हितों और परिसंपत्तियों की रक्षा हेतु विभिन्न अधिनियमों अर्थात्, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860; धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863; भारतीय न्यास अधिनियम, 1882; और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1890 आदि के अंतर्गत पंजीकृत किए जाते हैं। स्वैच्छिक संगठन/संस्थान के अतिरिक्त, कुछ कॉर्पोरेट प्रतिष्ठान और अन्य निकाय भी कंपनी अधिनियम¹ की धारा 25 के अंतर्गत वाणिज्य, कला, धर्मार्थ और धर्म आदि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंपनी बनाते हैं। ये कंपनियां केवल परोपकारी उद्देश्यों के लिए गठित की जाती हैं, और इनके लाभांश भुगतान निषिद्ध होते हैं।

भारतीय संविधान, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(सी) के माध्यम से ऐसे संस्थानों को संस्थाओं अथवा संघों के गठन के अधिकार से संबंधित एक विशिष्ट कानूनी मान्यता की गारंटी प्रदान करता है। दान और धर्मार्थ संगठनों को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची या सूची-III (सातवीं अनुसूची) की मद 28 में सम्मिलित किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों इस विषय पर कानून बनाने में सक्षम हैं।

उपरोक्त कानूनों के अलावा, आयकर अधिनियम 1961 भी धर्मार्थ संस्थानों पर लागू है, तथापि इन धर्मार्थ संस्थानों द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदानों के मामले में, विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 लागू होगा।

आयकर को 1860 और 1922 में प्रस्तुत किया गया था, तथा धर्मार्थ उद्देश्यों हेतु अभिदान पर विशिष्ट संस्थाओं को 50 प्रतिशत की छूट दी गई थी। आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) ने धर्मार्थ उद्देश्यों की परिभाषा को और व्यापक बनाया। अधिनियम की धारा 2(15) "धर्मार्थ उद्देश्यों" की अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है। यह अधिनियम, शिक्षा, चिकित्सा, गरीबों को राहत, धर्म

¹ कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत धारा 25 में धर्मार्थ और अन्य कंपनियों के लिए प्रावधान है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 संबंधित प्रावधान है।

आदि क्षेत्रों में सामाजिक उद्देश्यों के प्रोत्साहन और पूर्ति हेतु धर्मार्थ स्वरूप के उद्देश्यों में लगी सरकार द्वारा वित्त पोषित सत्त्वों सहित विभिन्न सत्त्वों, को छूट प्रदान करता है, जो धारा 10(23सी), धारा 11, धारा 12, धारा 13 आदि में निहित कुछ प्रावधानों के अनुपालन के अधीन है। इन सत्त्वों को दान, स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त होता है और धर्मार्थ प्रकृति की गतिविधियों से अन्य आय प्राप्त होती है। इन सत्त्वों की प्राप्तियों को उन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए जिनके लिए इन न्यासों और संस्थाओं की स्थापना की गई है। आयकर विभाग (आईटीडी) का यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि प्रामाणिक और पात्र न्यासों व संस्थाओं की आय को आयकर के उद्ग्रहण से छूट दी जाए, और वे कर की सटीक राशि का भुगतान करें।

1.2 कानूनी संरचना

1.2.1 आयकर विभाग में आयकर की रिटर्न (आईटीआर) के लिए निर्धारण प्रक्रिया से संबंधित कानूनी प्रावधानों को **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है।

1.2.2 धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के पंजीकरण/अनुमोदन/अधिसूचना, निर्धारण और धारा 10(23सी)(iiiएबी) से (viए), 11 और 12 के अंतर्गत धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को छूट से संबंधित अधिनियम के विशिष्ट प्रावधान पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि पदबंध "धर्मार्थ" और "अलाभकारी" समान नहीं हैं। चिकित्सा/शैक्षिक संस्थान केवल परोपकारी उद्देश्यों हेतु विद्यमान हैं और यह उन लाभ के उद्देश्यों हेतु नहीं है, धारा 10(23सी) (iiiएबी) से (iiiई); और 10(23सी)(vi) और (viए) में कवर किए जाते हैं।

1.2.2.1 धारा 2(15) के अंतर्गत 'धर्मार्थ उद्देश्य' की परिभाषा

अधिनियम की धारा 2(15) में 'धर्मार्थ उद्देश्य' की परिभाषा दी गई है, जिसमें (i) गरीबों को राहत (ii) शिक्षा (iii) योग (iv) चिकित्सा राहत (v) पर्यावरण संरक्षण (जलसंभर क्षेत्र, वनों और वन्यजीवों सहित) (vii) कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों अथवा स्थानों अथवा वस्तुओं का संरक्षण और (viii) जनोपयोगी सुविधाओं के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति सम्मिलित है। धारा में यह भी प्रावधान है कि जनोपयोगी सुविधाओं के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति, यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य या कारोबारी स्वरूप में किसी भी गतिविधि को संचालित करना सम्मिलित है, अथवा किसी भी व्यापार, वाणिज्य या कारोबार से संबंधित कोई सेवा प्रदान करने की गतिविधि, से उपकर अथवा शुल्क या किसी अन्य प्रतिफल हेतु उपयोग या अनुप्रयोग के स्वरूप पर विचार किए बिना, अथवा ऐसी गतिविधि से आय के अवधारण और पूर्व वर्ष में ऐसी गतिविधि या गतिविधियों से ₹ 25 लाख (01.04.2016 से कुल प्राप्तियों का

20 प्रतिशत) से अधिक है तो यह एक धर्मार्थ उद्देश्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, धारा 13(8) के अनुसार, इस तरह की गतिविधि वाले सत्त्व को संबंधित पूर्व वर्ष हेतु "गैर-छूट" सत्त्व माना जाएगा।

1.2.2.2 धारा 11 और 12 में उल्लेखित धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं से संबंधित प्रावधान

(क) अधिनियम की धारा 11 और 12 में छूटों के लिए अनुदान

अधिनियम की धारा 11(1), धर्मार्थ अथवा धार्मिक प्रयोजनों हेतु मानी गई संपत्ति से प्राप्त आय के लिए धर्मार्थ तथा धार्मिक संगठनों को उपलब्ध छूट से संबंधित है जहां इस प्रकार की आय को भारत में धर्मार्थ तथा धार्मिक प्रयोजनों के लिए लागू किया जाता है और जहां ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजनों में अनुप्रयोग किए जाने के लिए संचित अथवा पृथक रखी जाती है तो वहां उस सीमा तक इस प्रकार संचित या पृथक रखी गई आय उस संपत्ति से होने वाली आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

धारा 11 (2) में प्रावधान है कि यदि पूर्व-वर्ष में, भारत में धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजनों में प्रयुक्त आय उस वर्ष में प्राप्त आय के 85 प्रतिशत से कम होती है, तो न्यास आगामी पांच वर्षों में निर्दिष्ट प्रयोजन(ओं) हेतु व्यय के लिए आय के अनुपयोगित भाग के संचय का विकल्प चुन सकता है। इस प्रकार फॉर्म 10² में ऐसी संचित आय का रिटर्न नियत तिथि³ से पहले निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जैसा कि धारा 139(1)⁴ में आय रिटर्न प्रस्तुत करना निर्धारित है।

धारा 11(5) में प्रावधान है कि संचित निधियों को विनिर्दिष्ट पद्धतियों जैसे लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जारी बचत प्रमाण पत्र, डाकघर, अनुसूचित बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इकाइयों में जमा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में जमा आदि करके निवेश किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, धारा 12 में न्यासों अथवा संस्थाओं की आय को अंशदान से छूट देने का प्रावधान है, जो धारा 11 के प्रयोजनों हेतु, संपूर्णतया धर्मार्थ या

² अधिनियम की धारा 11(2) के अंतर्गत विवरण निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाए।

³ नि. वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए आईटीआर फाइल करने की नियत तिथियां क्रमशः 30 सितंबर 2014, 30 सितंबर 2015, 17 अक्टूबर 2016 और 07 नवंबर 2017 थीं।

⁴ अधिनियम की धारा 139(1) में यह प्रावधान है कि किसी कंपनी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति यदि उसकी कुल आय अथवा किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय जिसके संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत वह पूर्व वर्ष में निर्धारण योग्य है, जो आयकर के लिए गैर-प्रभार्य की अधिकतम राशि से अधिक है, निर्धारित तिथि पर अथवा उससे पूर्व, आय की रिटर्न प्रस्तुत करें।

धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित संपत्ति से प्राप्त आय माना जाएगा और धारा 11 तथा धारा 13 के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

इस प्रकार संक्षेप में, धारा 11 के अंतर्गत, केवल परोपकारी उद्देश्यों के लिए अथवा लाभ के लिए ही ये संरचना विद्यमान नहीं है बल्कि एक प्रतिबन्ध है कि संचय 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है।

धारा 11 और 12 की प्रयोज्यता की शर्तों को धारा 12ए में दिया गया है जिसे निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- (i) धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकरण हेतु जुलाई 1973 के पहले दिन से पूर्व अथवा इसके सृजन की तिथि या संस्थान की स्थापना की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति से पहले, जो भी बाद में हो, को निर्धारित प्रणाली में प्र. सीआईटी/सीआईटी को फॉर्म 10ए में आवेदन करना आवश्यक है।
- (ii) जहां धारा 11 और 12 के प्रावधान को प्रभावी किए बिना किसी न्यास या संस्थान की कुल आय की गणना अधिकतम राशि से अधिक है, जो किसी भी पिछले वर्ष में आयकर हेतु गैर-प्रभार्य है, न्यास अथवा संस्थान के उस वर्ष के लेखों की लेखापरीक्षा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जाएगी, और निर्धारित तिथि से पूर्व फॉर्म 10बी में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को फाइल किया जाना आवश्यक है।
- (iii) 01.04.2018 से, आय प्राप्ति वाले सत्त्वों को धारा 139(4ए) के प्रावधानानुसार, पूर्व वर्ष की आय का रिटर्न धारा 139(1) के अंतर्गत अनुमत समय में प्रस्तुत करना होगा।

(ख) न्यास/संस्थान का पंजीकरण


अधिनियम की धारा 12ए में यह प्रावधान है कि किसी न्यास/संस्थान के पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, प्र. सीआईटी/सीआईटी, संगठन की गतिविधियों की वास्तविकता के बारे में स्वयं की संतुष्टि हेतु, ऐसे दस्तावेज़ अथवा सूचना की मांग करेगा, और ऐसी जाँच भी कर सकता है, जो वह आवश्यक समझता है। न्यास अथवा संस्थान के प्रयोजनों और इसकी गतिविधियों की प्रामाणिकता के बारे में स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत, वह न्यास अथवा संस्थान को पंजीकृत करने हेतु एक लिखित आदेश पारित करेगा।

धारा में यह भी प्रावधान है कि यदि न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियां प्रामाणिक नहीं हैं या न्यास/संस्थान के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं की जा रही हैं अथवा गतिविधियां इस प्रकार से की जा रही हैं कि अधिनियम की धारा 11 और 12

के उपबंध ऐसे न्यासों/संस्थाओं की आय के पूरे या किसी भाग को हटाने के लिए लागू नहीं करता है, तो प्र. सीआईटी/सीआईटी, एक लिखित आदेश द्वारा, ऐसे न्यास/संस्था के पंजीकरण को रद्द कर सकता है।

अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु सत्त्वों को पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करते समय विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निम्न प्रवाह चार्ट 1.1 में दिखाया गया है।

चार्ट 1.1: पंजीकरण/अनुमोदन प्रक्रिया



किसी भी न्यास/संस्थान, जिनकी गतिविधियां धर्मार्थ या धार्मिक स्वरूप की हैं, उन्हें धारा 12एए के अंतर्गत पंजीकृत होने और धारा 10(23सी) के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है। इसके अतिरिक्त, 1 जून 2020⁵ से पहले, एक बार प्रदान किए जाने के बाद पंजीकरण/अनुमोदन स्थायी था, और इसे केवल तभी रद्द किया जा सकता था जब अनुमोदन प्राधिकारी न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियां प्रामाणिक नहीं होने अथवा उद्देश्यों के अनुरूप नहीं किए जाने से संतुष्ट होता था। एक बार न्यासों/संस्थाओं के उद्देश्यों को धर्मार्थ या धार्मिक सिद्ध किए जाने के बाद, इन सत्त्वों द्वारा धारित संपत्ति की आय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत छूट के लिए पात्र होगी।

(ग) धारा 11 के अंतर्गत जिन परिस्थितियों में छूट का लाभ उपलब्ध नहीं होगा अधिनियम की धारा 13 उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करती है जिनके अंतर्गत धारा 11 के अंतर्गत किसी संगठन को लाभ अनुपलब्ध होगा - (i) यदि आय जनहित हेतु प्रयुक्त नहीं की जाती है; (ii) यदि आय किसी विशेष धार्मिक समुदाय अथवा जाति के लाभ हेतु प्रयुक्त की जाती है; (iii) यदि आय या

⁵ वित्त अधिनियम 2020 द्वारा क्रमशः धारा 12एबी और धारा 10(23सी) के अंतर्गत पुनः पंजीकरण और पुनः अनुमोदन प्रक्रिया को 1 जून 2020 से लागू किया गया था।

संपत्ति को निर्दिष्ट व्यक्ति जैसे, संस्थापक, न्यासी, प्रबंधक, मुख्य पदाधिकारी, प्रमुख दानकर्ताओं और संस्थापकों के रिश्तेदारों या संगठन में पर्याप्त रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लाभ हेतु अनुप्रयुक्त/उपयोग किया जाता है; तथा (iv) यदि निधियों को धारा 11(5) में निर्दिष्ट पद्धति से भिन्न पद्धतियों में निवेश किया जाता है।

1.2.2.3 धारा 10(23सी) के अंतर्गत शामिल विशेष सत्त्वों से संबंधित प्रावधान

उपरोक्त पैरा 1.2.2.2 में उल्लिखित धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के अलावा, कुछ शैक्षिक, चिकित्सा और धार्मिक संस्थान हैं जिन्हें कुछ शर्तों की पूर्ति अध्यधीन धारा 10(23सी) के अंतर्गत छूट प्रदत्त है। इस तरह के विशेष संगठनों से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

(क) सरकार द्वारा वित्त पोषित संगठन

सरकार द्वारा पूर्णतया अथवा पर्याप्त⁶ रूप से वित्तपोषित विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थान और अस्पताल/चिकित्सा संस्थान, जो केवल शैक्षिक/परोपकारी तथा अलाभकारी उद्देश्यों के लिए होते हैं, को क्रमशः धारा 10(23सी) (iiiएबी) और 10(23सी)(iiiएसी) के अंतर्गत कर छूट दी गई है। ऐसे संगठनों को छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए प्र. सीआईटी/सीआईटी से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। नि. व. 2016-17 से छूट के दावे हेतु ऐसे संगठनों के लिए आयकर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य⁷ है। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि धारा 10(23सी)(iiiएबी) के अंतर्गत भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), मोहाली, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), दुर्गापुर, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)⁸, बेंगलुरु आदि जैसे सरकारी संस्थानों और अधिनियम की धारा 10(23सी)(iiiएसी) के अंतर्गत संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, हसन आयुर्विज्ञान संस्थान, हसन, कर्नाटक आदि ने छूट का दावा किया है।

(ख) संगठन जिनकी वार्षिक प्राप्ति ₹ एक करोड़ से अधिक नहीं है

अधिनियम की धारा 10(23सी)(iiiएडी) और 10(23सी)(iiiएई) के अंतर्गत क्रमशः विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थानों और अस्पताल/चिकित्सा संस्थानों, जो केवल शैक्षिक/परोपकारी उद्देश्यों हेतु तथा अलाभकारी उद्देश्यों हेतु होते हैं, को कर छूट

⁶ आयकर नियमों के नियम 2बीबीबी में प्रावधान है कि किसी सत्त्व की यदि सरकारी अनुदान संबंधित पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी स्वैच्छिक योगदान सहित कुल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक होता है, तो उसे सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तपोषित माना जाएगा।

⁷ 1.4.2016 (वित्त अधिनियम, 2015) से अंतःस्थापित

⁸ नि.व. 2014-15 में धारा 10(23सी) (iiiएबी) और उत्तरवर्ती नि.व. में धारा 11 के अंतर्गत आईआईएम ने छूट का दावा किया।

प्राप्त है, यदि उनकी वार्षिक आय ₹ एक करोड़ से अधिक नहीं है। ऐसे संगठनों को छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए प्र. सीआईटी/सीआईटी से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। छूट के दावे हेतु ऐसे संगठनों को आयकर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है।

(ग) अन्य निर्दिष्ट संगठन

धारा 10(23सी)(iv) से 10(23सी)(vi) के प्रावधान अन्य शैक्षिक, चिकित्सा संस्थानों, निधि और धर्मार्थ व धार्मिक संस्थानों से संबंधित हैं जिन्हें कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन छूट प्राप्त है, ऐसे निर्दिष्ट संगठन हैं:

(i) धारा 10(23सी)(iv): धर्मार्थ उद्देश्यों हेतु संस्थापित कोई भी निधि या संस्थान जिसे निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाए, जिसका पूरे भारत अथवा किसी भी राज्य या राज्यों में महत्व है, इस धारा के अंतर्गत छूट का दावा कर सकता है। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि पंजाब भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, पश्चिम बंगाल राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति आदि जैसी निधियों/संस्थानों ने इस धारा के अंतर्गत छूट का दावा किया है।

(ii) धारा 10(23सी)(v): पूर्णतया: सार्वजनिक धार्मिक उद्देश्य या सार्वजनिक धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए कोई भी न्यास अथवा संस्थान छूट का दावा करने हेतु पात्र है और जिसे निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि रामकृष्ण मठ, श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट, मुंबई, द असेंबली ऑफ गॉड चर्च आदि जैसे संस्थानों ने इस धारा के अंतर्गत छूट का दावा किया है।

(iii) धारा 10(23सी)(vi): उप-खंड (iii)एबी) या (iii)एडी) में उल्लिखित के अलावा विश्वविद्यालय अथवा शैक्षिक संस्थान जो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए हैं लेकिन लाभ के उद्देश्यों के लिए नहीं हैं, उन्हें निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जा सके, वे इस धारा के अंतर्गत छूट का दावा कर सकते हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि एमपी बिड़ला प्रबंधन संस्थान, कोलकाता, दिल्ली पब्लिक स्कूल, भुवनेश्वर, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, ग्वालियर आदि जैसे संस्थानों ने इस धारा के अंतर्गत छूट का दावा किया है।

(iv) धारा 10(23सी)(viए): अस्पताल या चिकित्सा संस्थान जो केवल परोपकारी तथा अलाभकारी उद्देश्यों हेतु होते हैं और जिन्हें निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, मुंबई, गुजरात अनुसंधान और चिकित्सा संस्थान, अहमदाबाद आदि जैसे संस्थानों ने इस धारा के अंतर्गत छूट का दावा किया है।

धारा 10(23सी)(vi) से 10(23सी)(viए) में उल्लिखित संगठनों को छूट प्रदान करने की शर्तें हैं:-

(क) ऐसे संगठनों को छूट के दावे हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्र. सीआईटी/सीआईटी को, फॉर्म संख्या 56डी में आवेदन करना आवश्यक है।

(ख) प्र. सीआईटी/सीआईटी, आवेदन की प्राप्ति पर, संगठन की गतिविधियों की वास्तविकता के बारे में स्वयं की संतुष्टि हेतु, ऐसे दस्तावेज़ अथवा सूचना की मांग करेगा, जो वह आवश्यक समझता है और ऐसी जाँच भी कर सकता है, जो वह आवश्यक समझे। इसके प्रयोजनों और गतिविधियों की प्रामाणिकता के बारे में स्वयं संतुष्ट होने उपरांत, वह 12 माह के भीतर संस्थान अथवा निधि को अनुमोदन प्रदान करने हेतु एक लिखित आदेश पारित करेगा।

(ग) ऐसे संगठनों की आय का उपयोग किसी भी निजी लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।

(घ) छूट के दावे के लिए आईटीआर-7 में आयकर रिटर्न फाइल करना और फॉर्म 10बीबी में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन देना अनिवार्य है।

(ङ) अपने उद्देश्यों के लिए आय के 85 प्रतिशत के अनुप्रयोग की शर्त के अधीन छूट उपलब्ध है और यह आय के अनुपयोगी भाग के संचय का विकल्प चुन सकता है, जिसे अधिकतम पांच वर्षों की अवधि में व्यय किया जाना है।

(च) संचित निधियों को धारा 11(5) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट माध्यमों में निवेश किया जाना है।

1.2.2.4 कुछ निधियों, धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं आदि को दान देने के संबंध में कटौती

धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को दान की गई राशि पर अधिनियम की धारा 80जी के तहत कटौती की जाती है। धारा 80जी(5) में पूर्व-शर्तें शामिल हैं जिन्हें न्यास/संस्थान को दानकर्ता द्वारा प्रदत्त दान में कर कटौती होने से पहले संचयी रूप से संतुष्ट किया जाना चाहिए। इन शर्तों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है-

- (i) धारा 11, 12 या धारा 10(23सी) में निहित प्रावधानों के आधार पर न्यासों/संस्थाओं की आय कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी;
- (ii) न्यासों/संस्थाओं की आय पूर्णतया धर्मार्थ प्रयोजनार्थ उपयोग की जाती है। धर्मार्थ उद्देश्य में धार्मिक उद्देश्य सम्मिलित नहीं है [धारा 80जी के नीचे स्पष्टीकरण 3]। तथापि, धारा 80जी(5बी), धार्मिक गतिविधियों से संबंधित न्यासों/संस्थाओं के मामलों में धार्मिक उद्देश्यों के प्रति किसी वर्ष की आय के पांच प्रतिशत तक के उपयोग की अनुमति देती है;
- (iii) न्यास/संस्था किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ हेतु नहीं हैं;
- (iv) न्यास/संस्था अपनी प्राप्तियों और व्यय के संबंध में नियमित बही खातों को व्यवस्थित रखते हैं; और
- (v) इस विषय में न्यासों/संस्थाओं को प्र.सीआइटी/सीआइटी द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

अध्याय 2: लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

यह अध्याय इस विषय के चयन के कारणों, इस निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा पद्धति और संबंधित पहलुओं पर चर्चा करता है।

2.1 हमने इस विषय को क्यों चुना

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु इस विषय का चयन करने के लिए आधार थे:

- भारत सरकार के वार्षिक बजट का भाग प्राप्त बजट के अनुसार, धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं द्वारा अनुप्रयुक्त छूट की कुल राशि वित्त वर्ष 2014-15 में ₹ 2.25 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2017-18 में ₹ 3.34 लाख करोड़ हो गई, जो 48 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस राशि की गणना किस प्रकार की गई, इसका ब्यौरा बजट में उपलब्ध नहीं है और न ही लेखापरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों से उनका पता लगाया जा सका।
- "धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट" पर किए गए और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2013 के प्रतिवेदन संख्या 20 में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षा में विभिन्न त्रुटियों जैसे धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं की पंजीकरण प्रक्रिया में अनियमितताएं, गैर-धर्मार्थ प्रकृति के न्यासों को अनियमित छूट, न्यासों की आय संचयन की मॉनिटरिंग नहीं होना और न्यासों द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान की मॉनिटरिंग नहीं होना, विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् आय/संचयों की कम-अनुप्रयुक्तता का गैर-कराधान आदि पर प्रकाश डाला गया था। लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपने 27वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट, समिति की अभ्युक्तियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में अपने 104वें प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर विभाग के गंभीर प्रकृति के उल्लंघनों और यह मॉनीटर करने में विफलता कि क्या न्यास जिन उद्देश्यों के अंतर्गत स्थापित किए गए थे, उनकी पूर्ति कर रहे हैं, पर अपनी चिंता व्यक्त की। समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह इच्छा भी व्यक्त की कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय सार्वजनिक धर्मार्थ न्यासों द्वारा किए गए उल्लंघनों पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और कमियों को कैसे दूर किया जाए और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्तियों को कैसे रोका जाए, पर सिफारिश प्रस्तुत करें।

- हमने धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं के निर्धारण पर एक सीमित अनुवर्ती नमूना-परीक्षण भी किया और उस लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2019 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 9 में सम्मिलित किया गया था।
- इस वर्तमान लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह भी पता लगाना है कि क्या आयकर विभाग ने पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा और धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के निर्धारण की सीमित अनुवर्तन नमूना-परीक्षण में उजागर कमियों का तब से समाधान किया है।

2.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य इस पर ध्यान केंद्रित करना है:

- (i) क्या सीबीडीटी आयकर अधिनियम की धारा 10(23सी), 11, 12, 13, 80जी(5) के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं के पंजीकरण/अनुमोदन के संबंध में निर्धारित प्रक्रियाओं के कारगर अनुपालन को सुनिश्चित करता है और उसके उपरांत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करता है;
- (ii) क्या आयकर विभाग धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत छूट प्रदान करने में सक्षम हैं और इस प्रकार की छूट पात्र निकायों को सटीक व समयानुकूल दी जाती है; तथा
- (iii) क्या धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के निर्धारण से संबंधित अधिनियम/नियमों/सीबीडीटी अनुदेशों में वर्तमान प्रावधान पर्याप्त हैं अथवा कोई कमी/अस्पष्टता/विसंगति है।

2.3 लेखापरीक्षा की परिधि और कार्यक्षेत्र

धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के संबंध में निर्धारित-वार डेटा में सम्मिलित प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा प्रदत्त 6,89,011 मामलों से, प्रारंभ में हमारे लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन संवीक्षा/परिशोधन से संबद्ध 47 प्र.सीआईटी/सीआईटी के अधीन कुल 6,390 मामलों को इस निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा नमूनों के रूप में चुना गया था। तथापि, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न वर्तमान स्थिति के कारण, लेखापरीक्षा नमूनों को घटाकर 5,798 मामले कर दिए गए, जिसमें ₹ 1.66 लाख करोड़⁹ की छूट सम्मिलित थी। नमूना मामलों में सम्मिलित 200 शीर्ष निर्धारितियों में ₹ 1.07 लाख करोड़ की छूट सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त, एक निर्धारित विशेष वर्ष के लिए चुने गए

⁹ स्रोत: प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) से प्राप्त डेटा

किसी भी निर्धारित लेखापरीक्षा नमूने के निर्धारिती के संबंध में, हमें कमी या गैर-अनुपालन मिलने पर, निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा ने नि. व. 2014-15 से 2017-18 के मध्य सभी शेष निर्धारणों का भी चयन किया। तदनुसार, इस लेखापरीक्षा हेतु 1,028 अतिरिक्त निर्धारण मामलों का चयन किया गया था। इस प्रकार, कुल लेखापरीक्षा नमूनों में 6,826 निर्धारण सम्मिलित थे।

उपरोक्त लेखापरीक्षा नमूनों के अतिरिक्त, संक्षिप्त निर्धारण मामलों की जाँच हेतु, ऐसे पैन जो अतिरिक्त मामलों सहित प्रारंभिक नमूने का हिस्सा नहीं थे, के संबंध में 200 उच्च मूल्य संक्षिप्त निर्धारण मामले (₹ 125 करोड़ से अधिक की सकल आय) का भी लेखापरीक्षा हेतु चुनाव किया गया। इस प्रकार, निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु कुल 7,026 लेखापरीक्षा नमूने थे। लेखापरीक्षा नमूनों का विवरण नीचे तालिका 2.1 में तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 2.1: चयनित लेखापरीक्षा नमूनों का राज्य-वार वितरण						
क्र. सं.	राज्य(ओं) का नाम	लेखापरीक्षा नमूना				
		आरंभिक मामले	संशोधित मामले	अतिरिक्त मामले	उच्च 200 संक्षिप्त मामले	कुल
		1	2	3	4	2+3+4
1.	आंध्र प्रदेश व तेलंगाना	401	401	0	4	405
2.	बिहार	91	62	0	1	63
3.	दिल्ली	622	622	66	45	733
4.	गुजरात	614	507	50	9	566
5.	झारखंड	66	66	1	1	68
6.	कर्नाटक व गोवा	571	441	182	27	650
7.	केरल	272	272	24	8	304
8.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	251	236	201	2	439
9.	महाराष्ट्र	1,412	1,412	93	30	1,535
10.	पूर्वोत्तर राज्य	49	38	0	1	39
11.	ओड़िशा	98	98	34	3	135
12.	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर	345	315	200	16	531
13.	राजस्थान	304	304	97	5	406
14.	तमिलनाडु	549	515	42	23	580
15.	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	402	202	0	21	223
16.	पश्चिम बंगाल	343	307	38	4	349
17.	कुल	6,390	5,798	1,028	200	7,026

प्रारंभिक लेखापरीक्षा नमूना मामलों की संख्या के संदर्भ में, 1,505 मामलों के साथ महाराष्ट्र उच्चतम था, इसके बाद दिल्ली के 688 मामले थे। शीर्ष 200 संक्षिप्त निर्धारण मामलों में, मामलों की संख्या के संदर्भ में, दिल्ली 45 मामलों के साथ उच्चतम था; इन 45 मामलों में 24 सरकारी सत्त्व, जिनकी कुल सकल आय ₹ 8,027.1 करोड़ थी, और 21 निजी सत्त्व जिनकी कुल सकल आय ₹ 4,812.3 करोड़ थी।

2.4 लेखापरीक्षा पद्धति

- (i) 23 दिसंबर 2019 को आयकर विभाग/सीबीडीटी के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य ध्यानाकर्षण क्षेत्रों से आयकर विभाग को अवगत कराया गया।
- (ii) निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, धर्मार्थ और धार्मिक गतिविधियों में लगे न्यासों/संस्थाओं के पंजीकरण/अनुमोदन, पंजीकरण के आहरण से संबंधित डेटा, अधिनियम की धारा 12एए, 10(23सी) और 80जी(5)(vi) के अंतर्गत अपनाई गई प्रक्रियाओं की जाँच हेतु एकत्र किया गया।
- (iii) अधिनियम के सामान्य उपबंधों, सीबीडीटी के सम्बद्ध परिपत्रों आदि के अनुपालन के प्रकार और सीमा की जाँच हेतु अनुमोदित नमूनों से संबंधित निर्धारण और अन्य अभिलेखों से लेखापरीक्षा जाँच-सूचियों (सामान्य और विशिष्ट) में डेटा कैचर किया गया।
- (iv) आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त अभिलेखों से प्रमुख दस्तावेज़ एकत्र किए गए। इनमें गणना पत्रकों (आईटीएनएस-150) समेत निर्धारण आदेश; आयकर गणना पत्रकों के एएसटी स्क्रीनशॉट्स; निर्धारितियों को जारी नोटिस; निर्धारितियों की प्रस्तुतियां; अनुसूचियों, तुलन पत्रों, आय-व्यय लेखे, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और अन्य सम्बद्ध अभिलेखों के विवरण सहित आयकर रिटर्न्स (आईटीआर) सम्मिलित थे। लेखापरीक्षा ने उन दस्तावेज़ों की जाँच की और निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान सामान्य और विशिष्ट जाँच-सूचियों में कैचर किए गए डेटा का भी विश्लेषण किया। आयकर विभाग की संबंधित इकाइयों (वार्ड/सर्किल/कमीश्नरी) को, इस प्रकार की लेखापरीक्षा जाँच और विश्लेषण के परिणामस्वरूप उत्पन्न प्रणालीगत और अनुपालन मुद्दों पर उनकी टिप्पणियों के लिए सूचित किया गया था।
- (v) लेखापरीक्षा ने पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) के 2013 के प्रतिवेदन संख्या 20 की सिफारिशों और 2019 के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संख्या 9 के अध्याय VI पर आयकर विभाग की कार्रवाई की भी समीक्षा की और उसके बाद लोक लेखा समिति द्वारा 2013 के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 20 में की गई सिफारिशों और उसके उपरांत क्रमशः दिसंबर 2015 और वित्त वर्ष 2018-19 में संसद में प्रस्तुत इसके 27वें प्रतिवेदन और 104वें प्रतिवेदन में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की।

(vi) दिसंबर 2021 में मंत्रालय को निष्पादन लेखापरीक्षा का मसौदा जारी किया गया था। फरवरी और मार्च 2022 में आंशिक प्रत्युत्तर प्राप्त हुए थे। 4 मार्च 2022 को मंत्रालय के साथ प्रस्थान सम्मेलन आयोजित किया गया था।

2.5 लेखापरीक्षा हेतु अभिलेखों का गैर-प्रस्तुतीकरण

7,026 नमूना मामलों में से, विभाग ने 6,260 मामलों के निर्धारण अभिलेख प्रस्तुत किए, और 766 मामलों को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग प्रणाली में संक्षिप्त में संसाधित अथवा परिशोधित नमूना मामलों के संबंध में, विभाग ने कई मामलों में अधूरी सूचना प्रदान की थी। अपने प्रत्युत्तर में, आईटीओ (छूट) वार्ड-3, बेंगलुरु ने कहा कि जहाँ धारा 154/155 के अंतर्गत सीपीसी-आईटीआर के समक्ष सम्बद्ध निर्धारितियों द्वारा फाइल परिशोधन निवेदन को स्वयं सीपीसी-आईटीआर द्वारा संसाधित किया गया था और इस कार्यालय के पास उनके द्वारा सामान्यतः पारित आदेशों तक भी पहुंच नहीं थी। निर्धारण अधिकारी ने आगे कहा कि एएसटी/आईटीबीए मॉड्यूल में उपलब्ध सीमा तक मामलों के स्क्रीनशॉट्स लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए। इस मुद्दे को मार्च 2020 में चयनित संसाधित/परिशोधित मामलों को क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ सीबीडीटी के संज्ञान में लाया गया।

निर्धारण अभिलेखों का गैर-प्रस्तुतीकरण 10.9 प्रतिशत था, जिसका विवरण नीचे तालिका 2.2 में दिया गया है:

तालिका 2.2: निर्धारण अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण का विवरण				
राज्य का नाम	लेखापरीक्षा नमूना	लेखापरीक्षित मामले	गैर-प्रस्तुत मामले	
			संख्या में	प्रतिशत में
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा	540	424	116	21.5
दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	1,172	1,108	64	5.5
गुजरात और राजस्थान	972	859	113	11.6
कर्नाटक व गोवा	650	557	93	14.3
महाराष्ट्र	1,535	1,320	215	14.0

तालिका 2.2: निर्धारण अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण का विवरण				
राज्य का नाम	लेखापरीक्षा नमूना	लेखापरीक्षित मामले	गैर-प्रस्तुत मामले	
			संख्या में	प्रतिशत में
पंजाब, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल प्रदेश	531	522	9	1.7
तमिलनाडु और केरल	884	792	92	10.4
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड	354	350	4	1.1
पश्चिम बंगाल व पूर्वोत्तर राज्य	388	328	60	15.5
कुल	7,026	6,260	766	10.9

उपरोक्त तालिका 2.2 से यह देखा जाता है कि 766 मामलों में से, महाराष्ट्र में सबसे अधिक गैर-प्रस्तुत मामले (215 मामले) हैं, इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा (116 मामले) का स्थान है; तथापि, गैर-प्रस्तुतीकरण के प्रतिशत के संदर्भ में, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा (21.5 प्रतिशत) सबसे अधिक थे, इसके बाद पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों (15.5 प्रतिशत) का स्थान था।

इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा से चयनित ₹ 167.9 करोड़ और उससे अधिक (₹ 6,102.4 करोड़ की छूट वाले) की सकल आय वाले शीर्ष 200 न्यासों/संस्थाओं के 17 मामले (आठ संवीक्षा मामले और नौ परिशोधन मामले) निर्धारण अभिलेखों की गैर-प्रस्तुतिकरण में सम्मिलित हैं, **परिशिष्ट-2.1** में यथाविस्तृत है। विभाग द्वारा अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण के मुख्य कारणों में मौजूदा महामारी की स्थिति के कारण कार्यालय में आयकर विभाग के प्रमुख अधिकारियों/कर्मचारियों की सीमित उपस्थिति, विभाग का पुनर्गठन, कुछ अभिलेखों का सुगमतापूर्वक पता नहीं लगाया जा पाना आदि बताए गए। इसके अतिरिक्त, विभाग 2014 के बाद पंजीकृत/अनुमोदित 425 मामलों में से, पंजीकरण/ अनुमोदन से संबंध 194 मामलों के अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका¹⁰।

पंजीकरण और छूट प्रदान करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के उचित अनुपालन का पता लगाने में पंजीकरण/अनुमोदनों के अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति और संक्षिप्त/ परिशोधन मामलों की अधूरी प्रस्तुति लेखापरीक्षा के लिए प्रमुख बाधाएं थीं।

2.6 आभार

हम कोविड-19 महामारी के कारण आने वाली बाधाएं होते हुए भी आवश्यक अभिलेख/सूचना प्रदान करने और इस निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन को सुविधाजनक बनाने में विभाग के सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं।

¹⁰ इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 5.2.1 का संदर्भ लें।

अध्याय 3: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) की स्थिति

लेखापरीक्षा ने धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट पर वर्ष 2012 में एक निष्पादन लेखापरीक्षा की थी और निष्कर्षों को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के 2013 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 20 में सम्मिलित किया था, जिसे दिसंबर 2013 में संसद में प्रस्तुत किया गया था।

पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह आश्वासित करना था कि केवल धर्मार्थ गतिविधियों में लिप्त न्यासों को ही पंजीकरण प्रदान किए जाते हैं, और पात्र न्यासों को छूट की अनुमति दी जाती है। अध्ययन में यह आश्वासन भी मांगा गया कि संचयों के उपयोग और छूट से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों में अपर्याप्तताओं हेतु उचित मॉनिटरिंग तंत्र विद्यमान है।

प्रतिवेदन में विशिष्ट चूकों पर प्रकाश डाला गया, जैसे (क) पर्याप्त दस्तावेजों के बिना अनुमोदन/पंजीकरण प्रदान करना; (ख) न्यास विलेख में विघटन खंड का गैर-समावेशन; (ग) गैर-धर्मार्थ प्रकृति के न्यासों को अनियमित छूट; (घ) पंजीकरण/अनुमोदन/अधिसूचना प्रदान करने में विलंब; (ङ) निरंतर बृहत अधिशेष सृजित करने वाले न्यासों को अनियमित छूट; (च) अनाम दान/स्वैच्छिक अंशदान में अनियमित छूट; (छ) न्यासों के आय संचय की मॉनिटरिंग नहीं होना; (ज) विनिर्दिष्ट पद्धति में नहीं किए गए निवेश को अनियमित छूट; (झ) न्यासों द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान की मॉनिटरिंग नहीं होना आदि।

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने प्रतिवेदन सहित आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का भी निरीक्षण किया और दिसंबर 2015 में संसद में प्रस्तुत अपने 27वें प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) में उनकी अभ्युक्तियों/सिफारिशों को सम्मिलित किया। तदोपरान्त, समिति (2018-19) ने अपने 27वें प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) में निहित समिति की अभ्युक्तियों/सिफारिशों पर सरकार की कार्रवाई पर अपना 104वां प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) जुलाई 2018 में संसद में प्रस्तुत किया।

इस अध्याय में, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2013 के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 20 में अंतर्विष्ट लेखापरीक्षा निष्कर्षों/सिफारिशों के आधार पर लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर मंत्रालय की कार्रवाई की समीक्षा करने का प्रयास किया। लोक लेखा समिति की सिफारिशों सहित लेखापरीक्षा और उन पर मंत्रालय की कार्रवाई की स्थिति इस प्रकार है:

3.1 लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

3.1.1 पंजीकरण से संबंध प्रक्रियात्मक मुद्दों और संचय के अप्रभावी मॉनिटरिंग से संबंधित की गई कार्रवाई

पंजीकरण से संबंधित प्रक्रियात्मक मुद्दों और संचय की अप्रभावी मॉनिटरिंग के संबंध में, मंत्रालय ने लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत¹¹ किया कि छूट निदेशालय के प्रस्तावित पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बेहतर नियंत्रण के साथ-साथ मॉनिटरिंग के साथ छूट के मामलों पर विशेषज्ञता होगी और पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए वेब आधारित इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के आरंभ से पूरे पंजीकरण/अनुमोदन/अधिसूचना प्रक्रिया को द्रुत, निर्विघ्न और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके प्रत्युत्तर में लोक लेखा समिति ने अभिलाषित किया कि मंत्रालय इन प्रस्तावित उपायों को अतिशीघ्र चालू करें। इसके अतिरिक्त लोक लेखा समिति ने सिफारिश¹² की कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रथमतः, न्यासों को निरंतर संचय की केवल अपवादित अनुमति प्रदान की जाती है और दूसरा, संचित आय को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर न्यासों/संस्थाओं के उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाता है, अधिनियम में उपयुक्त संशोधन ला सकता है अथवा एक उपयुक्त तंत्र विकसित कर सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया है कि मंत्रालय ने पंजीकरण से संबंध प्रक्रियात्मक मुद्दों और संचय के अप्रभावी मॉनिटरिंग से संबंधित निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए हैं:

(क) मंत्रालय ने पुनर्गठन के माध्यम से, मुख्य आयकर आयुक्त (छूट) की अध्यक्षता और जिनके अधीन आयकर के 14 आयुक्त (छूट) हैं, आयकर विभाग में एक अलग 'छूट स्कन्ध' सृजित किया, जो नवम्बर 2014 से केवल धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को छूट से संबंध मुद्दों का निपटान करेगा। वे पंजीकरण; सत्यापन और डेटा बैंक सृजन के प्रभारी होंगे। वे धर्मार्थ संगठनों को उपलब्ध छूट से संबंधित इन प्रावधानों को लागू करने हेतु सम्पूर्ण प्रशासन के प्रभारी भी होंगे।

(ख) जुलाई 2016 में धारा 12ए और 80जी(5) और सितंबर 2016 में 10(23सी)(iv), (v), (vi) और (viए) के अंतर्गत आईटीबीए प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण/अनुमोदन आरंभ किया गया है।

¹¹ 27वें प्रतिवेदन का पैरा 6, भाग II (16वीं लोक सभा)

¹² 27वें प्रतिवेदन का पैरा 10 (ii) (16वीं लोक सभा)

- (ग) निर्धारण वर्ष 2013-14 से छूट सीमा से अधिक कर योग्य आय वाले न्यासों/संस्थाओं द्वारा आयकर रिटर्न और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की ई-फाइलिंग अनिवार्य थी।
- (घ) निर्धारण वर्ष 2013-14 से आईटीआर-7 में उपयुक्त कॉलमों के माध्यम से संचयों, उनके उपयोग और निवेशों के वर्ष-वार विवरण का प्रकटन आरंभ किया गया था।

3.1.2 अनुपालन मामलों से संबंधित मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं के निर्धारण के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा की गई¹³ सिफारिशों पर विचार करते हुए; और वित्त अधिनियम (संख्या-2), 2014, वित्त अधिनियम, 2016 और वित्त अधिनियम, 2017 में संशोधन के माध्यम से धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को दी गई छूट के संबंध में अधिनियम की विसंगतियों हेतु निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए:

(i) धारा 10(23सी) के अंतर्गत पर्याप्त रूप से वित्त पोषित' वाक्यांश का स्पष्टीकरण

धारा 10(23सी) के खंड (iiiएबी) और (iiiएसी) के अंतर्गत, सरकार द्वारा पूर्णतः और पर्याप्त रूप से वित्त पोषित संस्थानों को शैक्षिक और चिकित्सा संस्थानों को कर छूट दी जाती है। तथापि, "पर्याप्त रूप से वित्त पोषित" शब्द को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, अधिनियम की धारा 10(23सी) को वित्त अधिनियम (संख्या-2), 2014 के अंतर्गत धारा 10(23सी) के नीचे एक स्पष्टीकरण अंतर्विष्ट कर संशोधित किया गया था। इस प्रतिशत को 50 प्रतिशत निर्धारित करने हेतु अधिसूचना संख्या 79/2014 द्वारा दिनांक 12 दिसंबर 2014 को आयकर नियमों में नियम 2बीबीबी को अंतर्विष्ट किया गया।

(ii) न्यासों/संस्थाओं द्वारा मूल्यहास के दावों का प्रतिपादन

धर्मार्थ न्यास/संस्था पूंजीगत व्यय पर कटौती का लाभ उठा रही थीं और साथ ही, वे अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का लाभ उठा रहे थे। इससे एक प्रकार का दोहरा लाभ हुआ।

¹³ 2013 के प्रतिवेदन संख्या 20 - धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, आयकर अधिनियम को वित्त अधिनियम (संख्या-2), 2014 के माध्यम से संशोधित किया गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि धारा 11 और धारा 10(23सी) के अंतर्गत, समान या किसी अन्य पूर्ववर्ष में किसी भी परिसंपत्ति के संबंध में, जिसके अधिग्रहण को इन धाराओं के अंतर्गत आय के अनुप्रयोग के रूप में दावा किया गया है, को आय के अनुप्रयोग के उद्देश्य हेतु मूल्यहास के माध्यम से बिना किसी कटौती अथवा भत्ते अथवा अन्यथा के रूप में निर्धारित किया जाएगा। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी है।

(iii) न्यासों/संस्थाओं द्वारा लाभांश की प्राप्तियों का प्रतिप्रादन

धर्मार्थ न्यास/संस्थान धारा 10(34) और 10(35) के अंतर्गत शेयर और म्यूचुअल फंड पर लाभांश आय पर छूट का दावा कर रही थीं, यद्यपि इस तरह के लाभांश को धर्मार्थ उद्देश्यों हेतु अनुप्रयुक्त नहीं किया गया था।

आयकर अधिनियम की धारा 11 को वित्त अधिनियम (संख्या-2), 2014 के द्वारा संशोधित किया गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां धारा 11 के अंतर्गत छूट प्राप्ति के प्रयोजनों हेतु किसी न्यास या संस्थान को पंजीकरण प्रदान किया गया है, और पंजीकरण पिछले वर्ष से लागू है, तो धारा 10 [धारा 10(23सी) के अंतर्गत कृषि आय और आय छूट से संबंधित के अतिरिक्त] के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत ऐसे न्यास या संस्थान किसी भी छूट का दावा नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार, जिन सत्त्वों को धारा 10(23सी) के अंतर्गत छूट लाभ का दावा करने हेतु अनुमोदित किया गया है, वे धारा 10 के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत (कृषि आय के संबंध में छूट के अतिरिक्त) छूट के किसी भी लाभ का दावा करने के पात्र नहीं होंगे।

(iv) धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकरण रद्द करना

अधिनियम की धारा 12ए(3) और 12ए(4) को वित्त (संख्या-2) अधिनियम, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें यह प्रदत्त है कि यदि न्यासों/संस्थाओं कि गतिविधियां प्रामाणिक नहीं हैं अथवा गतिविधियों को न्यासों/संस्थाओं के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है अथवा गतिविधियों को इस प्रकार किया जा रहा है कि धारा 13(1) के संचालन के कारण अधिनियम की धारा 11 और 12 के प्रावधान ऐसे न्यासों संस्थाओं की आय के पूर्ण या कुछ भाग को अपवर्जित करने के लिए लागू नहीं होते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्र. आयुक्त अथवा आयुक्त लिखित रूप से एक आदेश द्वारा ऐसे न्यास अथवा संस्थान के पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं, बशर्ते कि जब

तक कि ऐसे न्यास अथवा संस्थान को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया है, इस उप-धारा के अंतर्गत कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(v) कुछ न्यासों और संस्थाओं की 'संचित आय' पर कर से संबंधित विशेष प्रावधान

वित्त अधिनियम, 2016 ने एक नया अध्याय XII-ईबी प्रस्तुत किया था जिसमें धारा 115टीडी से 115टीएफ सम्मिलित थीं जिसका शीर्षक था 'कुछ न्यासों और संस्थाओं की अर्जित आय पर कर से संबंधित विशेष प्रावधान'। यह प्रदान करता है कि जहां एक न्यास या संस्थान किसी भी ऐसे गैर-धर्मार्थ रूप में परिवर्तन के कारण अथवा एक गैर-धर्मार्थ निकाय में विलय के कारण धर्मार्थ संगठन नहीं रहा, अथवा अपनी संपत्ति को किसी भी गैर-धर्मार्थ न्यास को हस्तांतरित करता है अथवा विघटन से एक वर्ष की अवधि के भीतर इसे किसी अन्य धर्मार्थ न्यास को हस्तांतरित नहीं करता है, फिर ऐसे रूपांतरण अथवा विलय अथवा विघटन की तिथि को उचित बाज़ार मूल्य के आधार पर शुद्ध परिसंपत्तियों की कुल राशि जो लंबी समय अवधि के साथ न्यास को प्राप्त आय का प्रतिनिधित्व करती है, को अधिकतम सीमांत दर¹⁴ में अतिरिक्त आयकर पर प्रभारित किया जाएगा।

(vi) धर्मार्थ न्यासों को शामिल करने हेतु धारा 133ए के अंतर्गत सर्वेक्षण का विस्तार

कर अपवंचन का पता लगाने और रोकथाम हेतु आयकर विभाग के पास आयकर अधिनियम में 133ए के अंतर्गत सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण साधन है। आयकर अधिनियम की धारा 133ए के अंतर्गत सर्वेक्षण संचालन की परिधि को वित्त अधिनियम, 2017 के द्वारा धर्मार्थ को कवर करने हेतु विस्तारित किया गया था, ताकि आयकर अधिकारी उन परिसरों में सर्वेक्षण करने में सक्षम हो सकें जहां धर्मार्थ उद्देश्य के लिए गतिविधि की जा रही थी।

(vii) न्यासों के मामले में स्रोत पर कर कटौती का प्रावधान

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, ऐसे व्ययों जिन पर टीडीएस की कटौती की जानी चाहिए थी, लेकिन न्यासों द्वारा कटौती नहीं की गई अथवा कटौती के बाद, आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि को अथवा उससे पहले भुगतान नहीं किया गया, को अस्वीकृत करने हेतु अधिनियम में धारा 40(ए)(iए) के समान कोई सक्षम प्रावधान नहीं था।

¹⁴ अधिकतम सीमांत दर (एमएमआर) आय के उच्चतम स्लैब के संबंध में लागू आयकर की दर है

आयकर अधिनियम की धारा 11 और धारा 10(23सी) को वित्त अधिनियम, 2018 के अंतर्गत संशोधित किया गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि यदि कोई भुगतान जिस पर कर कटौती की आवश्यकता है लेकिन कटौती नहीं की गई है अथवा कर कटौती की गई है लेकिन आय के रिटर्न फाइल करने की नियत तिथि के भीतर भुगतान नहीं किया गया है, तो ऐसी राशि को आय का अनुप्रयोग नहीं माना जाएगा।

(viii) चालू वर्ष की आय के साथ पूर्ववर्ती वर्षों के घाटे का समंजन

लेखापरीक्षा में छूट प्राप्त निकायों के मामले में घाटा अग्रेषित करने की अनुमति में विसंगतियों को इंगित किया गया था और सिफारिश की गई थी कि मंत्रालय एकरूपता लाने के लिए सैद्धांतिक रूप से निर्णय लें कि क्या किसी न्यास के मामले में पूर्ववर्ती वर्षों के घाटे की अनुमति दी जानी चाहिए थी अथवा नहीं।

वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा धारा 11 और धारा 10(23सी) को संशोधित किया गया था ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि पूर्ववर्ती वर्ष से पहले के किसी भी वर्ष के किसी भी अतिरिक्त अनुप्रयोग के किसी भी समंजन या कटौती या छूट के बिना पूर्ववर्ष में अनुप्रयुक्त अथवा संचित की जाने वाली आवश्यक आय की गणना की जाएगी।

(ix) उधार ली गई निधियों के पुनर्भुगतान के संबंध में अधिनियम में स्पष्टता का अभाव

लेखापरीक्षा ने छूट प्राप्त निकायों के मामलों में ऋणों के पुनर्भुगतान की अनुमति प्रदान करने में विसंगतियों को इंगित किया था और सिफारिश की थी कि मंत्रालय ऋणों के पुनर्भुगतान की अनुमति प्रदान करने में एकरूपता लाने हेतु अधिनियम में उपयुक्त संशोधन ला सकता है।

धारा 11 और धारा 10(23सी) को वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा यह स्पष्ट करने हेतु संशोधित किया गया था कि किसी भी ऋण या उधार से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों हेतु अनुप्रयोग को धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आय के अनुप्रयोग के रूप में नहीं माना जाएगा।

(x) धारा 80जी के अंतर्गत दान के संबंध में मॉनिटरिंग की प्रणाली नहीं होना

लेखापरीक्षा ने इंगित किया था कि आयकर विभाग के भीतर कोई आंतरिक तंत्र नहीं था जो धारा 80जी के अंतर्गत पंजीकृत सत्त्व द्वारा जारी की गई प्राप्तियों पर नियंत्रण रखता हो।

01.04.2021 से लागू वित्त अधिनियम, 2020 ने इस संबंध में एक प्रावधान प्रस्तुत किया था, जिसमें वर्णित है कि किसी संस्थान अथवा निधि में किए गए किसी दान के संबंध में किसी निर्धारित वर्ष हेतु निर्धारिती द्वारा फाइल किए गए आय के रिटर्न में कटौती का दावा, जिस पर धारा 80जी(5) का प्रावधान लागू होता है, जो संस्थान द्वारा प्रदत्त उक्त दान संबंधी अथवा निर्धारित आयकर प्राधिकरण को निधि अथवा ऐसे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, समय-समय पर बोर्ड द्वारा तैयार की गई जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार सत्यापन के अधीन, पर अनुमति दी जाएगी।

3.2 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2013 के प्रतिवेदन संख्या 20 में इंगित त्रुटियां, जिनका संतोषजनक समाधान नहीं किया गया

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हमारे 2013 के पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 20 में निम्नलिखित त्रुटियों को इंगित किया गया था; तथापि, आयकर विभाग द्वारा इनका संतोषजनक समाधान नहीं किया गया। अनुवर्ती अध्याय 5 और अध्याय 7 में इन त्रुटियों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

(i) पंजीकरण प्रक्रिया की आंतरिक लेखापरीक्षा

लोक लेखा समिति ने सिफारिश¹⁵ की थी कि धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के पंजीकरण/अनुमोदन की प्रक्रिया को विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा की परिधि में लाया जाए।

लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया कि आयकर विभाग ने पैरा 7.1.3 और 7.1.4 में वर्णित मुद्दे का समाधान नहीं किया।

(ii) आय के संचयन और इसके उपयोग की अप्रभावी मॉनिटरिंग

लोक लेखा समिति ने एक विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर न्यासों/संस्थाओं के उद्देश्यों हेतु संचित आय के अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम में उपयुक्त संशोधन लाने अथवा एक उपयुक्त तंत्र विकसित करने की सिफारिश¹⁶ की थी। मंत्रालय को सभी निर्धारणों को कवर करने हेतु सभी मामलों में फॉर्म 10 की निरपवाद रूप से कड़ी मॉनिटरिंग करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा में यह पाया कि पैरा 7.1.11 और 7.1.12 में वर्णित मुद्दे का आयकर विभाग ने समाधान नहीं किया है।

¹⁵ 27वें प्रतिवेदन के भाग II का पैरा 7 (16वीं लोक सभा)

¹⁶ 27वें प्रतिवेदन के भाग II के पैरा 10(ii) व (iii), (16वीं लोक सभा)

(iii) विदेशी अंशदान प्राप्तियों और उनके उपयोग की अप्रभावी मॉनिटरिंग

लोक लेखा समिति ने सिफारिश¹⁷ की कि प्राप्त विदेशी अंशदान (एफसी) और घोषित उद्देश्य हेतु उनके उपयोग का ट्रैक रखने के लिए विभाग को गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ डेटा साझाकरण तंत्र तैयार करना चाहिए। यह भी सिफारिश की गई थी कि प्राप्त विदेशी अंशदानों के अनुप्रयोग की विशेष मॉनिटरिंग हेतु एक तंत्र भी विकसित किया जाए और इस संबंध में सभी निर्धारण अधिकारियों को एक स्पष्ट दिशा-निर्देश समुच्चय जारी किया जाए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अभी तक विदेशी अंशदान की मॉनिटरिंग हेतु वांछित तंत्र स्थापित नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया कि पैरा 7.1.13 में वर्णित मुद्दे का आयकर विभाग ने समाधान नहीं किया है।

(iv) शैक्षिक न्यासों का अपर्याप्त सर्वेक्षण

लोक लेखा समिति ने अधिकांश न्यासों द्वारा उत्पन्न और संचित विशाल अधिशेष को संज्ञान में रखते हुए, सभी शैक्षिक न्यासों का समयबद्ध शैली से सर्वेक्षण किए जाने की इच्छा¹⁸ की ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वे आयकर अधिनियम में 'धर्मार्थ न्यास' के प्रावधानों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे थे।

लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया कि पैरा 7.1.5 में वर्णित मुद्दे का आयकर विभाग ने समाधान नहीं किया।

(v) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में टीडीएस के प्रकटीकरण के लिए प्रावधान का अभाव

लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था कि 10बी या 10बीबी में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में न्यासों द्वारा काटे गए/कटौती योग्य टीडीएस के संबंध में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया और लोक लेखा समिति ने मंत्रालय को सिफारिश¹⁹ की थी कि चूंकि यह निर्धारण प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता हेतु एक प्रभावी टूल होगा, इसलिए न्यासों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ऐसी सूचना को सम्मिलित करने हेतु उपयुक्त प्रावधान किए जा सकते हैं।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ऐसी सूचना को न्यासों के फॉर्म 10बी/10बीबी में सम्मिलित करने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जैसा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था।

¹⁷ 27वें प्रतिवेदन के भाग II का पैरा 15 (16वीं लोक सभा)

¹⁸ 27वें प्रतिवेदन के भाग II का पैरा 9 (16वीं लोक सभा)

¹⁹ 27वें प्रतिवेदन के भाग II का पैरा 18 (16वीं लोक सभा)

3.3 2019 के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 9 (प्रत्यक्ष कर) के अध्याय VI में सम्मिलित 'धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट' के अनुवर्ती लेखापरीक्षा के संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति और उन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की स्थिति

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2013 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 20 (धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट) के अनुसरण में लोक लेखा समिति ने सभी गंभीर प्रकृति के उल्लंघनों और अन्य बातों के साथ-साथ आयकर विभाग की यह मॉनिटरिंग करने में विफलता कि क्या न्यास जिन उद्देश्यों के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, उनकी पूर्ति कर रहे हैं और यह भी कि सार्वजनिक धर्मार्थ न्यासों का उपयोग लाभ हेतु व्यवसाय चलाने के लिए किया जा रहा है, पर अपनी चिंता व्यक्त की। इसके अतिरिक्त, समिति ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को सार्वजनिक धर्मार्थ न्यासों के उल्लंघनों पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और भविष्य में अंतरालों को कैसे दूर किया जाये और ऐसी पुनरावृत्तियों को रोकने के तरीके के बारे में सिफारिशें करने की इच्छा व्यक्त की। इसलिए, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट पर निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया और तदनुसार विभाग से डेटा मांगा गया। इस बीच, 'धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट' की एक सीमित अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई और इसके परिणामों को 2019 के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 9 के अध्याय VI (प्रत्यक्ष कर) में सम्मिलित किया गया।

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में, लेखापरीक्षा ने सीआईटी(ई), मुंबई और सीआईटी(ई), पुणे प्रभागों से संबंधित 2019 के उपरोक्त प्रतिवेदन संख्या 9 में सम्मिलित 42 मामलों (34 निर्धारितियों को सम्मिलित करते हुए) के संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को भी सत्यापित किया।

विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति का सार निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

(i) ऐसे मामले जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया

मंत्रालय ने तीन मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को आंशिक रूप से स्वीकार किया और मंत्रालय को प्रत्युत्तर के मद्देनजर कोई और टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विवरण, मंत्रालय के प्रत्युत्तर और उन पर लेखापरीक्षा टिप्पणी **परिशिष्ट 3.1** में प्रदत्त हैं।

(ii) मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के मामले

मंत्रालय ने 16 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया। इन मामलों में से:

(क) एक मामले में, उत्तर को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय को कोई और टिप्पणी नहीं प्रस्तुत की, **परिशिष्ट 3.2 में उल्लिखित**; और

(ख) शेष 15 मामलों में, लेखापरीक्षा ने मंत्रालय के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया और उनके उत्तरों पर पुनर्विचार करने/मंत्रालय के तर्क का समर्थन करने हेतु अतिरिक्त प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विवरण, मंत्रालय के प्रत्युत्तर और उन पर लेखापरीक्षा टिप्पणी **परिशिष्ट 3.3 में** प्रदत्त हैं।

(iii) मामले जिनमें मंत्रालय द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया परंतु विभाग ने उपचारात्मक कार्रवाई की/आरंभ की अथवा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया।

मंत्रालय ने 19 मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। तथापि, स्थानीय क्षेत्रीय लेखापरीक्षा सत्यापन में यह पाया गया कि विभाग ने या तो लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया अथवा उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की/कार्रवाई की। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विवरण, मंत्रालय के प्रत्युत्तर और उन पर लेखापरीक्षा टिप्पणी **परिशिष्ट 3.4 में** प्रदत्त हैं।

(iv) मामले जिनमें मंत्रालय द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई/आरंभ नहीं की गई।

मंत्रालय ने चार मामलों में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और विभाग द्वारा कोई उपचारात्मक कार्रवाई भी आरंभ नहीं की गई/कार्रवाई नहीं की गई। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार, मामलों की वर्तमान स्थिति नीचे तालिकाबद्ध हैं:

तालिका: 3.1: मामले जिनमें मंत्रालय द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई/आरंभ नहीं की गई						
क्र. सं.	निर्धारित का नाम	नि.व.	2019 के प्रतिवेदन सं. 9, का पैरा सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
1.	टी ₂ ट्रस्ट	2009-10	6.5	आयकर विभाग ने धारा 11 के	3.62	मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था।

तालिका: 3.1: मामले जिनमें मंत्रालय द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई/आरंभ नहीं की गई						
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 के प्रतिवेदन सं. 9, का पैरा सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
				अंतर्गत छूट से इनकार कर दिया, परंतु व्यय हेतु कटौती की अनुमति दी		लेखापरीक्षा में क्षेत्रीय सत्यापन में यह पाया कि विभाग द्वारा कोई उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ नहीं की गई/कार्रवाई नहीं की गई।
2.	एन ₅ ट्रस्ट	2013-14 व 2014-15	6.5	आयकर विभाग ने धारा 11 के अंतर्गत छूट से इनकार कर दिया, परंतु व्यय हेतु कटौती की अनुमति दी	0.95	मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था। लेखापरीक्षा में क्षेत्रीय सत्यापन में यह पाया कि विभाग द्वारा कोई उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ नहीं की गई/कार्रवाई नहीं की गई।
3.	टी ₂ ट्रस्ट	2014-15	6.5	आयकर विभाग ने धारा 11 के अंतर्गत छूट से इनकार कर दिया, परंतु व्यय हेतु कटौती की अनुमति दी	0.37	मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था। लेखापरीक्षा में क्षेत्रीय सत्यापन में यह पाया कि विभाग द्वारा कोई उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ नहीं की गई/कार्रवाई नहीं की गई।
4.	टी ₃ ट्रस्ट	2014-15	6.5	आयकर विभाग ने धारा 11 के अंतर्गत छूट से इनकार कर दिया, परंतु व्यय हेतु कटौती की अनुमति दी	0.34	मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था। लेखापरीक्षा में क्षेत्रीय सत्यापन में यह पाया कि विभाग द्वारा कोई उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ नहीं की गई/कार्रवाई नहीं की गई।

चूंकि धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी करने की समय सीमा को धारा 149 के प्रावधानों में संशोधन द्वारा संशोधित²⁰ किया गया, इसलिए यह संभावित है कि इन मामलों पर कार्रवाई समय बाधित हो जाए। अतः मंत्रालय/आयकर विभाग से तथ्यों के सत्यापन उपरांत प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई आरंभ करने और इसे लेखापरीक्षा को सूचित करने का अनुरोध किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है, मंत्रालय/सीबीडीटी भविष्य में ऐसी विसंगतियों की पुनरावृत्ति से बचाव हेतु उपयुक्त कदम भी उठाये।

²⁰ दिनांक 01.04.2021 से प्रभावी वित्त अधिनियम 2021

अध्याय 4: कुल संख्या और लेखापरीक्षा नमूने का सांख्यिकीय विश्लेषण

इस अध्याय में धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं की कुल संख्या की रूपरेखा, न्यासों/संस्थाओं को प्रदत्त पंजीकरण/अनुमोदन और लेखापरीक्षा नमूने की रूपरेखा पर चर्चा की गई है।

4.1 धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं की कुल संख्या की रूपरेखा

निष्पादन लेखापरीक्षा, निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2014-15 से निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित धर्मार्थ या धार्मिक न्यासों/संस्थाओं के निर्धारण को कवर करता है जो वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 में संसाधित, निर्धारित और परिशोधित किए गए हैं।


प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) ने धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं के संबंध में निर्धारित-वार डेटा प्रदान किए, जिसमें वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान नि.व. 2014-15 से नि.व. 2017-18 हेतु संसाधित/निर्धारित/परिशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) से संबंधित 6,89,011 मामले, सम्मिलित हैं। प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) से प्राप्त 6,89,011 मामले 319 प्र. सीआईटी/सीआईटी के अंतर्गत आते हैं जिनमें से 6,29,905 संक्षिप्त निर्धारण मामले थे, 25,214 मामले संवीक्षा के मामले थे और शेष 33,892 मामले परिशोधन/पुनर्निर्धारण/अपीलीय आदेशों से संबंधित थे। प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा प्रदत्त डेटा का विश्लेषण किया गया था और परिणामों को संक्षेप में अनुवर्ती पैराग्राफ में प्रस्तुत किया गया है।

4.1.1 छूट का दावा करने वाले न्यासों/संस्थाओं का राज्य-वार वितरण

नि.व. 2014-15 से नि.व. 2017-18 तक छूट का दावा करने वाले न्यासों/संस्थाओं के राज्य-वार वितरण का पता लगाने के उद्देश्य से, लेखापरीक्षा ने प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा प्रदत्त 6,89,011 मामलों के डेटा का विश्लेषण किया और परिणाम को **परिशिष्ट 4.1** में दिखाया गया है। लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि नि.व. 2014-15 से 2016-17 तक छूट का दावा करने वाले न्यासों/संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई थी; यद्यपि, नि.व. 2017-18 के लिए छूट का दावा करने वाले न्यासों/संस्थाओं की संख्या में थोड़ी कमी हुई। इसके अलावा, महाराष्ट्र में नि.व. 2014-15 से नि.व. 2017-18 तक छूट का दावा करने वाले न्यासों/संस्थाओं की अधिकतम संख्या थी जो कुल मामलों का 16.7 प्रतिशत थी, इसके बाद यह संख्या गुजरात में 14.2 प्रतिशत और तमिलनाडु में 10.8 प्रतिशत थी। नि.व. 2014-15 से नि.व. 2017-18 तक छूट

2022 की प्रतिवेदन संख्या 12 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

का दावा करने वाले न्यासों/संस्थाओं के राज्य-वार वितरण को नीचे चार्ट 4.1 में दर्शाया गया है:



4.1.2 नि.व. 2014-15 से 2017-18 के लिए धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं द्वारा फाइल आयकर रिटर्न की संख्या

नि.व. 2014-15 से नि.व. 2017-18 के लिए न्यासों/संस्थाओं द्वारा फाइल आयकर रिटर्न (आईटीआर) की संख्या का पता लगाने हेतु, लेखापरीक्षा ने प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा प्रदत्त 6,89,011 मामलों के डेटा का विश्लेषण किया और इसके परिणाम को नीचे तालिका 4.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.1: नि.व. 2014-15 से नि.व. 2017-18 के मध्य न्यासों/संस्थाओं द्वारा फाइल किया गया रिटर्न					
संख्या (कुल रिटर्न)	अवधि के दौरान न्यासों/संस्थाओं की संख्या	नि.व. 2014-15 से 2017-18 के मध्य धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं द्वारा फाइल किए गए रिटर्न की संख्या			
		एक (प्रतिशत में)	दो (प्रतिशत में)	तीन (प्रतिशत में)	चार (प्रतिशत में)
6,89,011	2,43,772	40,740 (16.7)	52,234 (21.4)	59,393 (24.4)	91,405 (37.5)

उपरोक्त तालिका 4.1 से यह देखा गया था कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विभाग द्वारा सभी चार नि.व. अर्थात् नि.व. 2014-15 से नि.व. 2017-18 हेतु मात्र 37.5 प्रतिशत न्यासों/संस्थाओं से आयकर रिटर्न प्राप्त हुए थे।

4.1.3 कुल संख्या और लेखापरीक्षा नमूनों²¹ में निर्धारण के प्रकार

प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) से प्राप्त डेटा से, प्र. सीआईटी/सीआईटी के अंतर्गत आने वाले कुल 7,026 मामले, जिनमें 3,271 संवीक्षा मामले, परिशोधन/पुनर्निर्धारण/अपीलीय आदेशों आदि के 3,255 मामले और 500 संक्षिप्त मामलों को इस निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा नमूने के रूप में चुना गया था। इनमें से 6,260 मामले आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जबकि 766 मामलों से संबंधित रिकॉर्ड लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए थे। कुल संख्या और लेखापरीक्षा नमूने में निर्धारण के प्रकार नीचे तालिका 4.2 में दिए गए हैं:

तालिका 4.2: कुल संख्या में निर्धारण का प्रकार और लेखापरीक्षा नमूना						
निर्धारण का प्रकार (संवीक्षा/संक्षिप्त/अन्य)	प्र. डीजीआईटी (सिस्टम) द्वारा प्रस्तुत आंकड़े		लेखापरीक्षा नमूना		लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत	
	मामलों की संख्या	प्रतिशतता	मामलों की संख्या	प्रतिशतता	मामलों की संख्या	प्रतिशतता
संवीक्षा	25,214	3.7	3,271	46.6	3,081	49.2
संक्षिप्त	6,29,905	91.4	500	7.1	495	7.9
अन्य ²²	33,892	4.9	3,255	46.3	2,684	42.9
कुल	6,89,011	100.0	7,026	100.0	6,260	100.0

इस प्रकार 6,89,011 ऐसे मामले जो आईटीआर निर्धारण वर्ष 2014-15 से निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित थे, 3.7 प्रतिशत मामले संवीक्षा मामले थे तथा 96.3 प्रतिशत मामले संवीक्षा मामले के इतर थे जो वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान संसाधित/परिशोधित/संशोधित किये गये थे। कुल 6,260 लेखापरीक्षित मामले में से, हमने 49.2 प्रतिशत संवीक्षा निर्धारण तथा 50.8 प्रतिशत संवीक्षा निर्धारण के इतर मामले कवर किए।

4.1.4 निर्धारण-वर्ष-वार दावा की गई छूट

प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा उपलब्ध कराये गये डेटा का लेखापरीक्षा ने विश्लेषण किया ताकि अधिनियम की धारा 10 तथा धारा 11 के अन्तर्गत निर्धारण-वर्ष-वार दावा की गई छूट का विवरण प्राप्त किया जा सके जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका 4.3 में दिया गया है:

²¹ इस निष्पादन लेखापरीक्षा के अध्याय 2 में लेखापरीक्षा नमूने पर विस्तृत परिचर्चा की गई है।

²² अन्य में, परिशोधन के मामले, संशोधन मामले, अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाने का आदेश आदि शामिल हैं।


तालिका 4.3: निर्धारण वर्ष 2014-15 से निर्धारण वर्ष 2017-18 तक निर्धारण-वर्ष-वार छूट का विवरण						
निर्धारण वर्ष	धारा-10 के अन्तर्गत दावा की गई छूट की राशि		धारा-11 के अन्तर्गत दावा की गई छूट की राशि		वर्ष के लिए कुल छूट राशि	
	मामलों की सं.	छूट (₹ करोड़ में)	मामलों की सं.	छूट (₹ करोड़ में)	मामलों की सं.	कुल छूट (₹ करोड़ में)
2014-15	11,621	49,383	1,35,862	2,16,918	1,47,483	2,66,301
2015-16	15,178	1,38,709	1,49,693	2,58,130	1,64,871	3,96,839
2016-17	20,786	1,56,902	1,68,766	2,53,494	1,89,552	4,10,396
2017-18	22,193	2,01,069	1,64,912	4,88,823	1,87,105	6,89,892
कुल	69,778	5,46,063	6,19,233	12,17,365	6,89,011	17,63,428

उपरोक्त तालिका 4.3 से यह देखा जा सकता है कि निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक छूट का दावा करने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले निर्धारण वर्ष की तुलना में, निर्धारण वर्ष 2017-18 के दौरान, धारा-11 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले मामलों की संख्या में 2.3 प्रतिशत की कमी हुई थी जबकि छूट में 92.8 प्रतिशत को बढ़ोतरी हुई थी। इसके अलावा, धारा 10 के अन्तर्गत दावा की गई छूट राशि निरंतर बढ़ रही है। इस बढ़ोतरी का एक सम्भावित कारण यह था कि ऐसे संस्था जो सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तपोषित थी और अधिनियम की धारा 10(23सी) (iiiएबी) और 10(23सी) (iiiएसी) के अन्तर्गत छूट का दावा कर रही थी, इनको निर्धारण वर्ष 2016-17 से छूट लेने के लिए आय का रिटर्न फाइल करना अनिवार्य था जैसा कि पैरा 1.2.2.2(ए) में चर्चा की गई है।

4.1.5 संक्षिप्त और संवीक्षा मामलों की संख्या

अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारण के प्रकारों के आधार पर लेखापरीक्षा ने कुल संख्या का विश्लेषण किया ताकि न्यासों/संस्थाओं के संबंध में निर्धारण के प्रकार की पहचान की जा सके। **परिशिष्ट 4.2** में दर्शाये गये विश्लेषण से पता चलता है कि न्यासों/संस्थाओं के संबंध में जो आईटीआर निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2017-18 के लिए धारा 143(1) के अन्तर्गत संक्षिप्त रूप से संसाधित किया गया था, 87.2 प्रतिशत से 96.0 प्रतिशत के बीच थी। निर्धारण वर्ष 2014-15 से निर्धारण वर्ष 2016-17 के दौरान संवीक्षा निर्धारण 0.7 प्रतिशत से बढ़कर 9.1 प्रतिशत हो गई। आगे यह देखा गया है कि संवीक्षा के लिए उन न्यासों/संस्थाओं के मामलों का औसत चयन प्रतिशत 3.7 प्रतिशत था जिन्होंने 2014-15 से निर्धारण वर्ष 2016-17 के दौरान छूट का दावा किया था।

नीचे चार्ट 4.2 में उन न्यासों/संस्थाओं का निर्धारण वार विवरण दिया गया है जो निर्धारण वर्ष 2014-15 से निर्धारण वर्ष 2017-18 के दौरान छूट का दावा कर रहे थे:



उपरोक्त चार्ट 4.2 से यह देखा जा सकता है कि अवधि के दौरान, 91 प्रतिशत मामले संक्षिप्त रूप से संसाधित किए गये थे तथा केवल चार प्रतिशत मामले संवीक्षा निर्धारण के लिए चयनित किये गये और अन्य पाँच प्रतिशत मामले परिशोधन, संशोधन और अपीलीय आदेशों को लागू करने वाले आदेश संबंधी मामले थे।

4.1.6 रिटर्न तथा निर्धारित आय

निर्धारिती द्वारा घोषित आय के विश्लेषण तथा विभाग द्वारा निर्धारित आय के विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए न्यास/संस्था की रिटर्न आय व निर्धारित आय के आधार पर कुल संख्या का लेखापरीक्षा ने विश्लेषण किया। विश्लेषण के विवरण **परिशिष्ट 4.3** में दर्शाये गये हैं। लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 तक कुल 6.89 लाख मामले संसाधित/निर्धारित/परिशोधित किये गये जिसमें से 5,11,951 मामलों (कुल मामलों का 74.3 प्रतिशत) में रिटर्न आय ₹ 'शून्य' थी जबकि 4,33,620 मामलों में (कुल मामलों का 62.9 प्रतिशत) निर्धारित आय ₹ 'शून्य' थी। चारों निर्धारण वर्षों अर्थात् नि.व 2014-15 से निर्धारण वर्ष 2017-18 में संवीक्षा के लिए चयनित मामलों में सबसे ज्यादा (22,376 मामले) वे थे जिसमें रिटर्न आय ₹ 'शून्य' थी और इनके बाद रिटर्न आय जो ₹ 'शून्य' से अधिक थी तथा ₹ 50 लाख तक (2,717 मामले) थी जिनके बाद ऐसे मामले थे जहाँ रिटर्न आय ₹ 1 करोड़ से अधिक (201 मामले) थी।

4.1.7 छूट का दावा किया गया लेकिन धारा 12ए के तहत पंजीकरण स्थिति उपलब्ध नहीं थी

धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को धारा-11 के अन्तर्गत छूट का फायदा लेने हेतु धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकरण करना अनिवार्य है।

प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा उपलब्ध कराये गये डेटा से, वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 दौरान नि. व. 2014-15 से नि. व. 2017-18 के लिए संसाधित/निर्धारित/परिशोधित किए गए आयकर रिटर्न (आईटीआर) में लेखापरीक्षा ने पाया कि धारा-11 के अन्तर्गत 21,381 मामलों में छूट का दावा किया गया था जबकि धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकरण उपलब्ध नहीं था। नीचे तालिका 4.4 में राज्यवार विवरण दिए गये हैं:

तालिका 4.4: ऐसे न्यास जो धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं थे पर जिन्होंने छूट का दावा किया था		
राज्य	मामलों की सं.	धारा-11 के अन्तर्गत छूट (₹ करोड़ में)
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	1,177	1,045.3
बिहार	955	256.4
चंडीगढ़	299	1,651.8
छत्तीसगढ़	125	113.9
दिल्ली	1,345	4,245.1
गोवा	64	12.6
गुजरात	3,325	1,119.8
हरियाणा	583	298.3
हिमाचल प्रदेश	137	64.7
जम्मू और कश्मीर	54	37.4
झारखंड	307	108.3
कर्नाटक	1,094	1,082.7
केरल	362	511.1
मध्य प्रदेश	773	1,595.1
महाराष्ट्र	3,745	2,500.8
पूर्वोत्तर राज्य	82	8.4
ओडिशा	276	352.0
पंजाब	335	252.6
राजस्थान	1,307	605.1
तमिलनाडु और पुडुचेरी	1,940	807.2
उत्तर प्रदेश	2,117	1,812.7
उत्तराखंड	298	71.1
पश्चिम बंगाल	681	228.3
कुल	21,381	18,780.7

उपरोक्त तालिका 4.4 से यह देखा जा सकता है कि गलत छूट अनुमति सबसे ज्यादा दिल्ली प्रभार और उसके बाद महाराष्ट्र प्रभार में थी।

4.1.8 विदेशी अंशदान प्राप्त किया गया लेकिन पंजीकरण की स्थिति उपलब्ध नहीं थी

धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को विदेशी अंशदान प्राप्त करने हेतु विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है।

वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 दौरान नि. व. 2014-15 से नि. व. 2017-18 के लिए संसाधित/निर्धारित/परिशोधित की गई आयकर रिटर्न (आईटीआर) से संबंधित प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा उपलब्ध कराये गये डेटा से लेखापरीक्षा ने पाया कि 347 मामलों में जहां विदेशी अंशदान प्राप्त किये गये थे उनका एफसीआरए के अन्तर्गत पंजीकरण उपलब्ध नहीं था। तालिका 4.5 में राज्यवार विवरण को नीचे दिया गया है:

तालिका 4.5: राज्यवार मामले जहां विदेशी-अंशदान प्राप्त हुआ लेकिन एफसीआरए के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं थे			
राज्य	मामलों की संख्या	प्राप्त विदेशी अंशदान की राशि (₹ करोड़ में)	छूट का दावा (₹ करोड़ में)
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	63	33.8	62.5
दिल्ली	1	0.1	0.9
गोवा	5	0.3	1.7
गुजरात	1	0.1	0.2
हिमाचल प्रदेश	3	2.3	5.5
कर्नाटक	104	73.8	165.0
केरल	53	31.3	107.5
महाराष्ट्र	48	22.8	122.6
ओडिशा	1	0.3	0.5
तमिलनाडु और पुडुचेरी	61	19.8	64.3
उत्तर प्रदेश	3	0.6	3.0
पश्चिम बंगाल	4	2.4	2.2
कुल	347	187.4	535.8

उपरोक्त तालिका 4.5 से देखा जा सकता है कि कर्नाटक राज्य में एफसीआरए अधिनियम 2010 के अन्तर्गत बिना पंजीकरण के सबसे ज्यादा विदेशी अंशदान की प्राप्ति हुई थी जिसके पश्चात आन्ध्र-प्रदेश और तेलंगाना आते थे।

4.1.9 पंजीकरण/अनुमोदन की अमान्य तिथि

धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को धारा-11 के अन्तर्गत छूट लेने के लिए धारा 12एए के तहत पंजीकरण और दान प्राप्त करने के लिए धारा 80जी के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा से लेखापरीक्षा ने 10 मामलों में धारा 12एए के तहत पंजीकरण और धारा 80जी के तहत अनुमोदन की गलत तिथियां (भविष्य की तिथियां) पाईं। विवरण नीचे तालिका 4.6 में दिए गए हैं:

तालिका 4.6: पंजीकरण/अनुमोदन की अमान्य तिथि				
सीआईटी	एन्क्रिप्टेड पैन	निर्धारण वर्ष	धारा 12ए/12एए के अन्तर्गत पंजीकरण की तिथि	धारा 80जी के अन्तर्गत अनुमोदन की तिथि
सीआईटी (छूट), पुणे	118614718262	2016	16-04-2088	-
सीआईटी (छूट), मुंबई	3847464966	2014	20-03-2044	-
सीआईटी (छूट), मुंबई	69658229736	2016	17-12-2090	-
सीआईटी (छूट), भोपाल	6697882038	2016	30-07-2501	-
सीआईटी (छूट), जयपुर	1121990705	2016	28-12-2077	-
सीआईटी (छूट), पुणे	794562645777	2014	17-10-2075	-
सीआईटी (छूट), चेन्नई	549512250	2016	11-08-2021	-
सीआईटी (छूट), कोलकाता	512123131334	2014	-	28-08-2099
सीआईटी (छूट), अहमदाबाद	21201448184	2016	-	31-03-2025
सीआईटी (छूट), मुंबई	827762293	2017	-	26-03-2099

उपरोक्त मामले दर्शाते हैं कि उपरोक्त क्षेत्र के संबंध में आईटीआर फॉर्म -7 में उचित क्षेत्रीय वैधीकरण उपलब्ध नहीं था।

4.2 न्यास/संस्थाओं को दिये गये पंजीकरण की रूपरेखा


लेखापरीक्षा ने सीआईटी (छूट) से प्राप्त डेटा जो धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को नवंबर 2014 में पुनर्गठन और नामित सीआईटी (छूट)²³ के सृजन के बाद अर्थात् वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आयकर विभाग द्वारा दिये गये पंजीकरण से सम्बंधित थे, का विश्लेषण किया।

²³ नामित सीआईटी (छूट) के गठन से पूर्व, धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को पंजीकरण उनके क्षेत्राधिकार वाले सीआईटी द्वारा दिया जा रहा था।

4.2.1 पंजीकरण/अनुमोदन का दिया जाना

वित्त वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान धारा-12ए के अन्तर्गत धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को किये गये पंजीकरण/अनुमोदन से संबंधित डेटा जो सीआईटी (ई) द्वारा उपलब्ध कराया गया था, का विश्लेषण किया गया था।

नीचे दिए गए चार्ट 4.3 में वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त आवेदनों तथा किए गये पंजीकरणों की संख्या का विवरण दिया गया है



उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता था कि आवेदन की प्राप्ति के साथ-साथ दिये गए पंजीकरण/अनुमोदन में बढ़ोतरी हो रही थी। चार वित्त वर्षों के दौरान यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2014-15 में आवेदनों की प्राप्ति की सं. 6,046 से वित्त वर्ष 2017-18 में बढ़कर 13,797 हो गयी जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि के दौरान कुल 128.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जबकि इसी अवधि के दौरान किए गए पंजीकरण/अनुमोदनों की संख्या 156.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2014-15 में 3,326 से बढ़कर वित्त वर्ष 2017-18 में 8,530 हो गयी, यद्यपि प्राप्त आवेदन और पंजीकरण/अनुमोदन की संख्या (क्रमशः 14,725 एवं 988) वित्त वर्ष 2016-17 में थोड़ी अधिक थी।

4.3 लेखापरीक्षा नमूने के अन्तर्गत आने वाले मामलों की रूपरेखा

लेखापरीक्षा ने नमूना मामलों को निर्धारण के क्षेत्र और प्रकार के आधार पर और लेखापरीक्षित मामलों को क्षेत्र, कुल सकल आय, रिटर्न आय, निर्धारित आय,

दी गई छूट, गतिविधियों के प्रकार, सत्त्वों के प्रकार (सरकारी या निजी सत्त्व) के आधार पर विश्लेषण किया। इन्हें आगामी पैराग्राफों में दिया गया है:

4.3.1 लेखापरीक्षा नमूने का क्षेत्र तथा निर्धारण-प्रकार-वार विवरण

परिशिष्ट 4.4 में दर्शाये गये 7,026 मामलों के नमूनों का लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण करने पर यह देखा गया कि कुल 7,026 नमूना मामलों में से 3,271 मामले (46.6 प्रतिशत) संवीक्षा निर्धारण के थे जबकि 518 मामले (7.4 प्रतिशत) संक्षिप्त निर्धारण के थे तथा शेष 3,237 मामले (46.1 प्रतिशत) परिशोधन, संशोधन तथा अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाने वाले आदेशों से संबंधित मामले थे।

4.3.2 लेखापरिक्षित मामलों के संबंध में दी गई क्षेत्र-वार छूट

दी गई कुल छूट के राज्य/क्षेत्र-वार विवरण का पता लगाने हेतु लेखापरीक्षा ने आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के साथ-साथ क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान एकत्रित डेटा का विश्लेषण किया। नीचे तालिका 4.7 में, 6,064 लेखापरिक्षित मामलों में कुल ₹ 1.68 लाख करोड़ की दी गई कुल छूट का राज्य/क्षेत्र-वार विवरण दर्शाया गया है जो 47 प्र. सीआईटी/सीआईटी से संबंधित है, जो निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान कवर किए गए हैं:

तालिका 4.7 लेखापरिक्षित मामलों के संबंध में दी गई कुल छूट का राज्य-वार विवरण					
राज्य का नाम	प्र.सीआईटी /सीआईटी की संख्या	लेखापरिक्षित मामले		दी गई छूट	
		संख्या	लेखापरिक्षित मामलों की प्रतिशतता	राशि (₹ करोड़ में)	कुल छूट की प्रतिशतता
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओड़िशा	4	417	6.9	13,225.4	7.9
बिहार और झारखंड	1	126	2.1	12,931.7	7.7
दिल्ली	5	688	11.3	30,695.8	18.3
गुजरात	4	497	8.2	9,001.8	5.4
कर्नाटक और गोवा	6	530	8.7	9,933.1	5.9
केरल	1	285	4.7	2,826.9	1.7
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	1	373	6.2	9,840.8	5.9
महाराष्ट्र	9	1,290	21.3	25,102.3	15.0
पंजाब, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल प्रदेश	4	506	8.3	8,914.8	5.3
राजस्थान	2	348	5.7	6,150.9	3.7
तमिलनाडु	4	478	7.9	15,486.7	9.2
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	2	202	3.3	11,067.7	6.6
पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य	4	324	5.3	12,460.0	7.4
कुल	47	6,064	100.0	1,67,637.8	100.0

तालिका 4.7 से यह देखा जा सकता था कि कुल 6,064 लेखापरीक्षित मामलों में से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले (21.3 प्रतिशत) थे जिसके बाद दिल्ली का स्थान (11.3 प्रतिशत) था लेकिन दी गई छूट की मात्रा के अनुसार दिल्ली (18.3 प्रतिशत) शीर्ष पर था और उसके बाद महाराष्ट्र (15.0 प्रतिशत) था।

4.3.3 लेखापरीक्षित मामलों के संबंध में दी गई निर्धारण वर्ष-वार छूट

लेखापरीक्षित मामलों के संबंध में दी गई अनुभाग-वार तथा निर्धारण-वार छूट के विवरण को परिमाणित करने हेतु, लेखापरीक्षा ने आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा तथा क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान एकत्रित डेटा का विश्लेषण किया। तालिका 4.8 में, 6,064 लेखापरीक्षित मामलों के संबंध में ₹ 1.68 लाख करोड़ की दी गई कुल छूट का अनुभाग-वार विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.8: 6,064 लेखापरीक्षित मामलों के संबंध में निर्धारण वर्ष-वार छूट									
निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार	धारा 11 के अन्तर्गत दी गई छूट		धारा 10(23सी) (iiiएबी) से (viए) तक के अन्तर्गत दी गई छूट		धारा 10 की अन्य उप-धाराओं ²⁴ के अन्तर्गत दी गई छूट		कुल	
		मामलों की संख्या	छूट (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	छूट (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	छूट (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	छूट (₹ करोड़ में)
2014-15	संवीक्षा	90	3384.4	13	1,212.9	5	2.2	108	4,599.5
	संक्षिप्त	66	2,429.5	13	131.8	1	1.6	80	2,562.9
	अन्य [#]	833	14,192.3	184	5,335.6	51	3,090.7	1,068	22,618.5
	कुल	989	20,006.1	210	6,680.3	57	3,094.6	1,256	29,780.9
2015-16	संवीक्षा	599	22,484.5	123	4,161.7	32	3,174.6	754	29,820.8
	संक्षिप्त	82	1,083.2	17	76.1	1	0.0	100	1,159.3
	अन्य [#]	587	11,929.7	109	1,194.5	18	491.7	714	13,615.9
	कुल	1,268	35,497.4	249	5,432.3	51	3,666.3	1,568	44,596.1
2016-17	संवीक्षा	1,590	61,606.1	466	16,499.8	63	4,121.9	2,119	82,227.7
	संक्षिप्त	33	34.6	6	52.5	0	0.0	39	87.1
	अन्य [#]	524	2,389.2	156	3,075.1	22	1332.7	702	6,797.1
	कुल	2,147	64,029.9	628	19,627.4	85	5,454.6	2,860	89,111.9
2017-18	संवीक्षा	73	838.5	23	1,737.5	4	0.0	100	2,576.0
	संक्षिप्त	60	1,197.0	19	43.4	1	1.6	80	1,242.0
	अन्य [#]	165	313.5	30	10.52	5	6.3	200	330.3
	कुल	298	2,349.0	72	1,791.4	10	7.9	380	4,148.3
कुल		4,702	1,21,882.4	1,159	33,531.4	203	12,223.4	6,064	1,67,637.2

[#] अन्य में परिशोधन के मामले, संशोधन मामले और अपीलिय आदेशों को प्रभावी बनाने वाले आदेश के मामले शामिल हैं।

²⁴ धारा 10 की उप-धारा 22बी, 23ए, 23बी, 23डी और 25, जो क्रमशः समाचार एजेंसियों, व्यावसायिक निकायों, खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए संस्थाओं, सेबी द्वारा अधिसूचित म्यूचुअल फंड, अनुमोदित पेंशन और ग्रेच्युटी फंड, अधिसूचित बोर्ड या न्यासों से संबंधित हैं।

तालिका 4.8 से यह देखा जा सकता है कि कुल 6,064 लेखापरीक्षित मामलों में से 4,702 न्यासों/संस्थाओं (77.5 प्रतिशत) को अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत छूट दी गई जबकि 1,159 न्यासों/संस्थाओं (19.1 प्रतिशत) को अधिनियम के धारा 10(23सी) (iiiएबी) से (viए) के अन्तर्गत छूट दी गई। इसके अलावा, नि. व. 2014-15 से नि. व. 2017-18 की अवधि के दौरान कुल ₹ 1.68 लाख करोड़ दी गई छूट में से ₹ 1.22 लाख करोड़ (72.7 प्रतिशत) की छूट धारा 11 के अन्तर्गत दी गई थी तथा ₹ 0.34 लाख करोड़ (20.0 प्रतिशत) की छूट अधिनियम की धारा 10(23सी) (iiiएबी) से (viए) के अन्तर्गत दी गई थी, इस प्रकार, अधिकतम न्यास/संस्थाओं ने धारा 11 के अंतर्गत छूट लेने को प्राथमिकता दी।

4.3.4 लेखापरीक्षित मामले की कुल सकल आय

हमने आयकर विभाग द्वारा न्यासों/संस्थाओं की कुल सकल आय (लेखापरीक्षित मामले) से संबंधित उपलब्ध कराए गए डेटा का विश्लेषण किया और साथ ही साथ क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा जांच सूची में लेखापरीक्षा द्वारा एकत्रित डेटा का विश्लेषण किया और उसका परिणाम नीचे तालिका 4.9 में दिया गया है:

तालिका 4.9: सकल आय के आधार पर लेखापरीक्षित मामलों का वितरण							
निर्धारण वर्ष	लेखापरीक्षित मामलों की सं.	सकल आय की तुलना में मामलों की संख्या					डेटा उपलब्ध नहीं
		₹ 10 करोड़ तक	₹ 10 करोड़ से अधिक और ₹ 50 करोड़ तक	₹ 50 करोड़ से अधिक और ₹ 100 करोड़ तक	₹ 100 करोड़ से अधिक और ₹ 500 करोड़ तक	₹ 500 करोड़ से अधिक	
2014-15	1,256	773	71	33	12	6	361
2015-16	1,568	948	212	70	53	17	268
2016-17	2,860	1,954	388	127	88	22	281
2017-18	380	228	37	10	9	1	95
कुल	6,064	3,903	708	240	162	46	1,005

तालिका 4.9 से देखा जा सकता है कि कुल 6,064 लेखापरीक्षित मामले में से 3,903 मामलों (64.4 प्रतिशत) में सकल आय '₹ 10 करोड़ या उससे कम' है। इसके अलावा, 1,005 मामलों (16.6 प्रतिशत) में न्यासों/संस्थाओं की सकल आय का डेटा उपलब्ध नहीं था क्योंकि मामले संक्षिप्त या परिशोधन से संबंधित थे जो आयकर विभाग प्रणाली में संक्षिप्त रूप से संसाधित या परिशोधित किये गये थे, तथा इसके लिए रिकार्ड लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

4.3.5 न्यासों/संस्थाओं (लेखापरीक्षित मामलों) की रिटर्न और निर्धारित आय

हमने आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये डेटा साथ ही साथ क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा जाँच-सूचि में लेखापरीक्षा द्वारा एकत्रित डेटा, जो लेखापरीक्षित मामलों में न्यासों/संस्थाओं की निर्धारित आय तथा रिटर्न आय के थे, का विश्लेषण किया। परिणाम तालिका 4.10 में नीचे दिया गया है:

तालिका 4.10: लेखापरीक्षित मामलों का रिटर्न आय या निर्धारित आय-वार वितरण									
निर्धारण वर्ष	कुल लेखापरीक्षित मामले	रिटर्न आय				निर्धारित आय			
		₹ शून्य या ₹ शून्य से कम	₹ 1 व ₹ 50 लाख तक	₹ 50 लाख से ज्यादा व ₹ 1 करोड़ से कम	₹ 1 करोड़ से ज्यादा	₹ शून्य या ₹ शून्य से कम	₹ 1 व ₹ 50 लाख तक	₹ 50 लाख से ज्यादा व ₹ 1 करोड़ से कम	₹ 1 करोड़ से ज्यादा
2014-15	1,256	1,103	139	5	9	1,055	144	13	44
2015-16	1,568	1,441	110	5	12	1,263	151	25	129
2016-17	2,860	2,664	163	11	22	2,220	232	52	356
2017-18	380	313	57	6	4	288	62	7	23
कुल	6,064	5,521	469	27	47	4,826	589	97	552

तालिका 4.10 से देखा जा सकता है कि 6,064 लेखापरीक्षित मामलों में से 5,521 मामलों (कुल मामलों का 91.0 प्रतिशत) में रिटर्न आय '₹ शून्य या ₹ शून्य से कम है' जबकि 4,826 मामलों (कुल मामलों का 79.6 प्रतिशत) में निर्धारित आय '₹ शून्य या ₹ शून्य से कम' है।

4.3.6 न्यासों/संस्थाओं का उनकी गतिविधियों और उनके प्रकार, सरकारी सत्त्व या निजी सत्त्व के आधार पर वर्गीकरण

4.3.6.1 गतिविधियों के आधार पर न्यासों/संस्थाओं का वर्गीकरण

अधिनियम की धारा 2(15), 'धर्मार्थ उद्देश्य' को परिभाषित करती है जिनमें न्यासों/संस्थाओं द्वारा की गई सात प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं अर्थात् (i) गरीबों को राहत (ii) शिक्षा (iii) योग (iv) चिकित्सा राहत (v) पर्यावरण का संरक्षण (जलसंभर, वनों, वन्य जीवों सहित) (vi) कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों/स्थानों/वस्तुओं का संरक्षण और (vii) सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता से संबंधित कोई अन्य विषयवस्तु की उन्नति। न्यासों/संस्थाएं पूरी तरह से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य हेतु अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत भारत में अनुप्रयुक्त ऐसी आय की सीमा तक अपनी आय में छूट ले सकते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालयों, शैक्षिक और चिकित्सा संस्थाओं जो पर्याप्त या आंशिक रूप से सरकार से वित्तपोषित हो तथा कुछ निजी धार्मिक, शैक्षिक व चिकित्सा संस्थाएं

भी कुछ शर्तों को पूरा करने के पश्चात धारा 10(23सी) (iiiएबी) से (viए) के अन्तर्गत विभिन्न प्रावधानों के तहत छूट ले सकते हैं।

लेखापरीक्षा ने 5,693 लेखापरीक्षित नमूने मामलों में डाटा का संकलन तथा विश्लेषण किया जहां गतिविधि संबंधी जानकारी निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध थीं। लेखापरीक्षा शेष 293 लेखापरीक्षित नमूनों में न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध अभिलेखों से इकट्ठा नहीं कर सकी। 5,693 नमूने मामलों के संबंध में कुल ₹ 1.63 लाख करोड़ की दी गई छूट में गतिविधि-वार वर्गीकरण, आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ ही साथ लेखापरीक्षा द्वारा एकत्रित किये गये डेटा के आधार पर तैयार किया गया है जो तालिका 4.11 में नीचे दिया गया है:

तालिका 4.11: नमूने मामले के संबंध में कुल छूट का गतिविधि-वार विवरण				
गतिविधि की प्रकृति	गतिविधि में लगे हुए नमूने मामलों की सं.	कुल नमूने मामलों की प्रतिशतता	गतिविधि में लगे हुए मामलों में कुल दी गई छूट की राशि (₹ करोड़ में)	गतिविधि में लगे हुए मामलों की तुलना में कुल दी गई छूट की राशि की प्रतिशतता
शिक्षा	2,686	47.2	57,175.5	35.1
चिकित्सा राहत	428	7.5	22,478.7	13.8
गरीबों को राहत	629	11.0	7,618.7	4.6
पर्यावरण	38	0.7	1,425.8	0.9
धार्मिक	312	5.5	4,070.6	2.5
अन्य	1,600	28.1	70,210.1	43.1
कुल	5,693	100.00	1,62,979.4	100.00

उपरोक्त तालिका 4.11 से यह देखा जा सकता है कि 5,693 लेखापरीक्षित नमूना मामलों में से 47.2 प्रतिशत मामले शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित थे जिनमें दी गई छूट कुल दी गई छूट का 35.1 प्रतिशत था और उसके पश्चात 28.1 प्रतिशत अन्य गतिविधियों²⁵ से संबंधित थे जिनमें दी गई छूट कुल दी गई छूट का 43.1 प्रतिशत था तथा शेष मामले चिकित्सा राहत, गरीबों को राहत, पर्यावरण, धार्मिक गतिविधियों इत्यादि से संबंधित थे।

4.3.6.2 न्यासों/संस्थाओं का उनके प्रकारों सरकारी सत्त्व या निजी सत्त्व, के आधार पर वर्गीकरण

अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी के साथ-साथ निजी सत्त्वों को छूट दी जाती है। हमने लेखापरीक्षित मामलों में से 580 उच्च मूल्य छूट के मामले (जिसकी सकल आय ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक थी) के संबंध

²⁵ 'अन्य' में गतिविधियों वाले सत्त्व अर्थात सामान्य सार्वजनिक सुविधाएं, पर्यावरण संरक्षण, स्मारकों का संरक्षण, स्मारक योग, और एक से अधिक गतिविधि वाले सत्त्व शामिल हैं;

में सूचना एकत्रित की तथा विश्लेषण किया जिसका उद्देश्य सरकारी तथा निजी सत्त्वों को छूट का गतिविधि-वार विवरण तय करना था जिसका परिणाम तालिका 4.12 में नीचे दिया गया है:

तालिका 4.12: उच्च मूल्य मामलों (₹ 50 करोड़ या अधिक की सकल आय) के संबंध में सरकारी व निजी सत्त्वों को दी गई छूट का गतिविधि-वार विवरण												
गतिविधि की प्रकृति	गतिविधि में लगे हुए मामलों की संख्या			कुल मामलों की प्रतिशतता			गतिविधि में लगे हुए मामलों को दी गई छूट की कुल राशि (₹ करोड़ में)			गतिविधि में लगे हुए दी गई कुल छूट की कुल राशि का प्रतिशत		
	सरकारी	निजी	कुल	सरकारी	निजी	कुल	सरकारी	निजी	कुल	सरकारी	निजी	कुल
शिक्षा	67	217	284	11.6	37.4	49.0	19,474.3	25,524.5	44,998.8	14.8	19.4	34.3
चिकित्सा राहत	18	44	62	3.1	7.6	10.7	10,751.4	5,873.8	16,625.2	8.2	4.5	12.7
गरीबों को राहत	10	28	38	1.7	4.8	6.6	572.3	4,790.5	5,362.8	0.4	3.6	4.1
पर्यावरण	7	3	10	1.2	0.5	1.7	916.7	375.8	1,292.6	0.7	0.3	1.0
धार्मिक	1	19	20	0.2	3.3	3.4	66.5	2,695.4	2,761.9	0.1	2.1	2.1
अन्य	83	83	166	14.3	14.3	28.6	34,926.6	25,307.2	60,233.8	26.6	19.3	45.9
कुल	186	394	580	32.1	67.9	100.0	66,707.8	64,567.2	1,31,275.1	50.8	49.2	100.0

उपरोक्त तालिका 4.12 से यह देखा जा सकता है कि उच्च मूल्य मामलों का 32.1 प्रतिशत, सरकारी सत्त्वों से संबंधित है जिनमें कुल दी गई छूट (₹ 1,31,275.1 करोड़) का 50.8 प्रतिशत था जबकि 67.9 प्रतिशत उच्च मूल्य मामले निजी सत्त्वों से संबंधित थे जिनके लिए कुल दी गई छूट 49.2 प्रतिशत थी।

4.3.7 लेखापरीक्षा नमूना में चयनित शीर्ष छूट मामलों का विश्लेषण

4.3.7.1 ₹ 50 करोड़ से अधिक सकल आय वाले उच्च मूल्य छूट मामलों का विश्लेषण

लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच के लिए लेखापरीक्षा नमूने से 649 उच्च मूल्य मामलों को चिन्हित किया जहां प्रत्येक मामले के लिए कुल आय ₹ 50 करोड़ से अधिक थी। इन निर्धारण मामलों में से, 580 मामलों के रिकॉर्ड निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये थे। न्यासों/संस्थाओं (सरकारी या निजी) के प्रकारों का विस्तृत विवरण, पूर्ण किए निर्धारण के प्रकार, तथा दी गई छूट का विवरण तालिका 4.13 में नीचे दिया गया है:

तालिका 4.13: 580 लेखापरीक्षित उच्च मूल्य मामलों का विवरण						
न्यास/ संस्था का प्रकार	संवीक्षा निर्धारण		संवीक्षा निर्धारण के अतिरिक्त		कुल मामलों की संख्या	छूट (₹ करोड़ में)
	मामलों की संख्या	छूट (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	छूट (₹ करोड़ में)		
सरकारी	131	47,418.3	55	19,289.5	186	66,707.8
निजी	279	49,745.1	115	14,822.0	394	64,567.2
कुल	410	97,163.4	170	34,111.5	580	1,31,275.0

लेखापरीक्षा ने देखा कि 580 उच्च मूल्य मामलों में से 186 न्यासों/संस्थाएं (32.1 प्रतिशत) सरकारी सत्त्व थे जहां ₹ 66,707.8 करोड़ छूट दी गई तथा शेष 394 न्यासों/संस्थाएं (67.9 प्रतिशत) निजी सत्त्व थे जहां ₹ 64,567.2 करोड़ की छूट दी गई थी। लेखापरीक्षा ने आगे यह देखा कि 410 मामलों (70.7 प्रतिशत) में संवीक्षा निर्धारण पूर्ण की गई थी तथा शेष मामले संक्षिप्त तौर पर संसाधित किए गए थे।

4.3.7.2 शीर्ष 200 छूट मामले जिनमें सकल आय ₹ 167.9 करोड़ या उससे अधिक थी, का विश्लेषण

लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा नमूना से न्यासों/संस्थाओं के शीर्ष 200 ऐसे मामलों को चिन्हित किया जहां प्रत्येक मामले में कुल आय ₹ 167.9 करोड़ या उससे अधिक थी। कुल 200 निर्धारण मामलों में से 183 मामले के रिकार्ड लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये और 17 मामले (परिशिष्ट 2.1) के रिकार्ड लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। लेखापरीक्षा ने प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा 183 मामले के संबंध में उपलब्ध कराये डेटा का विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान निर्धारण अभिलेखों से लेखापरीक्षा जांच-सूची में लिए गए मामलों के डेटा का भी विश्लेषण किया। परिणाम को नीचे तालिका 4.14 में दिया गया है:

तालिका 4.14: 'शीर्ष 200' निर्धारितियों के 183 लेखापरीक्षित मामलों का विवरण						
न्यास/संस्था का प्रकार	संवीक्षा निर्धारण		संवीक्षा निर्धारण के अतिरिक्त ²⁶		कुल मामलों की संख्या	छूट (₹ करोड़ में)
	मामलों की संख्या	छूट (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	छूट (₹ करोड़ में)		
सरकारी	65	42,600.4	30	16,413.1	95	59,013.5
निजी	69	34,418.3	19	7,828.1	88	42,246.4
कुल	134	77,018.7	49	24,241.2	183	1,01,259.9

²⁶ अन्य में संक्षिप्त मामले व परिशोधन मामले शामिल थे

लेखापरीक्षा ने पाया कि शीर्ष 183 लेखापरिक्षित मामलों में से 95 न्यासें/संस्थाएं (51.9 प्रतिशत) सरकारी सत्त्व थे जहां कुल छूट ₹ 59,013.5 करोड़ दी गई थी और शेष 88 न्यासें/संस्थाएं (48.1 प्रतिशत) निजी सत्त्व थे जहां कुल छूट ₹ 42,246.4 करोड़ दी गई थी। लेखापरीक्षा ने आगे यह भी देखा कि 134 मामलों (73.2 प्रतिशत) में संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था तथा शेष मामलों को संक्षिप्त तौर पर संसाधित किया गया था।

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, इन 580 उच्च मूल्य मामलों में 54 पैरा मिले जिनकी मूल्य राशि ₹ 1,225.20 करोड़ है जो प्रणालीगत और अनुपालन मुद्दे से संबंधित है जैसे आय और उसके अनुप्रयोग की अप्रभावी मॉनिटरिंग, विदेशी अंशदान व इसके उपयोग की अप्रभावी मॉनिटरिंग, कार्पस दान पर छूट की अनियमित अनुमति इत्यादि जिन पर आगामी अध्यायों में चर्चा की गई है।


4.3.8 शीर्ष न्यासें/संस्थाओं की रूपरेखा

शीर्ष न्यासें/संस्थाओं की रूपरेखा हेतु, लेखापरीक्षा ने, लेखापरीक्षा नमूना से शीर्ष 200 मामले चयनित किए जहां 169 न्यासें/संस्थाएं शामिल थे और जहां प्रत्येक मामले के लिए सकल आय ₹ 167.9 करोड़ या उससे अधिक थी। लेखापरीक्षा ने वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के लिए, 167 न्यासें/संस्थाओं के निर्धारण अभिलेखों से डाटा को एकत्र किया जो गतिविधि की प्रकृति, प्राप्ति की प्रकृति, दी गई छूट इत्यादि से संबंधित थे जबकि दो निर्धारितियों के रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। 167 निर्धारितियों का विवरण आगामी पैराग्राफों में दिया गया है:

4.3.8.1 सत्त्व के प्रकार तथा गतिविधि की प्रकृति

लेखापरीक्षा ने देखा कि शीर्ष 167 शीर्ष निर्धारितियों में से 101 सरकारी सत्त्व थे तथा शेष 66 निजी सत्त्व थे। 101 सरकारी सत्त्वों का गतिविधि-वार विवरण, नीचे चार्ट 4.4 में दर्शाया गया है:


चार्ट 4.4 101 शीर्ष सरकारी सत्त्वों का गतिविधि-वार विवरण



उपरोक्त चार्ट 4.4 से यह देखा जा सकता है कि शीर्ष 101 सरकारी सत्त्वों के 29 प्रतिशत 'अन्य गतिविधियों' (जैसे पेंशन और ग्रेच्युटि निधि, कल्याण बोर्ड इत्यादि) में लगे हुए थे और 28 प्रतिशत सत्त्व शैक्षिक गतिविधियों में लगे हुए थे।

66 निजी सत्त्वों के गतिविधि-वार विवरण की नीचे चार्ट 4.5 में दर्शाया गया है:

चार्ट 4.5: 66 निजी सत्त्वों का गतिविधि-वार विवरण



उपरोक्त चार्ट 4.5 से यह देखा जा सकता है कि शीर्ष 66 निजी सत्त्वों में से 42 प्रतिशत सत्त्व शैक्षिक गतिविधियों में लगे हुए थे तथा 20 प्रतिशत चिकित्सा राहत में लगे हुए थे।

4.3.8.2 सरकारी तथा निजी सत्त्वों को दी गई छूट

लेखापरीक्षा द्वारा शीर्ष 167 सत्त्वों के संबंध में, वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16, तथा 2016-17 के दौरान दी गई छूट के संबंध में डेटा एकत्रित किये गए तथा डेटा को तालिका 4.15 में नीचे दिया गया है:

तालिका 4.15: सरकारी तथा निजी सत्त्वों को दी गई छूट का वित्तीय-वर्ष-वार विवरण							
वित्तीय वर्ष	सरकारी		निजी		कुल		लेखापरीक्षा के पास डेटा उपलब्ध नहीं है
	सत्त्वों की सं.	छूट (₹ करोड़ में)	सत्त्वों की सं.	छूट (₹ करोड़ में)	सत्त्वों की सं.	छूट (₹ करोड़ में)	
2014-15	75	37,763.39	52	18,657.97	127	56,421.36	40
2015-16	82	46,766.12	55	18,458.02	137	65,224.14	30
2016-17	84	47,662.64	53	21,377.70	137	69,040.35	30

ऊपर तालिका 4.15 से यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2014-15 से 2016-17 में सरकारी सत्त्वों को दी गई छूट ₹ 37,763.4 करोड़ से बढ़कर और ₹ 47,662.6 करोड़ हो गयी जबकि समान अवधि के दौरान निजी सत्त्वों को दी गई छूट ₹ 18,685.0 करोड़ से बढ़कर ₹ 21,377.7 करोड़ हो गयी।

4.3.8.3 सरकारी सत्त्वों के प्राप्ति की प्रकृति

लेखापरीक्षा ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान 101 सरकारी सत्त्वों की प्राप्ति की प्रकृति के संबंध में सूचना का विश्लेषण किया जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका 4.16 में दिया गया है:

तालिका 4.16: सरकारी सत्त्व की प्राप्ति का वित्तीय-वर्ष-वार विवरण									
वित्त वर्ष	मामलों की संख्या	सरकार से अनुदान (₹ करोड़ में)		गतिविधि से प्राप्ति (₹ करोड़ में)		अन्य प्राप्ति ²⁷		कुल प्राप्ति (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा के पास डेटा उपलब्ध नहीं है
		राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति की प्रतिशतता	राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति की प्रतिशतता	राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति की प्रतिशतता		
2014-15	83	16,857.4	34.59	10,494.9	21.5	21,379.5	43.9	48,731.8	18
2015-16	93	24,563.7	37.69	11,315.6	17.4	29,291.1	45.0	65,170.4	8
2016-17	93	29,528.4	43.76	11,330.6	16.8	26,626.3	39.4	67,485.3	8

²⁷ अन्य प्राप्तियों में अन्य अनुदान, विदेशी अंशदान, दान (घरेलू), निवेश से आय और विविध आय शामिल हैं

ऊपर तालिका 4.16 से यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान इन सत्त्वों को सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, ₹ 16,857.4 करोड़ (34.6 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 29,528.4 करोड़ (43.8 प्रतिशत) हो गया जबकि समान अवधि के दौरान गतिविधियों से प्राप्ति में ₹ 10,494.9 करोड़ (21.5 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 11,330.6 करोड़ (16.8 प्रतिशत) की मामूली वृद्धि हुई थी।

4.3.8.4 निजी सत्त्वों के प्राप्ति की प्रकृति

लेखापरीक्षा ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान 66 निजी सत्त्वों की प्राप्ति की प्रकृति के संबंध में सूचना का विश्लेषण किया जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका 4.17 में दिया गया है:

तालिका 4.17: निजी सत्त्व की प्राप्ति का वित्तीय-वर्ष-वार विवरण									
वित्त वर्ष	मामलों की सं.	सरकार से अनुदान (₹ करोड़ में)		गतिविधि से प्राप्ति (₹ करोड़ में)		अन्य प्राप्ति ²⁸		कुल प्राप्ति (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा के पास डेटा उपलब्ध नहीं है
		राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति की प्रतिशतता	राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति की प्रतिशतता	राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति की प्रतिशतता		मामलों की संख्या
2014-15	63	66.2	0.3	9,880.4	42.4	13,365.3	57.3	23,312.0	3
2015-16	63	54.0	0.2	10,767.7	42.8	14,354.6	57.0	25,176.3	3
2016-17	62	243.9	1.0	13,041.2	52.7	11,455.2	46.3	24,740.2	4

ऊपर तालिका 4.17 से यह देखा जा सकता है कि सरकार द्वारा निजी सत्त्वों को वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 में दिया जाने वाला अनुदान क्रमशः 0.3 प्रतिशत, 0.2 प्रतिशत, 1.0 प्रतिशत था। हालांकि, वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के लिए गतिविधि से प्राप्ति कुल प्राप्ति का क्रमशः 42.4 प्रतिशत, 42.8 प्रतिशत और 52.7 प्रतिशत थी और अन्य प्राप्ति 57.3 प्रतिशत, 57.0 प्रतिशत, 46.3 प्रतिशत थी।

4.3.8.5 विदेशी अंशदान से प्राप्ति

लेखापरीक्षा द्वारा सरकारी और निजी सत्त्वों को विदेशी अंशदान के प्राप्ति संबंधित एकत्रित डेटा का विश्लेषण किया गया जिसका परिणाम नीचे तालिका 4.18 में दिया गया है:

²⁸ अन्य प्राप्ति के अर्न्तगत अन्य अनुदान, विदेशी अंशदान, दान (घरेलू), निवेश से प्राप्त आय तथा विविध आय शामिल हैं।

तालिका 4.18 विदेशी अंशदान (एफसी) की प्राप्ति का वित्तीय वर्ष-वार वितरण								
वित्तीय वर्ष	सरकारी सत्त्व		निजी सत्त्व		कुल		विदेशी अंशदान प्राप्त नहीं हुए	लेखापरीक्षा के पास डेटा उपलब्ध नहीं है
	मामलों की सं.	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की सं.	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की सं.	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की सं.	मामलों की सं.
2014-15	2	174.1	13	565.0	15	739.0	141	11
2015-16	1	179.6	12	488.9	13	668.5	154	0
2016-17	1	2.0	14	371.7	15	373.7	152	0

उपरोक्त तालिका 4.18 से यह देखा जा सकता है कि कुल 43 निर्धारण मामलों में से जहां विदेशी अंशदान वित्त वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक प्राप्त किया गया था, ₹ 355.7 करोड़ के विदेशी अंशदान वाले केवल चार निर्धारण मामले, सरकारी सत्त्व से संबंधित थे जबकि ₹ 1425.6 करोड़ के विदेशी अंशदान वाले 39 निर्धारण मामले, निजी सत्त्वों से संबंधित थे।

4.3.8.6 कॉर्पस दान की प्राप्ति

लेखापरीक्षा ने सरकारी तथा निजी सत्त्वों के कॉर्पस दान की प्राप्ति के डेटा को एकत्रित करके विश्लेषण किया जिसका परिणाम तालिका 4.19 में नीचे दिया गया है:

तालिका 4.19: कॉर्पस दान की प्राप्ति का वित्तीय-वर्ष-वार विवरण							
वित्तीय वर्ष	सरकारी सत्त्व		निजी सत्त्व		वर्ष के लिए कुल		कॉर्पस दान प्राप्त नहीं हुए
	सत्त्वों की सं.	कॉर्पस दान (₹ करोड़ में)	सत्त्वों की सं.	कॉर्पस दान (₹ करोड़ में)	सत्त्वों की सं.	कॉर्पस दान (₹ करोड़ में)	सत्त्वों की सं.
2014-15	8	563.1	21	1,011.6	29	1,574.7	138
2015-16	9	579.4	22	1,004.0	31	1,583.3	136
2016-17	12	8918.6	20	1,244.4	32	10,163.0	135

उपरोक्त तालिका 4.19 से यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के 92 निर्धारण मामलों में जहां कॉर्पस दान प्राप्त हुआ था, 29 निर्धारण मामले, ₹ 10,061.1 करोड़ के कॉर्पस दान के साथ सरकारी सत्त्व से संबंधित हैं जबकि 63 निर्धारण मामले, ₹ 3,259.9 करोड़ के कॉर्पस दान के साथ निजी सत्त्व से संबंधित हैं।

4.3.9 संवीक्षा के लिए चयनित नहीं किये गये शीर्ष न्यासों/संस्थाओं की रूपरेखा:

लेखापरीक्षा ने 159 न्यासों/संस्थाओं से संबंधित 196 गैर-संवीक्षा निर्धारण मामलों से डेटा एकत्रित किए जो गतिविधि की प्रकृति, छूट का विवरण, न्यास


के प्रकार इत्यादि से संबंधित थे जबकि चार मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराये गये थे। 196 मामलों के संबंध में प्र.डीजीआईटी (सिस्टम्स) से प्राप्त डेटा तथा निर्धारण अभिलेखों से एकत्रित डेटा के विश्लेषण को आगामी पैराग्राफों में दिया गया है:

4.3.9.1 सत्त्वों के प्रकार तथा गतिविधियों की प्रकृति

लेखापरीक्षा ने देखा कि शीर्ष 159 निर्धारितियों में से 70 निर्धारित सरकारी सत्त्व तथा शेष 89 निर्धारित निजी सत्त्व थे। सरकारी तथा निजी सत्त्वों का गतिविधि वार विवरण तालिका 4.20 में नीचे दिया गया है:

तालिका 4.20: सरकारी और निजी सत्त्वों का गतिविधि वार विवरण			
गतिविधि की प्रकृति	सरकारी सत्त्वों की संख्या	निजी सत्त्वों की संख्या	कुल सत्त्वों की संख्या
शिक्षा	20	50	70
चिकित्सा राहत	10	14	24
गरीबों को राहत	2	8	10
धार्मिक	1	6	7
सामान्य जनोपयोगी	34	10	44
पर्यावरण	3	0	3
राजनीतिक दल	0	1	1
कुल	70	89	159

नीचे दी गई तालिका 4.6, सरकारी तथा निजी सत्त्वों के गतिविधि-वार विवरण को दर्शाती है।



उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अधिकांश सरकारी सत्त्व (48.6 प्रतिशत) सामान्य जनोपयोगी सुविधाओं में लगे हुए थे जबकि अधिकांश निजी सत्त्व (56.2 प्रतिशत) शैक्षिक गतिविधियों में लगे हुए थे।

4.3.9.2 सरकारी तथा निजी सत्त्व-वार सकल आय, रिटर्न आय और निर्धारित आय

लेखापरीक्षा ने सरकारी तथा निजी सत्त्वों के संबंध में सकल आय, रिटर्न आय, निर्धारित आय से संबंधित डेटा का विश्लेषण किया जिसका परिणाम नीचे तालिका 4.21 में दिया गया है:

तालिका 4.21 सरकारी तथा निजी सत्त्व गतिविधि वार सकल आय					
गतिविधि की प्रकृति	न्यासों/संस्थाओं की प्रकृति	मामलों की सं.	सकल आय (₹ करोड़ में)	रिटर्न आय (₹ करोड़ में)	निर्धारित आय (₹ करोड़ में)
शिक्षा	सरकारी	26	6,744.9	690.3	2,711.1
	निजी	62	14,589.3	694.0	1,259.8
चिकित्सा राहत	सरकारी	13	4,636.7	0.0	4.5
	निजी	15	3,709.1	0.0	191.8
गरीबों को राहत	सरकारी	2	974.0	0.0	0.0
	निजी	9	2,030.6	0.0	0.0
धार्मिक	सरकारी	1	181.5	0.0	181.5
	निजी	6	4,067.5	0.0	0.0
सामान्य जनोपयोगी	सरकारी	45	39,343.1	2,488.6	4,593.6
	निजी	11	2,985.6	1.1	331.3
पर्यावरण	सरकारी	4	1,058.1	0.0	0.0
	निजी	0	0.0	0.0	0.0
राजनीतिक दल	सरकारी	2	1,643.9	0.0	5.9
	निजी	0	0.0	0.0	0.0
कुल		196	81,964.4	3,874.0	9,279.4

उपरोक्त तालिका 4.21 से देखा जा सकता है कि यद्यपि निजी सत्त्वों के मामलों (105 मामले) की संख्या सरकारी सत्त्वों के मामलों (91 मामले) की संख्या से अधिक थी पर सरकारी सत्त्वों की सकल आय (₹ 52,938.4 करोड़) निजी सत्त्वों की सकल आय (₹ 29,026.0 करोड़) से अधिक थी। हालांकि, निजी सत्त्वों के मामले में रिटर्न आय तथा निर्धारित आय सरकारी सत्त्वों से अधिक थी।

4.3.9.3 विदेशी अंशदान की प्राप्ति

लेखापरीक्षा ने सरकारी तथा निजी सत्त्वों की विदेशी अंशदान की प्राप्ति के संबंध में डेटा का विश्लेषण किया तथा परिणाम को तालिका 4.22 में नीचे दिया गया है:

तालिका 4.22: सरकारी तथा निजी सत्त्व तथा गतिविधि वार विदेशी अंशदान						
गतिविधि की प्रकृति	न्यासों/संस्थाओं की प्रकृति	मामले जहां विदेशी अंशदान प्राप्त हुआ		विदेशी अंशदान (₹ करोड़ में)	मामले यहां विदेशी अंशदान प्राप्त नहीं हुए	कुल मामलों की सं.
		मामलों की संख्या	(प्रतिशत में)			
शिक्षा	सरकारी	5	19.2	5.8	21	26
	निजी	12	19.4	195.2	50	62
चिकित्सा राहत	सरकारी	2	15.4	3.6	11	13
	निजी	2	13.3	64.9	13	15
गरीबों को राहत	सरकारी	0	0.0	0.0	2	2
	निजी	5	55.6	809.2	4	9
धार्मिक	सरकारी	0	0.0	0.0	1	1
	निजी	3	50.0	833.1	3	6
सामान्य जनोपयोगी सुविधाएं	सरकारी	0	0.0	0.0	45	45
	निजी	1	9.1	47.2	10	11
पर्यावरण	सरकारी	0	0.0	0.0	4	4
	निजी	0	0.0	0.0	0	0
राजनीतिक दल	सरकारी	0	0.0	0.0	0	0
	निजी	0	0.0	0.0	2	2
कुल		30	15.3	1,959.00	166	196

उपरोक्त तालिका 4.22 से यह देखा जा सकता है कि समान अवधि के दौरान सरकारी सत्त्वों ने ₹ 9.5 करोड़ का विदेशी अंशदान प्राप्त किया जबकि निजी सत्त्वों ने ₹ 1,949.5 करोड़ का विदेशी अंशदान प्राप्त किया।

4.3.9.4 कॉर्पस दान की प्राप्ति

लेखापरीक्षा ने सरकारी तथा निजी सत्त्वों के कॉर्पस दान की प्राप्ति के संबंध में डेटा का विश्लेषण किया जिसका परिणाम तालिका 4.23 में नीचे दिया गया है:

तालिका 4.23: सरकारी तथा निजी सत्त्व तथा गतिविधि-वार कॉर्पस दान						
गतिविधि की प्रकृति	न्यासी/ संस्थाओं की प्रकृति	वे सत्त्व जिन्होंने कॉर्पस दान प्राप्त किया		कॉर्पस दान (₹ करोड़ में)	कॉर्पस दान प्राप्त न करने वाले मामलों की सं.	कुल मामलों की संख्या
		मामलों की संख्या	प्रतिशत में			
शिक्षा	सरकारी	2	7.7	41.9	24	26
	निजी	10	16.1	196.7	52	62
चिकित्सा राहत	सरकारी	1	7.7	218.0	12	13
	निजी	2	13.3	126.7	13	15
गरीबों को राहत	सरकारी	0	0.0	0.0	2	2
	निजी	3	33.3	25.2	6	9
धार्मिक	सरकारी	0	0.0	0.0	1	1
	निजी	0	0.0	0.0	6	6
सामान्य जनोपयोगी सुविधाएं	सरकारी	4	8.9	2,012.9	41	45
	निजी	0	0.0	0.0	11	11
पर्यावरण	सरकारी	0	0.0	0.0	4	4
	निजी	0	0.0	0.0	0	0
राजनीतिक दल	सरकारी	0	0.0	0.0	0	0
	निजी	0	0.0	0.0	2	2
कुल		22	11.2	2,621.5	174	196

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि सरकारी सत्त्वों ने ₹ 2,012 करोड़ (कुल कॉर्पस दान का 76 प्रतिशत) का कॉर्पस दान प्राप्त किया जो सामान्य जनोपयोगी गतिविधियों में शामिल थे।

4.3.9.5 सरकारी तथा निजी सत्त्वों को दी गई छूट

लेखापरीक्षा ने अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत सरकारी तथा निजी सत्त्वों को दी जाने वाली गतिविधि-वार छूट से संबंधित डेटा का विश्लेषण किया, जिसका परिणाम नीचे तालिका 4.24 में दिया गया है:

2022 की प्रतिवेदन संख्या 12 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

तालिका 4.24: सरकारी तथा निजी सत्त्वों को दी गई गतिविधि-वार छूट								
गतिविधि की प्रकृति	न्यासों/संस्थाओं की प्रकृति	धारा 10 की उप-धारा# के अन्तर्गत दी गई छूट		धारा 11 के अन्तर्गत दी गई छूट		धारा 11 तथा धारा 10 की उप-धारा दोनों के अन्तर्गत दी गई छूट		ऐसे मामले जहां लेखापरीक्षा के पास डेटा उपलब्ध नहीं था
		सत्त्वों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	सत्त्वों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	सत्त्वों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
शिक्षा	सरकारी	7	1,547.9	11	2,526.8	1	315.9	2
	निजी	11	3,543.2	31	4,880.6	4	998.6	4
चिकित्सा राहत	सरकारी	2	904.6	7	2,835.6	-	-	1
	निजी	3	619.9	7	1,046.6	-	-	4
गरीबों को राहत	सरकारी	-	-	-	-	-	-	-
	निजी	-	-	8	1,453.1	-	-	1
धार्मिक	सरकारी	1	181.5	-	-	-	-	-
	निजी	2	1,633.3	3	2,294.1	-	-	1
सामान्य जनोपयोगी सुविधाएं	सरकारी	6	8,000.0	19	9,917.0	2	1,517.5	4
	निजी	3	481.1	3	350.4	1	157.7	-
पर्यावरण	सरकारी	-	-	2	354.9	-	-	1
	निजी	-	-	-	-	-	-	-
राजनीतिक दल	सरकारी	-	-	-	-	-	-	-
	निजी	-	-	2	16,38.1	-	-	-
कुल		35	16,911.5	93	27,297.2	8	2,989.7	18

#10(21), 10(23सी)(iiiएबी) से (iiiएडी), 10(23सी)(iv), 10(23सी)(v), 10(23सी)(vi), 10(23C)(viए) 10(23डी), 10(23एफबी), 10(25), 10(46)


उपरोक्त तालिका 4.24 से यह देखा जा सकता है कि शीर्ष संक्षिप्त मामलों के संबंध में धारा 11 के अन्तर्गत सरकारी सत्त्वों से संबंधित 39 मामलों में ₹ 15,634.3 करोड़ की कुल छूट दी गई थी जबकि निजी सत्त्वों के 54 मामलों में ₹ 11,662.9 करोड़ की छूट दी गई थी।

4.3.9.6 संक्षिप्त तौर पर संसाधित मामलों में जोखिम विश्लेषण

प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) ने धर्मार्थ न्यास तथा संस्थाओं से संबंधित वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान नि.व. 2014-15 से नि. व. 2017-18 के लिए संसाधित/निर्धारित/परिशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) के 6,89,011 मामलों में निर्धारित-वार डेटा उपलब्ध कराया। यह डेटा निर्धारण के प्रकार, दावित छूट तथा प्राप्त विदेशी अंशदान के संबंध में विश्लेषित किये गये थे तथा यह पाया गया कि कुल 6.89 लाख मामलों में से, 6.30 लाख मामलों (91.4 प्रतिशत), संक्षिप्त तरीके से संसाधित किये गये थे जबकि आयकर विभाग

द्वारा 0.25 लाख मामलों (3.7 प्रतिशत) में संवीक्षा निर्धारण किया गया था तथा शेष 0.34 लाख मामले (4.9 प्रतिशत), परिशोधन/पुनः निर्धारण/अपीलीय आदेशों से संबंधित थे जैसा कि **परिशिष्ट 4.5** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने आगे कुल मामलों की संख्या, दावित छूट, और विदेशी अंशदान के ब्यौरों का विश्लेषण किया। निम्नलिखित चार्ट 4.7 कुल संख्या के निर्धारण छूट, विदेशी अंशदान वार वितरण को दर्शाता है:



अन्य में परिशोधन के मामले, संशोधन मामले और अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाने वाले आदेश के मामले शामिल हैं।

यह आगे देखा जा सकता है कि पूर्वोक्त अवधि के दौरान न्यासों/संस्थाओं द्वारा दावित ₹ 17,63,427.9 करोड़ की कुल छूट में से 73 प्रतिशत (₹ 12,88,501.6 करोड़) की छूट संक्षिप्त तरीके से संसाधित की गई जबकि 20 प्रतिशत (₹ 3,60,724.2 करोड़) छूट में विभाग द्वारा संवीक्षा की गई थी तथा न्यासों/संस्थाओं द्वारा अवधि के दौरान प्राप्त कुल ₹ 36,899.6 करोड़ के विदेशी अंशदान का 76 प्रतिशत (₹ 28,081.5 करोड़) संक्षिप्त तरीके से संसाधित किया गया था जबकि विदेशी अंशदान का केवल 19 प्रतिशत (₹ 6,978.4 करोड़) की ही विभाग द्वारा संवीक्षा की गई थी।

निर्धारण का प्रकार, दावित छूट के आधार पर कुल मामलों के निर्धारण वर्ष वार विवरण को तालिका 4.25 में नीचे दिया गया है:

2022 की प्रतिवेदन संख्या 12 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

तालिका 4.25: निर्धारण वर्ष, निर्धारण के प्रकार, दावित छूट के आधार पर कुल संख्या का विवरण						
निर्धारण का प्रकार	निर्धारण वर्ष	2014	2015	2016	2017	कुल
संक्षिप्त मामले	मामलों की सं.	1,34,450	1,50,534	1,65,214	1,79,707	6,29,905
	वर्ष के लिए कुल मामलों की प्रतिशतता	91.2	91.3	87.2	96.0	91.4
	छूट (₹ करोड़ में)	2,09,377.6	2,35,646.0	1,55,245.7	6,88,232.2	12,88,501.6
	वर्ष के लिए कुल छूट की प्रतिशतता	78.6	59.4	37.8	99.8	73.1
संवीक्षा मामले	मामलों की सं.	1,000	7,071	17,143	^^	25,214
	वर्ष के लिए कुल मामलों की प्रतिशतता	0.7	4.3	9.0	NA	3.7
	छूट (₹ करोड़ में)	7,381.7	1,24,275.6	2,29,066.9	0.0	3,60,724.2
	वर्ष के लिए कुल छूट की प्रतिशतता	2.8	31.3	55.8	0.0	20.5
अन्य मामले [®]	मामलों की सं.	12,033	7,266	7,195	7,398	33,892
	वर्ष के लिए कुल मामलों की प्रतिशतता	8.2	4.4	3.8	4.0	4.9
	छूट (₹ करोड़ में)	49,541.8	36,917.3	26,083.1	1,660.0	1,14,202.1
	वर्ष के लिए कुल छूट की प्रतिशतता	18.6	9.3	6.4	0.2	6.5
कुल	कुल मामले	1,47,483	1,64,871	1,89,552	1,87,105	6,89,011
	छूट (₹ करोड़ में)	2,66,300.0	3,96,838.9	4,10,395.6	6,89,892.2	17,63,427.9

^^ निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए संवीक्षा निर्धारण मामलों के डेटा लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपलब्ध नहीं थे।
[®] अन्य के अन्तर्गत परिशोधन मामले, संशोधन मामले तथा अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाने वाले आदेश शामिल हैं।

उपरोक्त तालिका 4.25 से यह देखा जा सकता है कि निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2017-18 के लिए न्यासों/संस्थाओं के मामलों की संख्या 1.47 लाख से बढ़कर 1.87 लाख हो गई जबकि इसी अवधि के दौरान इन न्यासों/संस्थाओं द्वारा दावित छूट ₹ 2,66,300.0 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,89,892.2 करोड़ हो गई। संक्षिप्त निर्धारण के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान मामलों की संख्या 1.35 लाख से बढ़कर 1.65 लाख हो गई, हालांकि, इसी अवधि दौरान इन मामलों से संबंधित न्यासों/संस्थाओं द्वारा दावाकृत छूट की राशि ₹ 2,09,377.6 करोड़ से घटकर ₹ 1,55,245.7 करोड़ हो गई। इसके अलावा, संवीक्षा निर्धारण के तहत मामलों की संख्या 0.01 लाख से बढ़कर 0.17 लाख हो गई तथा निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान, इन मामलों से संबंधित न्यासों/संस्थाओं द्वारा दावित छूट की राशि ₹ 7,381.7 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,29,066.9 करोड़ हो गई। निर्धारण वर्ष 2017-18 के संवीक्षा निर्धारण के लिए लेखापरीक्षा अवधि के दौरान डेटा उपलब्ध नहीं थे।

न्यासों/संस्थाओं से संबंधित कई मामले स्वचालित वातावरण में संक्षिप्त तरीके से संसाधित किये गये हैं अतः यह वांछनीय है कि आयकर विभाग प्रणाली को सुव्यवस्थित और पर्याप्त मजबूत बनाया जाए ताकि राजस्व क्षति की संभावना को कम किया जा सके और उपयोगकर्ता को निर्बाध सेवा दी जा सके। हालांकि, शीर्ष संक्षिप्त मामलों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा के समक्ष अन्य मुद्दों के साथ आईटीडी सिस्टम्स से संबंधित कई मुद्दे सामने आये जिन पर आगामी अध्यायों में चर्चा की गई है।

4.4 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान कई न्यासों/संस्थाओं द्वारा छूट का दावा करने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी पाई थी हालांकि, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए छूट का दावा करने वाले न्यासों/संस्थाओं की संख्या में थोड़ी कमी आई।

लेखापरीक्षा ने आगे यह भी देखा कि वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2017-18 के लिए आईटीआर से संबंधित कुल 6,89,011 मामलों में से 3.7 प्रतिशत मामले संवीक्षा के अन्तर्गत निर्धारित किये गये थे तथा 96.3 प्रतिशत मामले संवीक्षा के अतिरिक्त थे जो संसाधित/परिशोधित/संशोधित इत्यादि किये गये थे।

वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि धारा 12एए के अन्तर्गत धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के पंजीकरण/अनुमोदन से संबंधित आवेदनों की संख्या में 128.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि इसी अवधि के दौरान दिये गये पंजीकरण/अनुमोदनों में 156.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई।

अध्याय 5: न्यासों/संस्थाओं से संबंधित प्रावधानों की प्रणालीगत कमियां/प्रभावकारिता

इस अध्याय में, लेखापरीक्षा ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि क्या धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के निर्धारण से संबंधित अधिनियम/नियमावली/परिपत्र में कमियां/अस्पष्टताएं/विसंगतियां हैं। लेखापरीक्षा में धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के पंजीकरण से संबंधित प्रक्रियात्मक और प्रणालीगत कमियों और आयकर प्रणालियों में कमियों का भी पता लगाने का प्रयास किया गया। पंजीकरण/निर्धारण अभिलेखों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के परिणामों पर आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

5.1 प्रणालीगत कमियां अर्थात् अधिनियम/नियमावली/परिपत्र में कमी/अस्पष्टता/विसंगति

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) में धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और न्यासों/संस्थाओं द्वारा पूरी की जाने वाली कतिपय शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई है। लेखापरीक्षा में अधिनियम/नियमावली/परिपत्रों में शेष कतिपय कमियों को अस्पष्टता या प्रावधानों में स्पष्टता की कमी के रूप में नोट किया गया है जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है जिससे राजस्व की हानि हो सकती है। लेखापरीक्षा ने 65 मामलों²⁹ में छूट की स्वीकृति देने में प्रणालीगत मुद्दे/अधिनियम में अस्पष्टता/अनिरंतरता की पहचान की है, जैसा कि नीचे तालिका 5.1 में दिया गया है और इस अध्याय के आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

तालिका सं 5.1: अधिनियम के प्रावधानों के तहत धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को लाभ प्रदान करने में प्रणालीगत कमियों से संबंधित अभ्युक्तियां		
क्रम संख्या	अभ्युक्ति की प्रकृति	मामलों की संख्या
1	शैक्षिक न्यासों/संस्थाओं के संबंध में अधिनियम में कमियां	-
2	संबंधित पार्टी के साथ संव्यवहार के मूल्यांकन पहलुओं की जांच करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया/निर्देशों/दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति	-
3	चालू वर्ष की आय के साथ पिछले वर्ष के घाटे के समंजन को अस्वीकार करने का प्रावधान	5
4	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए खर्च की गई राशि के लिए कॉर्पोरेट्स को धारा 80जी के तहत कटौती के प्रावधानों में स्पष्टता का अभाव	32

²⁹ ₹ 491.47 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले

तालिका सं 5.1: अधिनियम के प्रावधानों के तहत धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को लाभ प्रदान करने में प्रणालीगत कमियों से संबंधित अभ्युक्तियां		
क्रम संख्या	अभ्युक्ति की प्रकृति	मामलों की संख्या
5	कॉर्पस के रूप में स्वीकार किया जाने वाले विशिष्ट उद्देश्य दान के उपयोग के संबंध में प्रावधान की अनुपस्थिति	1
6	उधार ली गई निधि के उपयोग और पुनर्भुगतान के संबंध में प्रावधान	9
7	प्रशासनिक और अन्य खर्च करते समय निर्धारण में विसंगतियां	1
8	वर्तमान वर्षों की आय में से किसी अन्य न्यास को न्यास द्वारा दान को प्रतिबंधित करने के प्रावधान की अनुपस्थिति	4
9	न्यास की आय के रूप में लंबे समय से लंबित देयता पर विचार करने के लिए प्रावधानों की अनुपस्थिति	1
10	निधि के संचय के संबंध में अधिनियम में प्रावधानों का अभाव	6
11	अनाम दान का पता लगाने के लिए दानदाताओं की पहचान को सत्यापित करने की आवश्यकता की अनुपस्थिति	6
कुल		65

5.1.1 शैक्षिक न्यासों/संस्थाओं के संबंध में अधिनियम में कमियां

भविष्य की पीढ़ी को किफ़ायती शिक्षा प्रदान करना एक कल्याणकारी राज्य के महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक है। वर्ष 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 में, भारत सरकार ने कहा है³⁰ कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर अंकुश लगाया जाएगा और स्वीकृत मानदंडों और लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में निजी और स्वैच्छिक प्रयासों को शामिल करने के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली तैयार की जाएगी। एनपीई 1986/92 को 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020'³¹, के साथ बदल दिया गया था, जो यह निर्धारित करता है³² कि नियंत्रण एवं संतुलन के साथ कई तंत्र उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण का मुकाबला करेंगे और उच्च शिक्षा में व्यवसायीकरण को रोकेंगे और यह नियामक प्रणाली की एक प्रमुख प्राथमिकता होगी। नीति में प्रावधान किया गया है कि सभी शिक्षा संस्थाओं की लेखापरीक्षा समान मानकों से की जाएगी और एक 'लाभ के लिए नहीं' सत्त्व के रूप में प्रकटीकरण किया जाएगा और अधिशेष, यदि कोई हो, तो उसका शैक्षिक क्षेत्र में फिर से निवेश किया जाएगा। यह भी उल्लेख किया गया है³³ कि वर्तमान नियामक व्यवस्था,

³⁰ 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का पैरा 6.20

³¹ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी

³² राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' का पैरा 18.12

³³ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' का पैरा 8.3

व्यावसायीकरण और कई 'लाभकारी' निजी स्कूलों के द्वारा बच्चों के अभिभावकों के आर्थिक शोषण को रोकने में सक्षम नहीं हैं।

धारा 2(15) के तहत परिभाषित शिक्षा और दान के अन्य अवयवों, दोनों उद्देश्यों वाले निजी शैक्षिक संस्था, धारा 12ए के तहत पंजीकरण प्राप्त करने के बाद धारा 11 के तहत छूट का दावा कर सकते हैं। कम आय (जहां वार्षिक आय एक करोड़³⁴ से अधिक नहीं है) वाली निजी शैक्षिक संस्था 'केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मौजूद हैं और लाभ के प्रयोजनों के लिए नहीं' धारा 10(23सी)(iiiएडी) के तहत छूट का दावा कर सकते हैं। निजी संस्था, जिनकी कोई आय सीमा नहीं है, जो 'केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मौजूद हैं, न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए' वे धारा 10(23सी)(vi) के तहत छूट का दावा कर सकते हैं बशर्ते कि प्र. सीआईटी/सीआईटी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया गया हो।

धारा 10 और 11 के प्रावधानों के विश्लेषण से पता चलता है कि धारा 10(23सी) और 11 के तहत छूट का दावा करने के लिए संस्थाओं के लिए शर्तें और आवश्यकताएं लगभग एक समान हैं, लेकिन धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली शैक्षिक संस्थाएं केवल 'धर्मार्थ उद्देश्य' के लिए होनी चाहिए जैसा कि धारा 2(15) के तहत परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 10(23सी) के तहत छूट का दावा करने वाली शैक्षिक संस्थाएं 'केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए होनी चाहिए न कि लाभ के उद्देश्यों के लिए'। उच्चतम न्यायालय ने पी.ए. इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य [2005] के मामले में शुल्क संरचना और निजी शैक्षिक गतिविधियों के अन्य मुद्दों पर निर्णय लेते हुए संस्थाओं को उचित अधिशेष का प्रावधान करने की सलाह दी थी जो आमतौर पर प्रणाली के विस्तार और शिक्षा के विकास में उपयोग के लिए छः प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक होना चाहिए। संस्थाओं को यह भी सलाह दी गई थी कि वे मुनाफाखोरी और कैपिटेशन फीस स्वीकार करने से बचें।

इसके अलावा, सीबीडीटी ने दिनांक 17.08.2015 के परिपत्र संख्या 14 के माध्यम से धारा 10(23सी)(vi) के अंतर्गत आने वाले शैक्षिक न्यासों के सम्बंध में 'लाभ के लिए नहीं' मुद्दे को स्पष्ट किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि -

(क) वर्ष-दर-वर्ष अधिशेष का सृजन केवल इस आधार पर धारा 10(23सी)(vi) के तहत आवेदन की अस्वीकृति के लिए एक आधार नहीं हो सकता है कि यह लाभ कमाने की प्रकृति की गतिविधि के बराबर है, यदि इस तरह के अधिशेष

³⁴ ₹ पाँच करोड़, जैसाकि वित्त अधिनियम 2021 द्वारा संशोधित किया गया है।

का उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अधिशेष का उपयोग 'पूरी तरह से और विशेष रूप से उस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए यह स्थापित किया गया है'।

(ख) आवेदन शुल्क, परीक्षा शुल्क, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शुल्क, पुस्तकालय के लिए सदस्यता आदि के माध्यम से छात्रों से न्यून शुल्क के संग्रहण को लाभ कमाने की गतिविधि के रूप में नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इन्हें राज्य या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं होना चाहिए और संस्थाओं को किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैपिटेशन फीस लेने से रोक दिया जाता है।

धारा 11 और धारा 10(23सी)(vi) के प्रावधानों के तुलनात्मक अध्ययन से, लेखापरीक्षा ने पाया कि धारा 10(23सी)(vi) के तहत कवर किए गए निजी शैक्षिक संस्थाओं के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध मौजूद हैं, ऐसे प्रतिबंध नीचे तालिका 5.2 में दिए गए हैं:

तालिका 5.2: धारा 10(23सी)(vi) के तहत कवर किए गए शैक्षिक न्यासों/संस्थाओं पर लगाया गया प्रतिबंध			
क्रम संख्या	अंतर बिंदु	धारा 11 के तहत शैक्षिक न्यास	धारा 10(23सी)(vi) के तहत शैक्षिक न्यास
1	गतिविधि	शैक्षिक गतिविधि के अलावा, सत्त्व, अधिनियम की धारा 2 (15) के अनुसार किसी भी धर्मार्थ गतिविधि में स्वयं को संलग्न कर सकती है	सत्त्व शिक्षा के अलावा किसी अन्य गतिविधि को शामिल नहीं कर सकती है। संस्थाओं को शैक्षिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए एकमात्रता/विशिष्टता की शर्त लागू की गई थी।
2	'लाभ के लिए नहीं' उद्देश्य	धारा 11 के तहत ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई थी।	'लाभ के लिए नहीं' शर्त लगाई गई थी।
3	आय का माना गया अनुप्रयोग ³⁵	माने गए अनुप्रयोग आवेदन की अवधारणा, धारा 11 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार उपलब्ध है	माने गए अनुप्रयोग का कोई लाभ उपलब्ध नहीं है। यह शिक्षा प्रयोजनों के लिए चालू वर्ष के संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए था।
4	पूँजीगत लाभ	पूँजीगत लाभ पर छूट उपलब्ध है यदि निवल प्रतिफल किसी अन्य पूँजीगत परिसंपत्ति में पुनर्निवेश किया जाता है	पुनर्निवेश पर ऐसी कोई छूट उपलब्ध नहीं है। यह शिक्षा के लिए संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए था

³⁵ माने गए अनुप्रयोग- यदि पिछले वर्ष में न्यास इस तथ्य के कारण अपनी आय का 85 प्रतिशत उपयोग करने में सक्षम नहीं है कि ऐसी आय प्राप्त नहीं हुई है या किसी अन्य कारण से, तो संगठन के पास प्राप्त के वर्ष में या प्राप्त के वर्ष के तुरंत बाद वाले वर्ष में आय का अनुप्रयोग करने का विकल्प है।

तालिका 5.2: धारा 10(23सी)(vi) के तहत कवर किए गए शैक्षिक न्यासों/संस्थाओं पर लगाया गया प्रतिबंध			
क्रम संख्या	अंतर बिंदु	धारा 11 के तहत शैक्षिक न्यास	धारा 10(23सी)(vi) के तहत शैक्षिक न्यास
5	कॉर्पस दान	कॉर्पस दान आय का हिस्सा नहीं है और इस प्रकार अनुप्रयोग के दायरे से छूट दी गई है.	1.4.2020 से पहले कॉर्पस दान पर ऐसी कोई छूट उपलब्ध नहीं है ³⁶ । यह शिक्षा के लिए संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए और यह भी सुनिश्चित करने के लिए था कि कॉर्पस निधि बनाने के लिए छात्रों पर कैपिटेशन फीस को प्रभारित नहीं किया गया था।
6	संचय का उपयोग	संचय का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है अर्थात् शैक्षिक गतिविधि के साथ-साथ अन्य गतिविधियों के लिए भी, जैसा कि न्यासों/संस्थाओं के ज्ञापन/उप-कानून में उल्लेख किया गया है।	ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। न्यासों/संस्थाओं को इसे केवल शैक्षिक गतिविधि के लिए लागू करना होगा
7	अव्ययित संचय	अव्ययित संचय, संचय के छठे वर्ष में कर योग्य है।	छूट समाप्त हो जाती है यदि पाँच वर्षों की अधिकतम अवधि के भीतर अव्ययित संचय का उपयोग नहीं किया जाता है।

इस प्रकार, उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि छात्रों के हितों की सुरक्षा और लाभ उद्देश्य पर अंकुश लगाने के इरादे से धारा 10(23सी)(vi) के तहत शामिल किए गए निजी शैक्षिक संस्थाओं के लिए कुछ विशिष्ट प्रतिबंध मौजूद हैं। लेकिन धारा 12ए के तहत पंजीकृत और धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाले शैक्षिक न्यासों/संस्थाओं को ऐसे प्रतिबंधों द्वारा कवर नहीं किया जाता है।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया है कि शैक्षिक न्यासों/संस्थाओं के लिए धारा 12ए के तहत पंजीकृत होने और धारा 11 के तहत छूट का दावा करने के लिए अधिनियम में कोई प्रतिबंध नहीं है, यदि सत्त्व के पास धारा 2(15) के तहत परिभाषित दान के अन्य अवयवों और शिक्षा, दोनों उद्देश्य हैं। परिणामस्वरूप, अधिकांश निजी शैक्षिक न्यासों/संस्थाएं धारा 12ए के तहत स्वयं को पंजीकृत करती हैं (जैसा कि नीचे तालिका 5.3 में दिखाया गया है)।

³⁶ वित्त अधिनियम, 2020 ने हालांकि स्पष्ट किया कि कॉर्पस दान को भी धारा 10(23सी) (iv) से (vi) के तहत कराधान से भी छूट दी गई है।

चूंकि अधिनियम में ऐसी कोई शर्त नहीं है जिसके लिए गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में एक निश्चित मात्रा में कार्य करने की आवश्यकता होती है, इसलिए पंजीकरण अधिकारियों को पंजीकरण के लिए ऐसे आवेदन की स्वीकृति देनी होती है।

उच्च मूल्य (₹ 50 करोड़ या उससे अधिक की सकल आय वाले) वाले निजी शैक्षिक न्यासों/संस्थाओं, जिन्होंने धारा 11 और 10(23सी)(vi) के तहत छूट का दावा किया था, की संख्या का पता लगाने की दृष्टि से लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षित मामलों के संबंध में उपलब्ध डेटा को एकत्र किया और विश्लेषण किया; और विवरण को नीचे तालिका 5.3 में संक्षेप में दिया गया है:

तालिका 5.3: धारा 11 और 10(23सी)(vi) के तहत उच्च मूल्य वाले निजी शैक्षिक न्यासों/संस्थाओं को दी गई छूट				
उच्च मूल्य वाले निजी शैक्षिक न्यास/संस्थान ने छूट का दावा किया	कुल मामले		दी गई छूट	
	संख्या	कुल मामलों का प्रतिशत	राशि (₹ करोड़ में)	कुल छूट का प्रतिशत
धारा 11	153	78.46	15,944.64	70.89
धारा 10(23सी)(vi)	42	21.54	6,547.42	29.11
कुल	195	100.00	22,492.06	100.00

उपरोक्त तालिका 5.3 से यह देखा जा सकता है कि 195 उच्च मूल्य वाले निजी शैक्षिक न्यासों/संस्थाओं में से 153 मामलों (78.46 प्रतिशत) में धारा 11 के तहत छूट का दावा किया है और शेष 42 मामलों (21.54 प्रतिशत) में धारा 10(23सी)(vi) के तहत छूट का दावा किया है। इसके अतिरिक्त, ₹ 22,492.06 करोड़ की कुल दी गई छूट में से ₹ 15,944.64 करोड़ (70.89 प्रतिशत) की राशि धारा 11 के अंतर्गत दावा की गई छूट से संबंधित थी और शेष ₹ 6,547.42 करोड़ (29.11 प्रतिशत) की राशि धारा 10(23सी)(vi) के तहत दावा की गई छूट से संबंधित थी।

लेखापरीक्षा ने निजी शैक्षिक न्यासों/संस्थाओं से संबंधित सकल आय के संदर्भ में शीर्ष 10 निर्धारण मामलों का भी विश्लेषण किया, जिन्होंने धारा 11 के तहत छूट का दावा किया था। विवरण, नीचे तालिका 5.4 में दिया गया है:

तालिका 5.4: सकल आय के संदर्भ में शीर्ष 10 निजी शैक्षिक न्यासों/संस्थाओं को दी गई छूट की तुलना में सकल आय जिन्होंने धारा 11 के तहत छूट का दावा किया था				
क्र.सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	सकल आय (₹ करोड़ में)	धारा 11 के तहत दी गई छूट (₹ करोड़ में)
1	के ₁ इन्स्टीट्यूट	2016-17	698.40	698.40
2	एस ₁₀ ट्रस्ट	2015-16	684.79	684.79
3	एन ₈ ट्रस्ट	2016-17	626.22	626.22
4	एस ₉ कमिटी	2015-16	604.41	604.41
5	एस ₉ कमिटी	2016-17	451.79	451.79
6	वी ₁ फाउंडेशन	2016-17	332.08	332.08
7	वी ₁ फाउंडेशन	2014-15	286.23	286.23
8	टी ₄ इन्स्टीट्यूट	2016-17	270.79	270.79
9	वी ₂ संघ	2015-16	258.80	242.01
10	एच ₁ फाउंडेशन	2016-17	249.90	233.75
कुल			4,463.41	4,430.47

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹ 4,463.41 करोड़ की कुल सकल आय में से धारा 11 के अंतर्गत शीर्ष 10 मामलों को दी गई कुल छूट ₹ 4,430.47 करोड़ की राशि सात निजी शैक्षिक न्यासों/संस्थाओं से संबंधित थी। इसके अलावा, सकल आय के साथ-साथ प्रदान की गई छूट के संदर्भ में, के₁ इन्स्टीट्यूट (संदर्भ पैरा 6.10.3) उच्चतम था और दो निर्धारिती नामतः एस₉ समिति (संदर्भ पैरा 6.10.2) और वी₁ फाउंडेशन, दो निर्धारण वर्षों के लिए सकल आय के मामले में शीर्ष मामलों की सूची में थे।

चूंकि धारा 10(23सी)(vi) में यथा निर्धारित अधिनियम की धारा 11 के तहत लाभ उद्देश्य के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए अधिकांश निजी शैक्षिक न्यासों/संस्थाएं धारा 11 के तहत छूट का दावा कर रही हैं। इसके अलावा, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के अनुसार, सभी शैक्षिक संस्थाओं को 'लाभ के लिए नहीं' होना चाहिए। तथापि, आयकर अधिनियम के प्रावधान, शैक्षिक क्षेत्र में नीति निर्माताओं की मंशा के पूरी तरह से अनुरूप नहीं हैं। लेखापरीक्षा में कहा गया है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक साझा रणनीति पर पहुंचने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि सभी को सस्ती गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के घोषित उद्देश्य को पूरा किया जाए।

मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित था (फरवरी 2022)।

5.1.2 न्यासों/संस्थाओं से संबंधित कतिपय प्रावधानों की अपर्याप्तता और अप्रभावकारिता

सीबीडीटी द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों और निर्देशों के साथ पठित अधिनियम में व्यय की स्वीकार्यता, निर्धारिती द्वारा पालन की जाने वाली कटौती की शर्तों का प्रावधान था। निर्धारण अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे निर्धारण कार्यवाही के दौरान इसके अनुपालन का सत्यापन करेंगे। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा में अधिनियम में कतिपय प्रावधानों की अनुपस्थिति/अपर्याप्तता का पता चला जिसने न्यासों/संस्थाओं को अनुचित लाभ लेने की स्वीकृति दी और निर्धारण की गुणवत्ता को भी प्रभावित किया। कमियों/खामियों से संबंधित मामलों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

5.1.2.1 संबंधित पार्टी के साथ संव्यवहार के मूल्यांकन पहलुओं की जांच करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया/निर्देशों/दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति

अधिनियम की धारा 13(1)(सी) यह निर्दिष्ट करती है कि यदि किसी न्यास या संस्था की आय या संपत्ति को धारा 13(3) में निर्दिष्ट संबंधित व्यक्ति(ओं) के लाभ के लिए अनुप्रयोग/उपयोग किया जाता है, जो संस्थापक, ट्रस्टी, प्रबंधक, मुख्य पदाधिकारी, प्रमुख दानदाता, संस्थापकों के रिश्तेदार या ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके संगठन में पर्याप्त हित है, तो धारा 11 के तहत छूट का लाभ ऐसे न्यासों/संस्थाओं को उपलब्ध नहीं होगा। धारा 13(2) निम्नलिखित लाभों को निर्दिष्ट करती है जिसके परिणामस्वरूप धारा 13(1)(सी) लागू होगी, यदि संबंधित व्यक्ति(ओं) को उपलब्ध कराया जाता है:

(क) यदि आय/संपत्ति का कोई भी भाग पर्याप्त प्रतिभूति के बिना उधार दिया जाता है;

(ख) यदि कोई भूमि/भवन या अन्य संपत्ति पर्याप्त किराया या अन्य मुआवज़ा लिए बिना उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाती है;

(ग) यदि ऐसे न्यासों/संस्थाओं को संबंधित पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए न्यासों/संस्थाओं के संसाधनों में से वेतन/भत्ते के माध्यम से या अन्यथा किसी राशि का भुगतान किया जाता है और इस प्रकार भुगतान की गई राशि ऐसी सेवाओं के लिए यथोचित रूप से भुगतान की जा सकने वाली राशि से अधिक है;

(घ) यदि न्यासों/संस्थाओं की सेवाएं पर्याप्त पारिश्रमिक अथवा अन्य मुआवज़े के बिना उपलब्ध कराई जाती हैं;

(ड) प्रतिफल के लिए शेयर/प्रतिभूति या अन्य संपत्ति की खरीद जो पर्याप्त से अधिक हो;

(च) प्रतिफल के लिए शेयर/प्रतिभूति या अन्य संपत्ति की बिक्री जो पर्याप्त से कम हो;

यद्यपि उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप न्यासों/संस्थाओं की छूट ज़ब्त हो जाएगी, तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि संबंधित पार्टियों के साथ संव्यवहार के मामले में धारा 13(2) में संदर्भित 'पर्याप्त' और 'उचित' शब्दों के मूल्यांकन पहलू का निर्धारण/जांच करने के उद्देश्य से कोई मानक प्रचालन प्रक्रिया/अनुदेश/दिशा-निर्देश मौजूद नहीं थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फर्म के भागीदारों (जो बदले में, संबंधित पार्टी हैं) को दिए गए वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, ब्याज और लाभ के हिस्से का भुगतान भागीदारी फर्मों के मामले में अधिनियम के धारा 40(बी) के साथ-साथ 184(1)(i) के प्रावधान के अनुसार साझेदारी विलेख द्वारा कवर किया जाता है; तथापि, ये प्रावधान न्यासों/संस्थाओं पर लागू नहीं होते हैं। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि रिश्तेदारों के साथ-साथ सहयोगियों को किए गए भुगतान के संबंध में अधिनियम की धारा 40ए(2) का प्रावधान और अधिनियम की धारा 92बीए के तहत अंतरण कीमत³⁷ प्रावधान जिसमें आर्म्स लेंथ प्राइस (एएलपी)³⁸ को भारत के भीतर संबंधित पार्टियों के साथ संव्यवहार के उचित बाजार मूल्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया जाता है, जिसे 'निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार' (एसडीटी) के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो न्यासों/संस्थाओं पर भी लागू नहीं होते हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने न्यासों/संस्थाओं पर लागू आयकर रिटर्न फॉर्म आईटीआर-7 की जांच की और पाया कि धर्मार्थ न्यास/संस्था धारा 92ई³⁹ के तहत लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और यदि सत्त्व ने किसी 'निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार' (एसडीटी) में प्रवेश किया है तो उन्हें फॉर्म-3सीईबी⁴⁰, में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

³⁷ अंतरण कीमत को उस मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो संबंधित पार्टियों के बीच हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं से जुड़ा होता है।

³⁸ 'आर्म्स लेंथ प्राइस' से वह कीमत अभिप्रेत है जो अनियंत्रित दशाओं में सहयुक्त उद्यमों से भिन्न व्यक्तियों के बीच किसी संव्यवहार में लागू की जाती है या लागू किए जाने के लिए प्रस्थापित की जाती है।

³⁹ अधिनियम की धारा 92ई में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने पिछले वर्ष के दौरान एक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार में प्रवेश किया है, तो वह एक लेखाकार से एक रिपोर्ट प्राप्त करेगा और निर्धारित तिथि पर या उससे पहले निर्धारित फॉर्म में ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिस पर ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं और निर्धारित तरीके से सत्यापित किया गया है और ऐसे विवरणों को दर्शाया जा सकता है जैसाकि निर्धारित किया जाए।

⁴⁰ फॉर्म 3सीईबी एक लेखाकार से प्राप्त एक रिपोर्ट है जिसे अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार (संव्यवहारों) और निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार (संव्यवहारों) से संबंधित धारा 92 ई के तहत प्रस्तुत किया जाना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संबंधित पार्टियों के साथ संव्यवहारों के मूल्यांकन पहलुओं के निर्धारण/जांच के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया/अनुदेशों/दिशानिर्देशों के अभाव में, निर्धारण अधिकारियों के पास संबंधित पार्टियों के साथ किए गए संव्यवहारों की 'पर्याप्तता' और 'युक्तिसंगतता' का निर्धारण करने के लिए कोई प्रणालीगत तंत्र उपलब्ध नहीं है, जैसा कि धारा 13(2) में उल्लेख किया गया है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कुछ मामलों में, हालांकि निर्धारिती ने धारा 13(3)⁴¹ में निर्दिष्ट व्यक्ति के लाभ के लिए अपनी आय या संपत्ति का उपयोग किया था, लेकिन निर्धारण अधिकारियों ने संबंधित व्यक्तियों के लाभ के लिए उपयोग की जाने वाली आय या संपत्ति की ऐसी राशि पर कर नहीं लगाया था। न्यासों/संस्थाओं की आय और संपत्तियों को संबंधित पार्टियों को दिए जाने से संबंधित मुद्दों को अध्याय 6 के पैरा 6.4 में उजागर किया गया है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.1.2.2 चालू वर्ष की आय के साथ पिछले वर्ष के घाटे के समंजन को अनुमति न देने का प्रावधान

अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए धारित संपत्ति से प्राप्त आय पर अतिरिक्त व्यय बाद के निर्धारण वर्ष तक अग्रणीत करने की अनुमति न दी जाए। तथापि मंत्रालय ने 01.04.2022 से वित्त अधिनियम 2021 के माध्यम से धारा 11(1) में स्पष्टीकरण 5 अंतर्विष्ट कर इस मुद्दे का समाधान किया है।

लेखापरीक्षा में नि.व. 2016-17 से संबंधित पांच मामलों⁴² का पता चला, जिसमें ₹ 3.77 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है, जहां न्यासों/संस्थाओं को चालू वित्त वर्ष की आय के साथ पिछले वित्त वर्ष के घाटे के समंजन की अनुमति दी गई थी। दो निर्देशी मामले नीचे दिए गए हैं:

- (i) सीआईटी (ई) कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, शैक्षिक गतिविधि में लगे एक निजी न्यास ने नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय की रिटर्न फाइल की। इस मामले को पीए नमूने में 'उच्च मूल्य' मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 52.36 करोड़ थी। संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में ₹ 'शून्य' की आय पर पूरा किया गया

⁴¹ धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्ति, न्यासकर्ता या संस्था के संस्थापक हैं; कोई भी व्यक्ति जिसने ₹ 50,000 से अधिक की राशि के न्यास या संस्था में पर्याप्त अंशदान दिया है; जहां ऐसे कर्ता, संस्थापक या व्यक्ति एक एचयूएफ हैं; न्यास या प्रबंधक का कोई न्यासी; ऐसे किसी भी कर्ता, संस्थापक, पर्याप्त अंशदानकर्ता, सदस्य, न्यासी या प्रबंधक के किसी भी रिश्तेदार।

⁴² महाराष्ट्र-3, राजस्थान-1 और पश्चिम बंगाल-1

था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि न्यास को नि.व. 2016-17 के लिए संवीक्षा निर्धारण के दौरान नि.व. 2014-15 के दौरान 'आय के अनुप्रयोग' के रूप में किए गए ₹ 7.28 करोड़ के 'आय के अतिरिक्त अनुप्रयोग' की अनुमति दी गई थी। पिछले वर्ष में 'धन के अतिरिक्त अनुप्रयोग' के इस तरह के अग्रनयन के परिणामस्वरूप नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' की निर्धारित आय हुई। अधिनियम में किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, निर्धारिती को 'आय के अतिरिक्त अनुप्रयोग' के अग्रनयन की अनुमति देना अनियमित था जिसमें ₹ 2.17 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। डीसीआईटी(ई), सर्किल-1(1), कोलकाता ने मार्च 2021 में निर्धारिती को धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके कार्रवाई शुरू की थी। की गई कार्रवाई के आगे का विवरण प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

- (ii) सीआईटी(ई), मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, शैक्षिक गतिविधियों में लगे एक निजी न्यास ने नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में पूरा किया गया था, जिसमें ₹ 3.32 करोड़ की हानि का निर्धारण किया गया था। अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों ने न्यास की संपत्ति से प्राप्त आय के संबंध में छूट की अनुमति दी थी, जिस सीमा तक यह धर्मार्थ न्यास के उद्देश्यों पर लागू होता है और धारा 11 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो हानियों के अग्रनयन का प्रावधान करता है। इस प्रकार, ₹ 3.32 करोड़ की सीमा तक की हानि का निर्धारण उचित नहीं था। इस गलती के परिणामस्वरूप हानि का अनियमित निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 1.13 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था।

लेखापरीक्षा में पाया गया है कि निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 139(1) के तहत आय रिटर्न फाइल करने की नियत तिथि के बाद आय की रिटर्न फाइल की थी। इसलिए, अधिनियम की धारा 80 के प्रावधानों के मद्देनजर निर्धारित हानि स्वतः ही व्यवस्थित नहीं थी।

इस प्रकार, अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं होने के बावजूद, निर्धारण अधिकारी चालू वर्ष की आय के साथ पिछले वर्ष के घाटे के संमजन की अनुमति दे रहे थे जो अनियमित था।

चालू वर्ष की आय के साथ पिछले वर्ष के घाटे के संमजन की अनुमति न देने वाले प्रावधान की अनुपस्थिति के मुद्दे को सीएजी की वर्ष 2013 की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 20 में भी इंगित किया गया था। इसके उत्तर में,

मंत्रालय ने पीएसी को यह प्रस्तुत⁴³ किया था कि कानून के प्रावधान धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आय के उपयोग पर आधारित हैं। इसलिए, घाटे के संव्यहार के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी, स्पष्टता के अभाव में, चालू वर्ष की आय के साथ पिछले वर्ष के घाटे के संमजन की अनुमति दे रहे थे।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.1.2.3 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए खर्च की गई राशि के लिए कॉर्पोरेट्स को धारा 80जी के तहत कटौती के प्रावधानों में स्पष्टता का अभाव

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135⁴⁴ के तहत, कुछ निर्दिष्ट कंपनियों को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी से संबंधित गतिविधियों पर तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। यह प्रावधान सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में सरकार के बोझ को साझा करने के लिए लाया गया है। खर्चों को आय के अनुप्रयोग के रूप में माना जाता है जो निर्धारिती की कर योग्य आय की गणना के लिए कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा कर व्यय⁴⁵ के माध्यम से ऐसे खर्चों के लगभग एक-तिहाई को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए, धारा⁴⁶ 37 के तहत इस तरह के खर्चों को अस्वीकार करने के लिए तदनुरूपी प्रावधान 1 अप्रैल 2015 से लागू⁴⁷ थे, लेकिन धारा 80जी के तहत ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने 12 जनवरी, 2016 के सामान्य परिपत्र संख्या 01/2016 के माध्यम से इस प्रश्न कि "सीएसआर के तहत क्या कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है?", को स्पष्ट किया है, कि "सीएसआर व्यय के लिए कोई विशिष्ट कर छूट नहीं दी गई है। वित्त

⁴³ जुलाई 2018 की 104वीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) का पैरा 33

⁴⁴ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में प्रावधान है कि कुछ निर्दिष्ट कंपनियों प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्च करेंगी जो कंपनी के तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत होगा या जहां कंपनी ने अपने निगमन के बाद से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि पूरी नहीं की है, ऐसे तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान, अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च करेगी। इसके अलावा, यदि कोई कंपनी, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के प्रावधानों का पालन करने में चूक करती है, तो कंपनी शास्त्र के लिए उत्तरदायी होगी।

⁴⁵ सीबीडीटी द्वारा 21 जनवरी 2015 को जारी 2015 के परिपत्र 1 का पैरा 13

⁴⁶ धारा 37(1) के स्पष्टीकरण 2 में प्रावधान है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित गतिविधियों पर एक निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी व्यय को कारोबार या पेशे के उद्देश्यों के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के रूप में नहीं माना जाएगा।

⁴⁷ नि.व. 2015-16 से लागू वित्त अधिनियम 2014 द्वारा समाविष्ट धारा 37(1) का स्पष्टीकरण 2

अधिनियम, 2014 यह भी स्पष्ट करता है कि सीएसआर पर व्यय, कारोबार व्यय का हिस्सा नहीं है। हालांकि, कई गतिविधियों पर व्यय करते हुए सीएसआर पर किए गए व्यय के लिए कोई विशिष्ट कर छूट नहीं दी गई है, जैसे कि प्रधान मंत्री राहत कोष, वैज्ञानिक अनुसंधान, ग्रामीण विकास परियोजनाएं, कौशल विकास परियोजनाएं, कृषि विस्तार परियोजनाएं आदि, जो कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII⁴⁸ में जगह पाते हैं, उन्हें पहले से ही आयकर अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं के तहत छूट प्राप्त हैं।

इस प्रकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया यह स्पष्टीकरण इस विचार का समर्थन करता है कि धारा 80जी के तहत कटौती ऐसे अंशदानों पर स्वीकार्य है और धारा 80जी के तहत कटौती को सांविधिक दायित्व के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तुलनात्मक अध्ययन से, लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी अधिनियम के तहत सीएसआर व्यय निर्दिष्ट कंपनियों के लिए अनिवार्य है; आयकर अधिनियम के तहत कंपनियों के सीएसआर व्यय के रूप में दर्शाए गए दान सहित न्यासों/संस्थाओं को दान/अंशदान स्वैच्छिक होता है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सीएसआर पर किया गया व्यय आयकर अधिनियम की धारा 37 के तहत स्वीकार्य व्यय नहीं है, जबकि धारा 80जी में, दो उद्धरणों अर्थात् स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा कोष के लिए अंशदान का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जहां सीएसआर व्यय धारा 80जी के तहत कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि के अलावा, अधिनियम में न्यासों, विशेषकर इन-हाउस ट्रस्टों, निधियों, फाउंडेशन आदि को सीएसआर व्यय में से अंशदान/दान के बारे में उल्लेख नहीं है। लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण देखे गए जहां कॉर्पोरेट सत्त्वों ने अपने इन-हाउस फाउंडेशनों/ट्रस्टों के माध्यम से अपनी सीएसआर गतिविधियों का एक बड़ा भाग किया और धारा 80जी के तहत कटौती के लाभ का दावा किया। चूंकि सीएसआर गतिविधियों के लिए व्यय अधिनियम की धारा 37 के तहत कर कटौती योग्य नहीं है, इसलिए इन-हाउस फाउंडेशन/ट्रस्टों का उपयोग 80जी कटौती का दावा करने के लिए एक तंत्र के रूप में किया गया जिसमें महत्वपूर्ण राजस्व निहितार्थ था।

⁴⁸ कंपनी अधिनियम की अनुसूची vii उन गतिविधियों को निर्दिष्ट करती है जिन्हें कंपनियों द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीतियों में शामिल किया जा सकता है

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभिन्न अपीलीय स्तरों पर यथा गोल्डमैन सैक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में सीआईटी (अपील)/डीआरपी बेंगलुरु, आईटीएटी बेंगलुरु⁴⁹ ने सीएसआर निधियों में से दान पर धारा 80जी के तहत कटौती की अनुमति देने के संबंध में अलग-अलग रुख अपनाए हैं।

महाराष्ट्र में, लेखापरीक्षा ने आठ निर्धारण मामलों में पाया कि चार न्यासों/संस्थाओं को अपने कॉरपोरेटों की ओर से सीएसआर व्यय करने के लिए ₹ 1653.70 करोड़ का दान प्राप्त हुआ और धारा 80जी के तहत प्रमाण पत्र जारी किए ताकि वे कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती का दावा कर सकें। कर योग्य आय की गणना के लिए धारा 80जी के तहत कटौती की अनुमति का राजस्व प्रभाव ₹ 284.06 करोड़ था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि महाराष्ट्र में, अन्य 10 मामलों में, निर्धारितियों ने ₹ 64.09 करोड़ का खर्च किया था और धारा 80जी के तहत ₹ 32.02 करोड़ की कटौती का दावा किया था, जिसे आयकर विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। तीन निदर्शी मामलों को नीचे दिया गया है:

- (i) सीआईटी(ई) मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, कई धर्मार्थ गतिविधियों में लगे एक निजी न्यास ने नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। वर्ष के दौरान न्यास की प्राप्ति ₹ 611.70 करोड़ थी। संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में ₹ 'शून्य' की आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती न्यास को वर्ष के दौरान ₹ 611.65 करोड़ का दान प्राप्त हुआ। इसमें 'ए' लिमिटेड से सीएसआर व्ययों के लिए प्राप्त ₹ 584.36 करोड़ का दान शामिल था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती भी धारा 80जी के तहत पंजीकृत था। इसने दानकर्ताओं को कर देयता की गणना करते समय धारा 80जी के तहत कटौती के रूप में दान का 50 प्रतिशत दावा करने के लिए पात्र बना दिया। इसका प्रभाव सरकार द्वारा कंपनी की कर देयता में बराबर सीमा तक इस तरह के व्यय को सब्सिडी देने के रूप में हुआ। इसी प्रकार, नि.व. 2015-16 में निर्धारिती को सीएसआर गतिविधियों के लिए 'ए' लिमिटेड से प्राप्त ₹ 729.17 करोड़ के दान सहित ₹ 752.91 करोड़ का दान प्राप्त हुआ। धारा 37 में लाए गए प्रावधानों के विपरीत दानकर्ता को धारा 80जी के तहत कटौती को अस्वीकार करने के लिए सक्षम प्रावधान की अनुपस्थिति का राजस्व प्रभाव दोनों नि.व. के लिए ₹ 225.49 करोड़ था।

⁴⁹ आईटी (टीपी) ए संख्या 2355/बेंग./2019 - मैसर्स गोल्डमैन सैक्स सर्विसेज बनाम जेसीआईटी

(ii) सीआईटी (ई) मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, कई धर्मार्थ गतिविधियों में लगे एक निजी न्यास ने नि.व. 2015-16 और नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। नमूनों में मामलों को 'उच्च मूल्य' मामलों के रूप में चुना गया था क्योंकि निर्धारिती की सकल प्राप्तियां नि.व. 2015-16 और नि.व. 2016-17 के लिए क्रमशः ₹ 66.08 करोड़ और ₹ 55.89 करोड़ थीं। नि.व. 2015-16 और नि.व. 2016-17 के लिए संवीक्षा निर्धारण क्रमशः दिसंबर 2017 और दिसंबर 2018 में ₹ 'शून्य' की आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती न्यास को 'बी' लिमिटेड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व शाखा के रूप में बनाया गया था और संबंधित कॉर्पोरेट समूह के प्रतिष्ठानों से सीएसआर गतिविधियों के लिए नि.व. 2015-16 और नि.व.2016-17 में क्रमशः ₹ 63.59 करोड़ और ₹ 51.38 करोड़ का दान प्राप्त हुआ था। निर्धारिती धारा 80जी के तहत पंजीकृत एक न्यास है जो दानकर्ताओं को इस तरह के दान के 50 प्रतिशत की कटौती का दावा करने में सक्षम बनाता है। धारा 37 के प्रावधानों के विपरीत, दानकर्ताओं को धारा 80जी के तहत कटौती को अस्वीकृत करने के लिए सक्षम प्रावधान की अनुपस्थिति का कुल राजस्व प्रभाव दोनों नि.व. के लिए ₹ 19.70 करोड़ था।

नि.व. 2015-16 में, डीसीआईटी(ई), सर्किल-1, मुंबई ने धारा 80जी के तहत कटौती के दावे के संबंध में जानकारी दानकर्ता कंपनियों, नामतः 'बी' लिमिटेड, 'सी' लिमिटेड, 'डी' लिमिटेड और 'ई' लिमिटेड के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारियों के साथ इस टिप्पणी के साथ साझा की, कि धारा 80जी के तहत कटौती एक स्वीकार्य कटौती नहीं थी, क्योंकि यह सीएसआर के तहत दी गई थी। हालांकि, नि.व. 2016-17 में निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

(iii) सीआईटी(ई), मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, कई धर्मार्थ गतिविधियों में लगे एक निजी न्यास ने ₹ 'शून्य' आय पर नि.व. 2016-17 के लिए आय का रिटर्न फाइल किया। न्यास की प्राप्ति वर्ष के दौरान ₹ 74.55 करोड़ थी और पीए नमूने में इसे 'उच्च मूल्य' मामले के रूप में चुना गया था। संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में पूरा किया गया था, जिसमें ₹ 'शून्य' पर आय का निर्धारण किया गया था। इसके अलावा, नि.व. 2015-16 और 2017-18 की आय का रिटर्न सितंबर 2015 में और अक्टूबर 2017 में फाइल किया गया था और इसे ₹ 'शून्य' पर रिटर्न आय को स्वीकार करते हुए संक्षिप्त रूप में संसाधित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया

गया कि निर्धारिती न्यास को संबंधित कॉर्पोरेट समूह अर्थात् 'एफ' लिमिटेड से सीएसआर गतिविधियों के लिए नि.व. 2016-17 में ₹ 73.53 करोड़, नि.व. 2015-16 में ₹ 13.87 करोड़ और नि.व. 2017-18 में ₹ 136.85 करोड़ का दान प्राप्त हुआ। नि.व. 2016-17 के रिकॉर्ड से, यह पाया गया कि निर्धारिती ने, इस दान के बदले में, दानकर्ता को उनके दान के लिए, धारा 80जी के तहत उपलब्ध कटौती का उल्लेख करते हुए रसीद प्रदान की। निर्धारिती अधिनियम की धारा 80जी के तहत पंजीकृत एक न्यास है, जो दानकर्ताओं को इस तरह के दान के पचास प्रतिशत की कटौती का दावा करने में सक्षम बनाता है। अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान के विपरीत, दानकर्ताओं को धारा 80जी के तहत कटौती को अस्वीकार करने के लिए एक सक्षम प्रावधान की अनुपस्थिति में, ₹ 38.76 करोड़ का कुल राजस्व प्रभाव पड़ा।

उत्तर में, डीसीआईटी(ई), सर्किल-1, मुंबई ने कहा कि आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित सूचना कॉर्पोरेट दानकर्ताओं के संबंधित निर्धारण अधिकारी को दे दी गई है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र प्रभार में नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने 24 निर्धारण मामलों में पाया कि निर्दिष्ट कंपनियों ने सीएसआर के तहत ₹ 329.07 करोड़ की सीमा तक व्यय किया और उन्हें धारा 80जी के तहत ₹ 142.82 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई जिसमें ₹ 49.05 करोड़ के राजस्व प्रभाव शामिल था।

आयकर विभाग⁵⁰ ने उत्तर दिया (अगस्त 2019) कि धारा 37 के प्रावधान धारा 80जी के तहत अनुमत कटौती को प्रतिबंधित नहीं करते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया है कि ऊपर दिए गए क्र. सं. (ii) पर दर्शाई गई लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में, निर्धारण अधिकारी ने दानदाता कंपनियों के निर्धारण अधिकारियों के साथ जानकारी साझा की, जिसमें कहा गया था कि धारा 80जी के तहत कटौती स्वीकार्य कटौती नहीं थी, क्योंकि यह सीएसआर के तहत दी गई थी, जबकि अन्य मामलों में निर्धारण अधिकारियों ने उत्तर दिया कि धारा 37 के प्रावधान धारा 80जी के तहत अनुमत कटौती को प्रतिबंधित नहीं करते हैं।

इस प्रकार उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि सीएसआर निधि से दान के लिए धारा 80जी के तहत कटौती की अनुमति देने पर कोई स्पष्टता नहीं है।

⁵⁰ डीसीआईटी सर्किल - 6(2)(1), डीसीआईटी सर्किल - 6(2)(2), डीसीआईटी सर्किल - 8(3)(1), डीसीआईटी (एलटीयू)-1, मुंबई, एसीआईटी सर्कल - 2, पुणे और डीसीआईटी - सर्कल - 1(2)(2)

चूंकि सीएसआर गतिविधियों की दिशा में कंपनियों द्वारा एक महत्वपूर्ण राशि⁵¹ खर्च की जाती है, इसलिए इस पर विभाग के तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.1.2.4 कॉर्पस के रूप में माना जाने वाले विशिष्ट उद्देश्य दान के उपयोग के संबंध में प्रावधान की अनुपस्थिति

धारा 11(1)(डी) के अनुसार, किसी न्यासों/संस्थाओं द्वारा प्राप्त किसी भी स्वैच्छिक अंशदान को एक विशिष्ट निदेश के साथ प्राप्त किया जाता है कि वे कॉर्पस का हिस्सा होंगे, वे न्यासों/संस्थाओं की कुल आय में शामिल नहीं किए जाएंगे। तथापि, इस अधिनियम में विशिष्ट उद्देश्य दान को आय के रूप में मानने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, यदि न्यासों/संस्थाएं बाद में इसे उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए जिसके लिए वे प्राप्त होते हैं उपयोग किए बिना अन्य संगठनों को दे देती हैं। इस तरह के प्रावधान के अभाव में, न्यास का कॉर्पस दुरुपयोग के लिए अतिसंवेदनशील है। ऐसे ही एक मामले की चर्चा की गई है।

सीआईटी(ई) कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, एक निजी न्यास जो 'चिकित्सा राहत' की गतिविधि में लगा हुआ है, ने ₹ 'शून्य' आय पर आय की रिटर्न फाइल की और संवीक्षा निर्धारण अक्टूबर 2018 में ₹ 'शून्य' आय को स्वीकार करते हुए पूरा किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती को नि.व. 2016-17 में धारा 11(1)(डी) के तहत ₹ 1.45 करोड़ की छूट की अनुमति दी गई थी। निर्धारिती ने कॉर्पस दान के लिए यह राशि प्राप्त की। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वर्ष के दौरान, ₹ 3.29 करोड़ की निर्धारिती की कॉर्पस निधि के शेष राशि में ₹ 1.76 करोड़ की कमी आई थी, जिसमें परिसंपत्तियों या निधि के अनुप्रयोग में कोई तदनुरूपी वृद्धि नहीं हुई थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में, आईटीओ वार्ड (ई)-1(4), कोलकाता ने बताया कि निर्धारिती ने विभिन्न उद्देश्यों जैसे डॉक्टरों के पारिश्रमिक, अस्पताल के रखरखाव आदि के लिए अन्य सत्त्वों को निधि दान की थी। हालांकि, लेखापरीक्षा को संबंधित दान भुगतान आदेश में इसका कोई उल्लेख नहीं मिला।

उत्तर में, आईटीओ वार्ड(ई)-1(4), कोलकाता ने कहा (अक्टूबर 2020) कि अधिनियम में कॉर्पस दान पर कर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है यदि इसका उपयोग दानकर्ता के निर्देश के अनुसार नहीं किया जाता है। तथापि, लेखापरीक्षा

⁵¹ एमसीए की 5वीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, निर्दिष्ट कंपनियों ने वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान सीएसआर व्यय के लिए क्रमशः ₹ 10,066 करोड़ और ₹ 14,503 करोड़ खर्च किए थे।

में पाया कि इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.48 करोड़ के कर प्रभाव के साथ अनियमित छूट की अनुमति दी गई।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (मार्च 2022) और सितंबर 2021 में धारा 263/143(3) के तहत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।

5.1.2.5 उधार ली गई निधि के उपयोग और पुनर्भुगतान के संबंध में प्रावधान
सीबीडीटी ने 24.1.1973 के अपने परिपत्र संख्या 100 के माध्यम से स्पष्ट किया कि न्यास के उद्देश्यों में से एक को पूरा करने के लिए मूल रूप से लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए आय के अनुप्रयोग की राशि के बराबर होगा। यह परिपत्र ऋण की स्वीकृति को आय के रूप में मानने पर मौन रहा। हालांकि, मंत्रालय ने, धारा 11(1) में स्पष्टीकरण 4(ii) जोड़कर वित्त अधिनियम 2021 के माध्यम से इस मुद्दे को संबोधित किया है जो कि 01.04.2022 से प्रभावित है।

लेखापरीक्षा ने नि.व. 2014-15 से 2016-17 से संबंधित नौ निर्धारण मामलों⁵² को पाया, जिसमें ₹ 38.68 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था, जहां निर्धारितियों को दो में से किसी एक तरीके में दोहरे लाभ की अनुमति दी गई थी - (क) आय के अनुप्रयोग के रूप में उधार ली गई निधियों से प्राप्त पूंजीगत व्यय को मानते हुए, और बाद में, उसी उधार ली गई निधियों के प्रति ऋण के पुनर्भुगतान की अनुमति देकर, अनुप्रयोग के रूप में भी या (ख) ऋण को आय/प्राप्ति के रूप में माने बिना आय के अनुप्रयोग के रूप में ऋण के पुनर्भुगतान को मानते हुए। तीन निर्दर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

(i) सीआईटी(छूट) हैदराबाद प्रभार, ओड़िशा में, शैक्षिक गतिविधियों में लगे एक निजी न्यास ने नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2017 में ₹ 'शून्य' आय का निर्धारण करते हुए पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए ₹ 119.58 करोड़ खर्च किए। लेखापरीक्षा ने बैलेंस शीट से यह भी पाया कि निर्धारिती ने भवन और उपस्कर के अधिग्रहण के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 133.77 करोड़ के बैंक ऋण प्राप्त किए। चूंकि उधार ली गई निधियों के माध्यम से अधिग्रहित की गई अचल परिसंपत्तियों की लागत धारा 11 के तहत छूट के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करती है, इसलिए इसके दावे को अस्वीकार कर

⁵² हिमाचल प्रदेश -2, महाराष्ट्र -1, ओड़िशा -3, तमिलनाडु -1 और पश्चिम बंगाल -2

दिया जाना था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 6.72 करोड़ के कर का अधिक प्रतिदाय और ब्याज हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (मार्च 2022) और जून 2021 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

- (ii) सीआईटी(ई) चंडीगढ़ प्रभार, हिमाचल प्रदेश में, शैक्षिक गतिविधियों में लगे एक निजी न्यास ने नि.व. 2014-15 और 2015-16 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। नि.व. 2014-15 के रिटर्न को मार्च 2018 में ₹ 'शून्य' आय पर परिशोधित किया गया था और नि.व. 2015-16 के लिए संवीक्षा निर्धारण नवंबर 2017 में ₹ 'शून्य' आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नि.व. 2014-15 और नि.व. 2015-16 के दौरान, निर्धारिती सोसाइटी ने ₹ 8.13 करोड़ की आय के प्रति ₹ 5.99 करोड़ का व्यय किया था। तथापि, फॉर्म 10बीबी में लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, निर्धारिती सोसाइटी ने ₹ 8.13 करोड़ के व्यय का दावा किया था, जिसमें सुरक्षित ऋणों के पुनर्भुगतान शामिल थे। सुरक्षित ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली राशि को निर्धारिती समाज के उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए अनुप्रयोग के रूप में अनुमति नहीं दी जानी थी क्योंकि निर्धारिती ने ऋण को अपनी प्राप्ति पर आय के रूप में नहीं माना था। इस प्रकार, सोसाइटी ने 85 प्रतिशत की सीमा तक अपनी आय को लागू या संचित नहीं किया था और आय के अनुप्रयोग में ₹ 0.92 करोड़ की कमी थी, जिसपर कर लगाया जाना आवश्यक था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.37 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए उसी सीमा तक आय का कम निर्धारण हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (मार्च 2022) और मार्च 2021 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की है।

- (iii) पश्चिम बंगाल में, सीआईटी(ई) कोलकाता प्रभार के तहत, शैक्षिक गतिविधियों में लगे एक निजी न्यास, ने ₹ 'शून्य' आय पर नि.व. 2014-15 के लिए आय की रिटर्न फाइल की। वर्ष के दौरान न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 167.93 करोड़ थी। रिटर्न को संक्षिप्त रूप में संसाधित किया गया था और सितंबर 2016 में धारा 154 के तहत ₹ 'शून्य' आय पर परिशोधित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 80.50 करोड़ की उधार ली गई

निधियों का उपयोग किया और इसे आय के अनुप्रयोग के रूप में दावा किया। चूंकि सीबीडीटी के दिनांक 24.01.1973 के परिपत्र के मद्देनजर ऋण के पुनर्भुगतान को आय के अनुप्रयोग के रूप में माना जाता है, इसलिए पूंजीगत व्यय को करने के लिए उधार ली गई निधि के उपयोग को आय के अनुप्रयोग के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप निर्धारिती को दोहरा लाभ होगा। इसके परिणामस्वरूप आय के अनुप्रयोग के रूप में ₹ 80.50 करोड़ के पूंजीगत व्यय की अनियमित अनुमति मिली, जिसके परिणामस्वरूप समान राशि की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसका कर प्रभाव ₹ 27.34 करोड़ था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (मार्च 2022) और मार्च 2021 में अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की है।

उधार ली गई निधि के उपयोग के संबंध में प्रावधान में स्पष्टता की अनुपस्थिति के मुद्दे को सीएजी की 2013 की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 20 में भी इंगित किया गया था, और मंत्रालय ने उत्तर⁵³ में कहा था कि मूल रूप से लिए गए ऋण को इसके प्रति अनुप्रयोग का दावा करने से पहले आय/प्राप्ति के रूप में लिया जाना चाहिए। मंत्रालय ने आगे कहा कि 24.01.1973 के परिपत्र संख्या 100 के माध्यम से बोर्ड के निर्देश ने लिए गए ऋण के संबंध में पुनर्भुगतान की स्वीकार्यता को स्पष्ट किया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुप्रयोग का दावा करने से पहले इसे प्राप्ति के रूप में दिखाया जाना था।

इस प्रकार, प्राप्ति और उधार ली गई निधि के उपयोग के व्यवहार के संबंध में अधिनियम में स्पष्टता की अनुपस्थिति के कारण, निर्धारितियों को उधार ली गई निधियों से प्राप्त पूंजीगत व्यय को आय के अनुप्रयोग के रूप और बाद में, उसी उधार ली गई निधियों के प्रति ऋण के पुनर्भुगतान को भी अनुप्रयोग के रूप में अनुमत कर दोहरे लाभ की अनुमति दी गई थी।

5.1.2.6 प्रशासनिक और अन्य व्ययों को व्यवहार में लेते समय निर्धारण में असंगतता

धारा 11(1)(ए) में प्रावधान है कि न्यास द्वारा पूरी तरह से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय को आय के रूप में इस सीमा तक नहीं माना जाएगा, कि ऐसी आय भारत में ऐसे उद्देश्यों में उपयोग होती है।

⁵³ जुलाई 2018 की 104वीं रिपोर्ट (16वीं लोक सभा) का पैरा 33

इसलिए, ऐसी आय जो धर्मार्थ प्रयोजनों में उपयोग नहीं होती है, उसे आय पर छूट प्राप्त करने के लिए घटाया जाना है।

सीआईटी(ई) कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, 'चिकित्सा राहत' की गतिविधि में लगे एक निजी न्यास ने ₹ 'शून्य' आय पर नि.व. 2016-17 के लिए आय का रिटर्न फाइल किया। इस मामले को पीए नमूने में 'शीर्ष 200' मामले के रूप में चुना गया था, क्योंकि न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 197.05 करोड़ थी। नि.व. 2016-17 के लिए संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में ₹ 'शून्य' आय पर पूरा किया गया था। इसके अलावा, नि.व. 2014-15, 2015-16 और 2017-18 के लिए आय का रिटर्न ₹ 'शून्य' आय पर फाइल किया गया था और संवीक्षा निर्धारण की क्रमशः दिसंबर 2016, दिसंबर 2017 और दिसंबर 2019 में ₹ 'शून्य' आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने नि.व. 2014-15 से नि.व. 2017-18 के लिए निर्धारण आदेशों का तुलनात्मक अध्ययन किया, और पाया कि 'प्रशासनिक और स्थापना/अन्य व्ययों' के शीर्ष के तहत एक विशेष व्यय को 'आय के अनुप्रयोग' के रूप में माना गया था, जबकि एक अन्य नि.व. में, उसी व्यय को 'आय के अनुप्रयोग' के रूप में नहीं माना गया था। लेखापरीक्षा ने इन चार नि.व. के दौरान 'प्रशासनिक और स्थापना व्यय' को आय के अनुप्रयोग के रूप में, 23 विभिन्न प्रकार के व्यय के संबंध में, प्रशासनिक और अन्य व्ययों के शीर्ष के तहत आय के अनुप्रयोग के रूप में मानने में ऐसी असंगतता को पाया। नि.व. 2015-16 के लिए निर्धारण आदेश की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि निर्धारिती ने 'प्रशासनिक और स्थापना व्यय' के इस तरह के अस्वीकृति का विरोध नहीं किया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि आय के अनुप्रयोग के लिए प्रशासनिक व्यय की अस्वीकृति का प्रतिशत नि.व. 2014-15 से नि.व. 2017-18 के लिए 100 प्रतिशत से 4.18 प्रतिशत तक व्यापक रूप से भिन्न पाया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि न तो कोई औचित्य पेश किया गया था और न ही इस तरह के विभेदक उपचार की पेशकश के लिए निर्धारण आदेश में सीबीडीटी के किसी भी निर्देश/परिपत्र को उद्धृत किया गया था।

उत्तर में, डीसीआईटी(ई), सर्किल-1, कोलकाता ने कहा (सितंबर 2020) कि उसने भी 'प्रशासनिक और स्थापना/अन्य व्ययों' के व्यवहार में इस तरह की असंगतता पायी थी जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया है। बाद में, अक्टूबर 2020 में, डीसीआईटी (ई), सर्किल-1, कोलकाता ने कहा कि अनुप्रयोग के लिए उपलब्ध निवल आय का निर्धारण करते समय, स्थापना और प्रशासनिक व्यय को निवल आय पर पहुंचने के लिए कुल आय से घटाया जाना था। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रशासनिक और स्थापना व्यय विभिन्न श्रेणियों के हो सकते हैं और जिनमें से कुछ भाग आय के सृजन के लिए सीधे

जिम्मेदार हो सकते हैं और कुछ हिस्सा धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्य के लिए हो सकता है।

इस प्रकार, आय के अनुप्रयोग का निर्धारण करने के उद्देश्य से प्रशासनिक और स्थापना व्यय शीर्ष के तहत विभिन्न व्ययों की अनुमति के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों में स्पष्टता की कमी के कारण, ऐसे व्ययों के अलग अलग व्यवहार को पाया गया था। इस प्रकार इस मुद्दे को स्पष्ट करने की आवश्यकता है ताकि निर्धारण के समय आय के अनुप्रयोग के रूप में प्रशासनिक और स्थापना व्यय के हिसाब में निरंतरता लाई जा सके।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2022) कि नि.व. 2014-15, 2015-16 और 2017-18 के लिए मार्च 2021 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। नि.व. 2016-17 के लिए, धारा 263/143(3) के तहत आदेश को मार्च 2021 में पारित किया गया है।

5.1.2.7 वर्तमान वर्षों की आय में से एक न्यास द्वारा किसी अन्य न्यास को दान को प्रतिबंधित करने के प्रावधान की अनुपस्थिति

आयकर अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों में न्यास या संस्थाओं को पूरी तरह से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए न्यास के तहत धारित संपत्ति से प्राप्त आय के संबंध में छूट का प्रावधान है। छूट प्रदान करने के लिए प्राथमिक शर्त यह है कि न्यास के तहत धारित संपत्ति से प्राप्त आय को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, और जहां ऐसी आय को पिछले वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किया जा सकता है, वहां इसे धारा में प्रदान की गई विभिन्न शर्तों के अनुसार निर्धारित तरीकों में संचय किया जाना चाहिए और ऐसे उद्देश्यों के लिए लागू किया जाना चाहिए। इस तरह के संचय को आय के अनुप्रयोग के रूप में माना जाता है। अधिनियम के प्रावधान⁵⁴, किसी अन्य न्यास या संस्था को संचित राशि के दान को प्रतिबंधित करते हैं। हालांकि, वर्तमान में, वर्तमान वर्षों की आय में से अन्य न्यासों को भुगतान के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस कारण, एक ही निधि पर कई न्यासों द्वारा 15 प्रतिशत के माने गए अनुप्रयोग का दावा किए जाने की संभावना है। निर्धारिती न्यास से दान प्राप्त करने वाला न्यास फिर से अन्य न्यासों को प्राप्त की गई ऐसी राशि को प्रेषित कर सकता है और प्रत्येक न्यास माने गए अनुप्रयोग के रूप में 15 प्रतिशत का दावा कर सकता है।

⁵⁴ धारा 11(1) के लिए स्पष्टीकरण 2 और धारा 11 की उप-धारा (2) के लिए स्पष्टीकरण

महाराष्ट्र में, लेखापरीक्षा ने चार निर्धारण मामलों में पाया कि न्यासों/संस्थाओं को ₹ 203.29 करोड़ का दान प्राप्त हुआ। इसमें से ₹ 164.81 करोड़ की राशि को माने गए अनुप्रयोग के रूप में 15 प्रतिशत की कटौती का दावा करने के बाद दान के माध्यम से किसी अन्य न्यास या संस्था को हस्तांतरित कर दिया गया था। प्राप्तकर्ता न्यासों/संस्थाओं ने भी 15 प्रतिशत के माने गए अनुप्रयोग का दावा करने के बाद इन राशियों को किसी अन्य न्यास को हस्तांतरित कर दिया। दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

- (i) सीआईटी(ई) मुंबई प्रभार में, कई धर्मार्थ गतिविधियों में लगे एक निजी न्यास ने नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। वर्ष के दौरान न्यास की प्राप्ति ₹ 74.55 करोड़ थी और इसे पीए नमूने में 'उच्च मूल्य' मामले के रूप में चुना गया था। संवीक्षा निर्धारण को दिसंबर 2018 में पूरा किया गया था, जिसमें ₹ 'शून्य' पर आय का निर्धारण किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती को ₹ 74.55 करोड़ का दान प्राप्त हुआ था और वर्ष के दौरान न्यास के उद्देश्य के लिए अनुप्रयोग के रूप में ₹ 47.43 करोड़ का दावा किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि ₹ 47.43 करोड़ की अनुप्रयोग राशि में एक अन्य न्यास को दिया गया ₹ 46.28 करोड़ का दान शामिल है। इस प्रकार, निर्धारिती न्यास वस्तुतः स्वयं कोई धर्मार्थ कार्य नहीं कर रहा था और अन्य न्यासों को दान कर रहा था। इसके अलावा, जिन अन्य न्यासों को निर्धारिती ने दान दिया था, वे भी माने गए अनुप्रयोग के रूप में 15 प्रतिशत का दावा करेंगे। इस तथ्य की जांच नमूना आधार पर की गई थी। दो न्यासों, 'जी' फाउंडेशन एवं 'एच' फाउंडेशन के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि उन्होंने नि.व. 2016-17 के लिए आय के अनुप्रयोग के रूप में कुल प्राप्तियों के 15 प्रतिशत का दावा किया था। न्यास, 'जी' फाउंडेशन ने फिर से अन्य न्यासों को ₹ 10.72 करोड़ का दान दिया। परिणामस्वरूप, प्रत्येक न्यास इस कार्य प्रणाली को अपनाकर माने गए अनुप्रयोग के रूप में 15 प्रतिशत का दावा कर रहा था और अंततः धर्मार्थ कार्य के लिए वास्तविक अनुप्रयोग के लिए अंत में बहुत कम राशि छोड़ी जा सकती थी।
- (ii) सीआईटी(ई), मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, कई धर्मार्थ गतिविधियों में लगे एक निजी न्यास ने नि.व. 2015-16 और नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। लेखापरीक्षा नमूने में मामलों को 'उच्च मूल्य' मामलों के रूप में चुना गया था क्योंकि निर्धारिती की सकल प्राप्ति नि.व. 2015-16 और नि.व. 2016-17 के

लिए क्रमशः ₹ 66.08 करोड़ और ₹ 55.89 करोड़ थी। दिसंबर 2017 में नि.व. 2015-16 के लिए और दिसंबर 2018 में नि.व. 2016-17 के लिए निर्धारण पूरा किया गया था, जिसमें ₹ 'शून्य' पर आय का निर्धारण किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती को 'बी' लिमिटेड और समूह कंपनियों से नि.व. 2015-16 में ₹ 69.18 करोड़ और नि.व. 2016-17 में ₹ 55.89 करोड़ का दान प्राप्त हुआ था और न्यास के उद्देश्य के लिए अनुप्रयोग के रूप में क्रमशः ₹ 68.86 करोड़ और ₹ 55.00 करोड़ का दावा किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि उपरोक्त राशियों में से, न्यास के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने का दावा करते हुए, निर्धारिती ने शिक्षा और अन्य धर्मार्थ कार्यों जैसे गरीबों को राहत, चिकित्सा राहत आदि की गतिविधि में लगे 15 विभिन्न न्यासों को क्रमशः ₹ 65.75 करोड़ और ₹ 51.02 करोड़ का दान/अनुदान दिया था। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि निर्धारिती न्यास अपने आप में कोई महत्वपूर्ण धर्मार्थ कार्य नहीं कर रहा था और अन्य न्यासों को दान कर रहा था। उपरोक्त के अलावा, जिन अन्य न्यासों को निर्धारिती ने दान किया था, वे भी माने गए अनुप्रयोग के रूप में 15 प्रतिशत का दावा कर सकते थे।

उत्तर में, डीसीआईटी(ई), सर्किल-1, मुंबई (मार्च 2021) ने अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए कहा कि वर्तमान वर्ष की आय में से अन्य न्यासों को भुगतान के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी न्यास को इस तरह के हस्तांतरण से रोकता हो। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि दान के लिए न्यास की आय के अनुप्रयोग के लिए छूट की अनुमति है। वास्तविक अनुप्रयोग के बिना एक न्यास से दूसरे न्यास में केवल राशि का हस्तांतरण न्यास को छूट की अनुमति देने के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है।

इस प्रकार, विशिष्ट प्रावधानों के अभाव के कारण, न्यासों/संस्थाएं वर्तमान वर्ष की आय में से 15 प्रतिशत के अनुमेय संचय का लाभ उठाकर धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से कई दानों की एक श्रृंखला बनाकर अनुचित लाभ उठा रही थीं। इसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों को लाभ न देने और केवल न्यासों/संस्थाओं के हाथों में संचय में मदद मिलती थी, जो विधायिका के प्रयोजन के अनुरूप नहीं था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.1.2.8 न्यास की लंबे समय से लंबित देयता को आय के रूप में विचार करने के लिए प्रावधानों की अनुपस्थिति

धारा 12(1) में प्रावधान है कि धारा 11 के प्रयोजनों के लिए एक धर्मार्थ न्यास (कॉर्पस दान को छोड़कर) द्वारा प्राप्त किसी भी स्वैच्छिक अंशदान को न्यास के तहत रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय माना जाएगा। यह अधिनियम किसी भी ऐसी आय को शामिल करने का प्रावधान नहीं करता है जो धर्मार्थ न्यास द्वारा ऋण की आड़ में प्राप्त की गई थी और बाद में ऋणदाताओं ने न्यास से ऋण के पुनर्भुगतान की मांग कभी नहीं की है। ऐसे मामले में भले ही न्यास इस तरह के ऋण से अंतिम लाभार्थी हो लेकिन निर्धारिती की आय में स्वैच्छिक अंशदान के रूप में ऐसे ऋण को शामिल करने के लिए सक्षम प्रावधान न होने के कारण यह आय न्यास की कुल आय के दायरे से बाहर रही। इस तरह की आय विघटन के समय निवल परिसंपत्तियों के मूल्य का निर्धारण करने में दुरुपयोग के लिए भी अतिसंवेदनशील होगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सीआईटी(ई) मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, 'गरीबों को राहत' की गतिविधि में लगे एक निजी न्यास ने ₹ 'शून्य' आय पर नि.व. 2016-17 के लिए आय का रिटर्न फाइल किया। निर्धारिती को लेखापरीक्षा नमूने में 'उच्च मूल्य' मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 101.21 करोड़ थी। संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में पूरा किया गया था, जिसमें ₹ 'शून्य' पर आय का निर्धारण किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती को मुंबई स्थित एक न्यास 'आई' से वित्त वर्ष 2010-11 से कुल ₹ 417.00 करोड़ के असुरक्षित ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो रहे थे। लेखों पर की गई टिप्पणियों में, कर लेखापरीक्षक ने एक टिप्पणी की थी कि न्यास ने नियत तिथि पर राशि का भुगतान नहीं किया था और ऋणदाता ने देय राशि की मांग नहीं की थी। इसने संकेत दिया कि 31 मार्च 2016 को प्राप्त पूरा ऋण स्पष्ट रूप से निर्धारिती की देयता नहीं था, क्योंकि यह निर्धारिती द्वारा कभी भी चुकाया नहीं गया था और न ही ऋणदाता द्वारा इसकी मांग की गई थी। इसलिए, पूरे बकाया ऋण को धारा 12(1) के तहत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में माना जाना आवश्यक था और निर्धारिती की कुल आय में शामिल किया जाना चाहिए था। हालांकि, इस अधिनियम के अंतर्गत न्यास की कुल आय में ऐसी आय को शामिल करने के लिए एक विशिष्ट सक्षम प्रावधान, जैसा कि सामान्य निर्धारिती के लिए धारा 41(1)⁵⁵ में है, के अभाव में, ₹ 327.00 करोड़

⁵⁵ धारा 41(1), किसी भी लाभ राशि पर कर लगाने के लिए प्रावधान करती है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी पूर्व निर्धारण वर्षों में किए गए किसी भी हानि, व्यय या व्यापारिक देयता के संबंध में प्राप्त की गई थी।

की आय का कम निर्धारण (चालू वर्ष में प्राप्त ₹ 90.00 करोड़ के ऋण को छोड़कर) हुआ जिसमें ₹ 113.17 करोड़ का राजस्व प्रभाव शामिल था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.1.2.9 निधि के संचय के संबंध में अधिनियम में प्रावधानों का अभाव

अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, यदि निधियों का अनुप्रयोग कुल आय के 85 प्रतिशत से कम है, तो न्यासें/संस्थाएं, छूट प्राप्त करने के उद्देश्य जिसके लिए आय संचय की जा रही है या अलग की जा रही है और संचय की अवधि को शामिल करते हुए फॉर्म 10 फाइल करने के बाद पांच वर्षों के लिए धन संचय कर सकती हैं। हालांकि, इस अधिनियम में निधियों के संचय की सीमाएं निर्धारित नहीं की गई हैं। यह न्यायिक रूप से माना गया था कि⁵⁶ धारा 11(2) के तहत 85 प्रतिशत तक की आय के अग्रनयन को नियमित आधार पर नहीं अपनाया जाना चाहिए, और यदि ऐसा किया जाता है, तो न्यास का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। वास्तव में, धारा 11(2) में 85 प्रतिशत तक अग्रनीत का प्रावधान है, जो एक अपवाद है और यदि यह वर्ष-दर-वर्ष किया जाता है, तो न्यास की गतिविधियों की वास्तविकता की जांच करने की आवश्यकता है।

यह मुद्दा कि अधिनियम निधियों के संचय की सीमा निर्धारित नहीं करता है और न्यास, बिना किसी धर्मार्थ गतिविधि के, अधिकतम निधियों को वर्ष-दर-वर्ष लगातार संचित करके छूट का लाभ उठा रहे हैं, इसे सीएजी की 2013 की पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 20 में भी इंगित किया गया था, और लोक लेखा समिति ने सिफारिश⁵⁷ की थी कि निर्धारण अधिकारी उन मामलों में न्यास की गतिविधियों का भौतिक निरीक्षण कर सकता है जहां सतत और आय के संचय में वृद्धि थी और मंत्रालय अधिनियम में एक उपयुक्त संशोधन ला सकता है या यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित कर सकता है कि प्रथम, न्यासों को केवल अपवादों के रूप में लगातार संचय की अनुमति दी जाए और दूसरी, संचित आय को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर न्यासों/संस्थाओं के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए।

लेखापरीक्षा में ₹ 23.74 करोड़ की छूट वाले छः निर्धारण मामलों⁵⁸ में यह पाया गया कि न्यास लगातार अधिकतम निधियां जमा करके छूट का लाभ उठा रहे थे। तीन निर्दर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

⁵⁶ सीआईटी बनाम श्री सीताराम अंजनेय वेद केंद्र [2008] 174 टैक्समैन 523 (केर.)

⁵⁷ 104वीं रिपोर्ट (16वीं लोक सभा)का पैरा 23

⁵⁸ दिल्ली -2, महाराष्ट्र -2 और ओडिशा -2

(i) सीआईटी(ई) पुणे प्रभार, महाराष्ट्र में, 'सामान्य जन सुविधाएं' की गतिविधि में लगे एक निजी न्यास ने नि.व. 2014-15 और नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया, जिसे ₹ 'शून्य' आय पर संक्षिप्त तरीके से संसाधित किया गया था और मार्च 2019 में दोनों नि.व. के लिए ₹ 'शून्य' पर आय का निर्धारण करते हुए आगे परिशोधन किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती की सकल आय नि.व. 2014-15 और नि.व. 2015-16 के लिए क्रमशः ₹ 1.02 करोड़ और ₹ 1.16 करोड़ थी, जिसके प्रति निर्धारिती ने अपने उद्देश्यों के लिए कोई राशि उपयोग नहीं की थी। निर्धारिती ने 15 प्रतिशत अलग करने के बाद, दोनों नि.व. में धारा 11(2) के तहत सकल प्राप्ति का लगभग 85 प्रतिशत संचित किया था।

आईटीओ(ई) वार्ड-1, पुणे ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि निर्धारिती ने नि.व. 2019-20 और 2020-21 के दौरान अर्थात् अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पांच आगामी वर्षों के भीतर नि.व. 2014-15 और 2015-16 की संचित राशि का उपयोग किया था। इसके अलावा, नि.व. 2013-14 से संबंधित ₹ 58.10 लाख की अप्रयुक्त संचित राशि के कराधान के संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई, जिस पर नि.व. 2019-20 में कर लगाने की आवश्यकता थी, को धारा 148 के तहत प्रस्तावित किया गया था।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के लिए विशिष्ट नहीं है। निर्धारण अधिकारी ने अपने उत्तर में केवल निर्धारित पांच वर्षों के भीतर संचित राशि के उपयोग का विवरण प्रदान किया, हालांकि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान नि.व. 2014-15 और नि.व. 2015-16 के लिए निर्धारिती की सकल आय में से किसी भी राशि का उपयोग नहीं करने के बारे में थी। निर्धारिती ने 15 प्रतिशत को अलग करने के बाद, सकल प्राप्ति का शेष 85 प्रतिशत अपने उद्देश्यों के लिए किसी भी उपयोग के बिना संचित कर लिया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने के बाद ही, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2019-20 में कराधान के लिए धारा 148 के तहत नि.व. 2013-14 से संबंधित ₹ 58.10 लाख की अप्रयुक्त संचित राशि के कराधान के संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव किया था। इस प्रकार, न्यासों के उद्देश्यों के लिए किसी भी उपयोग के बिना 85 प्रतिशत की अधिकतम अनुमेय सीमा तक संचय की अनुमति और निर्धारित अवधि

के भीतर इसके उपयोग की मॉनिटरिंग न करना लाभार्थियों के लिए धर्मार्थ गतिविधियों के उद्देश्य को ही विफल कर देता है।

- (ii) सीआईटी(ई) दिल्ली प्रभार, दिल्ली में, 'सामान्य जन सुविधाएं' की गतिविधि में लगे एक निजी न्यास ने ₹ 'शून्य' आय पर नि.व. 2016-17 के लिए आय का रिटर्न फाइल किया। संवीक्षा निर्धारण को दिसंबर 2018 में ₹ 'शून्य' पर रिटर्न आय को स्वीकार करके पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती की सकल आय ₹ 0.82 करोड़ थी जिसके प्रति निर्धारिती ने अपने उद्देश्यों के लिए कोई राशि उपयोग नहीं की थी। निर्धारिती ने 15 प्रतिशत अलग करने के बाद, धारा 11(2) के तहत सकल प्राप्त का शेष 85 प्रतिशत संचित किया था।
- (iii) सीआईटी (ई) दिल्ली प्रभार, दिल्ली में, शैक्षिक गतिविधियों में लगे एक निजी न्यास ने नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। संवीक्षा निर्धारण को दिसंबर 2018 में ₹ 'शून्य' पर रिटर्न आय को स्वीकार करके पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती की सकल आय ₹ 3.27 करोड़ थी (₹ 5,212 की राशि को छोड़कर जो वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं हुई थी) जिसके प्रति निर्धारिती ने अपने उद्देश्यों के लिए कोई राशि उपयोग नहीं की थी। निर्धारिती ने 15 प्रतिशत अलग करने के बाद, धारा 11(2) के तहत सकल प्राप्त का शेष 85 प्रतिशत संचित किया था।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुछ निर्धारितियों ने वर्ष के दौरान कोई धर्मार्थ गतिविधि नहीं की और अधिनियम के तहत लगातार अधिकतम अनुमेय राशि संचित करके अनुचित लाभ उठा रहे थे। इसके परिणामस्वरूप लाभार्थी को लाभ देने से इनकार कर दिया गया जो विधायिका की मंशा के विपरीत है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.1.2.10 अनाम दान का पता लगाने के लिए दानकर्ताओं की पहचान को सत्यापित करने की आवश्यकता की अनुपस्थिति

धारा 115बीबीसी(1) में कतिपय मामलों में अनाम दान के कराधान के लिए प्रावधान है। इसके अलावा, धारा 115बीबीसी(3) 'अनाम दान' को धारा 2(24) (ii) में निर्दिष्ट 'स्वैच्छिक अंशदान' के रूप में परिभाषित करती है, जहां इस तरह के अंशदान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, दानकर्ताओं की पहचान का

रिकॉर्ड नहीं रखता है जो उनके नाम, पते और 'निर्धारित अन्य रिकॉर्ड' को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा में ₹ 2.26 करोड़ के कर प्रभाव वाले छः निर्धारण मामलों⁵⁹ का पता चला जहां विभाग ने दानकर्ताओं की वास्तविकता की पुष्टि नहीं की और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनाम दान (दानों) पर कर नहीं लगाया। एक निर्देशी मामला नीचे दिया गया है:

(i) सीआईटी (ई) कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, शैक्षिक गतिविधि में लगे एक निजी न्यास ने नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय की रिटर्न फाइल की। संवीक्षा निर्धारण को दिसंबर 2018 में ₹ 0.02 करोड़ की आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि न्यास को ₹ 1.38 करोड़ का दान प्राप्त हुआ था, जिसके लिए उसने दानकर्ताओं के नाम और पते का उल्लेख नहीं किया था। इस अनाम दान को कर के दायरे में लाने में चूक के परिणामस्वरूप धारा 115बीबीसी(3) के तहत ₹ 0.63 करोड़ की राशि पर कर नहीं लगाया गया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (मार्च 2022) और मार्च 2021 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नाम और पते के अतिरिक्त, अधिनियम दानकर्ताओं की पहचान को सत्यापित करने के लिए किसी भी अन्य जानकारी जैसे पैन, अन्य दस्तावेजों आदि को निर्दिष्ट नहीं करता है, जिसे निर्धारण अधिकारियों द्वारा जांचा जा सकता है, ताकि निर्धारण के दौरान दानकर्ता की पहचान स्थापित की जा सके।

5.2 पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करने से संबंधित प्रक्रियात्मक मुद्दे

5.2.1 नवंबर 2014 में नामित सीआईटी (छूट) प्रभारों के सृजन से पहले, क्षेत्राधिकार वाले सीआईटी द्वारा पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान किया गया था और संबंधित क्षेत्राधिकार प्रभारों में रिकॉर्ड का रखरखाव किया गया था। लेखापरीक्षा ने वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए नमूना मामलों के पंजीकरण/अनुमोदन से संबंधित डेटा/रिकॉर्ड को विभाग से यह सत्यापित करने के लिए मांगा कि पंजीकरण/अनुमोदन से पहले निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा था या नहीं।

⁵⁹ महाराष्ट्र -2, पंजाब -1 और पश्चिम बंगाल -3

लेखापरीक्षा को विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए मामलों के विवरण को नीचे तालिका 5.5 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 5.5: वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए दिए गए पंजीकरण/ अनुमोदन का राज्य-वार विवरण				
क्र. सं.	राज्य का नाम	पंजीकृत किए गए मामले	प्रस्तुत किए गए मामले	ऐसे मामले जो प्रस्तुत नहीं गए
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	33	19	14
2	ओड़िशा	12	0	12
3	महाराष्ट्र	104	71	33
4	कर्नाटक और गोवा	15	8	7
5	पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र	34	4	30
6	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	28 ⁶⁰	0	28
7	बिहार	4 ⁶¹	0	4
8	झारखंड	0	0	0
9	गुजरात	12	1	11
10	राजस्थान	33	25	8
11	तमिलनाडु	40	40	0
12	केरल	20	20	0
13	पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू	36	27	9
14	दिल्ली	28	0	28
15	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	26	15	11
कुल		425	230	195

425 मामलों में से, आयकर विभाग ने 194 मामलों (45.6 प्रतिशत) से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए, जिसमें 'शीर्ष 200 निर्धारितियों' के लेखापरीक्षा नमूने से संबंधित आठ मामले शामिल थे। विभाग द्वारा पांच राज्यों⁶² में डेटा/रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए थे। ओड़िशा राज्य के संबंध में, यद्यपि मामलों के पंजीकरण/अनुमोदन से संबंधित डेटा प्रदान किए गए थे लेकिन संबंधित अभिलेखों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

दिल्ली में, सीआईटी(छूट), दिल्ली प्रभार ने उत्तर दिया कि ऐसी कोई सूची नहीं रखी गई थी। उत्तर प्रदेश में, सीआईटी(ई), लखनऊ प्रभार ने उत्तर दिया कि कोई मैनुअल रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था। कर्नाटक में, सीआईटी(ई), बेंगलुरु प्रभार ने उत्तर दिया कि वित्त वर्ष 2015-16 से पहले के पंजीकरण रिकॉर्ड को नष्ट कर

⁶⁰ प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) डेटा के अनुसार

⁶¹ प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) डेटा के अनुसार

⁶² दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड

दिया गया था। पश्चिम बंगाल में सीआईटी(ई), कोलकाता प्रभार ने कहा कि पंजीकरणों का अनुमोदन प्रदान करना लेखापरीक्षा के दायरे से बाहर था। गुजरात में, सीआईटी(ई), अहमदाबाद प्रभार ने कहा कि नए परिसर में स्थानांतरित होने और उसमें जगह की कमी के कारण, वित्त वर्ष 2016-17 से संबंधित मांगे गए फ़ोल्डर का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि वे बहुत पुराने थे।

इस प्रकार, जहां कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए थे या बहुत कम रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए थे, वहां लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि क्या सभी शर्तों अर्थात् आवेदन फाइल करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया; आवेदनों के निपटान में लगने वाला समय; क्या न्यासों/संस्थाओं के अस्तित्व और उनकी गतिविधियों की वास्तविकता के संबंध में उचित जांच की गई थी या क्या निर्धारितियों को उन मामलों में अवसर दिया गया था जहां पंजीकरण/अनुमोदन से इनकार कर दिया गया था; का न्यासों/संस्थाओं के पंजीकरण/अनुमोदन के संबंध में अनुपालन किया गया था।

230 मामलों के पंजीकरण/अनुमोदन रिकॉर्ड की जांच में, जहां रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए थे, लेखापरीक्षा में 120 मामलों में कमियां जैसे पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करने में विलंब, पंजीकरण का अनियमित प्रदान किया जाना, निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए बिना पंजीकरण/अनुमोदन को प्रदान करना, सत्यापन के बिना पंजीकरण प्रदान करना, न्यास विलेख में विघटन खंड को शामिल न करना और धारा 80जी के तहत अनुमोदन में प्रक्रियात्मक खामियां आदि का पता चला। तालिका 5.6 पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करने से संबंधित मुद्दों पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का अवलोकन देती है:

तालिका 5.6: पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करने से संबंधित प्रक्रियात्मक मुद्दों पर अभ्युक्तियाँ		
क्र. सं.	अभ्युक्ति की प्रकृति	मामलों की संख्या
1	पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करने में विलंब	4
2	अनियमित रूप से पंजीकरण प्रदान करना	1
3	निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए बिना पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करना	48
4	जाँच के बिना पंजीकरण प्रदान करना	15
5	न्यासों/संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करना जिनके लिखतों में कोई विघटन खंड नहीं है या अपर्याप्त विघटन खंड है	42
6	धारा 80जी के तहत अनुमोदन में प्रक्रियागत चूक	10
कुल		120

इस संबंध में विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

5.2.2 पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करने में विलंब

अधिनियम की धारा 12ए और आयकर नियमों के नियम 11ए(6) में प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी, धारा 12ए और धारा 80जी(5)(vi) के तहत पंजीकरण/अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, उस महीने के अंत से छः महीने की समाप्ति से पहले पंजीकरण प्रदान या अस्वीकार करने का आदेश पारित करेगा, जिसमें आवेदन किया गया था। सीबीडीटी ने 2015 के अपने निर्देश संख्या 16 के माध्यम से सभी सीआईटी(ई) को पंजीकरण प्रक्रिया के लिए समय सीमा का पालन करने और सीआईटी(ई) को निर्धारित समय सीमा के अनुपालन को मॉनिटर करने और ढिलाई के मामले में उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था।

सीआईटी(ई) पुणे प्रभार, महाराष्ट्र में, लेखापरीक्षा ने चार पंजीकरण मामलों में पाया कि विभाग ने छः महीने की निर्धारित अवधि के भीतर अनुमोदन प्रदान नहीं किया था और धारा 80जी(5)(vi) के तहत अनुमोदन प्रदान करने में एक दिन से लेकर 75 दिनों तक की देरी हुई थी। इस मामले को 2013 की पहले की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 20 में भी शामिल किया गया था। इसके उत्तर में, मंत्रालय ने कहा था⁶³ कि नए आयकर व्यवसाय अनुप्रयोग (आईटीबीए) के 'छूट मॉड्यूल' के लॉन्च के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग करके पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुमोदन प्रदान करने में विलंब जारी है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.2.3 अनियमित रूप से पंजीकरण प्रदान करना

धारा 12ए में किसी न्यास या संस्था को पंजीकरण प्रदान करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान है। धारा 12ए के तहत, आयुक्त द्वारा दस्तावेज़ और जानकारी मंगवाना और न्यास या संस्था की वास्तविकता के बारे में पूछताछ करना आवश्यक है। उद्देश्यों की धर्मार्थ या धार्मिक प्रकृति और न्यासों या संस्था की गतिविधियों की प्रामाणिकता के बारे में अपनी संतुष्टि के बाद, वह पंजीकरण देने या अस्वीकार करने के लिए लिखित में एक आदेश पारित करेगा। इसके अलावा, आयुक्त किसी भी ग्रेच्युटी निधि को अनुमोदन⁶⁴ प्रदान कर सकता है, जो उनकी राय में, प्रदान की गई शर्त⁶⁵ की आवश्यकता

⁶³ 104वें प्रतिवेदन का पैरा 10 (16वीं लोक सभा)

⁶⁴ आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग 'सी' के नियम 2 के तहत

⁶⁵ आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग 'सी' के नियम 3 के तहत

का अनुपालन करता है और किसी भी समय इस तरह के अनुमोदन को वापस ले सकता है यदि, उनकी राय में निधि की परिस्थितियाँ अनुमोदन को जारी रखने की अनुमति नहीं देती।

सीआईटी(ई) तिरुपति प्रभार, आंध्र प्रदेश में, पेंशन और ग्रेच्युटी निधि में कार्य करने वाले एक निर्धारिती के पंजीकरण रिकॉर्ड के सत्यापन के दौरान, पीए नमूने में 'शीर्ष 200' मामले के रूप में चयनित एक निजी न्यास, जिसमें नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 610.91 करोड़ की सकल प्राप्ति है, लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिनियम की चौथी अनुसूची के तहत पेंशन और ग्रेच्युटी न्यास के अनुमोदन के बजाय धारा 12ए के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया था।

डीसीआईटी(ई), विजयवाड़ा ने उत्तर दिया (जून 2020) कि निर्धारिती को सीआईटी(ई) द्वारा धारा 12ए के तहत वैध पंजीकरण प्रदान किया गया था, इसलिए, छूट से इनकार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 12ए के तहत पंजीकरण के लिए निर्धारित शर्तें/उद्देश्य ग्रेच्युटी न्यास के लिए प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि पेंशन और ग्रेच्युटी निधि के लिए अनुमोदन अधिनियम की चौथी अनुसूची के अनुसार दिया जाना चाहिए।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)

5.2.4 निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए बिना पंजीकरण/अनुमोदन की मंजूरी

धारा 12ए/80जी(5)(vi)/10(23सी) के तहत पंजीकरण/अनुमोदन प्राप्त करने वाले न्यासों/संस्थाएं अनुमोदित प्राधिकारी को दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्म⁶⁶ में आवेदन प्रस्तुत करेंगी। संबंधित प्राधिकारी उचित जांच करने और न्यासों/संस्थाओं के कार्यकलापों के उद्देश्यों और प्रामाणिकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करेगा।

सीआईटी(ई) पुणे प्रभार, महाराष्ट्र में, लेखापरीक्षा ने 48 मामलों में पाया कि निर्धारित दस्तावेज जैसे फॉर्म 10ए, फॉर्म 10जी, वार्षिक लेखाओं की प्रतियां, न्यास विलेख आदि लेखापरीक्षा में प्रस्तुत संगत फाइलों में रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं थे। ऐसे छः मामले तालिका 5.7 में दिए गए हैं:

⁶⁶ नियम 17ए के तहत फॉर्म 10ए और नियम 2सी और नियम 2सीए के तहत फॉर्म 56 और फॉर्म 56डी

2022 की प्रतिवेदन संख्या 12 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

तालिका 5.7: उन मामलों का विवरण जहां दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं							
क्र. सं.	निर्धारित	गतिविधि	धारा के तहत पंजीकरण/ अनुमोदन	पंजीकरण/ अनुमोदन की तिथि	अनुपलब्ध दस्तावेज़	नि.व.	सकल आय (₹ करोड़ में)
1	ए ₃ संघ	अन्य	12एए	17.08.2016	फॉर्म 10ए, लेखाओं की प्रतियां, न्यास विलेख	2014-15	0.34
2	एस ₁₁ इन्स्टीट्यूट	*	12एए	19.06.2017	फॉर्म 10ए, लेखाओं की प्रतियां, न्यास विलेख	2016-17	3.17
3	एस ₃ मंडल	*	12एए	05.01.2017	फॉर्म 10ए, लेखापरीक्षित लेखे, न्यास विलेख	2015-16	0.39
4	यू ₁ संस्था	शिक्षा	80जी(5)(vi)	29.09.2015	फॉर्म 10जी, लेखाओं की प्रतियां, धारा 12एए/10(23सी) के तहत पंजीकरण की प्रति	2014-15	1.82
5	के ₂ इन्स्टीट्यूट	शिक्षा	80जी(5)(vi)	08.05.2017	फॉर्म 10जी, लेखाओं की प्रतियां, धारा 12एए/10(23सी) के तहत पंजीकरण की प्रति	2016-17	83.69
6	एन ₃ इन्स्टीट्यूट	अन्य	80जी(5)(vi)	07.09.2016	फॉर्म 10जी, लेखाओं की प्रतियां, धारा 12एए/10(23सी) के तहत पंजीकरण की प्रति	2016-17	8.40

* लेखापरीक्षा द्वारा विवरण सत्यापित नहीं किया जा सका

तीन निदर्शी मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

- (i) सीआईटी (ई) पुणे प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.व. 2016-17 में ₹ 83.69 करोड़ की सकल आय वाले शैक्षिक गतिविधि में लगे एक न्यास के मामले में मई 2017 में धारा 80जी(5)(vi) के तहत अनुमोदन प्रदान किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अपेक्षित दस्तावेज़ों अर्थात् धारा 12एए/10(23सी) के तहत फॉर्म 10जी, लेखाओं की प्रतियां और पंजीकरण की प्रतियां रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं थीं।
- (ii) सीआईटी(ई) पुणे प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.व. 2016-17 में ₹ 3.17 करोड़ की सकल आय वाले शैक्षिक गतिविधि में लगे एक न्यास, के मामले में, पंजीकरण जून 2017 में धारा 12एए(1)(बी)(i) के तहत प्रदान किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अपेक्षित दस्तावेज़ों अर्थात् फॉर्म 10ए, न्यास विलेख और लेखाओं की प्रतियां रिकॉर्ड पर नहीं थीं।
- (iii) सीआईटी(ई) पुणे प्रभार, महाराष्ट्र में, लेखापरीक्षा ने नि.व. 2014-15 में ₹ 1.82 करोड़ की सकल आय वाली शैक्षिक गतिविधि में लगे हुए एक न्यास के मामले में पाया कि नियम 11ए के साथ पठित धारा 80जी (5)(vi) के तहत सितंबर 2015 में अनुमोदन प्रदान किया गया था। अपेक्षित दस्तावेज़ अर्थात् उक्त अनुमोदन के लिए फॉर्म 10जी, लेखाओं

की प्रतियां, धारा 12एए/10(23सी) के तहत पंजीकरण की प्रति रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं थी।

इस प्रकार, कतिपय मामलों में धारा 12एए/80जी(5)(vi) के तहत पंजीकरण/अनुमोदन विभाग द्वारा दस्तावेजों के अपने निर्धारित तरीके का पालन किए बिना प्रदान किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि लेखापरीक्षा में प्रस्तुत रिकॉर्ड पर प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए गए थे।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.2.5 जाँच के बिना पंजीकरण प्रदान करना

एक न्यास को अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट का दावा करने के लिए संबंधित प्राधिकरण के साथ स्वयं को पंजीकृत कराना होता है। धारा 12एए के अनुसार, अनुमोदन देने वाले प्राधिकारी को निर्धारिती से दस्तावेजों और जानकारी को मांगना और न्यास की वास्तविकता के बारे में पूछताछ करना आवश्यक है। आयकर विभाग के कार्यालय प्रक्रिया की नियमावली (एमओपी) खंड II (तकनीकी) के अध्याय 5 के पैरा 2.8 (बिंदु संख्या iii) में भी पंजीकरण प्रदान करने से पहले सत्त्व के वास्तविक अस्तित्व के सत्यापन का उल्लेख किया गया है। इस तरह का सत्यापन या तो इसके अनुपालन के लिए एक पत्र भेजकर या स्थानीय जाँच द्वारा किया जाना चाहिए। अनुमोदन देने वाला प्राधिकारी उद्देश्यों की धर्मार्थ या धार्मिक प्रकृति और न्यास की गतिविधियों की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होने के बाद, पंजीकरण देने या अस्वीकार करने के लिए लिखित में एक आदेश पारित करेगा/करेगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 15 मामलों⁶⁷ में पंजीकरण या तो क्षेत्रीय जाँच/सत्यापन रिपोर्ट के बिना प्रदान किए गए थे या क्षेत्रीय जाँच किए जाने की बात कही गई थी लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। एक निदर्शी मामले को नीचे दिया गया है:

सीआईटी(ई) पुणे प्रभार, महाराष्ट्र में, एक निजी न्यास को जुलाई 2015 में अधिनियम की धारा 12एए(1)(बी)(i) के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि अस्तित्व के सत्यापन और गतिविधियों की वास्तविकता के लिए जाँच आईटीओ(ई), औरंगाबाद द्वारा की गई थी और इसे जेसीआईटी(ई), औरंगाबाद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, लेकिन उक्त रिपोर्ट, रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं थी।

⁶⁷ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना-6; महाराष्ट्र-9

इस प्रकार, प्रासंगिक दस्तावेजों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लग सका कि धारा 12ए के तहत पंजीकरण प्रदान करने से पहले अनुमोदन प्रदान करने वाले प्राधिकरण ने न्यास की गतिविधियों के अस्तित्व और प्रामाणिकता के बारे में स्वयं को कैसे संतुष्ट किया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.2.6 न्यासों/संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करना जिनके लिखतों में कोई विघटन खंड नहीं है या अपर्याप्त विघटन खंड है

एक धर्मार्थ न्यास स्वेच्छा से अपनी गतिविधियों को समाप्त कर सकता है और भंग कर सकता है या किसी अन्य गैर-धर्मार्थ संस्था के साथ विलय कर सकता है, या एक गैर-धर्मार्थ संगठन में परिवर्तित हो सकता है। ऐसे मामलों में, कानून में कोई स्पष्टता नहीं थी कि ऐसी धर्मार्थ संस्था की परिसंपत्तियों पर कर को कैसे लगाया जाएगा।

न्यास विलेख में विघटन खंड को शामिल नहीं किए जाने के मामले को 2013 की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 20 में भी शामिल किया गया था। मंत्रालय ने पीएसी⁶⁸ को प्रस्तुत किए गए अपने प्रस्तुतीकरण में कहा था कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अनुपालन के लिए संबंधित अधिकारियों के बीच परिचालित किया गया था।

पीएसी (2015-16) ने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यास के विघटन के मामले में, इसकी निवल परिसंपत्तियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए न्यास की मूल रूप से स्थापना की गई थी और न्यास के संस्थापकों या उसके परिवार के सदस्य, रिश्तेदारों आदि को लाभ नहीं पहुंचाया गया था, मंत्रालय को अब से धारा 12ए के तहत समान रूप से न्यासों का पंजीकरण करते समय न्यास विलेख में 'विघटन खंड' को अनिवार्य रूप से शामिल करने पर जोर देना चाहिए। मंत्रालय, आयकर अधिनियम, 1961 में उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करने पर भी विचार करें ताकि उक्त को सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अनुसरण में, अधिनियम में धारा 115टीडी⁶⁹ अंतःस्थापित की गई थी, जिसमें किसी ऐसे तरीके से रूपांतरण या विलय के मामले में अतिरिक्त आयकर के उद्ग्रहण का प्रावधान है जो धारा 12ए के तहत पंजीकरण प्रदान करने या किसी गैर-धर्मार्थ न्यास/संस्था को इसके विघटन पर धर्मार्थ

⁶⁸ 27वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के भाग II का पैरा 4

⁶⁹ वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा 1 जून 2016 से अंतःस्थापित

न्यास/संस्था की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण करने के लिए पात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग के एमओपी (खंड-II) के अध्याय 5 के पैरा 2.7 (viii) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि किसी न्यास के विघटन के मामले में, इसकी निवल परिसंपत्तियों को, इसकी सभी देनदारियों को पूरा करने के बाद, इसके संस्थापक सदस्यों, निदेशकों, दानकर्ताओं आदि को वापस नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग इसके उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। पैरा 2.8(ii) में प्रावधान है कि पैरा 2.7 (पूर्वांकित) में उल्लिखित शर्तों के किसी भी उल्लंघन का पता लगाने के लिए सृजन के साधन का उपयोग किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, आयकर विभाग की ओर से यह अनिवार्य है कि अनुमोदन/पंजीकरण प्रदान करने से पहले विलेख/संघ के ज्ञापन/सृजन के अन्य साधनों में विहित विघटन खंड की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 42 मामलों⁷⁰ में न्यास के सृजन के लिखत में कोई विघटन खंड नहीं था, या एमओपी में निहित निर्देशों के संदर्भ में विघटन खंड तैयार नहीं किया गया था। तीन मामलों के संबंध में पाई गई कमियों को नीचे दर्शाया गया है:

- (i) सीआईटी (ई) पुणे प्रभार, महाराष्ट्र में, शैक्षिक गतिविधियों में लगे एक न्यास के संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि, पंजीकरण अगस्त 2017 में धारा 12एए(1)(बी)(i) के तहत प्रदान किया गया था। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि न्यास विलेखों में कोई विघटन खंड नहीं था। इसके अलावा, न्यास विलेख में न्यास के विलय या रूपांतरण और इसकी सभी देनदारियों को पूरा करने के बाद निवल परिसंपत्तियों के अनुप्रयोग/उपयोग के बारे में कोई खंड नहीं था। इसके अलावा, न्यासियों से विघटन के संबंध में कोई संकल्प और शपथ पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। इससे पता चला कि न्यास विलेख के उचित सत्यापन के बिना न्यास को पंजीकरण प्रदान किया गया था।
- (ii) सीआईटी(ई) चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, एक निजी न्यास, जो शैक्षिक गतिविधियों में लगा हुआ है और पीए नमूने में 'उच्च मूल्य' मामले के रूप में चुना गया है, जिसमें नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 85.37 करोड़ की सकल प्राप्ति है, को धारा 12एए के तहत पंजीकृत किया गया था। न्यास विलेख में विघटन की प्रक्रिया के बारे में यह कहा गया था कि 'यदि किसी भी कारण से यह न्यास विफल हो जाता है, तो न्यास की संपत्तियां और

⁷⁰ केरल - 2, महाराष्ट्र - 9, ओडिशा - 1, पंजाब - 2, तमिलनाडु - 3 और पश्चिम बंगाल - 25.

उनकी संपत्ति को संस्थापकों को वापस कर दिया जाएगा और इस संपत्ति के रूप में निर्वसीयत या वसीयतनामा, उत्तराधिकार के अनुसार जैसा भी मामला हो, उनकी संपत्ति का निपटान किया जाएगा। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार न्यास के संचित अधिशेष सहित कुल कोष ₹ 11.92 करोड़ था। इस प्रकार, न्यास विलेख में विघटन खंड, एमओपी के अध्याय 5 के पैरा 2.7(viii) के अनुरूप नहीं था और न्यास को विभाग द्वारा न्यास विलेख के उचित सत्यापन के बिना पंजीकरण प्रदान किया गया था।

- (iii) प्र.सीआईटी (ई) कोच्चि प्रभार, केरल में, शैक्षिक गतिविधियों में लगे एक निजी न्यास को पीए नमूने में 'उच्च मूल्य' मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 53.82 करोड़ की सकल प्राप्ति हुई थी। लेखापरीक्षा ने न्यास विलेख से यह पाया कि एक खंड को इस प्रभाव में शामिल किया गया था कि विघटन को संरक्षक की सहमति से स्थापक के अनुमोदन से निपटाया जाएगा। इस प्रकार, न्यास विलेख में विघटन खंड, एमओपी के अध्याय 5 के पैरा 2.7 (viii) के अनुरूप नहीं था और न्यास को न्यास विलेख के उचित सत्यापन के बिना पंजीकरण प्रदान किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया है कि 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार कुल कॉर्पस निधि ₹ 93.39 करोड़ थी।

डीसीआईटी(ई), त्रिवेंद्रम ने उत्तर दिया (मार्च 2020) कि पंजीकरण को न्यास के उद्देश्य के सत्यापन के बाद सीआईटी (छूट) द्वारा प्रदान किया गया था और निर्धारण अधिकारी, धारा 11 के तहत छूट को उस खंड के आधार पर अस्वीकार नहीं कर सकता था जिस पर पंजीकरण एक वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीआईटी(छूट) द्वारा पंजीकरण/ अनुमोदन प्रदान किए जाने से पहले विलेख/संघ के जापन/सृजन के अन्य साधनों में निर्धारित विघटन खंड को शामिल किया जाना सुनिश्चित नहीं किया गया था। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी द्वारा सीआईटी(ई) के संज्ञान में अपेक्षित विघटन खंड में पाई गई कमियों को लाया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा ने पाया है कि विभाग की कार्यालय प्रक्रिया की नियमावली के अनुरूप न होने वाले न्यास विलेख या न्यास विलेख में विघटन खंड को शामिल न किए जाने के संबंध में अनियमितता के मामले लगातार सामने आए हैं और संबंधित न्यास/संस्था को प्रतिवर्ष छूट का लाभ प्राप्त होता रहा है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.2.7 धारा 80जी के तहत अनुमोदन में प्रक्रियात्मक चूक

आयकर नियमावली, 1962 (नियमावली) के नियम 11ए के अनुसार, धारा 80जी(5)(vi) के तहत किसी भी संस्था या निधियों के अनुमोदन के लिए आवेदन फॉर्म संख्या 10 जी में प्रस्तुत किया जाएगा और यह निम्नलिखित दस्तावेजों सहित होगा अर्थात्

- (i) धारा 12ए के तहत दी गई पंजीकरण की प्रति या धारा 10(23) या 10(23सी) के तहत जारी अधिसूचना की प्रति;
- (ii) संस्था या निधि की गतिविधियों पर इसकी स्थापना के बाद से या पिछले तीन वर्षों के दौरान, जो भी कम हो, पर टिप्पणियाँ; और
- (iii) संस्था या निधि की स्थापना के बाद से या पिछले तीन वर्षों के दौरान, जो भी कम हो, के लेखाओं की प्रतियाँ।

सीआईटी (ई) जयपुर प्रभार, राजस्थान में, 10 मामलों में धारा 12ए के तहत पंजीकरण और धारा 80(जी)(5)(vi) के तहत अनुमोदन के लिए आवेदन एक ही तिथि को फाइल किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने उसी तिथि को पंजीकरण और अनुमोदन प्रदान किया। इस प्रकार, धारा 80 (जी) के तहत अनुमोदन के लिए नियम 11ए में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

आईटीओ (मुख्यालय), सीआईटी (ई) का कार्यालय, जयपुर ने कहा कि हालांकि नियम 11ए के लिए आवेदनों के त्वरित निपटान के हित में अभी तक उपरोक्त दस्तावेजों की आवश्यकता है, लेकिन संस्वीकृति देने वाला प्राधिकारी एक साथ आवेदनों के मामले में कमी को माफ कर सकता है क्योंकि धारा 80जी (5) (vi) के तहत अनुमोदन किसी भी मामले में धारा 12ए के तहत पंजीकरण के प्रदान करने पर सशर्त होगा। इसके अलावा, यह भी उल्लेख किया गया था कि फॉर्म 10ए और 10 जी को एक साथ संसाधित करना, आवेदक की एक करीबी जाँच सुनिश्चित करता है और विभाग और आवेदक दोनों के समय की बचत भी करता है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निर्धारण अधिकारी ने धारा 80जी के तहत अनुमोदन प्रदान करने के लिए नियम 11ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में नियम 11ए के अनुसार उपलब्ध कराए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों के मामले में कमी को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.3 आयकर विभाग प्रणालियों से संबंधित मामले

लेखापरीक्षा ने आयकर विभाग प्रणालियों से संबंधित कतिपय कमियों को पाया जैसे कि न्यासों/संस्थाओं के पंजीकरण/अनुमोदनों से संबंधित डेटा/सूचनाओं से मेल खाने के लिए जाँच और पर्याप्त सत्यापन की कमी जबकि रिटर्न को संक्षिप्त तरीके से संसाधित किया गया था और 91 मामलों में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में आवश्यक जानकारी की अनुपस्थिति थी जैसा कि नीचे तालिका 5.8 में संक्षेप में दिया गया है:

तालिका 5.8: आयकर विभाग प्रणालियों से संबंधित अभ्युक्तियाँ			
क्र. सं.	अभ्युक्ति की प्रकृति	मामलों की संख्या	कर प्रभाव
1	कंप्यूटर सहाय्यित संवीक्षा चयन (सीएएसएस) के तहत चयन मानदंड से संबंधित मामले	17	-
2	आय के रिटर्न के संसाधन के दौरान पंजीकरण विवरणों का गैर-सत्यापन	52	-
3	आईटी प्रणाली में आईटीआर के संसाधन से संबंधित मामले	12	-
4	छूट का दावा किया गया लेकिन धारा 12ए के तहत पंजीकरण की स्थिति उपलब्ध नहीं थी	-	-
5	विदेशी अंशदान प्राप्त हुआ लेकिन पंजीकरण की स्थिति उपलब्ध नहीं थी	-	-
6	पंजीकरण/अनुमोदन की अमान्य तिथि	-	-
7	वर्तमान में आयकर रिटर्न (आईटीआर-7) में महत्वपूर्ण जानकारी शामिल नहीं की जाती है	-	-
8	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में न्यास/संस्थाओं की आय पर जानकारी	-	-
9	विशिष्ट उद्देश्य के साथ कॉर्पस दान	7	-
10	अनुवर्ती निर्धारण वर्ष में माने गए अनुप्रयोग की अनुमति	3	2.53
कुल		91	2.53

5.3.1 कंप्यूटर सहाय्यित संवीक्षा चयन (सीएएसएस) के तहत चयन मानदंड से संबंधित मामले

प्रत्येक वर्ष कुछ चयन मानदण्डों के आधार पर कम्प्यूटर सहाय्यित संवीक्षा चयन (सीएएसएस) के अंतर्गत जाँच के लिए मामलों का चयन किया जा रहा है। ऐसे मामलों की एक सूची आयकर के प्रधान महानिदेशक (सिस्टम्स) द्वारा संबंधित क्षेत्राधिकार प्राधिकारियों को आगे की संवीक्षा निर्धारण प्रक्रिया के लिए सूचित की जाती है।

कर्नाटक में, लेखापरीक्षा ने नि.व. 2015-16 और नि.व. 2016-17 के लिए सीएएसएस के तहत चयन मानदंडों से देखा कि चयनित 571 नमूना मामलों में

से 37 मामलों को मानदंड फॉर्म 10/10बी 'फाइल नहीं' या 'नियत तिथि के बाद फाइल' के आधार पर चुना गया था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया है कि फॉर्म 10/10बी फाइल करने की नियत तिथि को बढ़ा दिया गया था। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला है कि इन 37 मामलों में से, 17 मामलों⁷¹ (45.94 प्रतिशत) में निर्धारितियों ने रिटर्न फाइल करने की नियत तिथि के भीतर उक्त फॉर्म फाइल किए थे। इसके अलावा, 17 मामलों में से 16 मामलों (94 प्रतिशत) के संबंध में रिटर्न आय में कोई संवर्धन नहीं किया गया था। आईटी प्रणाली द्वारा रिटर्न फाइल करने की संशोधित नियत तिथि को कैप्चर नहीं करने के कारण यह त्रुटि हुई थी जिसने चयन मानदंडों की प्रभावकारिता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीएएसएस में चयन मानदंडों के लिए आवश्यक डेटा को गलत शामिल करने के कारण, कई मामलों को आयकर विभाग प्रणाली द्वारा संवीक्षा के लिए गलत तरीके से चुना गया था। इस प्रकार, उस सीमा तक, संवीक्षा निर्धारण के लिए उपलब्ध मानव संसाधनों की बाधा के कारण संवीक्षा निर्धारण के चयन से बचने वाले तदनुसूची संभावित मामलों का जोखिम है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.3.2 आय के रिटर्न को संसाधित करने के दौरान पंजीकरण विवरणों का गैर-सत्यापन

अधिनियम की धारा 12ए, धर्मार्थ न्यासों के लिए धारा 11 के तहत छूट का दावा करने के लिए स्वयं को पंजीकृत कराना अनिवार्य बनाती है। छूट उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद निर्धारण वर्ष (नि.व.) से न्यास या संस्था की आय के संबंध में लागू होगी जिसमें न्यास द्वारा आवेदन किया जाता है या किसी भी नि.व. के लिए जिसके लिए कार्यवाही ऐसे पंजीकरण की तिथि तक निर्धारण अधिकारी (नि.अ.) के समक्ष लंबित है। इसके अलावा, दिनांक 01-10-2014 से लागू धारा 12ए(2) के दूसरे परंतुक में यह प्रावधान है कि धारा 147 के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी पूर्ववर्ती नि.व. के लिए केवल उक्त नि.व. के लिए ऐसे न्यासों या संस्थाओं का पंजीकरण न करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इसी प्रकार, धारा 10(23 सी) का पहला परंतुक निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के लिए उप-खंड (iv) या उप-खंड (v) या उप-खंड (vi) या उप-खंड (viए) या

⁷¹ नि.व. 2015-16 में तीन और नि.व.2016-17 में 14 मामले

संबंधित उप-खंडों के तहत, धारा 10(23सी) के तहत छूट का दावा करने के लिए स्वयं को पंजीकृत करने के लिए अनिवार्य बनाता है।

लेखापरीक्षा ने 42 निर्धारण मामलों⁷² में पाया कि यद्यपि निर्धारितियों ने आय के रिटर्न में अधिनियम की धारा 12ए/10(23सी) के तहत अपने पंजीकरण विवरणों का उल्लेख नहीं किया था, तथापि अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संक्षिप्त तरीके से संसाधित रिटर्न के दौरान ₹ 44.82 करोड़ की छूट की अनुमति दी गई थी। चूंकि फाइल किए गए आईटीआर में पंजीकरण विवरण उपलब्ध नहीं थे, इसलिए लेखापरीक्षा इन मामलों में छूट की प्रयोज्यता को सत्यापित नहीं कर सकी।

लेखापरीक्षा ने आगे ₹ 2.94 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 10 निर्धारण मामले⁷³ देखे, जहां निर्धारितियों ने इसके पंजीकरण से पहले के वर्षों के लिए छूट का दावा किया था या अधिनियम के तहत कोई पंजीकरण उपलब्ध नहीं था और विभाग द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी।

तीन निदर्शी मामलों को नीचे दिया गया है:

- (i) सीआईटी (ई), चंडीगढ़ प्रभार में, 'गरीबों को राहत' (आय के रिटर्न के अनुसार) की गतिविधि में लगे एक निजी न्यास ने ₹ 'शून्य' आय पर नि.व. 2014-15 और 2015-16 के लिए आय का रिटर्न फाइल किया। ₹ 14.29 करोड़ (नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 6.97 करोड़ और नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 7.32 करोड़) की छूट की अनुमति देने के बाद रिटर्न को संक्षिप्त रूप से संसाधित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि आय के रिटर्न के अनुसार न्यास की गतिविधि 'गरीबों को राहत' था, लेकिन इसने धारा 10(23सी)(vi)⁷⁴ के तहत छूट का दावा किया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि निर्धारिती ने आय के रिटर्न के अनुसार धारा 10(23सी)(vi) के तहत अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था और इसलिए छूट के लिए पात्र नहीं था; तथापि, आयकर विभाग प्रणाली ने अनियमित रूप से ₹ 14.29 करोड़ की सीमा तक छूट की अनुमति दी थी। इसका दोनों नि.व. के लिए ₹ 5.80 करोड़ का कर प्रभाव पड़ा था।

⁷² गुजरात - 2, महाराष्ट्र - 25, पंजाब - 3, कर्नाटक -11 और तमिलनाडु - 1

⁷³ आंध्र प्रदेश - 2, बिहार - 1, झारखंड - 1, महाराष्ट्र -3 और तमिलनाडु - 3

⁷⁴ विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था ही केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए मौजूद है और लाभ के प्रयोजनों के लिए नहीं है, जो 10(23सी) (vi) के तहत छूट का दावा कर सकते हैं जिसके लिए सीआईटी का अनुमोदन आवश्यक है।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (मार्च 2022) और मार्च 2021 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की है।

- (ii) सीआईटी(ई) पुणे प्रभार, महाराष्ट्र में, 'गरीबों को राहत' की गतिविधि में लगे एक निजी न्यास ने नवंबर 2015 में धारा 12ए के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और इसे मार्च 2016 में यह प्रदान किया गया था। नि.व. 2015-16 के निर्धारण रिकॉर्ड से यह देखा गया था कि निर्धारिती ने धारा 12ए के तहत वैध पंजीकरण के बिना नि.व. 2009-10 से 2014-15 के लिए छूट का दावा किया था। इन सभी वर्षों में, आय के रिटर्न को संक्षिप्त रूप से संसाधित किया गया था और छूट की अनुमति दी गई थी। नि.व. 2009-10 से नि.व. 2014-15 के दौरान अनुमत कुल छूट ₹ 5.83 करोड़ थी जिसमें ₹ 1.48 करोड़ की राजस्व हानि शामिल थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

- (iii) सीआईटी(ई) हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश में, शैक्षिक गतिविधियों में लगे एक निजी न्यास, ने दिसंबर 2014 में अधिनियम की धारा 12ए के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। सीआईटी(ई), हैदराबाद ने सितंबर 2015 में पंजीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। निर्धारिती द्वारा की गई अपील पर, सीआईटी(ई) ने जुलाई 2017 में पूर्वव्यापी प्रभाव से पंजीकरण प्रदान किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने इस बीच नि.व. 2015-16 और नि.व. 2016-17 के लिए छूट के रूप में क्रमशः ₹ 1.98 करोड़ और ₹ 9.64 करोड़ का दावा किया और रिटर्न को संसाधित करने के दौरान छूट के दावे के संबंध में पात्रता को विधिवत सत्यापित किए बिना संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत इसकी अनुमति दी गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि यद्यपि यह अधिनियम न्यासों/संस्थाओं के लिए छूट का दावा करने के लिए धारा 12ए/धारा 10(23सी) के उप-खंड (iv) से (vi) के तहत स्वयं को पंजीकृत कराना अनिवार्य बनाता है, फिर भी आयकर विभाग प्रणाली ने आवश्यक विवरण के बिना छूट की अनुमति दी। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि आयकर विभाग प्रणाली में आयकर विभाग-आईटीआर प्रणाली डेटाबेस के पास छूट की अनुमति देने से पहले आय के रिटर्न में प्रदान किए गए न्यासों/संस्थाओं के पंजीकरण/अनुमोदनों से संबंधित डेटा/सूचना से मेल खाने के लिए जाँच और वैधीकरण उपलब्ध नहीं थे, जहां रिटर्न को संक्षिप्त

तरीके से संसाधित किया गया था। चूंकि, न्यासों/संस्थाओं से संबंधित नि.व. 2014-15 से नि.व. 2017-18 के लिए आईटीआर से संबंधित 6,89,011 मामलों में से, 6,29,905 मामलों (91.0 प्रतिशत) को संक्षिप्त तरीके से संसाधित किया गया था और अधिनियम केवल न्यासों/संस्थाओं के पंजीकरण न करने के कारणों से पहले के निर्धारण वर्षों के मामलों को फिर से खोलने पर प्रतिबंध लगाता है, इन संक्षिप्त रूप से संसाधित मामलों में राजस्व हानि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.3.3 आयकर विभाग प्रणाली में आईटीआर को संसाधित करने से संबंधित मुद्दे

धारा 139 के तहत किए गए आईटीआर को संसाधित करने से संबंधित धारा 143 (1) में प्रावधान है कि धारा 143 (1) के तहत कोई सूचना वित्त वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं भेजी जाएगी जिसमें रिटर्न किया जाता है।

दिल्ली प्रभार में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 47 मामलों में से 12 मामलों में, आयकर विभाग प्रणाली के अनुसार धारा 143(1) के तहत आईटीआर को संसाधित करना अभी भी प्रगति पर है (दिसंबर 2021)। मामलों के विवरण तालिका 5.9 में नीचे दिए गए हैं:

तालिका 5.9: प्रक्रिया के तहत संक्षिप्त मामले					
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	सकल आय (₹ करोड़ में)	आईटीआर फाइल करने की तिथि	आईटीआर की वर्तमान संसाधन की स्थिति
1.	बी ₃ पार्टी	2015-16	970.3	31.10.2015	प्रगति पर है
2.	जे ₂ यूनिवर्सिटी	2016-17	525.0	17.10.2016	प्रगति पर है
3.	आई ₁ इन्स्टीट्यूशन	2014-15	136.5	26.09.2014	प्रगति पर है
4.		2016-17	276.5	17.10.2016	प्रगति पर है
5.	ए ₂ इन्स्टीट्यूट	2014-15	135.7	29.09.2014	प्रगति पर है
6.	सी ₁ सोसाइटी	2014-15	147.6	30.09.2014	प्रगति पर है
7.	एल ₁ ट्रस्ट	2014-15	150.6	20.11.2014	प्रगति पर है

तालिका 5.9: प्रक्रिया के तहत संक्षिप्त मामले					
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	सकल आय (₹ करोड़ में)	आईटीआर फाइल करने की तिथि	आईटीआर की वर्तमान संसाधन की स्थिति
8.	डी ₁ सोसाइटी	2014-15	128.5	18.09.2014	प्रगति पर है
9.		2015-16	151.8	31.03.2017	प्रगति पर है
10.	बी ₂ फाउंडेशन	2016-17	153.4	28.09.2016	प्रगति पर है
11.	एम ₂ संस्था	2014-15	182.5	25.09.2014	प्रगति पर है
12.	एफ ₁ ट्रस्ट	2016-17	183.2	08.10.2016	प्रगति पर है

विभाग ने नि.व. 2014-15 के लिए, 'ए₂' इन्स्टीट्यूट के मामले में कहा कि सितंबर 2014 में फाइल किए गए निर्धारिती के रिटर्न को सीपीसी द्वारा दोषपूर्ण माना गया था और नवंबर 2015 में निर्धारिती को एक "दोषपूर्ण" संचार भेजा गया था। इसके अलावा, फरवरी 2016 में निर्धारिती को फिर से एक अनुस्मारक भेजा गया था। मार्च 2016 में निर्धारिती द्वारा फाइल रिटर्न को सीपीसी द्वारा संसाधित करने के लिए लिया गया था और आईटीआर को मार्च 2016 में संसाधित किया गया था, जिसमें ₹ 35.56 लाख के प्रतिदाय का निर्धारण किया गया था।

यह स्पष्ट है कि नि.व. 2014-15 के लिए 'ए₂' इन्स्टीट्यूट के संबंध में रिटर्न को पहले से ही आयकर विभाग प्रणालियों के माध्यम से संसाधित किया गया था। हालांकि, यह अभी भी आयकर विभाग प्रणाली में 'प्रगति पर' दिखा रहा था। इस प्रकार, प्रणाली स्पष्ट रूप से आईटीआर की वर्तमान स्थिति को अपडेट नहीं कर रही थी।

शेष मामलों में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या इन मामलों पर कार्रवाई की गई थी, क्योंकि आयकर विभाग प्रणालियों में आईटीआर की स्थिति अभी भी 'प्रगति पर' दर्शा रही थी। आयकर विभाग प्रणालियों में आईटीआर की स्थिति को 'प्रगति पर' दर्शाने के कारणों की जानकारी लेखापरीक्षा को नहीं थी। इन आईटीआर पर आयकर विभाग द्वारा की गई आगे की कार्रवाई के विवरण भी प्रणालियों में परिलक्षित नहीं हुए थे, जिसके लिए सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता थी। साथ ही, यदि शेष मामलों में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो राजकोष को राजस्व हानि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.3.4 प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा में डेटा वैधीकरण की अनुपस्थिति से संबंधित मामले

प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) ने धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं के संबंध में निर्धारित-वार डेटा प्रदान किया, जिसमें वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान नि.व. 2014-15 से नि.व. 2017-18 के लिए संसाधित/निर्धारित/परिशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) से संबंधित 6,89,011 मामले शामिल थे। उक्त डेटा के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित को पाया:

5.3.4.1 छूट का दावा किया गया लेकिन धारा 12ए के तहत पंजीकरण की स्थिति उपलब्ध नहीं थी

धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को धारा 11 के तहत छूट का दावा करने के लिए धारा 12ए के तहत पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने डेटा विश्लेषण के माध्यम से पाया कि 21,381 मामलों में धारा 11 के तहत छूट का दावा किया गया था; हालांकि, धारा 12ए के तहत पंजीकरण उपलब्ध नहीं था (अध्याय 4 की तालिका 4.4 देखें)।

इस प्रकार, यह दर्शाता है कि आईटीआर फॉर्म -7 में उपरोक्त संबंधित क्षेत्रों के लिए वैधीकरण पर्याप्त नहीं थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)

5.3.4.2 विदेशी अंशदान प्राप्त हुआ लेकिन पंजीकरण की स्थिति उपलब्ध नहीं है

धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने डेटा विश्लेषण के माध्यम से पाया कि 347 मामलों में, जहां विदेशी अंशदान प्राप्त हुए थे; एफसीआरए के तहत पंजीकरण उपलब्ध नहीं था (अध्याय 4 की तालिका 4.5 देखें)।

इस प्रकार, यह दर्शाता है कि आईटीआर फॉर्म -7 में उपरोक्त संबंधित क्षेत्रों में वैधीकरण पर्याप्त नहीं था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)

5.3.4.3 पंजीकरण/अनुमोदन की अमान्य तिथि

धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को धारा 11 के तहत छूट का दावा करने के लिए धारा 12ए के तहत पंजीकरण प्राप्त करना और दान प्राप्त करने के लिए धारा 80जी के तहत अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने डेटा विश्लेषण के माध्यम से पाया कि 10 मामलों में, धारा 12ए के तहत पंजीकरण की तिथियों को और धारा 80जी के तहत अनुमोदन को गलत तरीके से दर्ज किया गया था (भविष्य की तिथियां) (अध्याय 4 की तालिका 4.6 देखें)।

इस प्रकार, यह दर्शाता है कि आईटीआर फॉर्म -7 में उपरोक्त संबंधित क्षेत्रों में वैधीकरण पर्याप्त नहीं था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.3.5 वर्तमान में आय के रिटर्न (आईटीआर-7) में महत्वपूर्ण जानकारी को शामिल नहीं किया गया है।

धारा 11(1) के तहत छूट का दावा करने वाले धर्मार्थ न्यासों को फॉर्म आईटीआर-7 में आयकर रिटर्न फाइल करना आवश्यक है, जो फॉर्म 10बी में लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा समर्थित है और जहां आय या माने गए अनुप्रयोग के संचय के लिए दावा किया गया है, वहाँ क्रमशः फॉर्म 10 या फॉर्म 9ए फाइल किया जाना होता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि विभाग ने आय और व्यय लेखों और प्राप्त और भुगतान लेखों आदि से संबंधित अनुसूचियों को शामिल करते हुए आईटीआर-7 को संशोधित⁷⁵ किया है, फिर भी आईटीआर-7 में कुछ जानकारी/डेटा अभी भी शामिल किए जाने हैं जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

क. यद्यपि गतिविधि की प्रकृति को पहले से ही आईटीआर -7 में नि.व. 2019-20 से अनिवार्य क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन, आयकर विभाग ने प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए अधिनियम की धारा 2(15) और धारा 10(23सी)(iiiएबी) से 10(23सी)(viए) में परिभाषित विभिन्न धर्मार्थ गतिविधियों के लिए अलग-अलग कोड आवंटित नहीं किए हैं (पैरा 7.1.1 देखें)।

ख. आईटीआर-7 में परिसंपत्तियों और देनदारियों की अनुसूची के साथ बैलेंस शीट का विवरण शामिल नहीं है। रिटर्न उन परिसंपत्तियों को भी वर्गीकृत नहीं करता है जिन्हें अतीत में आय के अनुप्रयोग के रूप में माना गया है और जिन्हें अनुप्रयोग के रूप में नहीं माना गया है, और जो धारा 11(6)⁷⁶ के मद्देनजर मूल्यहास की अनुमति के लिए पात्र हैं। ऐसे उदाहरण देखे गए थे कि न्यासों/संस्थाओं ने परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का दावा किया था, जिन्हें पहले

⁷⁵ नि.व. 2019-20 से आगे

⁷⁶ आयकर अधिनियम की धारा 11(6) में प्रावधान है कि उन परिसंपत्तियों के प्रति अनुप्रयोग के अध्यक्षीन आय की गणना करते समय मूल्यहास की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्हें पहले के वर्षों में अनुप्रयोग के रूप में माना गया है।

से ही प्रासंगिक सूचना की अनुपलब्धता के कारण आय के अनुप्रयोग के रूप में माना जा चुका था। इसलिए, दो अलग-अलग अचल परिसंपत्ति अनुसूची का होना एक आवश्यकता बन गई है (पैरा 6.5.1 देखें)।

ग. आईटीआर-7 में कॉर्पस दान की वर्ष-वार प्राप्ति और उपयोग की मॉनिटरिंग करने के लिए कोई कॉलम/अनुसूची नहीं है क्योंकि कॉर्पस और गैर-कॉर्पस दान के लिए आय के अनुप्रयोग के लिए व्यवहार अलग-अलग हैं। कॉर्पस दान को धारा 11(1)(डी) के प्रावधानों के अनुसार आय के अनुप्रयोग से छूट दी गई है, जबकि धारा 11(1) के अनुसार धर्मार्थ उद्देश्य के लिए गैर-कॉर्पस दान को लागू किया जाना है। इसके अलावा, कॉर्पस दान के वर्षवार समापन शेष की पहचान करना मुश्किल है क्योंकि प्रासंगिक जानकारी आईटीआर-7 में कैप्चर नहीं की गई है। लेखापरीक्षा में ऐसे मामले पाए गए जहां आयकर विभाग ने दानकर्ताओं के विशिष्ट निर्देश प्राप्त किए बिना स्वैच्छिक अंशदान को कॉर्पस के रूप में मानते हुए छूट की अनुमति दी (पैरा 6.6 देखें)।

घ. विभाग, आईटीआर-7 फॉर्म की अनुसूची वीसी (स्वैच्छिक अंशदान) के अनुसार स्वैच्छिक अंशदान अर्थात् कॉर्पस निधि दान के माध्यम से स्थानीय अंशदान, सरकार से प्राप्त अनुदान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत कंपनियों से प्राप्त अनुदान, अन्य विशिष्ट अनुदान, अन्य दान और स्वैच्छिक अंशदान; और कॉर्पस निधि दान के माध्यम से विदेशी अंशदान और कॉर्पस निधि दान के अलावा अन्य के संबंध में विवरण प्राप्त कर रहा है। लेकिन प्रमुख अंशदानकर्ताओं/दानकर्ताओं के विवरण वर्तमान में आईटीआर-7 फॉर्म में शामिल नहीं किए जा रहे हैं।

प्रमुख अंशदानकर्ताओं/दानकर्ताओं के विवरण (आयकर विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमा से ऊपर) को भी फॉर्म आईटीआर-7 में शामिल किया जा सकता है, ताकि गैर-लेखाकृत धन/निधियों के विचलन को शामिल करने से रोका जा सके और अस्वीकार्य छूटों का दावा करना बंद किया जा सके, जैसा कि सीबीडीटी द्वारा धारा 80जी(5) के संबंध में किया गया है⁷⁷ ताकि दानकर्ता से प्राप्त जानकारी के आधार पर दानकर्ताओं के दावे की सटीकता/वास्तविकता को सत्यापित किया जा सके।

यह जानकारी निर्धारण अधिकारी को निर्धारण को अंतिम रूप देते समय अंशदानकर्ताओं/दानकर्ताओं की वास्तविकता को सत्यापित करने में भी सक्षम करेगी।

⁷⁷ दिनांक 01.04.2021 से लागू वित्त अधिनियम 2020

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि कुछ मामलों में आयकर विभाग के पास अपेक्षित सूचना के अभाव में न्यासों/संस्थाएं अनुचित लाभ उठा रही हैं। यदि संगत सूचना/डेटा अर्थात् बैलेंस शीट का विवरण, कॉर्पस दान की प्राप्ति और उपयोग का विवरण, दानकर्ताओं आदि का विवरण आयकर विभाग को उपलब्ध कराया जाता है, तो इनमें से कई मुद्दों को रिटर्न को संसाधित करने के समय ही हल किया जा सकता है या संवीक्षा निर्धारण के समय। इस प्रकार, आईटीआर-7 में इन विवरणों/सूचनाओं को शामिल करने से निर्धारण की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और छूट की अनुमति में पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा, यह कंप्यूटर सहायित संवीक्षा चयन (सीएसएस) के माध्यम से जाँच के लिए संभावित उच्च जोखिम वाले मामलों के चयन में मदद करेगा।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.3.6 लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में महत्वपूर्ण जानकारी को वर्तमान में शामिल नहीं किया गया है

धारा 11(1) के तहत छूट का दावा करने वाले धर्मार्थ न्यासों को फॉर्म आईटीआर-7 में आयकर रिटर्न फाइल करना आवश्यक है, जो फॉर्म 10 बी में लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा समर्थित है। नियम 17बी के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखाकार को अपनी राय देने की आवश्यकता होती है कि क्या उसकी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लेखे एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इसके अलावा, लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुछ निर्धारित सूचना उपलब्ध करानी होती है। इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य निर्धारण अधिकारी को अधिनियम की धारा के तहत छूट के लिए दावे की प्रामाणिकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने में सक्षम बनाना है और यह भी कि क्या संस्था ने संविधि द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

लेखापरीक्षा का मत है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कुछ अतिरिक्त जानकारी/डेटा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है ताकि निर्धारण अधिकारी को निर्धारण के दौरान निर्धारिती के दावे की प्रामाणिकता की जाँच करने में सक्षम बनाया जा सके, जिन पर आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

5.3.6.1 लेखापरीक्षा रिपोर्ट में न्यासों/संस्थाओं की आय के विषय में जानकारी अधिनियम की धारा 11, एक न्यास के तहत धारित संपत्ति से प्राप्त आय के लिए छूट प्रदान करती है जो पूरी तरह से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए

होती है, और यह इस सीमा तक होती है कि ऐसी आय भारत में धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए अनुप्रयुक्त होती है।

धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं की आय में, मुख्यतः स्वैच्छिक अंशदान के अलावा गतिविधि से आय, घरेलू संपत्ति से आय, आकस्मिक कारोबार गतिविधि से आय, पूंजीगत लाभ, प्रतिभूति पर ब्याज, कृषि आय को छोड़कर धारा 10 के तहत निर्दिष्ट आय आदि शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि फॉर्म 10बी में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पिछले वर्ष के दौरान न्यासों/संस्थाओं के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति के विवरण के संबंध में जानकारी नहीं है और जिस संपत्ति से आय प्राप्त की गई है क्या वह पूरी तरह से न्यास द्वारा धारित की जाती है।

उपरोक्त सूचना के अभाव में, लेखापरीक्षा, आईटीआर-7 में निर्धारित न्यासों/संस्थाओं द्वारा घोषित प्राप्ति की सटीकता का पता नहीं लगा पाया, विशेष रूप से न्यास/संस्था की व्यावसायिक आय जो न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति, अनाम दान की प्राप्ति और विदेशी अंशदान की प्राप्ति के लिए आकस्मिक है, विशेषरूप से उन मामलों को जिन्हें संक्षिप्त रूप से संसाधित किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.3.6.2 विशिष्ट उद्देश्य के साथ कॉर्पस दान

धारा 11(1)(डी), एक विशिष्ट निर्देश के साथ न्यासों/संस्थाओं को किए गए स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय की छूट के लिए प्रावधान करती है कि वे न्यास या संस्था के कॉर्पस का हिस्सा बनेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कॉर्पस दान के कारण छूट का दावा लेखापरीक्षक द्वारा मौजूदा फॉर्म 10बी में समर्थित या प्रमाणित नहीं है। इसके अलावा, कॉर्पस दान से किए गए किसी भी व्यय को आय के अनुप्रयोग से बाहर रखा जाना चाहिए, जिसे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में भी शामिल नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा ने 5,985 लेखापरीक्षित नमूना मामलों में विशिष्ट निर्देश के साथ दान प्राप्त करने वाले न्यासों/संस्थाओं की संख्या का पता लगाने के लिए सूचना एकत्र की। लेखापरीक्षा ने देखा कि 906 (15.14 प्रतिशत) न्यासों/संस्थाओं को विशिष्ट निर्देश के साथ दान प्राप्त हुआ था। जांचे गए 906 नमूना मामलों में से, लेखापरीक्षा ने 21 निर्धारण मामलों में अनियमितताएं पाईं, जिनमें कॉर्पस दान की प्राप्ति और उपयोग के संबंध में ₹ 134.14 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था, उदाहरण के लिए, कॉर्पस दान पर छूट की अनियमित रूप से अनुमति दी गई थी (अध्याय 6 के पैरा 6.6 को देखें), कॉर्पस/निर्धारित निधियों से व्यय को

अनियमित रूप से आय के अनुप्रयोग के रूप में माना गया था (अध्याय 6 का पैरा 6.5.2 देखें), कॉर्पस दान का उपयोग दानकर्ता आदि के विशिष्ट निर्देश के अनुसार नहीं किया गया था (अध्याय 5 का पैरा 5.1.2.4 देखें)।

सीआईटी (ई) बेंगलूरु प्रभार, कर्नाटक में, सात निर्धारण मामलों में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या ₹ 4.37 करोड़ के दावों के संबंध में धारा 11 (1) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन किया गया था, क्योंकि आयकर नियमावली, 1962 के मौजूदा फॉर्म 10बी में लेखापरीक्षक द्वारा इस दावे का सत्यापन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा, निर्धारण सम्पन्न करते समय निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को अभिनिश्चित नहीं कर सका। इन मामलों में लेखापरीक्षा और दावित अनुमत छूट को सत्यापित नहीं कर सका।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

5.3.6.3 अनुवर्ती निर्धारण वर्ष में माने गए अनुप्रयोग की अनुमति

धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के खंड 2 के अनुसार, यदि पिछले वर्ष में, कोई न्यास अपनी आय का 85 प्रतिशत उपयोग करने में सक्षम नहीं है यदि ऐसी आय पिछले वर्ष में या किसी अन्य कारण से प्राप्त नहीं हुई है, तो न्यास के पास प्राप्ति के वर्ष या आय के उपचय के वर्ष के तुरंत बाद में ऐसी आय को उपयोग करने का विकल्प है।

इस उद्देश्य के लिए, न्यास को संबंधित निर्धारण वर्ष की आय के रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए धारा 139(1) के तहत अनुमत समय की समाप्ति से पहले फॉर्म 9ए प्रस्तुत करना होगा।

फॉर्म 9ए आय की राशि की जानकारी प्रदान करता है जिसे पिछले वर्ष के दौरान धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए लागू किया गया माना जाता है। तथापि, फॉर्म 10बी में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में पिछले वर्ष में प्राप्त आय के माने गए अनुप्रयोग के दावे के विवरण की जानकारी प्रदान नहीं की गई है जिसे वास्तविक प्राप्ति के वर्ष में आय के अनुप्रयोग की राशि से कम किया जाना है। लेखापरीक्षा रिपोर्टों में ऐसा विवरण निर्धारण अधिकारी को आय की सही गणना करने में सक्षम बनाएगी।

कर्नाटक में, लेखापरीक्षा में एक निर्धारिती के तीन निर्धारण मामलों का पता चला, जहां निर्धारण अधिकारी ने बाद के निर्धारण वर्ष में अनुप्रयुक्त आय के प्रति एक निर्धारण वर्ष में दावा की गई आय के माने गए अनुप्रयोग को समायोजित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.53 करोड़ के कर प्रभाव

सहित ₹ 6.04 करोड़ की आय की कम गणना हुई। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

(i) सीआईटी(ई) बेंगलुरु प्रभार, कर्नाटक में, शैक्षिक गतिविधियों में लगे एक न्यास, ने नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। अक्टूबर 2017 में धारा 11 के तहत ₹ 16.38 करोड़ की छूट की अनुमति देने के बाद ₹ 'शून्य' की आय पर संवीक्षा निर्धारण को पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती न्यास ने ₹ 1.29 करोड़ की आय के माने गए अनुप्रयोग का दावा किया था जिसे वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुदान के प्रति समायोजित करने के लिए कहा गया था। निर्धारण वर्ष 2014-15 के रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि न्यास ने ₹ 3.25 करोड़ की आय के माने गए अनुप्रयोग का दावा किया था जिसे नि.व. 2015-16 के दौरान समायोजित करने की आवश्यकता थी। तथापि, नि.व. 2015-16 के दौरान ऐसी कोई राशि समायोजित नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.20 करोड़ की आय की कम गणना हुई थी और साथ ही लागू ब्याज सहित ₹ 1.40 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए कहा (मार्च 2022) कि लेखापरीक्षा आपत्ति के बाद में धारा 154 के तहत जारी नोटिस के उत्तर में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत आय की संगणना के विस्तृत विवरण के अनुसार, नि.व. 2014-15 से अग्रणीत ₹ 3.25 करोड़ की राशि को निर्धारिती द्वारा नि.व. 2015-16 के लिए अपनी कुल आय में शामिल किया गया था जिसे ₹ 17.75 करोड़ पर घोषित किया गया था।

मंत्रालय के उत्तर की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा पुष्टि की जा रही है।

5.4 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शैक्षिक न्यासों/संस्थाओं के लिए धारा 12एए के तहत पंजीकृत होने और धारा 11 के तहत छूट का दावा करने के लिए अधिनियम में कोई प्रतिबंध नहीं है, यदि सत्त्व के पास शिक्षा और दान के अन्य अवयव जैसा कि धारा 2(15) के तहत परिभाषित किया गया है दोनों उद्देश्य हैं। परिणामस्वरूप, अधिकांश निजी शैक्षिक न्यासों/संस्थाएं धारा 12एए के तहत स्वयं को पंजीकृत कर लेती हैं।

धारा 80जी के तहत सीएसआर खर्चों के लिए कटौती की अनुमति कल्याणकारी राज्य के लिए कॉर्पोरेट सत्त्वों द्वारा बोझ साझा करने के सरकार के इरादे को

प्रभावित करेगा। कॉर्पस दान/विशिष्ट प्रयोजन निधियों से किए गए अनुप्रयोग के किसी भी दावे के निषेध से संबंधित उपबंध में स्पष्टता की कमी है। निर्धारितियों को उधार ली गई निधियों से प्राप्त पूंजीगत व्यय को अनुप्रयोग के रूप और बाद में, उसी उधार ली गई निधियों के प्रति ऋण के पुनर्भुगतान को भी अनुप्रयोग के रूप में अनुमत कर दोहरे लाभ की अनुमति दी गई थी। प्रशासनिक खर्चों के निपटान में अननुरूपता थी। लेखापरीक्षा में न्यासों/संस्थाओं के कथित उद्देश्य पर आय का वास्तविक अनुप्रयोग किए बिना विभिन्न न्यासों के बीच न्यास निधियों के संचलन को हतोत्साहित करने के लिए प्रावधानों की कमी भी देखी गई।

न्यासों/संस्थाओं द्वारा संचय को हतोत्साहित करने के प्रावधानों की कमी के कारण, लेखापरीक्षा में पाया गया कि न्यासों/संस्थाएं बिना किसी धर्मार्थ गतिविधि को किए इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम अनुमेय राशि तक लगातार प्राप्तियां संचित कर रही थीं। जांचे गए परीक्षण मामलों में, धारा 80जी(5)(vi) के तहत अनुमोदन प्रदान करने में एक दिन से 75 दिनों तक की देरी हुई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया है कि कुछ मामलों में, निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना धारा 12एए/ 80जी(5)(vi) के तहत पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान किया गया था, और न्यास की गतिविधियों के अस्तित्व और वास्तविकता के बारे में क्षेत्रीय जाँच किए बिना धारा 12एए के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया था। विभाग की कार्यालय प्रक्रिया के मैनुअल के अनुरूप न्यास विलेख या विघटन खंड में विघटन खंड को शामिल न किए जाने के संबंध में अनियमितता के मामले लगातार हो रहे हैं।

आयकर विभाग प्रणाली में न्यासों/संस्थाओं के पंजीकरणों/अनुमोदनों से संबंधित डेटा/सूचना से मेल खाने के लिए पर्याप्त जाँच और वैधीकरण नहीं उपलब्ध थे जहाँ रिटर्न को संक्षिप्त रूप से संसाधित किया गया था। विभाग एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर निधियों के अलेखांकित धन को शामिल करने/निधियों के विचलन को रोकने और अस्वीकार्य छूटों का दावा करने से रोकने के लिए अंशदानकर्ता/दानकर्ता के विवरण को कैप्चर नहीं कर रहा है, जैसा कि सीबीडीटी द्वारा धारा 80जी(5) के संबंध में किया गया है ताकि दानकर्ताओं से प्राप्त सूचना के आधार पर दानकर्ताओं के दावे की सटीकता/वास्तविकता को सत्यापित किया जा सके।

दानकर्ता द्वारा अन्य गतिविधियों/उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिए गए धन के विचलन के मामले में छूट को अस्वीकार करने के

लिए अधिनियम में किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में छूट की अनुमति दी जाती है या प्रतिबंधित नहीं की जा रही है जिसमें राजकोष को राजस्व की हानि का जोखिम होता है।

5.5 सिफारिशों का सार

लेखापरीक्षा की सिफारिश है कि:

(i) आयकर विभाग इस शर्त पर धारा 12ए के तहत शैक्षिक न्यासों/संस्थाओं को पंजीकरण प्रदान करने पर विचार कर सकता है कि शैक्षिक और गैर-शैक्षिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग लेखाओं का रखरखाव किया जाए और शैक्षिक गतिविधियों को धारा 10(23सी) के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाए। इसके अलावा, सीबीडीटी निर्धारित न्यासों/संस्थाओं द्वारा शैक्षिक और गैर-शैक्षिक गतिविधियों के अलग-अलग आईटीआर दाखिल करने के विकल्प पर विचार कर सकता है।

(पैराग्राफ 5.1.1)

(ii) परस्परव्यापी धाराओं के दो सेटों के होने का उद्देश्य, विशेष रूप से शैक्षिक और चिकित्सा उद्देश्यों के संबंध में, एक धारा 10(23सी) के तहत 'गैर-लाभार्थ श्रेणी' (जिसमें उच्च प्रतिबंध शामिल हैं) और दूसरा धारा 11 के तहत 'धर्मार्थ श्रेणी' (कम प्रतिबंधों के साथ) लेखापरीक्षा के लिए स्पष्ट नहीं है। तार्किक रूप से, एक चयन के साथ अधिकांश सत्त्व प्रतिबंध की गैर-लाभार्थ श्रेणी की विकल्प नहीं चुनेंगे। सामान्य तौर पर, धारा 10(23सी) की विभिन्न उप-धाराओं के तहत शर्तें, जिसमें यह आवश्यक है कि संस्थाएं पूरी तरह से परोपकारी उद्देश्यों के लिए हैं न कि लाभ के उद्देश्यों के लिए, जो धारा 11 के तहत उन की तुलना में अधिक भारयुक्त हैं, जिसमें 15 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक आय के संचय को ही मात्र प्रतिबंधित करते हैं और "गैर-लाभार्थ" उद्देश्य विशिष्ट नहीं है; तथापि, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आय में छूट के प्रावधान लगभग समान हैं।

राजस्व विभाग, स्पष्ट सरकारी नीति निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न श्रेणियों के तहत अधिनियम में इन शर्तों की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है, जिसके संदर्भ में, धर्मार्थ उद्देश्य "पूरी तरह से परोपकारी उद्देश्यों की आवश्यकता के साथ आय में छूट के योग्य हैं, न कि लाभ के उद्देश्य के लिए" और जिसमें धर्मार्थ उद्देश्य ऐसी आवश्यकता के बिना आय छूट के योग्य हैं।

(पैराग्राफ 5.1.1)

सीबीडीटी ने कहा कि एक धर्मार्थ संस्था एक से अधिक श्रेणी की धर्मार्थ गतिविधियों को कर सकती है। उदाहरण के लिए, एक धर्मार्थ संस्था को शैक्षिक

के साथ-साथ चिकित्सा उद्देश्यों के लिए पंजीकृत किया जा सकता है। गतिविधिवार मॉनिटरिंग का अर्थ यह होगा कि ऐसे न्यासों या संस्थाओं को ऐसे क्षेत्रों के लिए अलग-अलग लेखा-पुस्तकों को बनाए रखना होगा। वर्तमान में, कानून में ऐसी कोई आवश्यकता मौजूद नहीं है। ऐसी आवश्यकता लाने से धर्मार्थ न्यासों या संस्थाओं पर अतिरिक्त अनुपालना बोझ बढ़ जाएगा जो वांछनीय नहीं है।

इसके अलावा, प्रशासनिक व्यय जैसे कई व्यय सामान्य व्यय हैं और उन्हें निकटवर्ती आपस में जुड़े क्षेत्रों में आवंटित करना संभव नहीं हो सकता है।

साथ ही, वित्त विधेयक, 2022 में निहित विभिन्न प्रस्तावों द्वारा दो व्यवस्थाओं के बीच के अंतर को समाप्त करने का प्रस्ताव है। अधिनियमन के लागू होने के बाद दोनों व्यवस्थाएँ समान स्तर पर काम करेंगी।

लेखापरीक्षा ने सीबीडीटी के उत्तर से यह पाया कि वर्तमान वित्त विधेयक 2022 में सीबीडीटी द्वारा विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं। लेखापरीक्षा, सीबीडीटी द्वारा अनुमोदित और कार्यान्वित किए गए प्रस्ताव के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करेगा। तथापि, सीबीडीटी, अधिनियम के उपबंधों को इस प्रकार अधिनियमित करें कि शैक्षिक न्यासों/संस्थाएँ अधिनियम के उपबंधों का अनुचित लाभ न उठा सकें।

(iii) आयकर विभाग संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन के मूल्यांकन पहलुओं की जांच करने के लिए एक मानक परिचालन क्रियाविधि/अनुदेश/दिशानिर्देश जारी कर सकता है और न्यास की संबंधित पार्टी के साथ किए गए लेन-देन की 'युक्तिसंगतता' और 'पर्याप्तता' को उचित ठहराने के लिए एक तंत्र तैयार कर सकता है ताकि निर्धारण अधिकारी निर्धारण की कार्यवाही के दौरान लेन-देन की युक्ति संगतता और पर्याप्तता रूप में स्वयं को संतुष्ट कर सके; और उचित तथा पर्याप्त के रूप में निर्धारित राशि के ऊपर संबंधित पार्टियों के लाभ के लिए उपयोग की गई आय या संपत्ति की राशि पर कर उदग्रहण किया जा सके।

(पैराग्राफ 5.1.2.1)

(iv) सीबीडीटी को एक संशोधन लाने या बाध्यकारी स्पष्टीकरण जारी करने पर विचार करना चाहिए कि क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 द्वारा कवर की गई निर्दिष्ट कंपनियों के सीएसआर व्यय में से इन-हाउस/कॉर्पोरेट न्यासों के साथ-साथ न्यासों को दान धारा 80जी के तहत कटौती के लिए पात्र है, या नहीं। ऐसा संशोधन या बाध्यकारी स्पष्टीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है जिसमें निर्धारण अधिकारियों द्वारा सभी

निर्धारण प्रभारों में प्रावधानों की समान रूप से व्याख्या की जाए और मुकदमें बाजी की संभावना को कम किया जाए।

(पैराग्राफ 5.1.2.3)

सीबीडीटी ने कहा कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अंशदान आय के अनुप्रयोग की प्रकृति में है और इसलिए इसे व्यय के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है। वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 के माध्यम से आयकर अधिनियम की धारा 37 में इस आशय का एक विशिष्ट संशोधन लाया गया था। इस संशोधन से पहले आयकर अधिनियम की धारा 80जी में सूचीबद्ध सत्त्वों की पात्रता को वापस नहीं लिया गया था क्योंकि यह उक्त धारा में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि के लिए दान की पात्रता के लिए, जिसे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में धारा 37 के संशोधन के बाद धारा 80जी में लाया गया था, एक शर्त निर्धारित की गई थी कि इन दोनों निधियों के लिए केवल वे दान आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसरण में निर्धारित द्वारा व्यय नहीं किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीबीडीटी के उत्तर में भारत सरकार की केवल दो योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है, जबकि लेखापरीक्षा में पाया गया है कि कॉर्पोरेटों द्वारा सीएसआर के लिए राशि को अपने स्वयं के न्यासों के माध्यम से व्यय करके अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। इसका एक असाधारण निहितार्थ है कि सीएसआर पर सीधे किए गए व्यय, कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं, लेकिन इन-हाउस या अन्य धर्मार्थ न्यास के माध्यम से सीएसआर व्यय कटौती के रूप में स्वीकार्य हैं। यह संभवतः विधायिका के प्रायोजन के उद्देश्य को ही समाप्त कर देगा। सीबीडीटी, लेखापरीक्षा की सिफारिश पर पुनर्विचार करे।

(v) आयकर विभाग, अधिनियम में नए प्रावधानों को लाने पर विचार कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विशिष्ट उद्देश्य के साथ दान, यदि निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है (जैसे कि बाद में अन्य संगठनों आदि को इस तरह के दान को केवल हस्तांतरित किया जाता है) तो उसमें छूट से इनकार किया जाए और जिस वर्ष में इसका पता लगाया गया है, उस वर्ष में आय के रूप में माना जाना चाहिए।

(पैराग्राफ 5.1.2.4)

सीबीडीटी ने कहा कि किसी न्यास या संस्था को धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के और धारा 10 के खंड (23सी) के 12 वें परंतुक के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पस के लिए अन्य न्यासों या संस्थाओं को दान करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, धारा 10 के खंड (23सी) के 14वें परंतुक और धारा 11 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी न्यास या संस्था द्वारा अपनी संचित आय में से अन्य न्यासों और संस्थाओं को कोई दान नहीं दिया जा सकता है।

इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि जहां न्यास या संस्था की आय का 85 प्रतिशत अनुप्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन संचित किया गया है, ऐसी आय को कुछ शर्तों के अधीन आय की प्राप्ति में व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

इसी प्रकार, आयकर अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) में विशिष्ट पिछले वर्ष का प्रावधान है जिसमें संचित आय को विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों के मामले में कर के अधीन किया जाएगा, जिसमें धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों पर उपयोग की जा रही आय शामिल है, जिन्हें धारा 11 की उप-धारा (2) की आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट किया गया है, या जब आय को 12एए/12एबी के तहत पंजीकृत किसी अन्य न्यास या संस्था को या धारा 10 के खंड (23सी) के उप-खंड (iv), (v), (vi), (viए) के तहत निर्दिष्ट संस्था के किसी भी न्यास को क्रेडिट या भुगतान किया जाता है।

वित्त विधेयक, 2022 के तहत धारा 10 के खंड (23सी) में धारा 10 के खंड (23सी) में स्पष्टीकरण 3 और स्पष्टीकरण 4 के तीसरे परंतुक में अंतःस्थापित करने के माध्यम से भी इसी तरह के प्रावधानों को स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

सीबीडीटी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि धारा 11 की उप-धारा (1) के लिए स्पष्टीकरण 2 के प्रावधान और धारा 10 के खंड (23सी) के 12 वें परंतुक में यह प्रावधान है कि वर्तमान वर्ष की आय में से किसी अन्य धर्मार्थ न्यास को दिए गए कॉर्पस दान को आय के अनुप्रयोग के रूप में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा, धारा 10 के खंड (23सी) के 14वें परंतुक और धारा 11 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि संचय से अन्य न्यासों को दान की गई राशि को आय के अनुप्रयोग के रूप में नहीं माना जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इस अधिनियम के तहत किसी अन्य धर्मार्थ न्यास को कॉर्पस दान में से दिए गए दान के संबंध में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया

गया है जिसे अधिनियम की धारा 11(1)(डी) के तहत छूट दी गई है। इसके अलावा, चूंकि कॉर्पस दान आय का हिस्सा नहीं है और इसके उपयोग के लिए कोई समय सीमा नहीं है, इसलिए अधिनियम में किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में इसकी मॉनिटरिंग करना बहुत मुश्किल है।

वित्त विधेयक 2022 भी इस मामले पर मौन है। सीबीडीटी लेखापरीक्षा सिफारिश पर अपने उत्तर पर पुनर्विचार करे।

(vi) आयकर विभाग प्रशासनिक और स्थापना व्यय के लिए आय के अनुप्रयोग के प्रयोजनार्थ सतत निदान हेतु उचित निर्देश/स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

(पैराग्राफ 5.1.2.6)

उत्तर में, सीबीडीटी ने कहा कि अधिनियम की धारा 11, 12 और 13 में पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं। इसके अलावा, किसी भी व्यय की स्वीकार्यता मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अधिनियम में अनुप्रयोग के लिए उपलब्ध निवल आय के निर्धारण के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। चूंकि स्थापना और प्रशासनिक व्यय विभिन्न श्रेणियों का हो सकता है और जिसका कुछ हिस्सा आय के सृजन के लिए सीधे उत्तरदायी हो सकता है और इसका कुछ हिस्सा धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्य के लिए हो सकता है। सीबीडीटी को आय के अनुप्रयोग के रूप में प्रशासनिक और स्थापना व्यय की अनुमति देते समय निर्धारण अधिकारी द्वारा सुसंगत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उपरोक्त के मद्देनजर, सीबीडीटी अपने उत्तर पर पुनर्विचार करे।

(vii) आयकर विभाग अधिनियम में एक नया प्रावधान लाने पर विचार कर सकता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि चालू वर्ष की आय में से अन्य न्यासों/संस्थाओं से प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान ऐसे प्राप्तकर्ता न्यास या संस्था के पास 15 प्रतिशत की दर से अनुमेय संचय के लिए पात्र नहीं होंगे।

(पैराग्राफ 5.1.2.7)

सीबीडीटी ने कहा कि धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में पहले से ही प्रावधान है कि धारा 12ए या 12एबी के तहत पंजीकृत किसी अन्य न्यास या संस्था को किसी न्यास या संस्था द्वारा जमा या भुगतान की गई कोई भी राशि या धारा 10 के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viए) के तहत संदर्भित संस्था के न्यास को कॉर्पस का हिस्सा बनाने के लिए एक विशिष्ट निर्देश के साथ अंशदान किया जाना आय के अनुप्रयोग के रूप में नहीं माना जाएगा। धारा 11

की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में प्रावधान है कि किसी न्यास या संस्था द्वारा अपनी संचित आय में से अन्य न्यासों और संस्थाओं को कोई दान नहीं दिया जा सकता है।

इसी तरह के प्रावधान धारा 10 के खंड (23सी) के 12वें परंतुक और 14वें परंतुक के अंतर्गत भी उपलब्ध हैं।

हालांकि, विधायी संशोधन के लिए विशिष्ट सुझाव पर 2022 की बजटीय प्रक्रिया के दौरान चर्चा की गई थी और इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया था।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अधिनियम में वर्तमान वर्षों की आय में से अन्य न्यासों को सामान्य दान के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। परिणामस्वरूप, एक संगठन को एक धर्मार्थ संगठन के रूप में माना जाता है, भले ही पूरा दान 15 प्रतिशत के अनुमेय संचय का लाभ उठाने के बाद किसी अन्य न्यास/संस्था को दे दिया जाता है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि एक न्यास से दूसरे न्यास को केवल राशि का हस्तांतरण, विशेष रूप से वास्तविक अनुप्रयोग के बिना प्रत्येक चरण में 15 प्रतिशत अनुमेय संचय के बाद न्यासों की एक श्रृंखला के माध्यम से छूट की अनुमति देने के उद्देश्य को पूरा नहीं होने देता है। इस तरह के कैस्केडिंग संव्यवाहार में धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए फर्जी अनुप्रयोग के जोखिम को कम करने के लिए, सीबीडीटी प्राप्तकर्ता न्यासों/संस्थाओं को प्रतिबंधित करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान लाने पर विचार कर सकता है, यदि वर्ष के दौरान इन न्यासों/संस्थाओं द्वारा कोई धर्मार्थ गतिविधि नहीं की गई थी। इसके अलावा, ऐसे मामलों में प्राप्तकर्ता न्यासों को 15 प्रतिशत संचय की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(viii) आयकर विभाग अधिनियम की धारा 41(1) के प्रावधानों के समान देयता के स्थगन पर स्वैच्छिक अंशदान के रूप में ऋण की आड़ में प्राप्त लंबे समय से लंबित देयता को करारोपित करने के लिए अधिनियम में एक नया प्रावधान लाने पर विचार कर सकता है

(पैराग्राफ 5.1.2.8)

सीबीडीटी ने कहा कि आय के अनुप्रयोग की अनुमति न्यास या संस्था को उस वर्ष में दी जाती है जब इस तरह की राशि का वास्तव में भुगतान किया जाता है। वित्त विधेयक, 2022 ने धारा 11 में स्पष्टीकरण और धारा 10 के खंड (23 सी) में स्पष्टीकरण 3 अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव किया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि किसी भी न्यास या संस्था (धारा 12एए/एबी या जैसा कि धारा 10 के खंड (23सी) के खंड (iv), (v), (vi), (viए) में निर्दिष्ट किया गया

है, के तहत पंजीकृत/अनुमोदित की गई) के द्वारा कोई भी देय राशि ऐसे पूर्व वर्ष में आय के अनुप्रयोग के रूप में मानी जाएगी जिसमें इस तरह की राशि का भुगतान वास्तव में इसके द्वारा किया जाता है बजाय पिछले वर्ष, जिसमें इस तरह की राशि का भुगतान करने की देयता नियमित रूप से इसके द्वारा नियोजित लेखांकन की विधि के अनुसार इस तरह के न्यास द्वारा व्यय की गई थी।

इसलिए, चूंकि आय के अनुप्रयोग की अनुमति वास्तविक भुगतान के आधार पर दी जाती है, इसलिए धारा 12एए/एबी के तहत पंजीकृत/अनुमोदित धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के मामले में या धारा 10 के खंड (23सी) के खंड (iv), (v), (vi), (viए) के संदर्भ में धारा 41 की उप-धारा (1) के समान प्रावधानों की आवश्यकता नहीं है।

सीबीडीटी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सीबीडीटी की प्रतिक्रिया वास्तविक भुगतान के आधार पर देयता की अनुमति देने पर है। तथापि, लेखापरीक्षा तर्क यह था कि कोई भी राशि जो ऋण की आड़ में धर्मार्थ न्यास द्वारा प्राप्त की गई थी और बाद में ऋणदाताओं ने कभी भी न्यास से ऋण के पुनर्भुगतान की मांग नहीं की है, उसे न्यासों/संस्थाओं की आय के रूप में माना जा सकता है और तदनुसार कर को लगाया जा सकता है। सीबीडीटी, लेखापरीक्षा सिफारिश पर अपने उत्तर पर पुनर्विचार करे।

(ix) आयकर विभाग उन मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यासों को केवल असाधारण मामलों में लगातार संचय की अनुमति दी जाती है जहाँ लगातार और वर्धित संचय रहा था, न्यास की गतिविधियों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के लिए निर्धारण अधिकारियों के लिए एक मानक परिचालन क्रियाविधि जारी करके एक उपयुक्त तंत्र विकसित कर सकता है।

(पैराग्राफ 5.1.2.9)

उत्तर में, सीबीडीटी ने कहा कि विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 144 बी में शामिल फेसलेस निर्धारण योजना, 2019 पेश की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि न्यासों/संस्थाओं से संबंधित मामलों की संवीक्षा निर्धारण सहित सभी निर्धारण कार्यवाही टीम-आधारित निर्धारण के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से फेसलेस तरीके से की जाती हैं। वित्त विधेयक, 2022 में धारा 144 बी में संशोधन का भी प्रस्ताव किया गया है ताकि निर्धारिती द्वारा अनुरोध किए जाने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जा सके।

इसके अलावा, ई-सत्यापन योजना, 2021 को दिसंबर 2021 में भी अधिसूचित किया गया है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से राजस्व के साथ उपलब्ध जानकारी के

संग्रह, सत्यापन और संसाधन का प्रावधान है, जिसे चल रही संवीक्षा कार्यवाही में शामिल करने के लिए या अधिनियम के तहत पुनर्निर्धारण कार्यवाही के लिए निर्धारण अधिकारी को भेजा जाएगा।

सीबीडीटी का उत्तर लेखापरीक्षा की सिफारिश के अनुरूप नहीं है क्योंकि सीबीडीटी ने उन न्यासों पर नजर रखने संबंधी सिफारिश का कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया है जो कोई धर्मार्थ कार्यकलाप नहीं कर रहे हैं बल्कि वर्ष-दर-वर्ष लगातार अधिकतम निधियां जमा करके छूट प्राप्त कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, पीएसी ने अपनी 104वीं प्रतिवेदन में पैरा 23 (16वीं लोक सभा प्रतिवेदन) में मंत्रालय से यह भी कहा था कि वह अधिनियम में एक उपयुक्त संशोधन लायें या यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करें कि सबसे पहले न्यासों को केवल अपवादों के रूप में लगातार संचय की अनुमति दी जाए; और दूसरी बात, संचित आय को एक विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न्यासों/संस्थाओं के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए। लेखापरीक्षा में कहा गया है कि पीएसी द्वारा उठाए गए मुद्दों को संतोषजनक ढंग से संबोधित नहीं किया गया है।

चूंकि इस अधिनियम में निधियों के संचय के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है और 96 प्रतिशत से अधिक आईटीआर को संक्षिप्त तरीके से संसाधित किया जाता है, इसलिए सीबीडीटी यह सुनिश्चित करने के लिए फेसलेस निर्धारण व्यवस्था के तहत एक तंत्र विकसित करने की व्यवहार्यता का पता लगा सकता है कि न्यासों/संस्थाओं को केवल असाधारण मामलों में लगातार संचय की अनुमति दी जाए।

इसलिए सीबीडीटी अपने उत्तर पर पुनर्विचार करें।

(x) आयकर विभाग विशिष्ट मापदंडों (दानदाता के नाम और पते के अलावा) जैसे पैन आदि को निर्धारित कर सकता है, जिसमें दानदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारिती द्वारा आवश्यक रूप से प्रकटन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आयकर विभाग द्वारा तय किए जाने वाले दान की एक सीमा से अधिक होने पर दानदाता के पैन का प्रकटन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। आयकर विभाग धन शोधन के जोखिम को कम करने के लिए निर्धारण प्रक्रिया को मजबूत करने और राजस्व की हानि को रोकने के लिए दानदाताओं के विवरणों का अभिग्रहण करने के लिए आईटीआर में एक नई अनुसूची शुरू करने पर भी विचार कर सकता है।

(पैराग्राफ 5.1.2.10)

सीबीडीटी ने कहा कि वित्त अधिनियम, 2020 के तहत दानकर्ता द्वारा दान के दावे की जाँच करने के लिए दानग्राही द्वारा दान का विवरण फाइल करने के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं। ये प्रावधान 01.04.2021 से प्रभावी हैं।

वित्त अधिनियम, 2020 के तहत धारा 80जी (2) (viii), 80जी(2)(ix) और धारा 35(1ए) में 01.04.2021 से अंतःस्थापित प्रावधानों के अनुसार, धारा 80जी(2)(ए)(iv)/ धारा 35 के तहत कटौती की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब एक दानग्राही द्वारा एक विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसे प्राप्त दान के संबंध में एक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। ऐसा न कर पाने की स्थिति में शुल्क और शास्ति उद्ग्रहीत किया जाएगा।

धारा 80जी की उप-धारा (5) के खंड (viii) और खंड (ix) के अधीन अथवा धारा 35 की उप-धारा (1ए) के अधीन विवरणों को फॉर्म 10बीडी में, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 18एबी के अनुसार दानग्राही द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। फॉर्म संख्या 10बीडी में दानकर्ताओं की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो पैन या आधार संख्या हो सकती है। यदि कोई भी उपलब्ध न हो, तो उस देश की करदाता पहचान संख्या में से कोई एक, जहां व्यक्ति रहता हो, पासपोर्ट संख्या, मतदानकर्ता की फोटो पहचान संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस संख्या, राशन कार्ड संख्या, प्रदान करने की आवश्यकता है।

सीबीडीटी न्यासों/संस्थाओं द्वारा प्राप्त अनाम दान पर कर लगाना सुनिश्चित कर सकता है, यदि ऐसे दानकर्ता की वास्तविकता स्थापित नहीं की जाती है।

(xi) आयकर विभाग यह सुनिश्चित करे कि न्यासों/संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करने के लिए अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा का सीआईटी (ई) द्वारा पालन किया जाए।

(पैराग्राफ 5.2.2)

(xii) आयकर विभाग यह सुनिश्चित करे कि न्यासों/संस्थाओं को पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करते समय सीआईटी (ई) द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

(पैराग्राफ 5.2.4)

(xiii) आयकर विभाग यह सुनिश्चित करे कि न्यास/संस्था की गतिविधियों की मौजूदगी और उसकी यथार्थता के बारे में क्षेत्रीय जांच की जा सकती है और पंजीकरण प्रदान करते समय आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसकी एक रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा जाए।

(पैराग्राफ 5.2.5)

उपरोक्त पैराग्राफों 5.2.2, 5.2.4 और 5.2.5 में उल्लिखित सिफारिशों के उत्तर में, सीबीडीटी ने उत्तर में कहा कि वित्त अधिनियम, 2020 ने अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर अधिनियम की धारा 12ए, 10(23सी) और 80जी में निर्दिष्ट सत्त्वों के अनुमोदन/पंजीकरण/अधिसूचना से संबंधित कई प्रावधानों में संशोधन किया है। यह प्रावधान किया गया था कि उक्त धाराओं के तहत छूट/कटौती के लिए पंजीकरण/अनुमोदन प्राप्त करने वाली ऐसी संस्थाओं को एक समय में पांच वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। पंजीकरण की नई प्रक्रिया उन सत्त्वों पर भी लागू होगी जो उक्त धाराओं के तहत पहले से ही अनुमोदित हैं, जिन्हें फिर से पंजीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा। यह भी प्रावधान किया गया था कि छूट की मांग करने वाले नए सत्त्वों लेकिन जिन्होंने गतिविधियां शुरू नहीं की हैं, उन्हें 3 वर्षों की अवधि के लिए अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है।

इसके अलावा, वित्त विधेयक, 2022 ने धारा 12एबी और धारा 10(23सी) में संशोधन का भी प्रस्ताव किया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां किसी न्यास/संस्था को पंजीकरण/अनुमोदन या अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान किया गया है और तत्पश्चात्, प्र. सीआईटी/सीआईटी ने एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट उल्लंघन की घटना को देखा है, जैसा कि निर्धारित किया गया है, तो पंजीकरण/अनुमोदन या न्यास/संस्था को प्रदान किए गए अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद रद्द किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने सीबीडीटी के उत्तर से देखा कि सीबीडीटी द्वारा न्यासों/संस्थाओं के पुनः पंजीकरण या अनुमोदन के संबंध में विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं, जिन्हें अभी पूरा नहीं किया गया है, क्योंकि पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.03.2022 है। वर्तमान वित्त विधेयक 2022 में पंजीकरण/अनुमोदन रद्द करने के संबंध में कई प्रस्ताव भी किए गए हैं। लेखापरीक्षा को पुनः पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम परिणाम के साथ-साथ वित्त विधेयक 2022 के प्रस्तावित अनुमोदन और कार्यान्वयन का इंतजार होगा। तथापि, सीबीडीटी को यह सुनिश्चित करना है कि न्यासों/संस्थाओं को पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करते समय उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

(xiv) आयकर विभाग उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए उन मामलों की समीक्षा करे जहां निर्धारितियों को छूट दी गई थी, वहां न्यास विलेख में कोई विघटन खंड नहीं था, या विघटन खंड निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।

इसके अलावा, आयकर विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने की भी आवश्यकता है कि उपयुक्त विघटन खंड के अभाव में सत्त्वों को छूट देने के लिए कोई पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया है।

(पैराग्राफ 5.2.6)

(xv) आयकर विभाग आईटी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए ताकि डेटा के इनपुट संवीक्षा किए जाने वाले मामलों की उचित पहचान के लिए चयन मानदंडों के अनुरूप हों।

आयकर विभाग को आईटीआर-7 में अभिगृहीत डेटा घटकों के विस्तार पर विचार करना चाहिए, यदि आवश्यक हो, तो आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की जाने वाली सकल आय या छूट प्राप्त आय की सीमा के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह प्रासंगिक डेटा को अभिगृहीत करने में सक्षम बनाएगा जो छोटे न्यासों/सत्त्वों को असुविधाजनक बनाए बिना सीएसएस चयन के लिए एक बेहतर और अधिक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण को समर्थ बनाएगा।

(पैराग्राफ 5.3.1)

(xvi) आयकर विभाग

(क) अधिनियम की धारा 12ए/80जी/10(23सी) के तहत पंजीकृत सभी न्यासों/संस्थाओं के पंजीकरण डेटा को डिजिटल रूप से समेकित कर सकता है और सीपीसी के माध्यम से आईटीआर के प्रसंस्करण के दौरान पंजीकरण की यथार्थता को सत्यापित करने के लिए आईटीआर में फाइल किए गए डेटा के साथ इसका मिलान कर सकता है; और

(ख) धारा 12ए (2) के दूसरे परंतुक को उपयुक्त रूप से संशोधित कर सकता है ताकि निर्धारण अधिकारी को ऐसे मामलों की फिर से जांच करने में समर्थ बनाया जा सके जहां निर्धारिती ने वैध पंजीकरण के बिना धारा 11 या 12 के तहत अनियमित छूट का दावा किया है।

(पैराग्राफ 5.3.2)

उत्तर में, सीबीडीटी ने कहा कि वित्त अधिनियम, 2020 ने अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर अधिनियम की धारा 10(23सी), 12ए, 35 और 80जी में निर्दिष्ट कुछ संस्थाओं के अनुमोदन/पंजीकरण/अधिसूचना से संबंधित कई प्रावधानों में संशोधन किया है। यह प्रावधान किया गया था कि उक्त धाराओं के तहत छूट/कटौती के लिए अनुमोदन/पंजीकरण/अधिसूचना की मांग करने वाली ऐसी संस्थाओं को एक समय में पांच वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। पंजीकरण की नई प्रक्रिया उन संस्थाओं पर

भी लागू होगी जो उक्त धाराओं के तहत पहले से ही अनुमोदित हैं, जिन्हें फिर से पंजीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा। यह भी प्रावधान किया गया था कि छूट की मांग करने वाले नए सत्त्वों लेकिन जिन्होंने गतिविधियां शुरू नहीं की हैं, उन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम पंजीकरण प्रदान किया जा सकता है।

तदनुसार, 2021 की दिनांक 26.03.2021 की अधिसूचना संख्या 19 के तहत उपरोक्त धाराओं के तहत कवर किए गए छूट प्राप्त सत्त्वों के पंजीकरण/अनुमोदन/ अधिसूचना के लिए नई प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है।

नए फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापक जानकारी को कैप्चर करते हैं जिसे आईटीआर-7 में प्रदान की गई जानकारी के लिए मैप किया जा सकता है। पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.03.2022 है। एक बार पुनः पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, धर्मार्थ संस्थाओं का डेटाबेस अदिनांकित हो जाएगा। अब तक, सीपीसी, रिटर्न को संसाधित करने के समय धर्मार्थ संस्था के पंजीकरण विवरणों को सत्यापित करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि न्यासों और संस्थाओं का डेटाबेस पूरा नहीं हुआ था। पुनः पंजीकरण प्रक्रिया के पूरा होने के साथ, सीपीसी, रिटर्न को संसाधित करने के समय धर्मार्थ संस्थाओं के पंजीकरण विवरणों को सत्यापित करने की स्थिति में होगा।

एक बार जब पुनः पंजीकरण डेटाबेस पूरा हो जाता है, तो कोई भी न्यास या संस्था वैध पुनः पंजीकरण के बिना छूट का दावा करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए, इस तरह के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। धारा 12एबी के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे धर्मार्थ संस्थाओं को छूट देने से मना किया जा सकता है।

सीबीडीटी यह सुनिश्चित करे कि रिटर्न को संसाधित करने के समय धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के पंजीकरण विवरणों को सत्यापित करने के लिए आयकर विभाग प्रणालियों अर्थात् सीपीसी में पर्याप्त नियंत्रण शामिल किए जाएं ताकि अनुचित लाभों की अनुमति न दी जा सके।

(xvii) आयकर विभाग फॉर्म आईटीआर-7 में अंशदाता/दानदाता से संबंधित डेटा/सूचना को अभिगृहीत कर सकता है जैसा कि धारा 80जी (5) के संबंध में किया गया है ताकि अंशदान/दान की गई निधियों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

(पैराग्राफ 5.3.5)

सीबीडीटी ने कहा कि आईटीआर-7 को अधिसूचित करते समय सिफारिश की जाँच की जाएगी।

(xviii) आयकर विभाग निम्नलिखित को समाविष्ट करते हुए फॉर्म 10बी को संशोधित करने पर विचार कर सकता है:

- (क) विभिन्न शीर्षों के तहत प्राप्ति का विवरण और पूरी तरह से न्यास द्वारा धारित संपत्ति से प्राप्त आय।
- (ख) कॉर्पस दान की प्राप्ति, इसके उपयोग और कॉर्पस दान से व्यय के दावे के बारे में विस्तृत जानकारी
- (ग) पिछले वर्ष में प्राप्त आय के माने गए अनुप्रयोग के दावे पर विस्तृत जानकारी जिसे वास्तविक प्राप्ति के वर्ष में आय के अनुप्रयोग की राशि से कम किया जाना है ताकि निर्धारिती द्वारा किए गए दावे की शुद्धता को सत्यापित करने में निर्धारण अधिकारी को सक्षम बनाया जा सके।

(पैराग्राफ 5.3.6.1, 5.3.6.2 और 5.3.6.3)

उत्तर में सीबीडीटी ने कहा कि मसौदा फॉर्म 10बी में, जिसे 2019 में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था, जिसमें न्यास द्वारा की गई व्यावसायिक गतिविधियों के विशिष्ट विवरण, जिसमें व्यवसाय की प्रकृति, बैलेंस शीट, लाभ और हानि लेखा, लाभ और हानि की राशि, लेखे की तैयारी में लेखांकन नीतियों का विवरण, धारा 11 की उप-धारा (1बी) के तहत मानी गई आय आदि शामिल हैं। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण फॉर्म को अधिसूचित नहीं किया जा सका और इसे उचित समय पर अधिसूचित किया जाएगा। इसके अलावा, कॉर्पस दान के संबंध में, सीबीडीटी ने कहा कि फॉर्म संख्या 10 बी में उपयुक्त संशोधनों की जाँच इसे अंतिम रूप देते समय की जाएगी।

लेखापरीक्षा सीबीडीटी द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करेगा।

अध्याय 6: निर्धारण करने में अधिनियम/नियमावली/परिपत्रों के मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन

अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विभिन्न शर्तों को पूरा करने के अधीन धारा 10(21), 10(23सी) और 11 के अंतर्गत धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को छूट प्रदान की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारण के दौरान छूट के लिए विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी हुई हैं, निर्धारण अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अधिनियम के प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, सीबीडीटी द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/अनुदेशों और प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों को लागू करने में यथोचित कर्मठता दिखाए। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने संवीक्षा की कि क्या विभाग ने निर्धारणों की नमूना जांच को पूरा करने में अधिनियम/नियमों/परिपत्रों के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया था।

लेखापरीक्षा में ₹ 1173.92 करोड़ के कर प्रभाव वाले 950 निर्धारण मामलों में त्रुटियाँ जैसे न्यासों और संस्थाओं को अनियमित छूट, आय की गलत गणना, आय के अनुप्रयोग की गलत गणना, संचय की अनियमित अनुमति, कॉर्पस दान पर छूट की अनियमित अनुमति, कर/अधिभार/ब्याज का गलत उद्ग्रहण आदि देखी गई। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

तालिका 6.1: श्रेणी-वार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ			
क्र. सं.	अभ्युक्ति की प्रकृति	मामलों की संख्या	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
1	धारा 10(23सी)(iiiएडी) के तहत छूट की अनियमित अनुमति	7	2.36
2	छूट की अनियमित अनुमति जब न्यासों/संस्थाओं को सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित नहीं किया जाता है	10	46.71
3	आय की गलत गणना	31	496.66
4	आय के अनुप्रयोग की गलत गणना	27	42.38
5	संचय की अनियमित अनुमति	66	68.14
6	न्यास की आय या संपत्ति का उपयोग पर्याप्त हित वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए किए जाने के बावजूद छूट की अनुमति	22	33.07
7	उन परिसंपत्तियों पर मूल्यहास की अनियमित अनुमति जिनके अधिग्रहण का दावा पहले से ही आय के अनुप्रयोग के रूप में किया जा चुका था	8	13.78
8	आय के अनुप्रयोग के रूप में कॉर्पस/निर्धारित निधियों से व्यय की अनियमित अनुमति	11	81.58

तालिका 6.1: श्रेणी-वार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ			
क्र. सं.	अभ्युक्ति की प्रकृति	मामलों की संख्या	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
9	कॉर्पस दान पर छूट की अनियमित अनुमति	9	52.08
10	गतिविधियों के धर्मार्थ प्रकृति के नहीं होने के बावजूद न्यासों को छूट दी गई	9	189.07
11	कर/अधिभार/ब्याज का गलत उद्ग्रहण	65	103.11
12	शास्ति का गैर-उद्ग्रहण	651	1.68
13	निर्धारण में पाई गई अन्य कमियां	34	43.30
	कुल	950	1,173.92

6.1 छूटों की अनियमित अनुमति

अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विभिन्न शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन धारा 10(23सी) और 11 के अधीन धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को छूट प्रदान की जाती है। लेखापरीक्षा में ऐसे मामलों को पाया गया जहां निर्धारण के दौरान न्यासों/संस्थाओं की पात्रता का सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप छूट की अनियमित अनुमति मिली। मामलों पर आगामी पैराग्राफों में विस्तार से चर्चा की गई है।

6.1.1 धारा 10(23सी) (iiiएडी) के तहत छूट की अनियमित अनुमति

धारा 10(23सी)(iiiएडी)⁷⁸ जिन विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान की कुल वार्षिक प्राप्तियां ₹ एक करोड़ की वार्षिक प्राप्ति की राशि से अधिक नहीं हैं, ऐसे किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान को छूट प्रदान करती है जो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मौजूद है, न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए।

लेखापरीक्षा में ₹ 2.36 करोड़ के कर प्रभाव वाले सात निर्धारण मामलों⁷⁹ में पाया की इन विश्वविद्यालयों या शैक्षिक संस्थानों की कुल वार्षिक प्राप्तियां ₹ एक करोड़ से अधिक होने के बावजूद छूट की अनियमित रूप से अनुमति दी गई थी। एक मामला नीचे दर्शाया गया है:

- (i) सीआईटी (ई) चंडीगढ़ प्रभार, पंजाब में, शैक्षिक गतिविधियों में शामिल एक निजी न्यास ने नि.व. 2016-17 और 2017-18 के लिए दोनों वर्षों के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। नि.व. 2016-17 के लिए संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में ₹ 'शून्य' आय पर पूरा किया गया था और नि.व. 2017-18 के लिए आय का रिटर्न (आईटीआर)

⁷⁸ विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थान जो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मौजूद है और लाभ के प्रयोजनों के लिए नहीं, उन्हें कर से छूट दी जाती है

⁷⁹ आंध्र प्रदेश -2, पंजाब -2 और राजस्थान -3

₹ 'शून्य' आय पर संक्षिप्त रूप में संसाधित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती को धारा 10(23सी) (iiiएडी) के तहत ₹ 2.29 करोड़ (नि.व. 2016-17 में ₹ 1.12 करोड़ और नि.व. 2017-18 में ₹ 1.17 करोड़) की छूट की अनुमति दी गई थी। चूंकि निर्धारिती न्यास की सकल प्राप्त ₹ एक करोड़ की निर्धारित सीमा से अधिक थी, इसलिए धारा 10(23सी)(vi) के तहत प्र. सीआईटी/सीआईटी के अनुमोदन की आवश्यकता थी, परंतु निर्धारिती द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.29 करोड़ की अनियमित छूट मिली थी, जिसमें ₹ 1.17 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और मार्च 2021 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की गई है।

6.1.2 न्यासों/संस्थाओं को सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित नहीं किए जाने की स्थिति में छूट की अनियमित अनुमति

अधिनियम की धारा 10(23सी)(iiiएबी) के अनुसार, किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान की कोई भी आय जो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है, न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए, और जो पूरी तरह से या पर्याप्त रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित है, को पिछले वर्ष की कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

आयकर नियमावली, 1962 (नियम) के नियम 2बीबीबी में यह भी प्रावधान है कि धारा 10(23सी)(iiiएबी) के प्रयोजनों के लिए, किसी सत्त्व को सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित माना जाएगा, यदि ऐसे सत्त्व के संगत पिछले वर्ष के दौरान सरकारी अनुदान किसी भी स्वैच्छिक अंशदान सहित कुल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक है।

लेखापरीक्षा में ₹ 46.71 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 10 निर्धारण मामलों⁸⁰ में पाया गया कि उन विश्वविद्यालयों या शैक्षिक संस्थानों को छूट की अनियमित रूप से अनुमति दी गई थी जिन्हें सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित नहीं किया गया था। दो मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

- (i) सीआईटी (ई) चंडीगढ़ प्रभार, पंजाब में शैक्षिक गतिविधियों में शामिल एक निजी सोसाइटी ने निर्धारण वर्षों 2015-16 और 2016-17 के लिए आय का रिटर्न दोनों निर्धारण वर्ष के लिए ₹ 'शून्य' आय पर फाइल किया था।

⁸⁰ गुजरात - 1, पंजाब - 5 और राजस्थान - 4

नि.व. 2015-16 के लिए आईटीआर को ₹ 'शून्य' आय पर संक्षिप्त में संसाधित किया गया था और नि.व. 2016-17 के लिए संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में ₹ 'शून्य' आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नि.व. 2015-16 और नि.व. 2016-17 के लिए, धारा 10(23सी)(iiiएबी) के तहत छूट की अनुमति दी गई थी, यद्यपि निर्धारिती को सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित नहीं किया गया था। प्राप्त अनुदान दोनों नि.व. में ₹ 41.35 करोड़ की सकल प्राप्ति के मुकाबले ₹ 19.35 करोड़ था, जो उपरोक्त उपबंध के अनुसार निर्धारित 50 प्रतिशत से कम था। इसके परिणामस्वरूप दोनों नि.व. में ₹ 5.57 करोड़ की छूट की अनियमित अनुमति मिली, जिसमें ₹ 2.77 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और मार्च 2021 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की गई है।

- (ii) सीआईटी (ई) जयपुर प्रभार, राजस्थान में, शैक्षिक गतिविधियों में शामिल एक सरकारी सत्त्व और पीए नमूने में 'उच्च मूल्य मामले'⁸¹ के रूप में चयनित, ने नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। संवीक्षा निर्धारण ₹ 58.55 करोड़ की छूट की अनुमति देने के बाद दिसंबर 2018 में ₹ 'शून्य' आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि संस्थान की कुल प्राप्ति ₹ 60.09 करोड़ थी, जिसमें ₹ 1.38 करोड़ का सरकारी अनुदान भी शामिल था। चूंकि सरकारी अनुदान कुल प्राप्ति का केवल 2.29 प्रतिशत था, इसलिए इसे सरकार द्वारा पूर्ण या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, धारा 10(23सी)(iiiएबी) के तहत ₹ 58.55 करोड़ की छूट की अनुमति अनियमित थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.02 करोड़ का कम कर उद्ग्रहीत किया गया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और मार्च 2021 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की गई है।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिनियम की धारा 10(23सी)(iiiएबी) के अंतर्गत विशिष्ट प्रावधानों के बावजूद, कतिपय मामलों में निर्धारण के दौरान

⁸¹ ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक की सकल प्राप्ति

निर्धारण अधिकारी द्वारा छूट के लिए न्यासों/संस्थाओं की पात्रता सत्यापित नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई थी।

6.2 आय और उसके अनुप्रयोग की गलत गणना

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत, निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय का सटीक निर्धारण करना आवश्यक है और इस प्रकार के निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय या उसे प्रतिदाय योग्य सटीक राशि का निर्धारण करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, धारा 11(1)(ए) में प्रावधान है कि ऐसी संपत्ति से व्युत्पन्न आय, जो पूर्णतः धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित है, उस सीमा तक आय में शामिल नहीं की जाएगी जिस तक भारत में धर्मार्थ प्रयोजनों में प्रयोग किए जाने के लिए संचित की जाती है, या अलग रखी जाती है वहाँ उस सीमा तक जिस तक इस प्रकार संचित की गई या अलग रखी आय उस संपत्ति से होने वाली आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है। लेखापरीक्षा ने 60 मामलों में पाया कि निर्धारणों अधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, आय या आय के अनुप्रयोग की सटीक गणना नहीं की, जो आगामी पैराग्राफ में दर्शाया गया है:

6.2.1 आय की सटीक गणना

लेखापरीक्षा में न्यासों की विभिन्न प्राप्तियों को आय के रूप में न मानने, अपील प्रभाव देने में त्रुटियों आदि के कारण न्यासों द्वारा धारित संपत्ति से आय का निर्धारण करते समय ₹ 496.66 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 31 निर्धारण मामलों⁸² में त्रुटियां पाई गईं। सात मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

- (i) सीआईटी (ई) कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, चिकित्सा राहत में शामिल एक सरकारी सोसाइटी और लेखापरीक्षा नमूने में 'शीर्ष 200' मामले के रूप में चयनित, ने नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया और अक्टूबर 2018 में ₹ 'शून्य' आय पर संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण आदेश में, संस्था की सकल प्राप्त को ₹ 1485.54 करोड़ स्वीकार किया गया था। तथापि, आय के रिटर्न और फॉर्म 10बीबी की संवीक्षा से पता चला कि विचाराधीन अवधि के लिए निर्धारिती की सकल प्राप्त ₹ 2,525.04 करोड़ थी। इस प्रकार, ₹ 359.75 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 1,039.50 करोड़ की सकल प्राप्त पर कम विचार किया गया।

⁸² गुजरात-2, कर्नाटक-2, केरल-1, महाराष्ट्र-10, पंजाब-6, तमिलनाडु-5, उत्तर प्रदेश-1 और पश्चिम बंगाल-4

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और मार्च 2021 में धारा 154/143(3) के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।

- (ii) सीआईटी (ई), अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में, 'सामान्य जन सेवाओं' की गतिविधि में शामिल एक सरकारी सत्त्व ने नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया था। वर्ष के दौरान सकल प्राप्ति ₹ 481.18 करोड़ थी और पीए नमूने में मामले को 'शीर्ष 200' मामले के रूप में चुना गया था। संवीक्षा निर्धारण अक्टूबर 2018 में ₹ 733.88 करोड़ पर पूरा किया गया था। निर्धारिती ने संवीक्षा निर्धारण के विरुद्ध अपील फाइल की और सीआईटी (ए) के दिसंबर 2018 के आदेश के अनुसार मार्च 2019 में अपील प्रभाव दिया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अपील आदेश को प्रभावी करते समय निर्धारण अधिकारी ने उसी राशि की आय के स्थान पर ₹ 155.03 करोड़ के नुकसान का गलत तरीके से निर्धारण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 53.67 करोड़ का कम कर उद्ग्रहीत किया गया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और फरवरी 2021 में धारा 154 के तहत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।

- (iii) सीआईटी (ई) मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, 'बी' लिमिटेड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व शाखा के रूप में स्थापित और कई धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल एक निजी न्यास, ने नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। इस मामले को पीए नमूने में 'उच्च मूल्य' मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 55.89 करोड़ थी। संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2017 में पूरा किया गया था, जिसमें आय का निर्धारण ₹ 'शून्य' पर किया गया था। 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए 'लेखाओं पर टिप्पणियाँ' से यह पाया गया कि निर्धारिती ने एफसीआरए पंजीकरण के लिए आवेदन किया था जो लंबित था परंतु निर्धारिती ने विदेशी अंशदान स्वीकार किया, जो वर्ष के दौरान ₹ 63.22 करोड़ था और जिसे निलम्ब खाते में रखा गया था। 'लेखाओं पर टिप्पणियाँ' में एक प्रकटन किया गया था कि यदि न्यास एफसीआरए पंजीकरण प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उक्त राशि संबंधित अंशदानकर्ताओं को वापस कर दी जाएगी।

एफसीआरए अधिनियम 2010 की धारा 11(1) और 11(2) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति तब तक विदेशी अंशदान स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि वह केंद्र सरकार से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है और यदि अपने पंजीकरण से पहले किसी विदेशी अंशदान को स्वीकार करता है, तो उसे केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती के पास न तो एफसीआरए अधिनियम, 2010 के तहत आवश्यक पंजीकरण था और न ही विदेशी अंशदान प्राप्त करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त की गई थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आगामी वर्ष (अर्थात्, नि.व. 2016-17) में, निर्धारिती ने सितंबर 2015 में एफसीआरए पंजीकरण प्राप्त किया। निर्धारिती ने पहले के वर्ष में निलम्ब खाते में रखे गए ₹ 63.22 करोड़ के विदेशी अंशदान में से, अपने एफसीआरए खाते में ₹ 47.76 करोड़ हस्तांतरित किए, और शेष राशि को सावधि जमा में निवेश किया गया था। आयकर अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के तहत, अंशदान, एक स्वैच्छिक अंशदान होने के नाते, न्यास की आय के रूप में स्वीकार किया जाना आवश्यक था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 63.22 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 21.39 करोड़ का कम कर उद्ग्रहीत किया गया। मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

(iv) सीआईटी (ई) कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, 'चिकित्सा राहत' की गतिविधि में शामिल एक निजी न्यास ने नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। इस मामले को पीए नमूने में 'शीर्ष 200' मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 197.05 करोड़ थी। संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में ₹ 'शून्य' आय (₹ 41.47 करोड़ का घाटा) पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चला जिसके परिणामस्वरूप कुल कर प्रभाव ₹ 3.37 करोड़ रहा:

(क) कर योग्य आय की गणना में, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा अपने आय और व्यय लेखे में आय के रूप में स्वीकार किए गए ₹ 5.18 करोड़ के 'प्रभाजित रोगी देखभाल कोष' की कटौती की थी, जो ऐसी आय के प्रति किए गए व्यय की तदनुरूपी कटौती के बिना की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.18 करोड़ के 'घाटा' में अनियमित वृद्धि हुई जिसमें ₹ 1.77 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

(ख) ₹ 41.47 करोड़ के 'घाटे' की गणना करते हुए 'आय और व्यय लेखे के अनुसार व्यय की कुल राशि' में ₹ 1.96 करोड़ की राशि के 'कार्य प्रगति पर (डब्ल्यूआईपी)' को जोड़ा गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि नि.व. 2015-16 के लिए डब्ल्यूआईपी के अंत शेष और नि.व. 2016-17 के लिए डब्ल्यूआईपी के आरंभिक शेष में विसंगति थी। नि.व. 2016-17 के लिए निर्धारिती द्वारा दावा किए गए 'डब्ल्यूआईपी' ₹ 1.96 करोड़ के बजाय ₹ (-) 2.51 करोड़ होना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप आय की गणना करते समय ₹ 4.47 करोड़ के 'घाटे' में अनियमित वृद्धि हुई। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 4.47 करोड़ के घाटे का अधिक निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 1.53 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

(ग) 'उद्दिष्ट निधि' पर ₹ 27.31 लाख की ब्याज आय को आय की गणना करते समय प्राप्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था जिसमें ₹6.64 लाख का कर प्रभाव शामिल है।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और दिसंबर 2021 में धारा 263/143(3) के तहत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की है।

(व) सीआईटी (ई) लखनऊ प्रभार, उत्तर प्रदेश में, शैक्षिक गतिविधियों में शामिल एक निजी न्यास ने नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। पीए नमूने में इस मामले को 'उच्च मूल्य' के मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 99.69 करोड़ थी। संवीक्षा निर्धारण, दिसंबर 2018 में, 'जे यूनिवर्सिटी' के लिए भूमि के अधिग्रहण पर व्यय किए गए ₹ 9.83 करोड़ जोड़ने के बाद, जो न तो निर्धारिती के न्यास का हिस्सा था, और न ही निर्धारिती के न्यास के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसी भी गतिविधि पर किया गया व्यय, धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत ₹ 25.11 करोड़ की आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया निर्धारण अधिकारी ने 'जे यूनिवर्सिटी' के लिए ₹ 42.76 करोड़ में खरीदी की गई कुल अचल परिसंपत्ति में से ₹ 9.83 करोड़ की आंशिक अस्वीकृति दी और ₹ 32.93 करोड़ की अनुमति दी, जिसे भी अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए था और निर्धारिती की आय में वापस जोड़ा जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.23 करोड़ कर प्रभाव के साथ ₹ 32.93 करोड़ की आय की कम गणना हुई।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और दिसंबर 2021 में धारा 154 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की गई है।

- (vi) सीआईटी (ई) मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार द्वारा सृजित एक स्थानीय प्राधिकरण जो 'गरीबों को राहत' की गतिविधि में शामिल है, ने नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। इस मामले को पीए नमूने में 'शीर्ष 200' मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 180.37 करोड़ थी। संवीक्षा निर्धारण अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट को मना करने के बाद ₹ 492.25 करोड़ पर आय का निर्धारण करते हुए दिसंबर 2018 में पूरा किया गया था। बैलेंस शीट की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने जब्त/व्यपगत जमा राशि से संबंधित एक निधि में ₹ 23.04 करोड़ की राशि हस्तांतरित की थी। लेखापरीक्षा ने लेखाओं पर टिप्पणियों से पाया कि ये जमा तीन साल से अधिक समय से अदावाकृत जमा को दर्शाते हैं जिन्हें 'व्यपगत' माना गया है और सीधे रिजर्व में अंतरित किया गया था। चूंकि यह राशि निर्धारिती की आय को दर्शाती है, इसलिए इसे कर के अंतर्गत लाने की आवश्यकता थी। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 23.04 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 8.0 करोड़ के कर का कम उदग्रहण शामिल था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

- (vii) सीआईटी (ई), मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में 'गरीबों को राहत' की गतिविधि में शामिल एक निजी न्यास ने नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। निर्धारिती को लेखापरीक्षा नमूने में 'उच्च मूल्य' मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 101.21 करोड़ थी। संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में पूरा किया गया था, जिसमें आय का निर्धारण ₹ 'शून्य' पर किया गया था। यह न्यास एक संस्था के अंदर आने वाले लोगों को बेहतर वातावरण में आधुनिक सुविधाओं और अधिक स्थान के साथ स्वामित्व वाले फ्लैट प्रदान करके उनके उत्थान और कल्याण के लिए स्थापित किया गया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 140.63 करोड़ के घाटे को निर्धारिती को अग्रणीत करने की अनुमति नहीं दी क्योंकि घाटे को कॉर्पस दान (₹ 101.21 करोड़) और ऋण (₹ 90 करोड़) से पूरा किया गया था। निर्धारण अधिकारी ने यह भी

निष्कर्ष निकाला कि कॉर्पस दान और ऋण स्वैच्छिक अंशदान की प्रकृति के थे और छूट के दावे के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने थे। कॉर्पस दान और ऋण को स्वैच्छिक अंशदान होने के नाते आय के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए था, जो निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था। निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण के निष्कर्षों के अनुसार कुल आय की गणना ₹ 50.58 करोड़ पर न करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 17.48 करोड़ के कर का उद्ग्रहण नहीं किया गया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने पाया कि कतिपय मामलों में, निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, विभाग ने न्यासों की विभिन्न प्राप्तियों पर न्यासों द्वारा धारित संपत्ति से आय के रूप में स्वीकार नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप आय की गलत गणना और कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

6.2.2 आय के अनुप्रयोग की गलत गणना

लेखापरीक्षा में ₹ 42.38 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 27 निर्धारण मामलों⁸³ को पाया गया, जहां निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय अस्वीकार्य व्यय को धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए आय के अनुप्रयोग के रूप में स्वीकार किया था। उन अस्वीकार्य व्ययों में *अन्य बातों के साथ-साथ* फॉर्म 9ए फाइल किए बिना माने गए अनुप्रयोग की अनुमति, गृह संपत्ति आय पर धारा 24(ए) के तहत मानक कटौती की अनुमति, विभिन्न प्रावधानों की अनुमति और आय के अनुप्रयोग के रूप में आयकर, टीडीएस आदि जैसे व्यय की अनुमति शामिल थी। पांच मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

- (i) सीआईटी (ई) चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, शैक्षिक गतिविधियों में शामिल एक निजी न्यास ने नि.व. 2017-18 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 55.17 करोड़ थी और निर्धारण दिसंबर 2019 में ₹ 'शून्य' आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने धारा 11(1) की व्याख्या (1) के खंड (2) के तहत पिछले वर्ष के दौरान ₹ 24.79 करोड़ के माने गए अनुप्रयोग का दावा किया था। तथापि, निर्धारिती ने आयकर नियमावली के नियम 17 में परिकल्पित अपेक्षित फॉर्म 9ए फाइल नहीं किया था। इस प्रकार, ₹ 24.79 करोड़ के माने गए अनुप्रयोग का दावा ब्याज सहित ₹ 12.13 करोड़ के परिणामी कर प्रभाव के साथ स्वीकार्य नहीं था।

⁸³ आंध्र प्रदेश -1, कर्नाटक -2, केरल -1, महाराष्ट्र -10, ओडिशा -1, पंजाब -2, राजस्थान -3, तमिलनाडु -2 और पश्चिम बंगाल - 5

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और मार्च 2021 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की गई है।

- (ii) सीआईटी (ई) बेंगलुरु प्रभार, कर्नाटक में, एक सरकारी सोसाइटी जो 'सामान्य जन सेवाओं' की गतिविधि में शामिल है, ने नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। इस मामले को पीए नमूने में 'उच्च मूल्य' मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 81.69 करोड़ थी। संवीक्षा निर्धारण सितंबर 2017 में पूरा किया गया था और धारा 11 के तहत छूट को अस्वीकार करने के बाद ₹ 71.30 करोड़ की आय निर्धारित की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 8.59 करोड़ के परियोजना अनुदानों को प्रचालनात्मक व्यय के प्रति विपथित किया गया था और इसे आय और व्यय लेखे में डेबिट कर दिया गया था और इसका व्यय के रूप में दावा किया गया था, जिसकी अनुमति दी गई थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 4.12 करोड़ के कर प्रभाव के साथ ₹ 8.59 करोड़ की आय की कम गणना हुई।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और जनवरी 2021 में धारा 154 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की है।

- (iii) सीआईटी (ई), बेंगलुरु प्रभार, कर्नाटक में 'शिक्षा' की गतिविधि में शामिल एक निजी न्यास ने नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। इस मामले को पीए नमूने में 'शीर्ष 200' मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 258.81 करोड़ थी। संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2017 में धारा 11 के तहत छूट से इनकार करने के बाद ₹ 16.80 करोड़ की आय का निर्धारण करके पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आय की गणना करते समय, ₹ 6.64 करोड़ के मूल्यहास को दो बार अनुमति दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 3.27 करोड़ के कर के परिणामी कम उदग्रहण के साथ ₹ 6.64 करोड़ तक आय की कम गणना हुई थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और फरवरी 2021 में धारा 154 के तहत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।

- (iv) सीआईटी (ई) कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, 'चिकित्सा राहत' की गतिविधि में शामिल एक निजी न्यास ने नि.व. 2016-17 के लिए

₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। इस मामले को पीए नमूने में 'शीर्ष 200' मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 197.05 करोड़ थी। संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में ₹ 'शून्य' आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण के दौरान ₹ 37.40 लाख के 'संदिग्ध ऋण के प्रावधान' को 'आय के अनुप्रयोग' के रूप में स्वीकार किया गया था, हालांकि अधिनियम में यह आवश्यक है कि वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक व्यय को ही अनुप्रयोग के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और केवल एक प्रावधान को अनुप्रयोग के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती। यही विचार उच्चतम न्यायालय द्वारा भी व्यक्त किया गया है⁸⁴। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.75 लाख का कर कम उद्ग्रहीत किया गया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और दिसंबर 2021 में अधिनियम की धारा 263/143(3) के तहत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।

- (v) सीआईटी (ई) मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, 'चिकित्सा राहत' की गतिविधि में शामिल एक सरकारी सोसाइटी ने नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। इस मामले को पीए नमूने में 'शीर्ष 200' मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि निर्धारिती की सकल प्राप्ति ₹ 860.94 करोड़ थी। न्यास का संवीक्षा निर्धारण अक्टूबर 2017 में पूरा किया गया था, जिसमें आय का निर्धारण ₹ 'शून्य' आय (₹ 49.96 करोड़ का घाटा) पर किया गया था। आय की गणना की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 11(1) की व्याख्या 1 के खंड 2 के अनुसार विकल्प का उपयोग करके पारगमन में अनुदान के लिए ₹ 88.00 करोड़ का दावा किया था, जिसमें प्रावधान है कि इस प्रकार के विकल्प का उपयोग आय का रिटर्न फाइल करने की नियत तारीख से पहले किया जाना चाहिए था। चूंकि निर्धारिती नियत तिथि के भीतर आय का रिटर्न फाइल करने में विफल रहा, इसलिए उपरोक्त विकल्प स्वीकार्य नहीं था। तथापि, विभाग ने रिटर्न आय के अनुसार दावे की अनुमति दी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 38.03 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.91 करोड़ का कम कर उद्ग्रहीत किया गया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

⁸⁴ नाचिमुत्थु इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बनाम सीआईटी, 235 आईटीआर 190[1999] में रिपोर्ट की गई

इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने पाया कि कतिपय मामलों में, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए आय के अनुप्रयोग के रूप में अस्वीकार्य व्ययों की अनुमति दी थी, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती को अनुचित लाभ हुआ।

6.3 संचय की अनियमित अनुमति

अधिनियम की धारा 11(2) में प्रावधान है कि यदि पिछले वर्ष में, भारत में धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई आय न्यास के तहत धारित संपत्ति से उस वर्ष के दौरान प्राप्त आय के 85 प्रतिशत से कम हो जाती है, तो न्यास आय के अप्रयोज्य हिस्से के संचय का विकल्प चुन सकता है, जिसे अगले पांच वर्षों में निर्दिष्ट उद्देश्य (उद्देश्यों) के लिए व्यय किया जाएगा, बशर्ते निर्धारिती फॉर्म 10 में आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख को या उससे पहले, एक बयान प्रस्तुत करता है, जिसमें आय संचय करने के उद्देश्य को बताता है। इसके अतिरिक्त, छूट प्राप्त करने के लिए धारा 11(2) के तहत संचित आय को धारा 11(5) के तहत निर्दिष्ट माध्यमों में निवेश करना होगा।

इसलिए, संचय का उद्देश्य विशिष्ट होना चाहिए और संचय न्यास के उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था⁸⁵ कि उद्देश्य विशिष्ट होना चाहिए और प्रकृति में सामान्य नहीं हो सकता है।

लेखापरीक्षा में ₹ 68.14 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 66 निर्धारण मामलों⁸⁶ को पाया गया, जहां निर्धारण अधिकारी ने धारा 11(2) के तहत संचय की अनुमति दी थी। यद्यपि संचय के लिए अपर्याप्त धन था, संचय का उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य का उल्लेख किए बिना प्रकृति में सामान्य था, निर्धारिती धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि से पहले फॉर्म 10 प्रस्तुत करने में विफल रहा या संचय को निर्दिष्ट माध्यम में निवेश नहीं किया गया था। पांच मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

- (i) सीआईटी (ई), बेंगलुरु प्रभार, कर्नाटक में 'सामान्य जन सेवाएँ' की गतिविधि में शामिल एक निजी न्यास ने ₹ 'शून्य' आय पर नि.व. 2016-17 के लिए आय का रिटर्न फाइल किया। संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में धारा 11 के तहत ₹ 10.34 करोड़ की छूट की अनुमति देने के बाद ₹ 'शून्य' पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने ₹ 7.96 करोड़ की राशि संचय की थी और संचय के उद्देश्य

⁸⁵ सीआईटी बनाम एम सीटी मुथैया चेन्नियार फैमिली ट्रस्ट (2000), 245 आईटीआर 400 में रिपोर्ट किया गया

⁸⁶ छत्तीसगढ़ -2, दिल्ली -2, गुजरात -1, हिमाचल प्रदेश -2, जम्मू -1, कर्नाटक -9, मध्य प्रदेश -12, महाराष्ट्र -25, पंजाब -5, तमिलनाडु -3, उत्तराखंड -1 और पश्चिम बंगाल -3

को 'संचय के लिए अलग से रखा गया' के रूप में उल्लेख किया गया था। चूंकि उद्देश्य धारा 11(2) में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है, इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था और कर के अंतर्गत लाया जाना चाहिए था। इस आधार पर कर प्रभाव ₹ 3.50 करोड़ होता है। डीसीआईटी (ई), सर्किल 1, बेंगलुरु ने (सितंबर 2020) कहा कि आपत्तियों की आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई के लिए जांच-पड़ताल की जाएगी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

- (ii) सीआईटी (ई), मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में शैक्षिक गतिविधियों में शामिल एक निजी कॉर्पोरेट न्यास ने नि.व. 2016-17 और 2015-16 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। नि.व. 2016-17 और 2015-16 के लिए संवीक्षा निर्धारण क्रमशः दिसंबर 2018 और दिसंबर 2017 में पूरा किया गया था, जिसमें धारा 11(2) के तहत क्रमशः ₹ 9.64 करोड़ और ₹ 4.91 करोड़ के लिए संचय की अनुमति देने के बाद ₹ 'शून्य' पर आय का निर्धारण किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने दिसंबर 2017 में दोनों वर्षों के लिए फॉर्म 10 फाइल किया था। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि निर्धारिती ने नि.व. 2014-15 के लिए फॉर्म 10 फाइल नहीं किया था, परंतु धारा 11(2) के तहत ₹ 70.18 लाख के संचय का दावा किया था। चूंकि निर्धारिती निर्धारित अवधि के भीतर फॉर्म 10 फाइल करने में विफल रहा, इसलिए धारा 11(2) के तहत संचय की अनुमति नहीं दी जानी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.24 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें नि.व. 2014-15 से नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 5.16 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

डीसीआईटी (ई), सर्किल 1, मुंबई ने नि.व. 2015-16 और 2016-17 के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2021) कर लिया और धारा 263 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्तावित किया। नि.व. 2014-15 के लिए, विभाग ने यह कारण बताते हुए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया था, कि प्रासंगिक नि.व. के लिए निर्धारिती द्वारा संचय का कोई दावा नहीं किया गया था।

नि.व. 2014-15 के लिए उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि निर्धारिती ने धारा 11(2) के तहत ₹ 70.18 लाख के संचय का दावा किया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

(iii) सीआईटी (ई) भोपाल प्रभार, मध्य प्रदेश में, 'चिकित्सा राहत' में शामिल एक निजी न्यास ने नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का मूल रिटर्न फाइल किया। मामले को पीए नमूने में 'उच्च मूल्य' मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि निर्धारिती की सकल प्राप्ति ₹ 59.78 करोड़ थी। परिशोधन आदेश जनवरी 2017 में पारित किया गया था, जिसमें आय का निर्धारण 'शून्य' पर किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती द्वारा दावा की गई ₹ 1.10 करोड़ की राशि अगले पांच वर्षों के लिए अनुप्रयोग के लिए संचय की गई थी, परंतु इलेक्ट्रॉनिक/मैनुअल रूप से फॉर्म 10 फाइल नहीं किया गया। तथापि, निर्धारिती की कुल आय में ₹ 1.10 करोड़ की संचित राशि नहीं जोड़ी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 42.94 लाख का कम कर उद्ग्रहीत किया गया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अस्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2022) कि निर्धारिती ने आयकर अधिनियम की धारा 11(2) के तहत किसी भी छूट का दावा नहीं किया है और फॉर्म 10 इस मामले में लागू नहीं है। निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 11(2) के तहत आय के संचय के लिए आईटीआर की अनुसूची 1 में किसी भी राशि का दावा नहीं किया है। तथापि, निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 11(1) की व्याख्या के खंड 2 के अंतर्गत ₹ 1.09 करोड़ की राशि का दावा किया है।

मंत्रालय के उत्तर की पुष्टि क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा की जा रही है।

(iv) सीआईटी-(ई), कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में 'अनुसंधान' गतिविधि में शामिल एक सरकारी सोसाइटी ने नि.व. 2016-17 के लिए 'शून्य' आय पर आय का मूल रिटर्न फाइल किया। इस मामले को पीए नमूने में 'शीर्ष 200' मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि निर्धारिती की सकल प्राप्ति ₹ 172.61 करोड़ थी। संवीक्षा निर्धारण नवंबर 2018 में 'शून्य' आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने धारा 10(21) के तहत छूट का दावा किया और उसको छूट की अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती को निर्धारण आदेश में अधिनियम की धारा 11(1) के तहत आय के 15 प्रतिशत के वैधानिक संचय की अनुमति दी गई थी, यद्यपि निर्धारिती धारा 35(1)(ii) के तहत पंजीकृत था और धारा 12/12ए के तहत पंजीकृत नहीं था। ₹ 21.00 करोड़ की आय के इस प्रकार के अनियमित संचय का कर प्रभाव ₹ 9.59 करोड़ था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और मार्च 2021 में धारा 263 के तहत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की गई है।

- (v) सीआईटी (ई), चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में शैक्षिक गतिविधियों में शामिल एक निजी न्यास ने नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। इस मामले को पीए नमूने में 'उच्च मूल्य' के मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 50.03 करोड़ थी। संवीक्षा निर्धारण नवंबर 2018 में ₹ 'शून्य' आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कुल प्राप्तियां ₹ 50.03 करोड़ थीं और आय का कुल अनुप्रयोग ₹ 70.04 करोड़ था। चूंकि संपूर्ण प्राप्तियों को अनुप्रयुक्त माना गया था, इसलिए निर्धारिती किसी भी प्रकार के संचय के लिए पात्र नहीं था। तथापि, निर्धारिती को ₹ 7.50 करोड़ संचय करने की अनुमति दी गई थी, जो ₹ 50.03 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 15 प्रतिशत था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.50 करोड़ का अनियमित संचय हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और मार्च 2021 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की गई है।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने पाया कि कतिपय मामलों में, आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 11(2) के तहत निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में संचय की अनुमति दी थी।

6.4 पर्याप्त हित वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए न्यास की आय या संपत्ति के उपयोग किए जाने के बावजूद छूट की अनुमति

धारा 13 में प्रावधान है कि यदि न्यास की कोई आय या संपत्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्ति⁸⁷ के लाभ के लिए प्रयोग की जाती है तो धारा 11 और धारा 12 के तहत धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को छूट उपलब्ध नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, जब कोई न्यास निर्दिष्ट व्यक्तियों को कोई भुगतान करता है या कोई सेवा प्रदान करता है, तो उसे फॉर्म 10बी में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विवरण का प्रकटन करना होता है कि क्या न्यासों/

⁸⁷ धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्ति न्यास के कर्ता या संस्था के संस्थापक हैं; कोई भी व्यक्ति जिसने ₹50,000 से अधिक राशि का न्यास या संस्था में पर्याप्त अंशदान दिया है; जहां ऐसा कर्ता, संस्थापक या व्यक्ति एचयूएफ है; न्यास का कोई न्यासी या प्रबंधक; ऐसे किसी भी कर्ता का कोई रिश्तेदार, संस्थापक, पर्याप्त अंशदानकर्ता, सदस्य, न्यासी या प्रबंधक।

संस्थाओं की आय या संपत्ति का कोई हिस्सा पिछले वर्ष में किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को उधार दिया गया था, या उधार दिया जा रहा है।

लेखापरीक्षा में ₹ 33.07 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 22 निर्धारण मामलों⁸⁸ को पाया गया जहां निर्धारितियों ने धारा 13(3) के तहत निर्दिष्ट व्यक्तियों के लाभ के लिए अपनी आय या संपत्ति का उपयोग किया था, परंतु विभाग ने निर्दिष्ट व्यक्तियों के लाभ के लिए उपयोग की गई आय या संपत्ति की ऐसी राशि पर कर नहीं लगाया था। छः मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

(i) प्र. सीआईटी (ई), कोच्चि प्रभार, केरल में, 'सामान्य जन-सेवाएँ' की गतिविधि में लगे एक सरकारी निकाय ने नि.व. 2017-18 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का मूल रिटर्न फाइल किया। संवीक्षा निर्धारण नवंबर 2019 में ₹ 'शून्य' आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने ₹ 215.00 करोड़ के बैंक ओवरड्राफ्ट (ओडी) का लाभ उठाया और इसे केरल सरकार को ऋण के रूप में दिया गया। इसके प्रति निर्धारिती को ऋण पर ब्याज के रूप में ₹ 6.10 करोड़ प्राप्त हुए और बैंक के साथ ओडी पर ब्याज के रूप में ₹ 8.26 करोड़ का भुगतान किया गया। इस प्रकार, न्यास द्वारा ₹ 2.16 करोड़ (₹ 8.26 करोड़-₹ 6.10 करोड़) का अतिरिक्त व्यय किया गया था, जिसे आय के अनुप्रयोग के रूप में अनुमति दी गई थी। चूंकि निर्धारिती ने अपने संस्थापक के लाभ के लिए अपनी निधि का उपयोग किया था, इसलिए अनुप्रयोग के रूप में ₹ 2.16 करोड़ की अनुमति धारा 13(3) के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 98.65 लाख का कम कर उद्ग्रहीत किया गया।

डीसीआईटी (ई) सर्किल, त्रिवेंद्रम ने उत्तर दिया (मार्च 2020) कि निधि का हस्तांतरण सरकार के निर्देशों के अनुसार किया गया था और एक *प्रतिशत* अतिरिक्त ब्याज के साथ लौटा दिया गया था। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निधि का उपयोग संस्थापक के लाभ के लिए किया गया था न कि न्यास के लक्षित लाभार्थियों के लिए। इसलिए, किए गए अतिरिक्त ब्याज व्यय को आय के अनुप्रयोग के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और मार्च 2021 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की गई है।

⁸⁸ हिमाचल प्रदेश -1, कर्नाटक -2, केरल -1, महाराष्ट्र -9, पंजाब -6 और तमिलनाडु -31

(ii) सीआईटी (ई) चंडीगढ़, पंजाब में, 'सामान्य जन-सेवाएँ' की गतिविधि में शामिल एक निजी सोसाइटी, ने नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया और संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में ₹ 'शून्य' की कुल आय पर पूरा किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि निर्धारिती ने संगठन के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जैसी संबंधित पार्टियों को ₹ 1.11 करोड़ का ब्याज रहित ऋण वितरित किया था, फिर भी निर्धारण में इस संबंध में कोई अननुमति नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 50.12 लाख का कम कर उद्ग्रहीत किया गया। एसी/डीसीआईटी (ई), सर्किल, चंडीगढ़ ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि लेखापरीक्षा आपत्ति पर विचार किया गया था और आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

(iii) सीआईटी (ई) मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, शैक्षिक गतिविधियों में शामिल एक निजी सत्त्व, ने नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। निर्धारिती की सकल प्राप्त ₹ 114.24 करोड़ थी और पीए नमूने में 'उच्च मूल्य' मामले के रूप में चयनित की गई थी। संवीक्षा निर्धारण अक्टूबर 2017 में पूरा किया गया था, जिसमें आय का निर्धारण ₹ 'शून्य' पर किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष के दौरान, निर्धारिती ने सहकारी आवास समिति में ₹ 10.00 करोड़ में 'के' लिमिटेड से एक नया फ्लैट और गैरेज खरीदा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सत्त्व के शासन बोर्ड के सदस्यों में से एक सदस्य 'के' लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक था। अधिनियम में प्रावधान है कि न्यास की किसी भी संपत्ति या आय का उपयोग अधिनियम की धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा। तथापि, सहकारी आवास सोसाइटी के बिक्री विलेख करार और एनओसी जैसे कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं, जिससे निर्धारिती को फ्लैट को कार्यालय परिसर के रूप में उपयोग करने की अनुमति मिलती है। चूंकि न्यास की आय का उपयोग अधिनियम की धारा 13(3) को संदर्भित संबंधित व्यक्ति के लाभ के लिए किया गया था, इसलिए धारा 11 के तहत कटौती निर्धारिती के लिए अनुमत नहीं थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

(iv) सीआईटी (ई) बेंगलुरु प्रभार, कर्नाटक में, शैक्षिक गतिविधियों में शामिल एक निजी न्यास ने नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का

रिटर्न फाइल किया। निर्धारिती की सकल प्राप्ति ₹ 115.23 करोड़ थी और इसे पीए नमूने में 'उच्च मूल्य' मामले के रूप में चुना गया था। संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में पूरा किया गया था, जिसमें रिटर्न आय को 'शून्य' पर स्वीकार किया गया था। यह पाया गया कि वर्ष के दौरान निर्धारिती ने मैसर्स 'एल' प्राइवेट लिमिटेड को 'एम' प्राइवेट स्कूल के संचालन और अनुरक्षण हेतु व्यावसायिक प्रभारों के लिए ₹ 1.25 करोड़ का भुगतान किया था; और 'ओ' समूह की विभिन्न संस्थाओं के लिए आयोजित मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम के लिए मैसर्स 'एन' को ₹ 4.28 करोड़ का भुगतान किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि 'ओ' समूह के अध्यक्ष के परिवार की उपरोक्त मामलों में पर्याप्त रुचि थी और इसलिए संबंधित मामलों के संबंध में न्यास के संव्यवहारों को आर्म्स लेंथ पर होना चाहिए। तथापि, नि.व. 2017-18 के लिए संवीक्षा निर्धारण में निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित हैदराबाद ट्रिब्यूनल के फैसले⁸⁹ के संदर्भ में संव्यवहार आर्म्स लेंथ पर नहीं थे। इस प्रकार, निर्दिष्ट व्यक्तियों को अनुचित लाभ दिया गया था और नि.व. 2016-17 में दी गई छूट को वापस लिया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.90 करोड़ की आय की कम गणना हुई जिसके कारण ₹ 15.60 करोड़ का कम कर उद्ग्रहीत किया गया। जेसीआईटी (ई), सर्किल 1, बेंगलुरु ने उत्तर दिया (सितंबर 2018) कि इस मामले की जाँच-पड़ताल की जाएगी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

- (v) सीआईटी (ई) मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, शैक्षिक गतिविधि में शामिल एक निजी न्यास ने नि.व. 2014-15 और 2015-16 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। निर्धारिती की सकल प्राप्ति नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 79.82 करोड़ थी और पीए नमूने में 'उच्च मूल्य' मामले के रूप में चयनित थी। नि.व. 2014-15 के लिए संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2016 में पूरा किया गया, और इसे अप्रैल 2018 में परिशोधन के बाद आय का निर्धारण ₹ 'शून्य' पर किया गया और नि.व. 2015-16 के लिए संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2017 में किया गया, जिसमें आय का निर्धारण ₹ 'शून्य' पर किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने निर्धारण के दौरान अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए संबंधित पार्टी को किराए की संपत्ति के लिए धारा 11 के तहत

⁸⁹ दिनांक 18-3-2011 के आईटीए सं 461 और 462/हैदराबाद/2010 में मैसर्स एनटीआर मेमोरियल ट्रस्ट के मामले में, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि आठ प्रतिशत की सीमा तक लाभ प्रतिशत उचित है और अत्यधिक नहीं है।

कटौती की अनुमति नहीं दी थी और नि.व. 2015-16 में ₹ 60.20 लाख और नि.व. 2014-15 में ₹ 54.73 लाख की आवासीय संपत्ति से अनुमानित आय की गणना की थी। कुल आय की गणना की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने इस आय को न्यास संपत्ति की आय के रूप में स्वीकार किया, जो अधिनियम की धारा 11 के तहत कटौती के लिए पात्र थी और अधिनियम की धारा 13(1)⁹⁰ के प्रावधानों के मद्देनजर इस आय को कराधान के लिए अलग से स्वीकार करने के बजाय न्यास के उद्देश्य के लिए किए गए व्ययों के प्रति इसे समायोजित किया। इस चूक के परिणामस्वरूप नि.व. 2015-16 में ₹ 60.20 लाख और नि.व. 2014-15 में ₹ 54.73 लाख की आय का कम निर्धारण किया गया, जिसमें कम का कर उदग्रहण शामिल था, जो कुल मिलाकर ₹ 35.52 लाख था।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

- (vi) प्र. सीआईटी (ई), पुणे प्रभार, महाराष्ट्र में, शैक्षिक गतिविधि में शामिल एक निजी न्यास, जिसकी सकल प्राप्त ₹ 424.75 करोड़ है, ने नि.व. 2016-17 के लिए अपनी आय का रिटर्न ₹ 'शून्य' आय पर फाइल किया। मामले को आरंभ में संक्षिप्त तरीके से संसाधित किया गया था और बाद में, संवीक्षा के लिए चुना गया था और निर्धारण दिसंबर 2018 में रिटर्न आय को ₹ 'शून्य' पर स्वीकार करके धारा 143(3) के तहत पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आय और व्यय लेखा की अनुसूची-15 (स्थापना व्यय) के अनुसार, निर्धारिती न्यास ने 'पी' यूनिवर्सिटी को किराए और अवसंरचना विकास फीस के लिए क्रमशः ₹ 144.79 करोड़ और ₹ 75.77 करोड़ का व्यय दिखाया था और बाद में संबंधित उप-शीर्षों से समान राशि को कम करके इन राशियों को घटा दिया गया था। इस प्रकार, राशियों को उसी वर्ष में समायोजित किया गया था और व्यय साइड में डेबिट नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि संवीक्षा निर्धारण आदेश में या फॉर्म 10बी में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निर्धारिती द्वारा संबंधित पार्टी के साथ किए गए उक्त संव्यवहारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में घटाने के कारणों

⁹⁰ अधिनियम की धारा 13(1) में प्रावधान है कि यदि न्यास की कोई आय या संपत्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, धारा 13(3) में संदर्भित किसी भी निर्दिष्ट व्यक्ति के लाभ के लिए उपयोग की जाती है तो धारा 11 या 12 के तहत धर्मार्थ न्यासों या संस्थाओं को छूट नहीं दी जाएगी। धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्ति न्यासकर्ता या संस्था के संस्थापक हैं; कोई भी व्यक्ति जिसने ₹ 50,000 से अधिक की राशि के न्यास या संस्था में पर्याप्त अंशदान दिया है; जहां ऐसा कर्ता, संस्थापक या व्यक्ति एचयूएफ है; न्यास या प्रबंधक का कोई न्यासी; ऐसे किसी भी कर्ता का कोई रिश्तेदार, संस्थापक, पर्याप्त अंशदानकर्ता, सदस्य, न्यासी या प्रबंधक।

और इसमें शामिल संव्यवहारों की प्रकृति का पता नहीं लगाया जा सका। इस प्रकार, इस संव्यवहार के माध्यम से संबंधित पार्टियों को दिए गए अनुचित लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर में (जनवरी 2022), डीसीआईटी (ई) सर्किल पुणे ने अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए कहा कि फॉर्म 10बी में निर्धारिती ने संबंधित पार्टी, 'क्यू' के साथ संव्यवहारों को दर्शाया था। तथापि, 'पी' यूनिवर्सिटी और 'आर' सोसाइटी के बीच संव्यवहारों के संबंध में, दोनों निर्धारिती न्यास के दो घटक होने के कारण, ये संव्यवहार केवल अनुमानित प्रविष्टियाँ थे और इसलिए, निर्धारिती न्यास के वार्षिक लेखाओं को समेकित करते समय हटा दिए जाते हैं।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि उत्तर में इस प्रकार के लेखांकन उपचार के उद्देश्य के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। यदि किसी भी तरह, दोनों इकाइयां निर्धारिती न्यास के घटक थे, तो निर्धारिती न्यास के एक घटक से दूसरे घटक द्वारा किराए और अवसंरचना विकास प्रभार लेने के उद्देश्य को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने पाया कि कुछ मामलों में, हालांकि निर्धारिती ने धारा 13(3)⁹¹ में निर्दिष्ट व्यक्ति के लाभ के लिए अपनी आय या संपत्ति का उपयोग किया था, विभाग ने संबंधित व्यक्तियों के लाभ के लिए उपयोग की गई आय या संपत्ति की ऐसी राशि पर कर नहीं लगाया था।

6.5 न्यासों को दोहरे लाभ की अनियमित अनुमति

लेखापरीक्षा में निर्धारण आदेशों में आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने के उदाहरणों को पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारितियों को दोहरे लाभों की अनियमित अनुमति मिली। इन मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

⁹¹ धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्ति न्यासकर्ता या संस्था के संस्थापक हैं; कोई भी व्यक्ति जिसने ₹ 50,000 से अधिक की राशि का न्यास या संस्था में पर्याप्त अंशदान दिया है; जहां ऐसा कर्ता, संस्थापक या व्यक्ति एचयूएफ है; न्यास का कोई न्यासी या प्रबंधक; ऐसे किसी भी कर्ता का कोई रिश्तेदार, संस्थापक, पर्याप्त अंशदानकर्ता, सदस्य, न्यासी या प्रबंधक।

6.5.1 उन परिसंपत्तियों पर मूल्यहास की अनियमित अनुमति जिनके अधिग्रहण का दावा पहले से ही आय के अनुप्रयोग के रूप में किया जा चुका था

धारा 11(6) और धारा 10 के खंड (23 सी) के 17वें परंतुक⁹² के बाद अंतःस्थापित परंतुक की व्याख्या यह निर्धारित करती है कि जहां किसी भी आय को अनुप्रयोग या संचित करने की आवश्यकता है, तो, ऐसे उद्देश्य के लिए, ऐसी किसी भी परिसंपत्ति में, आय को मूल्यहास के माध्यम से या अन्यथा द्वारा किसी भी कटौती या अनुमति के बिना निर्धारित किया जाएगा जिसके अधिग्रहण का दावा इस खंड के तहत इसी या किसी अन्य पिछले वर्ष में आय के अनुप्रयोग के रूप में किया गया है।

लेखापरीक्षा में ₹ 13.78 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े आठ निर्धारण मामलों⁹³ को पाया गया, जहां परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को आय के अनुप्रयोग के रूप में अनुमति दी गई थी, यद्यपि ऐसी परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक पूंजीगत व्यय को पहले से ही आय के अनुप्रयोग के रूप में स्वीकार किया जा चुका था, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती को दोहरा लाभ हुआ। दो मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

(i) सीआईटी (ई), चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में शैक्षिक गतिविधियों में शामिल एक निजी न्यास ने नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। संवीक्षा निर्धारण अक्टूबर 2018 में पूरा किया गया था, जिसमें धारा 10(23 सी) के तहत ₹ 41.79 करोड़ की छूट की अनुमति देने के बाद निर्धारिती द्वारा रिटर्न में दर्शाई गई ₹ 'शून्य' आय को स्वीकार किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आय के अनुप्रयोग के रूप में ₹ 4.52 करोड़ के मूल्यहास की अनुमति दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप व्यय में दोगुनी कटौती हुई थी। इसके परिणामस्वरूप लागू ब्याज सहित ₹ 1.56 करोड़ के कर का उद्ग्रहण नहीं किया गया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और मार्च 2020 में धारा 154 के तहत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई पूरी कर ली गई है।

(ii) सीआईटी (ई) चंडीगढ़ प्रभार, पंजाब में, शैक्षिक गतिविधियों में शामिल एक सरकारी सोसाइटी ने नि.व. 2017-18 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया और संवीक्षा निर्धारण अक्टूबर 2019 में

⁹² वित्त (संख्या-2) अधिनियम, 2014 द्वारा 1.4.2015 से प्रभावी के रूप में अंतःस्थापित

⁹³ गुजरात-1, हिमाचल प्रदेश-2, पंजाब-2, तमिलनाडु-1 और पश्चिम बंगाल-2

₹ 'शून्य' आय पर पूरा किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने आय के अनुप्रयोग के रूप में ₹ 9.81 करोड़ के मूल्यहास का दावा किया था जिसे निर्धारण में अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप व्यय की दोहरी कटौती के साथ-साथ लागू ब्याज सहित ₹ 4.57 करोड़ का कर उद्ग्रहीत नहीं किया गया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और मार्च 2021 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की है।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने पाया कि कुछ मामलों में, परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को आय के अनुप्रयोग के रूप में अनुमति दी गई थी, यद्यपि ऐसी परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक पूंजीगत व्यय को पहले से ही आय के अनुप्रयोग के रूप में स्वीकार किया गया था जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती को दोहरा लाभ हुआ।

6.5.2 आय के अनुप्रयोग के रूप में कॉर्पस/निर्धारित निधियों से व्यय की अनियमित अनुमति

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(1) (डी) इस विशिष्ट निर्देश के साथ किए गए स्वैच्छिक अंशदान के रूप में प्राप्त आय से संबंधित है कि वे न्यास या संस्था के कॉर्पस का हिस्सा बनेंगे।

लेखापरीक्षा में ₹ 81.58 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 11 निर्धारण मामलों⁹⁴ को पाया गया, जहां निर्धारण अधिकारी ने कॉर्पस निधि, या अन्य विशिष्ट उद्देश्य निधियों से होने वाली आय के अनुप्रयोग से संबंधित दावों की अनुमति दी थी, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती को दोहरा लाभ हुआ। एक मामला नीचे दर्शाया गया है:

- (i) सीआईटी (ई), कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, 'चिकित्सा राहत' की गतिविधि में शामिल एक निजी न्यास है, ने नि.व. 2014-15, नि.व. 2015-16, नि.व. 2016-17 और नि.व. 2017-18 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। नि.व. 2016-17 के मामले को पीए नमूने में 'शीर्ष 200' मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 197.05 करोड़ थी। नि.व. 2014-15, नि.व. 2015-16, नि.व. 2016-17 और नि.व. 2017-18 के लिए संवीक्षा निर्धारण क्रमशः दिसंबर 2016, दिसंबर 2017, दिसंबर 2018 और दिसंबर 2019 में

⁹⁴ जम्मू-3 और पश्चिम बंगाल-8

₹ 'शून्य' आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने नि.व. 2014-15 से नि.व. 2017-18 के निर्धारण अभिलेखों से पाया कि कुछ परियोजनाओं के लिए अचल परिसंपत्तियों के संवर्धन और चालू कार्यों पर व्यय को आय के अनुप्रयोग के रूप में स्वीकार किया गया था, हालांकि इस प्रकार के व्यय को उन परियोजनाओं के लिए 'निर्धारित निधियों' में प्राप्त स्वैच्छिक अंशदानों में से किया गया था और उस निर्धारण वर्ष की आय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। आय के अनुप्रयोग के रूप में निर्धारित निधियों से ₹ 145.55 करोड़⁹⁵ की राशि के व्यय के इस प्रकार के अनियमित उपचार का कर प्रभाव ₹ 62.32 करोड़⁹⁶ था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और मार्च 2021 में नि.व. 2014-15, 2015-16 और 2017-18 के लिए धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की है। नि.व. 2016-17 के लिए, दिसंबर 2021 में धारा 263/143(3) के तहत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुछ मामलों में, नि.अ. ने कॉर्पस निधि, या अन्य विशिष्ट उद्देश्य की निधियों से किए गए आय के अनुप्रयोग से संबंधित दावों को अनुमति दी थी, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती को दोहरा लाभ हुआ था।

6.6 कॉर्पस दान पर छूट की अनियमित अनुमति

धारा 11(1)(डी) में प्रावधान है कि, इस विशिष्ट निर्देश के साथ किए गए स्वैच्छिक अंशदान कि वे न्यास या संस्था के कॉर्पस का हिस्सा बनेंगे और न्यास की आय में शामिल नहीं होंगे। इसलिए, किसी भी स्वैच्छिक अंशदान को दानकर्ता द्वारा किसी भी विशिष्ट निर्देश के बिना कॉर्पस के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में ₹ 52.08 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े नौ निर्धारण मामलों⁹⁷ को पाया गया जहां विभाग ने धारा 11(1)(डी) के तहत स्वैच्छिक अंशदान को यह सुनिश्चित किए बिना कॉर्पस के रूप में स्वीकार करते हुए छूट की अनुमति दी कि दानकर्ताओं का एक विशिष्ट निर्देश था। दो मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

⁹⁵ नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 15.44 करोड़; नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 38.92 करोड़; नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 51.86 करोड़; नि.व. 2017-18 के लिए ₹ 39.33 करोड़

⁹⁶ नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 5.92 करोड़, नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 16.34 करोड़, नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 22.61 करोड़ और नि.व. 2017-18 के लिए ₹ 17.45 करोड़

⁹⁷ गुजरात-1, महाराष्ट्र-3, ओडिशा-2, राजस्थान-2 और पश्चिम बंगाल-1।

(i) सीआईटी (ई) अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में, शैक्षिक गतिविधियों में शामिल एक निजी न्यास ने नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। इस मामले को 'उच्च मूल्य' मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 58.14 करोड़ थी। संवीक्षा निर्धारण सितंबर 2017 में ₹ 'शून्य' आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने ₹ 32.55 करोड़ की कॉर्पस प्राप्ति की घोषणा की थी, परंतु दानकर्ता या दान के किसी भी स्रोत द्वारा किसी भी विशिष्ट निर्देश के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, हालांकि विभाग ने निर्धारिती को इसे प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस प्रकार के निर्देश के अभाव में, निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 11(1)(ए) के तहत वर्ष के लिए आय के रूप में राशि को स्वीकार किया जाना आवश्यक था, परंतु ऐसा नहीं किया गया था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 27.67 करोड़ (₹ 32.55 करोड़ का 85 प्रतिशत) की आय का कम निर्धारण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.40 करोड़ का कर उद्ग्रहीत नहीं किया गया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और मार्च 2021 में आयकर अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की है।

(ii) सीआईटी (ई) कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, 'पर्यावरण संरक्षण' की गतिविधि में शामिल एक सरकारी सोसाइटी ने नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। मामले को नमूने में 'शीर्ष 200' मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 207.59 करोड़ थी। संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में ₹ 'शून्य' आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने कॉर्पस निधि के रूप में ₹ 84.08 करोड़ की अव्ययित आय संचित की थी, और अधिनियम की धारा 11(1) (डी) के तहत उस पर छूट की दावा किया था। निर्धारिती ने इस कॉर्पस निधि को केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्त ₹ 287.18 करोड़ में से संचित किया था, ताकि 'प्रतिबद्ध देनदारियों सहित अनिवार्य वांछनीय व्ययों को पूरा किया जा सके।' प्रकृति में विशिष्ट होने के कारण, ऐसे अनुदानों को कानूनी दायित्वों के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए न कि स्वैच्छिक अंशदान के रूप में और केवल संअनुमति देने वाले प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए। निर्धारिती ने कहा था कि अनुदान परियोजना की पूँजी के हिस्से के रूप में रखे गए थे,

जिसे केवल निर्धारित योजनाओं के लिए आहरित किया जाना था। तथापि, संअनुमति पत्रों में अप्रयुक्त निधि को निर्धारिती के कॉर्पस के रूप में रखने का कोई निदेश नहीं दिया गया था, जिसके अभाव में धारा 11(1)(डी) के तहत निर्धारिती को ₹ 84.08 करोड़ पर दी गई छूट स्वीकार्य नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 84.08 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ब्याज सहित ₹ 38.12 करोड़ के कर का प्रभाव शामिल था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और मार्च 2021 में आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की है।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा में पाया गया कि कतिपय मामलों में, विभाग ने धारा 11(1)(डी) के तहत स्वैच्छिक अंशदान को कॉर्पस के रूप में स्वीकार करते हुए छूट की अनुमति, अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत यह सुनिश्चित किए बिना दी थी कि दानकर्ताओं का एक विशिष्ट निर्देश था।

6.7 गतिविधियों की प्रकृति गैर-धर्मार्थ होने के बावजूद न्यासों को छूट प्रदान करना

यह अधिनियम धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को उनके उद्देश्यों के लिए अनुप्रयुक्त आय के संबंध में छूट प्रदान करता है। तथापि, सामान्य जन-सेवाओं के किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करने की कोई भी गतिविधि, जिसमें व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में किसी भी गतिविधि को करने या उपकर या फीस या किसी अन्य निमित्त के लिए कोई सेवा प्रदान करने की कोई गतिविधि शामिल है, जहां ऐसी गतिविधि से कुल प्राप्तियां पच्चीस लाख रुपये (01.04.2016 से प्रभावी कुल प्राप्ति का 20 प्रतिशत) से अधिक हैं, को इस प्रकार की गतिविधि से आय के उपयोग या अनुप्रयोग, या प्रतिधारण की प्रकृति के बावजूद, धर्मार्थ उद्देश्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महाराष्ट्र में, लेखापरीक्षा ने नौ निर्धारण मामलों में पाया कि विभाग ने धारा 11 के तहत ₹ 549.15 करोड़ की छूट की अनुमति दी है जिसमें ₹ 189.07 करोड़ का प्रभाव शामिल है, यद्यपि न्यासों के उद्देश्य या गतिविधियां धर्मार्थ प्रकृति की नहीं थीं। दो निर्धारितियों के छह मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

- (i) सीआईटी (ई) मुंबई प्रभार में, 'सामान्य जन सेवाओं' की गतिविधि में शामिल एक निजी न्यास ने नि.व. 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। संवीक्षा निर्धारणों

को दिसंबर 2016, दिसंबर 2017 और दिसंबर 2018 में क्रमशः ₹ 5.26 करोड़, ₹ 1.64 करोड़ और ₹ 'शून्य' की आय पर पूरा किया गया था, जिसमें ₹ 32.40 करोड़ (नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 11.26 करोड़, नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 9.42 करोड़ और नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 11.72 करोड़) की कुल छूट की अनुमति दी गई थी। नि.व. 2014-15 के संवीक्षा निर्धारण को दिसंबर 2016 में धारा 154 के तहत आय को ₹ 'शून्य' पर संशोधित करते हुए परिशोधित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती न्यास का उद्देश्य कपड़ा मशीनरी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के नवीनतम विकास पर अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा मशीनरी प्रदर्शनियों का आयोजन करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रदर्शनी के उद्देश्य हेतु, निर्धारिती ने 'एक प्रदर्शनी' के लिए प्रदर्शकों से ₹ 45.02 करोड़ का अग्रिम लिया था और इस आय को व्यावसायिक आय के रूप में प्रस्तुत किया था और धारा 11(4ए)⁹⁸ के लाभ का दावा किया था जिसे विभाग द्वारा अनुमति दी गई थी। निर्धारिती का दावा नियमानुसार नहीं था, क्योंकि धारा 11(4ए) केवल तभी लागू होती है जब न्यास का व्यवसाय न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक होता है। इस प्रकार, प्रदर्शनी का आयोजन निर्धारिती के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं था, परंतु यह निर्धारिती का मुख्य उद्देश्य था, जिससे यह पता चला कि निर्धारिती की एकमात्र गतिविधि उपकर या फीस या किसी अन्य निमित्त के लिए सेवा प्रदान करना था। धारा 2(15) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, निर्धारिती की गतिविधि धर्मार्थ प्रकृति की नहीं थी और इसलिए निर्धारिती धारा 11 के तहत छूट के लिए पात्र नहीं था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप नि.व. 2014-15 से नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 23.79 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 8.14 करोड़ का कम कर उद्ग्रहीत किया गया।

डीसीआईटी (ई) सर्किल -1(1), मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (सितंबर 2021) कर लिया और नि.व. 2014-15 के लिए धारा 147 के तहत और नि.व. 2015-16 और नि.व. 2016-17 के लिए धारा 263 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की गई है।

⁹⁸ धारा 11(4ए) में प्रावधान किया गया है कि धारा 11 के तहत छूट किसी न्यास या संस्था की किसी भी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो व्यवसाय के लाभ और लाभ के रूप में है, जब तक कि व्यवसाय न्यास या संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक न हो, और ऐसे व्यवसाय के संबंध में ऐसे न्यास या संस्था द्वारा अलग-अलग लेखा पुस्तके रखी जाती हैं।

(ii) सीआईटी (ई) मुंबई प्रभार महाराष्ट्र में, शैक्षिक गतिविधियों में शामिल एक निजी सत्त्व ने नि.व. 2014-15, 2015-16 और नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। नि.व. 2015-16 और 2016-17 के मामलों को पीए नमूने में 'उच्च मूल्य' मामलों के रूप में चुना गया था क्योंकि वर्षों के दौरान सकल प्राप्त क्रमशः ₹ 114.24 करोड़ और ₹ 134.63 करोड़ थी। नि.व. 2014-15 से नि.व. 2016-17 के लिए संवीक्षा निर्धारण क्रमशः नवंबर 2016, अक्टूबर 2017 और अक्टूबर 2018 में पूरा किया गया था, जिसमें नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 3.16 करोड़ और नि.व. 2015-16 और 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय का निर्धारण किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि संस्था को निर्माण और अन्य संबद्ध उद्योगों के सभी स्तरों पर प्रशिक्षण, अनुसंधान, व्यावसायिकता और कौशल निर्माण को बढ़ावा देने की गतिविधियों में शामिल बताया गया था। इसकी गतिविधियों में परामर्श देना, साथ ही परामर्श केंद्रों की स्थापना करना, अनुसंधान, प्रशिक्षण कराना, सम्मेलन, संगोष्ठियों आदि का आयोजन करना भी शामिल है। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि निर्धारिती परिवार के स्वामित्व वाले निर्माण कारोबार के प्रबंधन और सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए या तो सत्त्व के परिसर में, या परिसर के बाहर कार्यक्रम आयोजित करता है, जिन्हें कार्यकारी वर्ग के लिए ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार डिज़ाइन किया गया था और इन सेवाओं के लिए फीस ली गयी थी।

यह पाया गया कि निर्धारिती कोई औपचारिक शिक्षा प्रदान नहीं कर रहा था, अपितु निर्माण और संबद्ध सेवाओं के क्षेत्र में शामिल पेशेवरों के पेशेवर कौशल को उत्कृष्ट बनाने के क्षेत्र में सेवा प्रदाता/प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। इस प्रकार, निर्धारिती की गतिविधियों को पूरी तरह से शैक्षिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। निर्धारिती केवल एक सेवा प्रदाता था और लाभ के उद्देश्य से काम कर रहा था। लेखापरीक्षा में कहा गया है कि यह नि.व. 2013-14 से 2016-17 के आय और व्यय लेखाओं और निर्धारण आदेशों जैसे अभिलेखों से स्पष्ट था, जिसमें निर्धारिती प्रत्येक वर्ष अपनी कुल आय के 67 प्रतिशत की सीमा तक लगातार अधिशेष सृजित कर रहा था, जिससे यह पता चला कि इन वर्षों के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए उल्लेखनीय फीस प्रभारित की गयी थी।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय (डीजीसीईआई), पुणे ने 'वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग

सेंटर' की श्रेणी के तहत सेवा कर का भुगतान नहीं करने के लिए संवीक्षा की, जिसकी पुष्टि सेवा कर II के प्र. आयुक्त द्वारा दिनांक 30.07.2015 के आदेश के माध्यम से की गई थी, जिसके विरुद्ध निर्धारिती सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण पश्चिम क्षेत्रीय न्याय पीठ, मुंबई में अपील के लिए गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिकरण ने अक्टूबर 2017 में सेवा कर आयुक्त के पक्ष में उपरोक्त मामले का निपटान किया है, जिसमें कहा गया है कि निर्धारिती की गतिविधियां 'वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग' की श्रेणी में आती हैं और खेल, प्री-स्कूल के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं व्यवसायिक प्रशिक्षण या और संस्थाओं की श्रेणी उन संस्थाओं या स्थापनाओं की श्रेणी में नहीं आती जो वर्तमान समय में लागू कानून द्वारा मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण पत्र या डिप्लोमा या डिग्री या कोई शैक्षिक अर्हता प्रदान करते हैं। अधिकरण के उपरोक्त निष्कर्षों और अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, निर्धारिती की गतिविधियों को 'धर्मार्थ' के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, जैसा कि अधिनियम में परिकल्पित है। इस प्रकार, धारा 11 के तहत निर्धारिती को दी गई छूट की अनुमति नियमानुसार नहीं थी। इस चूक के परिणामस्वरूप नि.व. 2014-15 से 2016-17 के लिए ₹ 74.91 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹ 218.95 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विभाग ने नि.व. 2016-17 में शैक्षिक गतिविधियों में शामिल एक निजी न्यास के मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया था, जिसमें यह मानते हुए धारा 11 के तहत छूट की अनुमति नहीं दी गई थी कि सीबीडीटी के 2008 के परिपत्र संख्या 11 दिनांक 19-12-2008, के अनुसार प्रशिक्षण और परीक्षा आयोजित करने की गतिविधि सामान्य जन सेवाओं की अग्रसरता की एक गतिविधि है और धारा 2(15) के परंतुक के अनुसार, ऐसे सत्त्व अधिनियम की धारा 11 या 10(23सी) के तहत छूट के लिए पात्र नहीं हैं।

इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट हो गया था कि कतिपय मामलों में, यद्यपि न्यासों के उद्देश्य या गतिविधि धर्मार्थ प्रकृति के नहीं थे, फिर भी आयकर विभाग ने न्यासों/संस्थाओं को अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए अनियमित रूप से छूट प्रदान की थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

6.8 कर/अधिभार/ब्याज का गलत उद्ग्रहण

अधिनियम के प्रावधानों के तहत, निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय का सटीक निर्धारण करना होता है और इस निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय या उसे प्रतिदाय योग्य सटीक राशि निर्धारित करनी होती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 103.11 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 65 निर्धारण मामले⁹⁹ जहां निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय आंकड़ों को गलती से स्वीकार किया था, मांग की कम गणना की थी, निर्धारित दर से कम दर पर कर लगाया था, ब्याज/अधिभार का कम उद्ग्रहण किया था, प्रतिदाय पर अधिक ब्याज प्रदान किया था।

चार मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

(i) सीआईटी (ई) लखनऊ प्रभार, उत्तर प्रदेश में, शैक्षिक गतिविधियों में शामिल एक निजी न्यास ने नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। संवीक्षा निर्धारण अक्टूबर 2018 में ₹ 5.20 करोड़ की आय पर " कारोबार और पेशे से लाभ और अभिलाभ" से आय शीर्षक के तहत पूरा किया गया था, जिसमें धारा 11 के तहत छूट से इनकार कर दिया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने आईटीएनएस-150 में कर की गणना करते समय ₹ 5.20 करोड़ के बजाय ₹ 'शून्य' पर आय ली थी। इसके परिणामस्वरूप लागू ब्याज सहित ₹ 2.36 करोड़ का कम कर उद्ग्रहीत किया गया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और दिसंबर 2021 में धारा 154 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की गई है।

(ii) सीआईटी (ई), मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, 'सामान्य जन सेवाओं' की गतिविधि में शामिल एक निजी सोसाइटी ने 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में ₹ 36.02 करोड़ की आय पर पूरा किया गया था, जिसमें धारा 11 के तहत छूट से इनकार कर दिया गया था। लेखापरीक्षा ने कर गणना पत्रक से पाया कि विभाग ने कर की गणना ₹ 14.27 करोड़ के बजाय 'शून्य' पर की थी। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 15.07 करोड़ का कम कर उद्ग्रहीत किया गया है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

⁹⁹ दिल्ली-3, गुजरात-5, हिमाचल प्रदेश-1, जम्मू-1, कर्नाटक-6, महाराष्ट्र-11, ओडिशा-4, पंजाब-13, राजस्थान-8, तमिलनाडु-3 और उत्तर प्रदेश-10

(iii) सीआईटी (ई) बेंगलुरु प्रभार, कर्नाटक में 'गरीबों को राहत' की गतिविधि में शामिल एक सरकारी कॉर्पोरेट न्यास ने नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 1.91 करोड़ पर आय का रिटर्न फाइल किया। मामले को पीए नमूने में 'उच्च मूल्य' मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 58.38 करोड़ थी। संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2016 में पूरा किया गया था और आय 'शून्य' पर निर्धारित की गई थी। मई 2017 में धारा 154 के तहत संवीक्षा आदेश को और परिशोधित गया था और आय ₹ 'शून्य' पर बनी रही। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने ₹ 1.91 करोड़ की कारोबार आय रिटर्न की थी, जो कर योग्य थी। तथापि, संवीक्षा निर्धारण और परिशोधन आदेश में इसे छोड़ दिया गया था और ₹ 1.05 करोड़ का प्रतिदाय निर्धारित किया गया था। रिटर्न आय का निर्धारण करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 65.74 लाख का कम कर उद्ग्रहण/अतिरिक्त प्रतिदाय हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और फरवरी 2021 में आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।

(iv) प्र. सीआईटी (ई), पुणे प्रभार, महाराष्ट्र में, शैक्षिक गतिविधियों में शामिल एक निजी न्यास ने ₹ 305.38 करोड़ की सकल प्राप्ति के साथ, 'शून्य' आय पर नि.व. 2017-18 के लिए आय की रिटर्न फाइल की। मामले को शुरू में संक्षिप्त तरीके से संसाधित किया गया था और बाद में, संवीक्षा के लिए चुना गया था, और निर्धारण को दिसंबर 2018 में धारा 143 (3) के तहत ₹ 247.00 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए पूरा किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, अधिनियम की धारा 115बीबीई¹⁰⁰ के तहत निर्धारित 60 प्रतिशत के बजाय धारा 68¹⁰¹ और धारा 69¹⁰² के तहत ₹ 152.95 करोड़

¹⁰⁰ अधिनियम की धारा 115बीबीई के अनुसार, नि.व. 2017-18 से प्रभावी, जहां एक निर्धारिती की कुल आय में धारा 68 या 69 में निर्दिष्ट कोई आय शामिल है, कर की गणना 60 प्रतिशत की विशेष दर और अधिभार 25 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

¹⁰¹ धारा 68 के अनुसार, जहां किसी भी राशि को निर्धारिती की पुस्तकों में जमा पाया जाता है और निर्धारिती उसकी प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा पेश किया गया स्पष्टीकरण, निर्धारण अधिकारी की राय में संतोषजनक नहीं है, इस तरह जमा की गई राशि को उस पिछले वर्ष के निर्धारिती की आय के रूप में आयकर के लिए प्रभारित किया जा सकता है।

¹⁰² धारा 69 के अनुसार, जहां वित्तीय वर्ष में निर्धारिती ने निवेश किया है जो लेखा की पुस्तकों में दर्ज नहीं हैं, और निर्धारिती निवेश की प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उसके द्वारा पेश किया गया स्पष्टीकरण, निर्धारण अधिकारी की राय में संतोषजनक नहीं है, निवेश का मूल्य ऐसे वित्तीय वर्ष के निर्धारिती की आय माना जा सकता है।

के किए गए परिवर्धन पर सामान्य दर अर्थात् 30 प्रतिशत पर कर लगाया। इसके अलावा, यह देखा गया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा विलंब से रिटर्न फाइल करने के लिए धारा 234ए के तहत ब्याज नहीं लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप धारा 234ए के तहत ब्याज सहित ₹ 69.56 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा में पाया गया कि कतिपय मामलों में, निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारियों ने गलती से आंकड़ों को अपना लिया था, कम मांग की गणना की थी, निर्धारित दर से कम दर पर कर वसूला था, ब्याज और अधिभार का कम उद्ग्रहण किया था, प्रतिदाय पर अधिक ब्याज प्रदान किया गया आदि जिसके परिणामस्वरूप कम कर का उद्ग्रहण हुआ था।

6.9 शास्ति का गैर-उद्ग्रहण

धारा 139(4ए) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिसको न्यास या अन्य कानूनी दायित्व के तहत धारित संपत्ति से आय प्राप्त होती है, पूरी तरह से या धर्मार्थ उद्देश्यों या धार्मिक उद्देश्यों के लिए, या केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए भाग में; या ऐसे न्यास या संस्था की ओर से स्वैच्छिक अंशदान के माध्यम से आय, जिसके लिए वह कर योग्य है, को आय की रिटर्न अवश्य फाइल करनी चाहिए, यदि ऐसी आय (धारा 11 और 12 के तहत किसी भी छूट की अनुमति देने से पहले गणना की गई) आयकर के लिए प्रभार्य न होने वाली अधिकतम राशि से अधिक है। धारा 139 (4सी) संस्थाओं द्वारा अनिवार्य रूप से रिटर्न फाइल करने का प्रावधान करती है, यदि आय (धारा 10 के प्रावधानों को प्रभावी करने से पहले) आयकर के लिए प्रभारित नहीं की जाने वाली अधिकतम राशि से अधिक है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 272ए(2)(ई) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति आय का रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जिसे उसे धारा 139 की उप-धारा (4ए) या (4सी) के तहत या इसे अनुमत समय के भीतर और उन उप-धाराओं के तहत आवश्यक तरीके से प्रस्तुत करना आवश्यक है, वह उस हर दिन के लिए एक सौ रूपए की राशि शास्ति के माध्यम से भुगतान करेगा, जिसके दौरान विफलता जारी रहती है।

लेखापरीक्षा में ₹ 1.68 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 651 निर्धारण मामलों¹⁰³ का पता चला, जहां न्यासों/संस्थाओं द्वारा आय की रिटर्न फाइल करने में विलंब के

¹⁰³ आंध्र प्रदेश -71, छत्तीसगढ़ -14, दिल्ली -15, हरियाणा -5, हिमाचल प्रदेश -2, जम्मू -4, कर्नाटक -119, मध्य प्रदेश -117, महाराष्ट्र - 187, पंजाब -91 और राजस्थान -26

बावजूद, विभाग द्वारा कोई शास्ति नहीं लगाई गई/कार्यवाही शुरू नहीं की गई। 651 मामलों के राज्य-वार विवरण को नीचे तालिका 6.2 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 6.2 रिटर्न फाइल करने में विलंब पर शास्ति का गैर-उद्ग्रहण							
क्र.सं.	राज्य का नाम	मामलों की संख्या की तुलना में विलंब की अवधि					कुल
		तीन महीने तक	तीन महीने से अधिक और छः महीने तक	छः महीने से अधिक और एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष तक	दो वर्ष से अधिक	
1	आंध्र प्रदेश	13	19	20	16	3	71
2	छत्तीसगढ़	1	8	4	1	0	14
3	दिल्ली	2	7	2	4	0	15
4	हरियाणा	1	2	1	1	0	5
5	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	0	0	2
6	जम्मू	0	2	1	1	0	4
7	कर्नाटक	20	47	15	36	1	119
8	मध्य प्रदेश	32	46	18	21	0	117
9	महाराष्ट्र	37	85	33	31	1	187
10	पंजाब	25	32	7	11	16	91
11	राजस्थान	4	12	4	6	0	26
	कुल	136	261	105	128	21	651

लेखापरीक्षा के लिए आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर विभिन्न निर्धारण प्रभारों में व्यापक रूप से भिन्न थे, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

- क. मध्य प्रदेश में, आईटीओ (ई), भोपाल ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया और उत्तर दिया (मार्च 2020) कि लेखापरीक्षा की आपत्ति सीपीसी/निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार के सत्यापन का विषय थी, क्योंकि रिटर्न निर्धारितियों द्वारा ऑनलाइन फाइल किए जाते हैं और संवीक्षा निर्धारण के लिए चुने जाने से पहले सीपीसी द्वारा संसाधित किए जाते हैं। हालांकि, आईटीओ (ई), जबलपुर ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि मामलों को जहां भी लागू हो उचित कार्रवाई करने के लिए जेसीआईटी(ई), रायपुर को भेजा जा रहा था। आईटीओ(ई), ग्वालियर, आईटीओ(ई) इंदौर और उज्जैन ने क्रमशः मार्च 2020 और सितंबर 2020 में उत्तर दिया, कि मामले की जांच की जाएगी।
- ख. आंध्र प्रदेश में, आईटीओ (ई), वार्ड 1, संगारेड्डी ने कहा (सितंबर 2020) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार्य थी और आवश्यक कार्रवाई शुरू की

जाएगी। एसीआईटी (ई), सर्किल, विजयवाड़ा ने कहा (अगस्त 2020) कि सभी मामलों को सीपीसी, बेंगलुरु में संसाधित किया गया था और अज्ञात तकनीकी गड़बड़ियों के कारण, सीपीसी द्वारा शास्ति को नहीं लगाया गया था।

ग. महाराष्ट्र में, आईटीओ (ई), वार्ड 1 (3), मुंबई ने कहा (सितंबर 2020) कि धारा 272 ए (2) (ई) के तहत शास्ति एक अनिवार्य प्रावधान नहीं है; अपर सीआईटी/जेसीआईटी अपनी सूझबूझ से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद शास्ति लगाने का फैसला करता है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि धारा 139 (4ए) और (4 सी) धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं पर लागू विशिष्ट धाराएं हैं जो धारा 139 (1) और धारा 272ए (2) (ई) के तहत नियत तिथि के भीतर आय का रिटर्न फाइल करने का अधिदेश देती हैं, यह प्रावधान करती है कि 'शास्ति उद्ग्रहीत की जाएगी' यह स्पष्ट करता है कि यह एक अनिवार्य प्रावधान है और विवेकाधीन प्रावधान नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

6.10 निर्धारण में पाई गई अन्य कमियां

लेखापरीक्षा में ₹ 43.30 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 34 निर्धारण मामले¹⁰⁴ देखे गए, जहां निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जैसे कि कारोबार से प्राप्त आय की गणना नहीं की गई और अलग से कर नहीं लगाया गया, एकत्र किए गए कैपिटेशन फीस/विकास शुल्क के लिए छूट प्रदान करना, पिछले संचय से किए गए अनुप्रयोग की अनुमति, विनिर्दिष्ट माध्यम में न्यास निधि का गैर-निवेश आदि।

अनुपालन से संबंधित तीन मुद्दों को नीचे दर्शाया गया है:

6.10.1 धारा 10(23सी) (viए) के तहत छूट की अनियमित अनुमति

धारा 10(23सी)(viए) में प्रावधान है कि बीमारी या मानसिक दोष से पीड़ित व्यक्तियों के अभिग्रहण और उपचार के लिए या स्वास्थ्य लाभ के दौरान व्यक्तियों के अभिग्रहण और उपचार के लिए या चिकित्सा संबंधी देखभाल या पुनर्वास की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए, किसी भी अस्पताल या अन्य संस्थान की आय, जो केवल परोपकारी उद्देश्यों के लिए मौजूद है और लाभ के उद्देश्यों के लिए नहीं, और जिसे निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा

¹⁰⁴ आंध्र प्रदेश-1, झारखंड-2, दिल्ली-1, गुजरात-4, हिमाचल प्रदेश-1, जम्मू-6, कर्नाटक-3, महाराष्ट्र-2, ओडिशा-2, पंजाब-4, राजस्थान-4, उत्तर प्रदेश-1 और पश्चिम बंगाल-3

सकता है, को पिछले वर्ष की कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

सीआईटी(ई), जयपुर प्रभार, राजस्थान में, 'गरीबों को राहत' की गतिविधि में लगे एक निजी न्यास ने नि.व. 2016-17 और 2017-18 के लिए आय का रिटर्न 'शून्य' आय पर फाइल किया। नि.व. 2016-17 और नि.व. 2017-18 के लिए संवीक्षा निर्धारण क्रमशः नवंबर 2018 और दिसंबर 2019 में धारा 10(23सी)(viए) के तहत छूट की अनुमति देने के बाद दोनों वर्षों के लिए 'शून्य' आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि न्यास अस्पताल और दो शैक्षिक संस्थाओं अर्थात् (i) 'एस' नर्सिंग स्कूल और (ii) 'टी' कॉलेज ऑफ नर्सिंग के संचालन की गतिविधियों में लगा हुआ था। इस प्रकार, न्यास पूरी तरह से धारा 10(23सी)(viए) के तहत कवर किए गए उद्देश्यों के लिए ही अस्तित्व में नहीं था, और इसलिए, छूट के लिए पात्र नहीं था। इसके परिणामस्वरूप नि.व. 2016-17 और नि.व. 2017-18 के लिए क्रमशः ₹ 0.92 करोड़ और ₹ 1.76 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित छूट की अनियमित अनुमति मिली।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (मार्च 2022) और मार्च 2021 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

6.10.2 छूट की गलत अनुमति

अधिनियम की धारा 11 (4ए) में प्रावधान है कि धारा 11 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) या उप-धारा (3) या उप-धारा (3 ए) किसी न्यास या संस्था की किसी भी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कारोबार के लाभ और अभिलाभ होने के कारण हो, जब तक कि कारोबार न्यास या संस्था, जैसा भी मामला हो, के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक न हो और ऐसे कारोबार के संबंध में ऐसे न्यास या संस्था द्वारा अलग-अलग लेखा पुस्तकों का रखरखाव किया जाता है।

सीआईटी (ई) हैदराबाद प्रभार, आंध्रप्रदेश में, एक निजी सत्त्व ने ₹ 'शून्य' आय पर नि.व. 2016-17 के लिए आय की रिटर्न को फाइल किया और ₹ 'शून्य' आय का निर्धारण करते हुए दिसंबर 2018 में संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया। निर्धारिती शैक्षिक संस्थाओं के संचालन की गतिविधि में लगा हुआ है और अधिनियम की धारा 12ए के तहत पंजीकृत है। वर्ष के दौरान न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 196.94 करोड़ थी और इसे पीए के लिए नमूने में 'शीर्ष 200' मामले के रूप में चुना गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने पुस्तकों के क्रय और विक्रय की गतिविधियों के माध्यम से और संस्था के छात्रों के साथ-

साथ एक अन्य न्यास 'एन८' शैक्षिक न्यास के छात्रों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के माध्यम से ₹ 8.94 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक, कारोबार का लाभ और अभिलाभ ही दान की श्रेणी के तहत छूट के लिए पात्र होगा। हालांकि, मौजूदा मामले में, निर्धारिती ने इन सेवाओं को 'एन८' शैक्षिक न्यास तक विस्तारित करके लाभ अर्जित किया। इस प्रकार, 'एन८' शैक्षिक न्यास के लिए उपरोक्त सेवाओं पर अर्जित लाभ पूरी तरह से संस्था के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं था और इसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, इस कारोबार आय के रूप में माना जाना चाहिए था, जो संस्था के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 4.11 करोड़ की परिणामी कम मांग के साथ उस सीमा तक आय का कम निर्धारण हुआ।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

6.10.3 विकास शुल्क पर छूट की अनियमित अनुमति

अधिनियम की धारा 11 (1) (डी) में प्रावधान है कि विशिष्ट निर्देश के साथ किए गए स्वैच्छिक योगदान के रूप में आय केवल न्यास या संस्थाओं के कॉर्पस का हिस्सा होगी और इसे आय की प्राप्ति में न्यास के पिछले वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा। शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अपने छात्रों से एकत्र किए जानी वाले विकास शुल्क, संस्थाओं में अध्ययन के लिए और अध्ययन जारी रखने के लिए शुल्क के स्वरूप में अनिवार्य प्रभार है। इसलिए, उन्हें विशिष्ट उद्देश्य लिए स्वरूप में पूंजीगत या कॉर्पस निधि के हिस्से के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

सीआईटी (ई) हैदराबाद प्रभार, ओडिशा में, एक निजी न्यास ने नि.व. 2016-17 के लिए, ₹ 'शून्य' आय पर आय की रिटर्न फाइल की थी और दिसंबर 2018 में ₹ 'शून्य' आय पर संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया। निर्धारिती शैक्षिक संस्थाओं को चलाने की गतिविधि में लगा हुआ है और अधिनियम की धारा 12एए के तहत पंजीकृत है। वर्ष के दौरान न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 628.20 करोड़ थी और इसे पीए के लिए नमूने में 'शीर्ष 200' के रूप में चुना गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि निर्धारिती द्वारा छात्रों से ₹ 69.58 करोड़ का 'विकास शुल्क' एकत्र किया गया था, फिर भी इसे आय के रूप में नहीं दिखाया गया था। इसके अलावा, ₹ 70.20 करोड़ के 'कॉर्पस दान' के दावे को इस प्रकार स्वीकार किया गया था, हालांकि निर्धारिती द्वारा यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया था कि उपरोक्त दान विशेष रूप से 'कॉर्पस निधि' के लिए प्राधिकृत थे और 'पूंजीगत व्यय (अचल परिसंपत्ति)' के

लिए ₹ 2.52 करोड़ के दावे की अनुमति दी गई थी, हालांकि इसे बैंक ऋणों के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 12.25 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण/अधिक प्रतिदाय हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (मार्च 2022) और मार्च 2021 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

6.11 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में निर्धारण में कमियों को देखा गया और अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत छूट की अनियमित अनुमति, आय की गलत संगणना और इसके अनुप्रयोग के मामलों को पाया। संचय की अनियमित अनुमति, छूट की अनुमति के उदाहरण देखे गए, हालांकि न्यास की आय या संपत्ति का उपयोग उन व्यक्तियों के लाभ के लिए किया गया था जिनकी पर्याप्त रुचि थी और जिनके पास उन परिसंपत्तियों पर मूल्यहास की अनुमति के कारण उसी राशि पर छूट के दोहरे लाभ अनियमित प्रदान किए गए थे, जिनके अधिग्रहण का दावा पहले से ही आय के अनुप्रयोग के रूप में किया जा चुका था और आय के अनुप्रयोग के रूप में कॉर्पस/निर्धारित निधियों से व्यय की अनुमति का दावा किया गया था। इसके अलावा, आय और कर/अधिभार/ब्याज की गलत गणना और आइटीआर को विलंब से फाइल करने के लिए शास्ति न लगाने के मामले भी सामने आए थे।

6.12 सिफारिशों का सार

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की है कि:

- (i) आयकर विभाग न्यासों/संस्थाओं के लिए अपनी निर्धारण प्रक्रिया को सुदृढ़ करे ताकि आय की सही गणना और इसके प्रयोग को सुनिश्चित किया जा सके और अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार न्यासों को दोहरे लाभ देने से बचा जा सके।

(पैराग्राफ 6.2.1, 6.2.2, 6.5.1 और 6.5.2)

उत्तर में, सीबीडीटी ने कहा कि पुराने अभिलेखों के साथ सत्यापित करने के बाद निर्धारितियों की आय की संगणना की पुरानी प्रणाली को अब 'आयकर व्यवसायिक अनुप्रयोग' (आईटीबीए) नामक निर्धारण कार्यों के लिए एक नए अनुप्रयोग के साथ संशोधित किया गया है, जिसमें निर्धारण अधिकारी को कर योग्य आय की गणना करने के लिए वर्धन/अस्वीकृति करते समय अधिक विस्तृत और व्यापक दृष्टिकोण का पालन करने की आवश्यकता होती है, और

इन प्रणालीगत विकासों के परिणामस्वरूप गणना संबंधी त्रुटियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा, विभाग ने फेसलेस निर्धारण योजना, 2019 शुरू की है, जिसे वर्तमान में आईटी अधिनियम की धारा 144 बी में शामिल किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि न्यासों/संस्थाओं से संबंधित मामलों के संवीक्षा निर्धारण सहित सभी निर्धारण कार्यवाहियों को टीम-आधारित निर्धारण के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से फेसलेस तरीके से संचालित किया जाता है जिसमें संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए निर्धारण इकाइयों, सत्यापन इकाइयों, तकनीकी इकाइयों और समीक्षा इकाइयों जैसी विशिष्ट इकाइयों को स्थापित किया गया है। इस टीम-आधारित निर्धारण प्रक्रिया के तहत, निर्धारण इकाई सत्यापन इकाई द्वारा सत्यापन का अनुरोध कर सकती है और त्रुटि-मुक्त निर्धारण आदेश की सुविधा के लिए एक सकारण आदेश तैयार करने के लिए तकनीकी इकाई से तकनीकी सहायता मांग सकती है। वित्त विधेयक, 2022 में एक निर्धारिती द्वारा अनुरोध किए जाने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए धारा 144 बी में संशोधन का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप फेसलेस निर्धारण का निर्बाध और कुशल कार्यान्वयन होगा।

सीबीडीटी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने आईटीबीए प्रणाली के माध्यम से पारित निर्धारण आदेशों में आय और कर की गणना में त्रुटियों को देखा। लेखापरीक्षा फेसलेस निर्धारण योजना, 2019 के माध्यम से निर्धारण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सीबीडीटी द्वारा किए गए प्रयासों और वित्त विधेयक, 2022 में इसके प्रस्तावित संशोधनों के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करेगा।

(ii) आयकर विभाग न्यासों/संस्थाओं के लिए अपनी निर्धारण प्रक्रिया को सुदृढ़ करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्याप्त हित वाले व्यक्तियों को लाभ के लिए न्यास की आय या संपत्ति का उपयोग किए जाने पर कोई छूट नहीं दी जाती है।

(पैराग्राफ 6.4)

उत्तर में, सीबीडीटी ने कहा कि पुराने अभिलेखों के साथ सत्यापित करने के बाद निर्धारितियों की आय की गणना की पहले की प्रणाली त्रुटियों के लिए प्रवृत्त थी और अब 'आयकर व्यवसायिक अनुप्रयोग' (आईटीबीए) नामक निर्धारण कार्यों के लिए एक नए अनुप्रयोग के साथ पुनर्निर्मित किया गया है जिसमें निर्धारण अधिकारी को कर योग्य आय की गणना करने के लिए वर्धन/अस्वीकृति करते समय अधिक विस्तृत और व्यापक दृष्टिकोण का पालन

करने की आवश्यकता होती है और इन प्रणालीगत विकासों के परिणामस्वरूप, गणना संबंधी त्रुटियों से बचा जा सकता है।

ई-निर्धारण योजना, 2019 को संशोधित किया गया था और फेसलेस निर्धारण योजना, 2019 के रूप में नाम दिया गया था, जिसे वर्तमान में आईटी अधिनियम की धारा 144 बी में शामिल किया गया है, उस में प्रावधान है कि न्यासों/संस्थाओं से संबंधित मामलों की संवीक्षा निर्धारण सहित सभी निर्धारण कार्यवाहियों, टीम-आधारित निर्धारण के माध्यम से, एक फेसलेस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती हैं। निर्धारण इकाइयों, सत्यापन इकाइयों, तकनीकी इकाइयों और समीक्षा इकाइयों जैसी विशेषीकृत इकाइयों को पैमाने और कार्यात्मक विशेषज्ञता की सुव्यवस्था के माध्यम से संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए स्थापित किया गया है। इस टीम-आधारित निर्धारण प्रक्रिया के तहत, निर्धारण इकाई सत्यापन इकाई द्वारा सत्यापन करने का अनुरोध कर सकती है और त्रुटि-मुक्त निर्धारण आदेश की सुविधा के लिए एक सकारण आदेश तैयार करने के लिए तकनीकी इकाई से तकनीकी सहायता मांग सकती है। वित्त विधेयक, 2022 के तहत, प्रक्रिया को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि निर्धारिती द्वारा अनुरोध किए जाने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जा सके।

इसके अलावा, वित्त विधेयक, 2022 ने आईटी अधिनियम में एक नई धारा 115बीबीआई का प्रस्ताव किया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां धारा 12एए/10(23सी) के तहत पंजीकृत/अनुमोदित किसी न्यास/संस्था की आय या संपत्ति का उपयोग पर्याप्त हित रखने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए किया जाता है, जैसा कि धारा 13 के तहत निर्दिष्ट किया गया है, इस तरह के अनुचित लाभ को उस पिछले वर्ष की ऐसे व्यक्ति की आय माना जाएगा जिसमें इसका प्रयोग किया गया है और यह 30 प्रतिशत की दर से कर योग्य होगी।

वित्त विधेयक, 2022 में आईटी अधिनियम में एक नई धारा 271एई का भी प्रस्ताव किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि ऊपर उल्लिखित धारा 115बीबीआई के प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, निर्धारण अधिकारी निम्नलिखित शास्ति लगा सकता है:

(क) पर्याप्त रूचि रखने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की गयी आय की कुल राशि के बराबर राशि, जहां किसी भी पिछले वर्ष के दौरान पहली बार उल्लंघन देखा गया है; और

(ख) पर्याप्त रूचि रखने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुप्रयोग की गई आय की कुल राशि के दो सौ प्रतिशत के बराबर राशि, जहां किसी अनुवर्ती पिछले वर्ष में फिर से उल्लंघन देखा जाता है।

उपरोक्त प्रस्तावित प्रावधानों का उद्देश्य एक प्रतिरोध प्रदान करने के साथ-साथ उस परिदृश्य में कराधान के तरीके में स्पष्टता और निश्चितता प्रदान करना है जब आयकर अधिनियम के तहत छूट प्राप्त किसी न्यास या संस्था द्वारा उस व्यक्ति को अनुचित लाभ अंतरित किया जाता है जिसका पर्याप्त हित हो।

लेखापरीक्षा ने सीबीडीटी के उत्तर से पाया है कि वर्तमान वित्त विधेयक 2022 में सीबीडीटी द्वारा विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं। लेखापरीक्षा सीबीडीटी द्वारा अनुमोदित और कार्यान्वित किए गए प्रस्ताव के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करेगा। तथापि, सीबीडीटी को यह सुनिश्चित करना है कि पर्याप्त हित रखने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए न्यास/संस्था की किसी आय या संपत्ति का उपयोग नहीं किया गया है।

(iii) आयकर विभाग यह सुनिश्चित करे कि सीपीसी-आईटीआर प्रणाली द्वारा आईटीआर के प्रसंस्करण के समय दाखिल करने में देरी के लिए स्वतः शास्ति का उद्ग्रहण किया जाए।

(पैराग्राफ 6.9)

उत्तर में, सीबीडीटी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिटर्न नियत तिथि के भीतर फाइल किया गया है, वित्त अधिनियम, 2017 ने आयकर अधिनियम, 1961 (आयकर अधिनियम) में धारा 234 एफ को शामिल किया ताकि आय की रिटर्न प्रस्तुत करने में विलंब के मामले में शुल्क उद्ग्रहीत करने का प्रावधान किया जा सके। बाद में वित्त अधिनियम, 2021 के माध्यम से उक्त धारा में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आय की रिटर्न फाइल करने में विलंब के लिए ₹ 5,000 की विलंब फीस उद्ग्रहीत की जानी है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस तरह की विलंब शुल्क रिटर्न जमा करने के समय उद्ग्रहीत की जाती है और इसलिए रिटर्न संसाधित होने से पहले ही उद्ग्रहीत की जाती है।

जहां तक धारा 272ए की उप-धारा (2) के खंड (ई) के तहत शास्ति का संबंध है, वहां अनुमत समय के भीतर धारा 139 की उप-धारा (4ए) या उप-धारा (4सी) के तहत आय का रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता के लिए शास्ति के संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उक्त शास्ति केवल निर्धारिती को सुनने का अवसर देने के बाद ही लगायी जा सकती है, चूंकि रिटर्न का संसाधन

एक स्वचालित प्रक्रिया है, इसलिए आय की रिटर्न फाइल करते समय उक्त शास्ति लगाना व्यवहार्य नहीं है।

इसके अलावा धारा 273 बी में प्रावधान है कि, अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 272 ए की उप-धारा (2) के तहत कोई शास्ति नहीं लगाई जाएगी यदि निर्धारिती प्रमाणित कर देता है कि विफलता का एक उचित कारण था।

चूंकि केंद्रीकृत संसाधन केंद्र द्वारा रिटर्न का संसाधन एक स्वचालित प्रक्रिया है, इसलिए निर्धारिती के लिए आयकर विभाग के संसाधन के समय विफलता का उचित कारण प्रमाणित करना संभव नहीं होगा। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के भी अनुरूप है कि शास्ति लगाने से पहले कारण बताओ नोटिस दिया जाता है।

इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 12ए की उप-धारा (1) के खंड (बीए) के प्रावधानों के अनुसार, यदि न्यास या संस्था द्वारा समय पर आईटीआर फाइल नहीं किया जाता है तो धारा 11 और 12 के तहत छूट से इनकार कर दिया जाता है। उक्त खंड में 20वें परंतुक को समाविष्ट करके धारा 10 के खंड (23सी) के उपखंड (iv), (v), (vi), (viए) के अधीन अनुमोदित न्यासों या संस्थाओं के लिए वित्त विधेयक, 2022 के माध्यम से इसी तरह के प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा इस बात से इनकार नहीं करता है कि निर्धारिती को सुनने का अवसर प्रदान करके और विफलता का उचित कारण प्रमाणित करने के लिए प्राकृतिक न्याय दिया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह है कि आईटीआर के संसाधन के बाद आयकर विभाग सिस्टम के माध्यम से स्वचालित रूप से शास्ति की कार्यवाही शुरू की जा सकती है और इस संबंध में निर्धारिती को सिस्टम के माध्यम से ही नोटिस जारी किया जा सकता है।

अध्याय 7: न्यासों/संस्थाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा, मॉनिटरिंग और समीक्षा

लेखापरीक्षा में यह जांच करने का प्रयास किया गया कि आयकर विभाग उन न्यासों/संस्थाओं जिनके लिए पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान किए गए थे और छूट दी गई थी, की गतिविधियों, न्यासों/संस्थाओं द्वारा आईटीआर फाइल करने, आय का संचय और उसका उपयोग, विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग आदि की कितनी प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग कर रहा था। लेखापरीक्षा ने पंजीकरण प्रक्रिया और निर्धारण के आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन की जांच करने का भी प्रयास किया।

7.1 लेखापरीक्षा में न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों की सत्यता के सत्यापन के लिए मानक परिचालन क्रियाविधि (एसओपी) अथवा दिशा-निर्देशों का अभाव, न्यासों/संस्थाओं को छूट की अनुमति देने में असंगतता, नॉन-फाइलर्स के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई शुरू न किए जाने, निष्पादित सर्वेक्षणों की अपर्याप्त संख्या, संचय और इसके उपयोग की मॉनिटरिंग करने के लिए अप्रभावी प्रणाली आदि का पता चला है। लेखापरीक्षा यह भी देखा कि सभी राज्यों/प्रभागों में पंजीकरण प्रक्रिया की एक समान आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यान्वयन नहीं किया गया है। नीचे दी गई तालिका 7.1 में लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार दिया गया है:

तालिका 7.1: न्यासों/संस्थाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा, मॉनिटरिंग और समीक्षा से संबंधित मुद्दे			
क्र. सं.	संक्षेप में मुद्दे	मामलों की सं.	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
1	सरकारी और निजी सत्त्व के बीच अंतर के साथ न्यासों/संस्थाओं की गतिविधि को शामिल करने के लिए आईटीआर में अलग-अलग कारोबार कोड के प्रावधान का अभाव	-	-
2	डेटाबेस का रखरखाव और नॉन-फाइलर्स के विरुद्ध कार्रवाई	261	-
3	पंजीकरण प्रक्रिया की आंतरिक लेखापरीक्षा में कमियां	-	-
4	धारा 10(23सी) और 80जी के तहत पंजीकृत मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में बोर्ड के निर्देश में अस्पष्टता	-	-
5	न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों की मॉनिटरिंग में सर्वेक्षण की अपर्याप्तता	-	-
6	उन न्यासों/संस्थाओं को छूट की अनुमति देने में विसंगति जिनकी गतिविधियां धर्मार्थ प्रवृत्ति की नहीं हैं	10	42.44
7	उन न्यासों/संस्थाओं की धर्मार्थ स्थिति की समीक्षा, जिनकी गतिविधि या तो प्रामाणिक नहीं थी या संपत्ति का उपयोग संबंधित पार्टियों के लाभ के लिए किया गया था	8	9.73
8	न्यासों/संस्थाओं की गतिविधि की यथार्थता के सत्यापन के लिए	-	-

तालिका 7.1: न्यासों/संस्थाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा, मॉनिटरिंग और समीक्षा से संबंधित मुद्दे			
क्र. सं.	संक्षेप में मुद्दे	मामलों की सं.	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
	मानक परिचालन क्रियाविधि (एसओपी) या दिशानिर्देशों का अभाव		
9	वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों में लगे न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों की मॉनिटरिंग	1	-
10	न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए फीडबैक/मॉनिटरिंग तंत्र का अभाव	-	-
11	धारा 11(2) के तहत आय के संचय और इसके उपयोग की मॉनिटरिंग	32	60.94
12	धारा 10(23सी) के तहत संचय के उद्देश्य की घोषणा के लिए प्रावधान	4	2.99
13	विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग को सत्यापित करने के लिए तंत्र का अभाव	35	182.10
14	धारा 80जी के तहत पंजीकरण वाले सत्त्वों द्वारा जारी प्राप्तियों की अपर्याप्त मॉनिटरिंग	3	8.26
15	आयकर विभाग द्वारा मॉनिटरिंग को मजबूत करने की आवश्यकता वाले मुद्दे		
कुल		354	306.46

7.1.1 सरकारी और निजी सत्त्व के बीच अंतर के साथ न्यासों/संस्थाओं की गतिविधि को शामिल करने के लिए आईटीआर में अलग-अलग कारोबार कोड के प्रावधान का अभाव

अधिनियम की धारा 2(15) में 'धर्मार्थ प्रयोजन' शब्द को परिभाषित किया गया है जिसमें न्यासों/संस्थाओं द्वारा की गई सात प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं जैसे (i) गरीबों को राहत (ii) शिक्षा (iii) योग (iv) चिकित्सा राहत (v) पर्यावरण का संरक्षण (जलसंभर, वन और वन्यजीवों सहित) (vi) कलात्मक या ऐतिहासिक हित के स्मारकों/स्थानों/वस्तुओं का संरक्षण और (vii) सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य का विकास। न्यासों/संस्थाएं पूरी तरह से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आय की छूट का लाभ उस सीमा तक उठा सकती हैं, जिस तक इस तरह की आय का अधिनियम की धारा 11 के तहत भारत में उपयोग किया गया है। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक और चिकित्सा संस्थाओं, जो सरकार द्वारा पूरी तरह से या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हैं और कतिपय निजी धार्मिक, शैक्षिक और चिकित्सा संस्थाएं भी कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन धारा 10(23सी) (iii)एबी) से 10(23सी) (vi)ए) के तहत विभिन्न प्रावधानों के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि अधिनियम में कई कार्यकलापों को 'धर्मार्थ' के रूप में निर्दिष्ट किया है जिसके तहत सरकारी और निजी न्यासों/संस्थाएं दोनों अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत छूट का दावा कर सकती हैं, आयकर विभाग ने धारा 11 और 10(23सी) की उप-धाराओं से जुड़ी विभिन्न धर्मार्थ गतिविधियों के लिए विशिष्ट कोड आवंटित नहीं किए हैं, जिसके तहत न्यासों/संस्थाओं द्वारा छूट का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा, विभिन्न धाराओं के तहत सरकारी/निजी न्यास द्वारा दावा की गई छूट से संबंधित आंकड़े आईटीआर फॉर्म 7 के माध्यम से वर्तमान प्रणाली में शामिल नहीं किए जा रहे थे।

गतिविधि-वार और सरकारी/निजी न्यास-वार प्रदान की गई कुल छूट (जो आयकर विभाग द्वारा प्रदान किए गए डेटा में पूरी तरह से उपलब्ध नहीं थी) के विवरण का पता लगाने की दृष्टि से, लेखापरीक्षा द्वारा उन अतिरिक्त मामलों को छोड़कर, जहां गतिविधि से संबंधित जानकारी निर्धारण अभिलेख में उपलब्ध थी, 5,798 नमूना मामलों में से 5,693 के संबंध में डेटा एकत्र किए गए और विश्लेषण किए गए। आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ-साथ लेखापरीक्षा द्वारा एकत्र किए गए डेटा के आधार पर तैयार किए गए 5,693 नमूना मामलों के संबंध में ₹ 1.63 लाख करोड़ की कुल छूट का गतिविधि-वार संक्षेप में विवरण नीचे तालिका 7.2 में दिया गया है:

तालिका 7.2 ₹ 1.63 लाख करोड़ की कुल छूट का गतिविधि-वार विवरण				
गतिविधि का स्वरूप	गतिविधि में लगे नमूना मामलों की संख्या	कुल नमूना मामलों की प्रतिशतता	गतिविधि में लगे मामलों को दी गई छूट की कुल राशि (₹ करोड़ में)	गतिविधि में लगे मामलों को दी गई छूट की कुल प्रतिशतता
शिक्षा	2,686	47.2	57,175.5	35.1
चिकित्सा राहत	428	7.5	22,478.7	13.8
गरीबों को राहत	629	11.0	7,618.7	4.6
पर्यावरण	38	0.7	1,425.8	0.9
धार्मिक	312	5.5	4,070.6	2.5
अन्य	1,600	28.1	70,210.1	43.1
कुल	5,693	100.00	1,62,979.4	100.00

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 5,693 नमूना मामलों में से 47.2 प्रतिशत शैक्षिक गतिविधियों में लगे हुए थे, जिसके प्रति छूट की कुल राशि (₹ 1.63 लाख करोड़) का 35.1 प्रतिशत प्रदान किया गया था, इसके बाद 28.1 प्रतिशत

अन्य¹⁰⁵ गतिविधियों में लगे हुए थे, जिसके संबंध में छूट की कुल राशि का 43.1 प्रतिशत प्रदान किया गया था और शेष मामले चिकित्सा राहत, गरीबों को राहत, पर्यावरण, धार्मिक आदि में लगे हुए थे।

चूंकि इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी के साथ-साथ निजी सत्त्व को छूट प्रदान की जाती है, इसलिए लेखापरीक्षा ने सरकारी और निजी सत्त्व को दी गई छूट के गतिविधि-वार विवरण की गणना करने की दृष्टि से 553 उच्च मूल्य वाले छूट मामलों (जिनकी सकल आय ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक है) के संबंध में भी सूचना एकत्र की है। आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ-साथ लेखापरीक्षा द्वारा एकत्र किए गए डेटा के आधार पर तैयार किए गए 553 उच्च मूल्य के नमूना मामलों के संबंध में डेटा को नीचे तालिका 7.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 7.3 उच्च मूल्य के मामलों (₹ 50 करोड़ या उससे अधिक की सकल आय) के संबंध में सरकारी और निजी सत्त्व को दी गई छूट का गतिविधि-वार विवरण												
गतिविधि का स्वरूप	गतिविधि में लगे मामलों की संख्या			कुल मामलों की प्रतिशतता			गतिविधि में लगे मामलों को दी गई छूट की कुल राशि (₹ करोड़ में)			गतिविधि में शामिल छूट की कुल राशि की प्रतिशतता		
	सरकारी	निजी	कुल	सरकारी	निजी	कुल	सरकारी	निजी	कुल	सरकारी	निजी	कुल
शिक्षा	65	197	262	11.8	35.6	47.4	19,254.9	22,491.7	41,746.6	15.2	17.8	33.0
चिकित्सा राहत	18	42	60	3.3	7.6	10.8	10,751.4	5,679.0	16,430.4	8.5	4.5	13.0
गरीबों को राहत	10	28	38	1.8	5.1	6.9	572.3	4,790.5	5,362.8	0.5	3.8	4.2
पर्यावरण	7	3	10	1.3	0.5	1.8	916.7	375.8	1,292.6	0.7	0.3	1.0
धार्मिक	1	19	20	0.2	3.4	3.6	66.5	2,695.5	2,761.9	0.1	2.1	2.2
अन्य	82	81	163	14.8	14.6	29.5	33,920.3	25,050.1	58,970.4	26.8	19.8	46.6
कुल योग	183	370	553	33.1	66.9	100.0	65,482.1	61,082.6	1,26,564.7	51.7	48.3	100.0

यह देखा जाएगा कि उच्च मूल्य के 33.1 प्रतिशत मामले सरकारी सत्त्वों से संबंधित थे, जिसके प्रति कुल छूटों (₹ 1,26,564.7 करोड़) का 51.7 प्रतिशत प्रदान किया गया था, जबकि उच्च मूल्य के 66.9 प्रतिशत मामले निजी सत्त्वों से संबंधित थे, जिसके प्रति कुल छूट का 48.3 प्रतिशत प्रदान किया गया था।

इन 553 उच्च मूल्य वाले छूट मामलों में से, 262 न्यासै/संस्थाएं (197 निजी सत्त्व और 65 सरकारी सत्त्व) शैक्षिक गतिविधियों में लगी हुई थीं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि छूट प्राप्त करने वाले सरकारी धर्मार्थ

¹⁰⁵ 'अन्य' में गतिविधियों के साथ सत्त्व शामिल हैं जैसे सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता, पर्यावरण का संरक्षण, स्मारकों का संरक्षण, योग,; और एक से अधिक गतिविधि वाले सत्त्व।

सत्त्व विधायिका द्वारा बनाई गई या सरकार द्वारा अधिसूचित किसी विधि द्वारा स्थापित प्राधिकरण/निकाय/संस्था थे, जिनके माध्यम से सरकार मुख्य रूप से अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है। इन सत्त्वों को काफी हद तक सरकार द्वारा नियंत्रित और पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया गया था। लेखापरीक्षा की राय में, सरकार के न्यासों/संस्थाओं के संवीक्षा निर्धारण के लिए प्रयास और श्रमबल लगाना उतना प्रभावी नहीं था, क्योंकि आयकर छूट परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में सत्त्व अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले क्षेत्रों में थे। तथापि, निजी धर्मार्थ सत्त्वों से संबंधित उच्च मूल्य के मामलों में से दो-तिहाई (66.9 प्रतिशत) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रदान की गई कुल छूट (₹ 1.3 लाख करोड़) का लगभग आधा (48.3 प्रतिशत) प्राप्त कर रहे थे।

धारा 10(23सी)(iiiएबी) से (iiiई), (vi) और (viए) विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थाओं/अस्पताल/चिकित्सा संस्थाओं जैसे एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनी संस्थाओं को दी गई छूट से संबंधित है जो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए/चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं, न कि लाभ के लिए। धारा 10(23सी)(iv) किसी अन्य निधि या संस्था से संबंधित है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में या राज्य (राज्यों) में महत्वपूर्ण है। धारा 10(23सी)(v) किसी भी न्यास (किसी भी अन्य कानूनी दायित्व सहित) या संस्था से संबंधित है जो पूरी तरह से सार्वजनिक धार्मिक उद्देश्यों के लिए या पूरी तरह से सार्वजनिक धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए है। धारा 11 और 12 धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों और अंशदान के लिए धारित संपत्ति से न्यासों/संस्थाओं को आय की छूट से संबंधित है।

धारा 10(23सी)(iiiएबी) से (viए) और धारा 11 और 12 के प्रावधानों के विश्लेषण से पता चला कि इन धाराओं में समान शर्तें और आवश्यकताएं दी गयी हैं जैसे कि प्र. सीआईटी/सीआईटी का अनुमोदन/पंजीकरण प्राप्त करने के बाद छूट प्रदान करना {विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थाओं और अस्पताल/चिकित्सा संस्थाओं के अतिरिक्त जो सरकार द्वारा पूरी तरह से या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हैं या जिनकी वार्षिक प्राप्तियां ₹ एक करोड़ से अधिक नहीं हैं, जो धारा 10(23सी)(iiiएबी) से (iiiई) में शामिल हैं}, कुल प्राप्तियों के 85 प्रतिशत का न्यूनतम अनुप्रयोग, बिना किसी शर्त के कुल प्राप्तियाँ के 15 प्रतिशत तक आय को बनाए रखना, भविष्य के अनुप्रयोग के लिए कम प्रयोग की गयी आय का संचय, निर्दिष्ट माध्यम में निधि का निवेश, आय की

रिटर्न फाइल करना और छूट का दावा करने के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा शामिल हैं।

इस प्रकार, अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत छूट का दावा करने वाले न्यासें/संस्थाएं भी अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन धारा 10(23सी)(iiiएबी) से (viए) के तहत छूट का दावा करने के लिए पात्र हो सकती हैं। इसलिए, संसाधित और अनुमत अपात्र दावों के जोखिम को कम करने के लिए इन निजी धर्मार्थ सत्त्वों की गतिविधि-वार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। वर्तमान में, आयकर विभाग के पास इसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई तंत्र नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

7.1.2 डेटाबेस का रखरखाव और नॉन-फाइलर्स के विरुद्ध कार्रवाई

अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत किए गए न्यासें/संस्थाओं की गतिविधियों पर मॉनिटरिंग रखने के लिए एक उचित तंत्र स्थापित करने के लिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी न्यासें/संस्थाएं अपनी आय का रिटर्न फाइल कर रही हैं, और उनके पास निधि/संपत्ति का उद्देश्य के प्रति प्रयोग किया जाता है। नॉन-फाइलर्स या स्टॉप-फाइलर्स की पहचान की तुलना में ऐसे निर्धारितियों का एक पूरा डेटाबेस इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

धारा 139 (4ए) और (4सी) प्रत्येक न्यास/संस्था आदि के लिए रिटर्न फाइल करना अनिवार्य बनाती है, यदि कुल आय कर योग्य सीमा से अधिक हो जाती है। धारा 12ए को यह प्रावधान करने के लिए संशोधित¹⁰⁶ किया गया था कि उस धारा के तहत पंजीकृत सभी संगठनों को धारा 139(4ए) के तहत आय की रिटर्न फाइल करनी होगी; अन्यथा, रिटर्न फाइल न करने को पंजीकरण रद्द करने के कारण के रूप में माना जा सकता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने नि.व. 2014-15 से नि.व. 2017-18 के दौरान नमूना जांच किए गए 6,064 नमूना मामलों के संबंध में नॉन-फाइलर्स का पता लगाने का प्रयास किया और धर्मार्थ न्यासें/संस्थाओं द्वारा आय का रिटर्न फाइल न करने के 261 निर्धारण मामलों को देखा। नॉन-फाइलर्स के राज्य-वार संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका 7.4 में दिए गए हैं:

¹⁰⁶ वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा धारा 12ए(1) के तहत समाविष्ट खंड (बीए)।

तालिका 7.4: नॉन-फाइलर्स का राज्यवार विवरण						
क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्धारण-वर्ष-वार नॉन-फाइलर्स की संख्या				कुल
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
1	आंध्र प्रदेश	36	14	2	5	57
2	असम	1	0	0	0	1
3	बिहार	2	2	0	1	5
4	छत्तीसगढ़	1	1	0	0	2
5	गुजरात	12	7	1	4	24
6	कर्नाटक	9	4	0	0	13
7	केरल	36	31	4	4	75
8	मध्य प्रदेश	8	5	1	1	15
9	महाराष्ट्र	10	4	1	2	17
10	ओड़िशा	4	0	2	3	9
11	पंजाब	6	3	0	0	9
12	राजस्थान	15	6	4	5	30
13	तमिलनाडु	3	1	0	0	4
कुल		143	78	15	25	261

विभाग ने तीन निर्धारण मामलों¹⁰⁷ में बताया कि कोई कर योग्य आय नहीं थी; इसलिए, निर्धारितियों को आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं थी; चार निर्धारण मामलों¹⁰⁸ में आईटीओ(ई) वार्ड-(4) हैदराबाद ने धारा 142(1) के तहत नोटिस जारी किया था और पांच मामलों¹⁰⁹ में आयकर विभाग ने उत्तर दिया कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आईटीओ(ई) वार्ड-1, जयपुर ने कहा कि आयकर रिटर्न फाइल नहीं करने के कारणों का पता लगाने के लिए प्रणाली में कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था और चार निर्धारण मामलों¹¹⁰ में, निर्धारिती एनएमएस¹¹¹ मामलों में परिलक्षित नहीं हुए थे। शेष मामलों में लेखापरीक्षा आयकर रिटर्न फाइल न किए जाने के कारणों का पता नहीं लगा सकी।

इस प्रकार, नॉन-फाइलर्स की मॉनिटरिंग के लिए एक प्रणाली होने के बावजूद, विभाग ने अधिकांश मामलों में उचित कार्रवाई शुरू नहीं की। इसके अलावा, चार मामलों में, आयकर विभाग प्रणाली नॉन-फाइलर्स का भी पता नहीं लगा सका। नॉन-फाइलर्स के मामलों में नोटिस जारी नहीं करने के कारणों की आयकर विभाग द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

¹⁰⁷ आईटीओ जयपुर (ई) प्रभार -1 (नि.व. 2015-16) और आईटीओ कोटा (ई) प्रभार - 2 (नि.व. 2014-15 और नि.व. 2015-16)।

¹⁰⁸ हैदराबाद - 4

¹⁰⁹ आईटीओ (ई) वार्ड अजमेर प्रभार- 3 और आईटीओ (ई) वार्ड (3) हैदराबाद प्रभार-2

¹¹⁰ आईटीओ (ई) वार्ड कोटा।

¹¹¹ नॉन-फाइलर मॉनिटरिंग प्रणाली (एनएमएस)।

7.1.3 पंजीकरण प्रक्रिया की आंतरिक लेखापरीक्षा में कमियां

पीएसी ने अपने 104वीं रिपोर्ट (16वीं लोक सभा) के पैरा 14 में सिफारिश की थी कि 2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 20 में लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के पंजीकरण/अनुमोदन की प्रक्रिया को विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे में लाया जाना चाहिए।

तदनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान संसाधित (अर्थात् अनुमोदित/अस्वीकृत) पंजीकरण आवेदनों के संबंध में वित्त वर्ष 2019-20 में पहली बार आंतरिक लेखापरीक्षा शुरू हुई¹¹²। पहले वर्ष के लिए लेखापरीक्षा योग्य मामलों का लक्ष्य प्रत्येक सीआईटी(ई) के लिए कम से कम 50 मामलों पर निर्धारित किया गया था। तत्पश्चात्, एडीजी (लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण) को बाद के वर्षों के लिए 31 मार्च तक लक्ष्य को परिचालित करना था, यदि लक्ष्य में कोई परिवर्तन होता है।

लेखापरीक्षा ने नौ राज्यों¹¹³ में देखा कि पंजीकरण प्रक्रिया की आंतरिक लेखापरीक्षा शुरू हो गई थी। महाराष्ट्र, सीआईटी (ई) पुणे प्रभार में, धारा 12ए के तहत पंजीकृत मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान की गई थी। तथापि, सीआईटी(ई) मुंबई प्रभार में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। पंजीकरण प्रक्रिया की आंतरिक लेखापरीक्षा के बारे में पांच राज्यों¹¹⁴ में सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि पंजीकरण प्रक्रिया की आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों को सभी राज्यों/प्रभारों में समान रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया था, जिसके लिए आयकर विभाग को भविष्य में प्रभावी अनुपालन के लिए अनुदेशों को दोहराने के लिए प्रणाली की समीक्षा करने की आवश्यकता है, जैसा कि पीएसी¹¹⁵ द्वारा सिफारिश की गई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

7.1.4 धारा 10(23सी) और 80जी(5) के तहत पंजीकृत मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में बोर्ड के अनुदेश में अस्पष्टता

सीबीडीटी ने दिनांक 14.12.2018 के 2017 के अनुदेश संख्या 06 के आंशिक संशोधन के माध्यम से सीआईटी(ई) द्वारा प्रदान किए गए धर्मार्थ

¹¹² सीबीडीटी के 2017 के निर्देश संख्या 06 के तहत जिसे 14.12.2018 को संशोधित किया गया।

¹¹³ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल

¹¹⁴ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात

¹¹⁵ 104वीं रिपोर्ट का पैरा 14 (16वीं लोक सभा)

न्यासों/संस्थाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए एक तंत्र शुरू किया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त अनुदेश के साथ परिचालित जांच सूची में केवल धारा 12ए के तहत दिए गए पंजीकरण को शामिल किया गया था। तथापि, सीआईटी(ई) न केवल धारा 12ए के तहत पंजीकरण प्रदान करते हैं बल्कि अधिनियम की धारा 10(23सी)/80जी(5) की विभिन्न उप-धाराओं के तहत अनुमोदन भी प्रदान करते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीआईटी(ई), पुणे प्रभार में, हालांकि पंजीकरण प्रक्रिया की आंतरिक लेखापरीक्षा, बोर्ड के अनुदेश के अनुसार, 50 मामलों में की गई थी, धारा 10(23सी) और 80जी(5) के तहत अनुमोदित मामलों में से किसी को भी आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए नहीं चुना गया था। इसके अतिरिक्त, बोर्ड द्वारा परिचालित जांच सूची धारा 12ए, 10(23सी) और 80जी(5) के तहत प्रदान किए गए पंजीकरण/अनुमोदन के मामलों को कवर करने के लिए व्यापक होनी चाहिए।

इस प्रकार, अधिनियम की धारा 10(23सी) और 80जी(5) के तहत दिए गए अनुमोदन की प्रक्रिया की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के संबंध में अनुदेशों में अस्पष्टता के कारण, लेखापरीक्षा ने पाया कि धारा 10(23सी) और 80जी(5) के तहत अनुमोदित मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा शुरू नहीं की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

7.1.5 न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों की मॉनिटरिंग में सर्वेक्षण की अपर्याप्तता

अधिनियम की धारा 133ए आयकर विभाग को निर्धारितियों के वित्तीय संव्यवहार से संबंधित जानकारी एकत्र करने और इसकी वित्तीय स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण करने का अधिकार देती है। पीएसी ने अपनी रिपोर्ट¹¹⁶ में सिफारिश की थी कि सभी शैक्षिक न्यासों का सर्वेक्षण समयबद्ध तरीके से किया जाए ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि क्या वे अधिनियम के 'धर्मार्थ न्यासों' के प्रावधानों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। तदनुसार, धारा 133ए के तहत सर्वेक्षण संचालन के दायरे को वित्त अधिनियम, 2017¹¹⁷ के तहत धर्मार्थ न्यासों को कवर करने के लिए विस्तारित

¹¹⁶ 27वीं रिपोर्ट का पैरा 9 (16^{वां} लोक सभा)

¹¹⁷ धारा 133ए के प्रावधानों के संशोधन के अनुसार, आयकर अधिकारी उस परिसर में प्रवेश कर सकते हैं जहां धर्मार्थ उद्देश्य के लिए एक गतिविधि की जाती है और लेखा की पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं, नकदी, स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तुओं या चीजों को सत्यापित कर सकते हैं और ट्रस्टी, कर्मचारी या अन्य

किया गया था, ताकि आयकर अधिकारियों को उन परिसरों में सर्वेक्षण करने में सक्षम बनाया जा सके जहां धर्मार्थ उद्देश्य के लिए एक गतिविधि की जा रही थी।

धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के संबंध में सर्वेक्षण प्रचालनों की प्रभावकारिता का निर्धारण करने की दृष्टि से लेखापरीक्षा ने सात राज्यों में 75 सर्वेक्षण मामलों के संबंध में सर्वेक्षण और तत्संबंधी प्रकट की गई अतिरिक्त आय के आधार पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी मांगी थी। उपरोक्त 75 मामलों का राज्य-वार विवरण तालिका 7.5 में दिया गया है:

तालिका 7.5: सर्वेक्षण किए गए 75 मामलों का राज्य-वार विवरण							
क्र.सं.	राज्य का नाम	किए गए सर्वेक्षण का गतिविधि-वार विवरण					कुल
		शिक्षा	चिकित्सा राहत	गरीबों को राहत	धार्मिक	अन्य	
1	असम	0	1	0	0	1	2
2	कर्नाटक	6	0	0	1	8	15
3	केरल	2	0	0	0	0	2
4	महाराष्ट्र	19	0	1	6	10	36
5	बिहार	0	0	0	0	1	1
6	तमिलनाडु	0	1	0	0	1	2
7	पश्चिम बंगाल	10	0	0	0	7	17
कुल		37	2	1	7	28	75

इन 75 मामलों के संबंध में सर्वेक्षण के आधार पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

क. चार मामलों में पंजीकरण रद्द कर दिया गया था और 30 मामलों में ₹ 132.81 करोड़ की अतिरिक्त आय का खुलासा किया गया था (जिसमें तीन मामले शामिल हैं जहां पंजीकरण रद्द कर दिया गया था)।

ख. 24 मामलों (18 शैक्षिक न्यासों सहित) को आगे के निर्धारण के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार वाले केंद्रीय मंडलों को स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि सर्वेक्षण के दौरान सामग्री जब्त की गई थी।

ग. आठ मामलों में, किसी अतिरिक्त आय का खुलासा नहीं किया गया था और, एक मामले में निर्धारण अभी भी लंबित है।

घ. विभाग ने 11 मामलों के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

व्यक्ति को किसी भी मामले के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकती है

इसके अतिरिक्त, सर्वेक्षण किए गए 75 मामलों में से 37 मामलों शैक्षिक न्यासों से संबंधित थे, जिनमें दो मामलों में पंजीकरण रद्द कर दिया गया था और 14 मामलों में ₹ 48.49 करोड़ की अतिरिक्त आय का खुलासा किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 5,986 लेखापरीक्षित मामलों में 4,627 निर्धारितियों को शामिल किया गया है, जिसमें से विभाग द्वारा केवल 13 मामलों (0.3 प्रतिशत) में सर्वेक्षण किया गया था। चूंकि, सर्वेक्षण वास्तविक वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने और छूट के फर्जी दावे का पता लगाने के लिए एक प्रभावी साधन हो सकता है अतः लेखापरीक्षा की राय में, विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षणों की संख्या अपर्याप्त थी।

चूंकि आयकर विभाग न्यासों/संस्थाओं का कोई गतिविधि-वार डेटाबेस नहीं रखता है, इसलिए लेखापरीक्षा ने उपलब्ध डेटा को एकत्र किया और उनका विश्लेषण किया और पाया कि लेखापरीक्षा नमूने में 2,686 मामले (2,105 निर्धारित) शामिल हैं जिनमें 'शिक्षा' न्यासों/संस्थाओं की मुख्य गतिविधि थी। इनमें से, आयकर विभाग द्वारा 2014-15 से 2018-19 के दौरान केवल आठ (0.3 प्रतिशत) सर्वेक्षण किए गए थे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि उपरोक्त अवधि के दौरान 46 उच्च मूल्य वाले शैक्षिक न्यासों (₹ 200 करोड़ या उससे अधिक की प्राप्ति वाले) के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। दो राज्यों¹¹⁸ में, विभाग ने प्रासंगिक सूचना प्रस्तुत नहीं की।

चूंकि निजी धर्मार्थ सत्त्वों की एक महत्वपूर्ण संख्या शैक्षिक गतिविधियों में लगी हुई है जैसा कि पैरा 7.1.1 (तालिका 7.3) में उल्लिखित है, इसलिए विभाग को उनकी पहचान करने और उन मामलों, विशेषरूप से उच्च मूल्य वाले छूट के मामलों, जैसा कि पीएसी¹¹⁹ द्वारा सिफारिश की गई है, का सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है, जोकि प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए, केवल पात्र निर्धारितियों को छूट की अनुमति देने और अपात्र दावों की संभावना को कम करने के लिए है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

7.1.6 उन न्यासों/संस्थाओं को छूट की अनुमति देने में असंगतता जिनकी गतिविधि गैर-धर्मार्थ प्रकृति के हैं

अधिनियम की धारा 2(15) में 'धर्मार्थ उद्देश्य' की परिभाषा दी गई है जिसमें (i) गरीबों को राहत (ii) शिक्षा (iii) योग (iv) चिकित्सा राहत (v) पर्यावरण का संरक्षण (जलसंभर, वन और वन्यजीवन सहित) (vii) कलात्मक या ऐतिहासिक

¹¹⁸ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड

¹¹⁹ 27वीं रिपोर्ट का पैरा 9 (16वीं लोक सभा)

रुचि के स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण और (viii) सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य का विकास शामिल है। धारा में यह भी प्रावधान है कि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य का विकास एक धर्मार्थ उद्देश्य नहीं होगा, यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य या कारोबार की प्रकृति में किसी भी गतिविधि को करना शामिल है, या किसी भी व्यापार, वाणिज्य या कारोबार के संबंध में किसी भी सेवा को प्रदान करने की कोई गतिविधि हो जोकि, उपयोग या अनुप्रयोग की प्रकृति को ध्यान में न रखकर उपकर या शुल्क या किसी अन्य प्रतिफल के लिए हो या ऐसी गतिविधि से आय को बनाए रखने और पिछले वर्ष के दौरान ऐसी गतिविधि या गतिविधियों से कुल प्राप्त ₹ 25 लाख (कुल प्राप्तियों के 20 प्रतिशत 1.4.2016 से प्रभावी) से अधिक है, वह शामिल है।

लेखापरीक्षा में ऐसे 10 निर्धारण मामलों¹²⁰ देखे जहां निर्धारण अधिकारी ने निर्धारित किया कि न्यासों की गतिविधियां एक या अधिक नि.व. के लिए धर्मार्थ स्वरूप की नहीं थीं, लेकिन अन्य नि.व. के लिए छूट की समीक्षा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, हालांकि न्यास के उद्देश्य संबंधित नि.व. के दौरान समान थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 42.44 करोड़ के कर प्रभाव के साथ अनियमित छूट प्रदान की गयी। दो मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

(i) कर्नाटक में सीआईटी (ई) बेंगलुरु प्रभार में 'गरीबों को राहत' की गतिविधि में लगे एक निजी न्यास ने ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2016 में ₹ 2.87 करोड़ की आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने नि.व. 2016-17 के निर्धारण अभिलेखों से देखा कि निर्धारण अधिकारी ने यह कहते हुए धारा 11 के तहत छूट से इनकार कर दिया था, कि निर्धारिती की गतिविधियों को धारा 2(15) के अर्थ में धर्मार्थ के रूप में नहीं माना जा सकता। हालांकि, नि.व. 2014-15 के लिए धारा 11 के तहत छूट के दावे से इनकार नहीं किया गया था, हालांकि निर्धारिती की गतिविधियां समान थीं। इसके परिणामस्वरूप नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 5.71 करोड़ की आय की कम गणना हुई जिसमें ₹ 1.29 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

(ii) छत्तीसगढ़ में, सीआईटी(ई) भोपाल प्रभार, छत्तीसगढ़ में, 'सामान्य जन उपयोगिता' के उद्देश्य में लगी एक निजी सोसाइटी ने ₹ 0.49 करोड़ की आय पर नि.व. 2015-16 के लिए आय की रिटर्न फाइल की, जिसे

¹²⁰ छत्तीसगढ़ -2 और कर्नाटक - 8

जनवरी 2017 में संक्षिप्त तरीके से संसाधित किया गया था और उसी आय पर दिसंबर 2018 में धारा 154 के तहत परिशोधित किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2016-17 और नि.व. 2017-18 में धारा 11 के तहत छूट से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि निर्धारिती की गतिविधियों को धारा 2 (15) के अर्थ के अंतर्गत धर्मार्थ के रूप में नहीं माना जा सकता है। हालांकि, नि.व. 2015-16 के लिए छूट के दावे से इनकार नहीं किया गया था, जबकि निर्धारिती की गतिविधियां प्रासंगिक पिछले वर्ष 2014-15 के दौरान समान थीं। इसके परिणामस्वरूप नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 10.42 करोड़ की आय की कम गणना हुई जिसमें ₹ 3.81 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया है (मार्च 2022) और मार्च 2021 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की है।

7.1.7 सत्त्व की धर्मार्थ स्थिति की समीक्षा जहां गतिविधि या तो वास्तविक नहीं थी या संपत्ति का उपयोग संबंधित पार्टियों के लाभ के लिए किया गया था

अधिनियम की धारा 12एए(3) और धारा 12एए(4) में प्रावधान है कि यदि न्यासों/संस्थाओं की गतिविधि वास्तविक नहीं हैं या न्यासों/संस्थाओं के उद्देश्यों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं या गतिविधि इस प्रकार किए जा रहे हैं कि धारा 11 और 12 के प्रावधान धारा 13(1) के प्रचालन के कारण ऐसे न्यासों/संस्थाओं की आय के पूरे या किसी भी भाग को छोड़ने के लिए लागू नहीं होते हैं तब, सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप से एक आदेश द्वारा ऐसे न्यास या संस्था के पंजीकरण को रद्द कर सकता है। अधिनियम की धारा 13(1)(सी) में प्रावधान है कि यदि न्यासों/संस्थाओं की आय या संपत्ति को निर्दिष्ट व्यक्ति¹²¹ के लाभ के लिए अनुप्रयोग/उपयोग किया जाता है, तो धारा 11 के तहत छूट समाप्त कर दी जाएगी।

लेखापरीक्षा में ₹ 9.73 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े आठ मामलों¹²² में पाया गया, जहां निर्धारण अधिकारी ने यह कहते हुए अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट से इनकार कर दिया था, कि न्यासों की गतिविधियां या तो वास्तविक

¹²¹ संस्थापक, न्यासी, प्रबंधक, मुख्य पदाधिकारी, प्रमुख दाता, संस्थापकों के रिश्तेदार या व्यक्ति जो संगठन में पर्याप्त रुचि रखते हैं

¹²² झारखंड-1, महाराष्ट्र-2, पंजाब-3 और तमिलनाडु-2

नहीं था या न्यासों की संपत्तियों या आय का न्यास द्वारा धारा 13(3) में संदर्भित संबंधित व्यक्तियों के लाभ के लिए लगातार उपयोग किया गया था। तथापि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्यासों/संस्थाओं की धर्मार्थ स्थिति की समीक्षा नहीं की गई थी। दो मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

(i) महाराष्ट्र, सीआईटी (ई) मुंबई प्रभार में, 'चिकित्सा राहत' की गतिविधि में लगे एक निजी न्यास ने नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। संवीक्षा निर्धारण धारा 13(1) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए धारा 11 के तहत छूट से इनकार करने के बाद दिसंबर 2018 में ₹ 4.01 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने नि.व. 2013-14 के बाद के निर्धारण अभिलेखों से देखा कि विभाग, धारा 11 के साथ पठित धारा 13(1) के प्रावधानों को लागू करके धारा 11 के तहत निर्धारिती को लगातार छूट देने से इनकार कर रहा था। हालांकि विभाग ने धारा 13(3) के तहत निर्दिष्ट संबंधित पार्टियों के लाभ के लिए उपयोग की जाने वाली न्यास की संपत्ति से प्राप्त आय के संबंध में कटौती को लगातार अस्वीकार कर रहा था फिर भी, निर्धारिती ने छूट को शासित करने वाले प्रावधानों का उल्लंघन करना जारी रखा और संबंधित पार्टी को न्यास की संपत्ति उपयोग करने की अनुमति दी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि निर्धारण आदेशों के दौरान निर्धारण अधिकारी ने स्वयं यह माना कि न्यास की गतिविधि वास्तविक नहीं थी। इसलिए, निर्धारिती को धारा 12एए के तहत दी गई पंजीकरण की निरंतरता की धारा 12एए(3) और 12एए(4) के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा किए जाने की आवश्यकता थी।

आईटीओ (छूट) वार्ड 1(2) मुंबई ने उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार्य थी और पंजीकरण रद्द करने का प्रस्ताव मार्च 2021 में सीआईटी (ई), मुंबई को दिया गया था।

(ii) महाराष्ट्र सीआईटी (ई), मुंबई प्रभार में, शैक्षिक गतिविधियों में लगे एक निजी न्यास ने नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय की रिटर्न को फाइल किया। इस मामले को पीए नमूने में 'उच्च मूल्य' मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 79.82 करोड़ थी। संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2017 में पूरा किया गया था, जिसमें अधिनियम की धारा 11 (1) (ए) के तहत ₹ 11.21 करोड़ की कटौती की अनुमति देने के बाद ₹ 'शून्य' पर आय का निर्धारण

किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 13(3) में यथा निर्दिष्ट संबंधित पार्टी अर्थात् मैसर्स 'जे' प्राइवेट लिमिटेड में लाभ के लिए न्यास संपत्ति का एक हिस्सा निःशुल्क किराए पर दिया था। पूर्व निर्धारण वर्षों नि.व. 2009-10 से 2014-15 में इस जानकारी के आधार पर, विभाग ने अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के उल्लंघन पर धारा 11 के तहत कटौती की अनुमति नहीं दी। चालू वर्ष के दौरान भी, निर्धारण अधिकारी ने चर्चा के बाद निर्धारिती के निवेदन को इनकार कर दिया और ₹ 0.60 करोड़ की गृह संपत्ति से काल्पनिक आय की गणना की।

इस प्रकार, उपरोक्त से यह देखा गया कि यद्यपि विभाग ने अधिनियम की धारा 13(3) के तहत निर्दिष्ट संबंधित पार्टियों के लाभ के लिए उपयोग की जाने वाली न्यास की संपत्ति से प्राप्त आय के संबंध में कटौती को लगातार अस्वीकार कर दिया था, निर्धारिती ने छूट को शासित करने वाले प्रावधानों का उल्लंघन करना जारी रखा और संबंधित पार्टी को न्यास की संपत्ति उपयोग करने की अनुमति दी। इसलिए, निर्धारिती को आईटी अधिनियम की धारा 12ए के तहत प्रदान किए गए पंजीकरण की निरंतरता की अधिनियम की धारा 12ए(4) के संशोधित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में जांच किए जाने की आवश्यकता थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

7.1.8 न्यासों/संस्थाओं की गतिविधि की वास्तविकता के सत्यापन के लिए मानक परिचालन क्रियाविधि (एसओपी) या दिशानिर्देशों का अभाव

किसी भी धर्मार्थ न्यास/संस्था को अधिनियम की विभिन्न धाराओं अर्थात् 11 और 10(23सी)(iv) से (vi) के तहत छूट का दावा करने के लिए प्र. सीआईटी/सीआईटी (ई) के पास अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। किसी न्यास को पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करने से पहले, प्र. सीआईटी/सीआईटी को सूचना/दस्तावेजों की मांग करके और पूछताछ करके संगठन की गतिविधियों की वास्तविकता के बारे में खुद को संतुष्ट करना होता है।

लेखापरीक्षा में पैरा 7.1.6 और 7.1.7 में उल्लिखित 18 मामलों में पाया कि, जहां निर्धारण अधिकारी ने संगठनों की गतिविधि गैर-प्रामाणिक अथवा न्यासों की आय का उपयोग धारा 13(3) में निर्दिष्ट संबंधित व्यक्तियों के लाभ के लिए किया/गैर-धर्मार्थ प्रकृति की पाये जाने पर छूट से इंकार कर दिया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि अनुपालन के लिए पत्र भेजकर अथवा स्थानीय जांच द्वारा न्यासों/संस्थाओं के वास्तविक अस्तित्व के सत्यापन का

प्रावधान था, फिर भी किसी न्यास को पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात् संगठन की गतिविधि की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कोई प्रणालीगत तंत्र स्थापित नहीं किया गया था। पीएसी ने 27वीं रिपोर्ट (16वीं लोक सभा) के पैरा संख्या 23 के माध्यम से यह भी कहा है कि मंत्रालय को धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के उचित और प्रणालीगत मूल्यांकन के लिए एक प्रक्रिया तैयार करने की दृष्टि से इस पूरे मुद्दे पर नए सिरे से विचार करना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए ताकि वे न्यास जो अपने कार्यों का निर्वहन उन उद्देश्यों के अनुरूप नहीं कर रहे हैं जिनके तहत उनकी स्थापना की गई है, वे किसी भी कर देयता से बच न सकें।

धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के समुचित और प्रणालीगत मूल्यांकन के लिए एक प्रक्रिया तैयार करने के लिए पीएसी की सिफारिश के बावजूद, विभाग ने न्यासों/संस्थाओं की गतिविधि की सत्यता का निर्धारण करने के लिए ऐसा कोई एसओपी/दिशा-निर्देश जारी नहीं किया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

7.1.9 वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों में लगे न्यास/संस्था की गतिविधियों की मॉनिटरिंग

धारा 35(1)(ii) में एक अनुमोदित अनुसंधान संघ को भुगतान की गई किसी भी राशि के लिए एक दानदाता को 175 प्रतिशत की दर से भारित कटौती निर्धारित की गयी है। धारा 11 ऐसे अनुसंधान संघों को छूट भी प्रदान करती है यदि वे अधिनियम की धारा 12ए के तहत पंजीकृत हैं।

महाराष्ट्र में सीआईटी (ई) मुंबई प्रभार में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नि.व. 2016-17 के लिए एक निजी सत्त्व धारा 12ए के तहत पंजीकृत था। नि.व. 2015-16 के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने यह पता लगाने के बाद कि निर्धारिती कोई अनुसंधान गतिविधि नहीं कर रहा था और उसने धारा 11 के तहत छूट से इनकार करना शुरू कर दिया और अंततः धारा 12ए के तहत पंजीकरण को दिनांक 05.02.2019 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया दानदाताओं को धारा 35(1)(ii) के तहत फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीआईटी(ई) कोलकाता आठ¹²³ वैज्ञानिक अनुसंधान संघ (नवंबर 2015) जो 'फर्जी दान की प्राप्ति और नकद में पुनर्भुगतान के माध्यम से धन शोधन' में शामिल थे और उसने प्रावधानों के दुरुपयोग को और फर्जी दान रोकने के लिए इन मामलों में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि सीबीडीटी ने क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त

¹²³ एस₁₄ स्कूल, एच₂ फ़ाउंडेशन, एम₉ इंस्टीट्यूट, बी₄ सोसाइटी, वी₃ फ़ाउंडेशन, एस₁₅ ट्रस्ट, एच₃ ट्रस्ट और आर₂ ट्रस्ट

संदर्भों का संज्ञान लेते हुए सभी प्र.सीआईटी/ डीजीआईटी को धारा 35(1)(ii) के तहत फर्जी दान रैकेट के बारे में सूचित किया था (दिसंबर 2018) और निर्देश दिया था कि इन मामलों में जांच/पूछताछ से निपटने के दौरान, संबंधित निर्धारण अधिकारी को दान की गई राशि से संबंधित विशिष्ट लेनदेन की जांच करनी चाहिए और नकदी ट्रेल की स्पष्ट रूप से पहचान की जानी चाहिए।

आयकर विभाग की वेबसाइट¹²⁴ पर उपलब्ध डेटा के अनुसार, मार्च 2020 तक 2,208 निर्धारिती ऐसे हैं जिन्हें सीबीडीटी द्वारा धारा 35(1)(ii) और (iii) के तहत अनुसंधान संघ के रूप में अधिसूचित किया गया है।

लेखापरीक्षा में महाराष्ट्र प्रभार में, सबसे अधिक आयकर संग्रह वाला राज्य होने के साथ-साथ महत्वपूर्ण संख्या में न्यास/संस्थान होने के नाते, धारा 35(1)(ii) के तहत पंजीकृत न्यासों/संस्थाओं, ऐसे अनुसंधान संघ के नॉन-फाइलर्स, लेखापरीक्षा रिपोर्टों की फाइलिंग आदि का विवरण मांगा गया था। तथापि, विभाग ने लेखापरीक्षा को सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इसलिए, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या महाराष्ट्र प्रभार के संबंध में इस संबंध में कार्रवाई की गई थी। पश्चिम बंगाल प्रभार में, तीन न्यासों/संस्थाओं¹²⁵ के मामले में विभाग द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की गई थी। तथापि, दानदाताओं के संबंध में की गई कार्रवाई के ब्यौरे लेखापरीक्षा को ज्ञात नहीं थे।

इस प्रकार, इस मुद्दे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, आयकर विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण और संतुलन के रूप में एक विशेष प्राधिकारी द्वारा अनुसंधान गतिविधि के प्रमाणन की व्यवहार्यता का पता लगा सकता है कि संस्थाएं अनुसंधान गतिविधि कर रही हैं और उन्हें कटौती का दावा करने के लिए सक्षम करने के लिए वास्तविक प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं जैसा कि राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्यक्ष या भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा धारा 35(2एए) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा धारा 35(2एबी) के मामले में किया गया है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

7.1.10 न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए फीडबैक/मॉनिटरिंग तंत्र का अभाव

पीएसी ने अपनी रिपोर्ट¹²⁶ में कहा कि आयकर विभाग द्वारा इस बात की मॉनिटरिंग करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं कि क्या न्यास उन

¹²⁴ <https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/utilities/Notified-Scientific-Research.aspx>

¹²⁵ एस₁₄ स्कूल, एच₂ फ़ाउंडेशन और एम₉ इंस्टीट्यूट

¹²⁶ 104वीं रिपोर्ट का पैरा 39 (16वीं लोक सभा)

उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं जिनके तहत उनकी स्थापना की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि ऐसे न्यासों द्वारा लाभ उठाई गई रियायतों का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा में यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि क्या आयकर विभाग/सीबीडीटी ने इस बात की मॉनिटरिंग करने के लिए कोई तंत्र तैयार किया है कि धर्मार्थ न्यासों/संस्थाएं दान, धर्म, चिकित्सा और शिक्षा आदि के क्षेत्र में अपने उद्देश्यों को किस हद तक पूरा कर रही हैं, जिसके लिए अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत छूट प्रदान की जा रही है।

दिल्ली में, इस संबंध में सीआईटी (ई), दिल्ली द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था। तथापि, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, डीसीआईटी (ई), पटना, आईटीओ (मुख्यालय), सीआईटी (ई), भोपाल का कार्यालय और आईटीओ (मुख्यालय), सीआईटी (ई), जयपुर प्रभारों में क्रमशः कहा गया कि निर्धारण अधिकारी के पास ऐसा कोई विशिष्ट तंत्र उपलब्ध नहीं था। आईटीओ (मुख्यालय), सीआईटी (ई), जयपुर प्रभार में यह भी कहा गया है कि विभिन्न इनपुट जैसे कंप्यूटर सहाय्यित संवीक्षा चयन (सीएसएस) पैरामीटर, कर अपवंचन याचिकाओं (टीईपी) के आधार पर, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अन्य एजेंसियों, न्यासों/संस्थाओं से कार्रवाई योग्य सूचना की संवीक्षा की जाती है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

7.1.11 धारा 11(2) के तहत आय के संचय और इसके उपयोग की मॉनिटरिंग

धारा 11(2) में प्रावधान है कि यदि पिछले वर्ष में, भारत में धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग की गई आय न्यास के तहत धारित संपत्ति से उस वर्ष के दौरान प्राप्त आय के 85 प्रतिशत से कम हो जाती है, तो न्यास आय के अप्रयोज्य हिस्से के संचय (फॉर्म-10 में) का विकल्प चुन सकता है, जिसे अगले पांच वर्षों में निर्दिष्ट उद्देश्य (उद्देश्यों) के लिए खर्च किया जाना है, जो कतिपय शर्तों को पूरा करने के अध्वधीन है। इसके अलावा, धारा 11(3) में प्रावधान है कि धारा 11(2) के तहत संचित राशि पिछले वर्ष की मानी गई आय होगी यदि इसे धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, या संचय करना बंद हो जाता है या प्रयोग के लिए अलग रखा जाता है, या धारा 11(5) में निर्दिष्ट किसी भी तरीके में निवेश या जमा करना बंद कर दिया जाता है, या उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है जिसके लिए यह पांच वर्ष से अधिक की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति के तुरंत बाद के वर्ष में हो।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने उन न्यासों/संस्थाओं की संख्या का पता लगाने के लिए जानकारी एकत्र की जिन्होंने संचित राशि की तुलना में संचय का विकल्प चुना और देखा कि नमूना जांच किए गए 5,985 नमूना मामलों में से 846 (14.85 प्रतिशत) न्यासों/संस्थाओं ने अधिनियम की धारा 11(2) या धारा 10(23सी) के तिसरे परंतुक के तहत, अगले पांच वर्षों में निर्दिष्ट उद्देश्य (उद्देश्यों) के लिए व्यय करने हेतु संचय का विकल्प चुना और कुल संचित राशि नि.व. 2014-15 से नि.व. 2017-18 के दौरान ₹ 4,997.54 करोड़ थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने संचित राशि के उपयोग की मॉनिटरिंग में कमियों को देखा जिनकी चर्चा आगामी पैराग्राफ में विस्तार से की गई है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पिछले संचय, उनके उपयोग और राशि पर कर लगाने की मॉनिटरिंग के लिए कोई प्रभावी प्रणाली नहीं थी यदि वे धर्मार्थ/धार्मिक उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए लागू होते हैं, या जमा होना बंद हो जाते हैं, या निर्दिष्ट तरीकों में निवेश करना बंद कर देते हैं, या उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है जिसके लिए उन्हें इस तरह जमा किया गया है। आयकर नियमावली, 1962 के नियम 17बी के अनुसार फाइल फॉर्म 10बी में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस आशय का लेखापरीक्षक द्वारा पर्याप्त प्रमाणीकरण शामिल नहीं है। हालांकि फॉर्म 10बी में पिछले संचय के उपयोग के बारे में कुछ योग्यताएं हैं, लेकिन यह पिछले संचय के उपयोग के बारे में अपनी आय के रिटर्न में निर्धारिती द्वारा दावा की गई राशि¹²⁷ को स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं करता है। फॉर्म-10बी यह नहीं दर्शाता है कि उपयोग की राशि या उसका भाग आय और व्यय लेखा के माध्यम से भेजा गया है या नहीं।

लेखापरीक्षा में ₹ 60.94 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 32 निर्धारण मामले¹²⁸ देखे गए जहां विभाग ने अधिनियम में निर्धारित तरीके से पिछली संचित आय के उपयोग की प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं की थी। आठ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

- (i) उत्तर प्रदेश, सीआईटी (ई) लखनऊ प्रभार में, 'सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता' की गतिविधि में लगी एक सरकारी सोसाइटी ने ₹ 'शून्य' आय पर नि.व. 2016-17 के लिए आय की रिटर्न फाइल की। संवीक्षा निर्धारण मार्च 2018 में धारा 2(15) में संशोधन के अनुसार इसके उद्देश्यों को गैर-धर्मार्थ के रूप में रखकर ₹ 838.55 करोड़ की

¹²⁷ आयकर रिटर्न-7 की 'अनुसूची-1'

¹²⁸ दिल्ली-1, गुजरात-1, हरियाणा-1, कर्नाटक-3, मध्य प्रदेश-4, महाराष्ट्र-12, पंजाब-5, तमिलनाडु-1, उत्तर प्रदेश-2 और पश्चिम बंगाल-2

आय पर पूरा किया गया था और तदनुसार कर लगाया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती के पास वित्तीय वर्ष 2009-10 में ₹ 29.93 करोड़ की संचित राशि थी। यह राशि 31.03.2015 तक धर्मार्थ उद्देश्य पर व्यय की जानी थी। इस प्रकार, ₹ 29.93 करोड़ की संचित राशि को निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारिती की आय के रूप में माना जाना चाहिए था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 29.93 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 12.72 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण शामिल था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (मार्च 2022) और मार्च 2021 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी कर उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

- (ii) पश्चिम बंगाल में, सीआईटी (ई) कोलकाता प्रभार में, कई धर्मार्थ गतिविधियों में लगे एक निजी न्यास ने नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 6.86 करोड़ पर आय का रिटर्न फाइल किया। इसी आय पर अप्रैल 2018 में संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2010-11 के दौरान धारा 11(2) के तहत निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए ₹ 12.10 करोड़ जमा किया था, और इस राशि को संचय के वर्ष से पांच वर्षों के भीतर उपयोग करना आवश्यक था। हालांकि, निर्धारिती ने पांच वर्षों (नि.व. 2011-12 से नि.व. 2015-16) के भीतर केवल ₹ 1.36 करोड़ का उपयोग किया और ₹ 10.74 करोड़ की अप्रयुक्त राशि के बजाय कराधान के लिए केवल ₹ 6.86 करोड़ की पेशकश की। विभाग ने निर्धारण के दौरान पिछले संचय और उसके उपयोग की मॉनिटरिंग भी नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.89 करोड़ की आय का कम-निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 1.68 करोड़ कर का कम प्रभार शामिल था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (मार्च 2022) और मार्च 2021 में धारा 263 के तहत आदेश पारित कर उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

- (iii) कर्नाटक में, सीआईटी (ई) बेंगलुरु प्रभार में, 'चिकित्सा राहत' की गतिविधि में लगे हुए, एक निजी न्यास ने ₹ 'शून्य' आय पर नि.व. 2016-17 के लिए आय का रिटर्न फाइल किया। संवीक्षा निर्धारण धारा 11 के तहत ₹ 10.41 करोड़ की छूट की अनुमति देने के बाद ₹ 'शून्य' की रिटर्न की आय को स्वीकार करते हुए दिसंबर 2018 में पूरा किया

गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने न्यास के राजस्व व्यय के लिए नि.व. 2011-12 से संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान संचित/अलग की गई राशि के ₹ 3.00 करोड़ का उपयोग किया था। तथापि, यह देखा गया कि नि.व. 2011-12 में संचित राशि को 'अस्पताल के निर्माण' के लिए बताया गया था। चूंकि संचित राशि को निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया गया था, जैसा कि धारा 11(3) में प्रावधान किया गया है, इसे कर के दायरे में लाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.35 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अस्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2022) कि नि.व. वर्ष 2016-17 के लिए कुल आय के विवरण के अनुसार, निर्धारिती ने 'नि.व. 2011-12 के लिए संचित/अलग रखी गई निधि में से उपयोग की गई राशि' को घटाकर वर्ष 2016-17 के कुल राजस्व व्यय से ₹ 2.72 करोड़ कर दिया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किए गए ₹ 27.97 लाख की राशि का संपूर्ण पूंजीगत व्यय नि.व. 2011-12 के लिए संचित/अलग रखी गई निधि से था। इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी ने देखा कि नि.व. 2011-12 के लिए संचित निधियों में से वि.व. 2015-16 के दौरान ₹ 3.00 करोड़ के उपयोग का दावा निर्धारिती द्वारा नि.व. 2016-17 के लिए आय के अनुप्रयोग के रूप में नहीं किया गया था।

मंत्रालय के उत्तर का क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा सत्यापन किया जा रहा है।

- (iv) उत्तर प्रदेश में, सीआईटी (ई) लखनऊ प्रभार के तहत, 'सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता' की गतिविधि में लगी एक सरकारी सोसाइटी, ने ₹ 'शून्य' आय पर नि.व. 2015-16 के लिए आय का रिटर्न फाइल किया। वर्ष के दौरान निर्धारिती की सकल प्राप्ति ₹ 1272.21 करोड़ होने कारण मामले को पीए नमूने में 'शीर्ष 200' मामले के रूप में चुना गया था। सामान्य प्रावधानों के तहत विभिन्न शीर्षों में ₹ 885.93 करोड़ के संवर्धन के बाद मार्च 2017 में संवीक्षा निर्धारण ₹ 918.63 करोड़ पर पूरा किया गया था, और धारा 2(15) में संशोधन के अनुसार इसके उद्देश्यों को गैर धर्मार्थ प्रकृति का मानते हुए न्यास के रूप में नहीं। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती के पास वि.व. 2008-09 में ₹ 5.53 करोड़ की संचित राशि थी। यह राशि 31.03.2014 तक धर्मार्थ उद्देश्य पर व्यय की जानी थी। चूंकि निर्धारिती की गतिविधि निर्धारण अधिकारी

द्वारा गैर-धर्मार्थ के रूप में मानी गई थी, संचित राशि को धारा 11(3)(ए) के प्रावधानों के मद्देनजर निर्धारिती की आय के रूप में माना जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.53 करोड़ की आय की कम संगणना हुई और इससे लागू ब्याज सहित ₹ 2.33 करोड़ का कर कम प्रभारित हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (मार्च 2022) और मार्च 2021 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी कर उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

- (v) महाराष्ट्र में, सीआईटी (ई) मुंबई प्रभार के तहत, शैक्षिक गतिविधियों में लगे एक निजी सत्त्व ने नि.व. 2015-16 और नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय की रिटर्न फाइल की। नि.व. 2015-16 और 2016-17 के लिए मामलों को पीए नमूने को 'उच्च मूल्य' मामले के रूप में चुना गया था क्योंकि वर्षों के दौरान सकल प्राप्ति क्रमशः ₹ 114.24 करोड़ और ₹ 134.63 करोड़ थी। संवीक्षा निर्धारण नि.व. 2015-16 और 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' पर आय का निर्धारण करते हुए क्रमशः अक्टूबर 2017 और अक्टूबर 2018 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने मार्च 2016 तक 'यू' नामक एक धर्मार्थ न्यास को ₹ 1.30 करोड़ अग्रिम दिया था और नि.व. 2015-16 के दौरान भवन की खरीद के प्रति न्यास 'वी' को ₹ 20.67 करोड़ का भुगतान किया था। निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 11 (2) के तहत संचित आय के अनुप्रयोग के रूप में इन राशियों का दावा किया। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, पहले के वर्षों की संचित आय में से न्यासों को भुगतान की गई राशि को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आय के अनुप्रयोग के रूप में अनुमति नहीं दी जानी थी और इसलिए, उन्हें कर में लाया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 21.97 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें उपरोक्त नि.व. के लिए ₹ 7.47 करोड़ का कम कर लगाया गया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

- (vi) पंजाब में, सीआईटी (ई) चंडीगढ़ प्रभार के तहत, 'सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता', की गतिविधि में लगी और पीए नमूने में 'शीर्ष 200 मामले' के रूप में चयनित एक सरकारी सोसाइटी, जिसकी सकल प्राप्ति ₹ 244.65 करोड़ है, ने नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 'शून्य' आय की घोषणा करते हुए आय की रिटर्न फाइल की, जिसे संक्षिप्त में संसाधित

किया गया था और बाद में ₹ 'शून्य' आय पर परिशोधित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 6.58 करोड़ के अप्रयुक्त पिछले संचय को पांच वर्ष के अंतराल के बाद नि.व. 2015-16 में आय के रूप में नहीं माना गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.58 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ब्याज सहित ₹ 3.98 करोड़ का कम कर लगाया गया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (मार्च 2022) और मार्च 2021 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

- (vii) महाराष्ट्र, सीआईटी (ई), मुंबई प्रभार में, 'सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता' की गतिविधि में लगे एक निजी न्यास ने नि.व. 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय का रिटर्न फाइल किया। संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2016, दिसंबर 2017 और दिसंबर 2018 में पूरा किया गया था, जिसमें क्रमशः ₹ 5.26 करोड़, ₹ 1.64 करोड़ और ₹ 'शून्य' आय निर्धारित की गई थी। नि.व. 2014-15 के संवीक्षा निर्धारण को दिसंबर 2016 में धारा 154 के तहत ₹ 'शून्य' पर आय संशोधित करके आगे परिशोधित किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने पिछले वर्षों में 'साणंद भूमि' के लिए ₹ 6.01 करोड़ का अग्रिम दिया था और इसे धारा 11(2) के तहत आय के अनुप्रयोग के रूप में माना था। इस अग्रिम के प्रति, निर्धारिती को 31.03.2016 तक नि.व. 2016-17 के ₹ 0.30 करोड़ सहित ₹ 4.25 करोड़ का कुल प्रतिदाय प्राप्त हुआ, जिससे ₹ 1.76 करोड़ की शेष राशि की वसूली की जानी बाकी है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने चालू वर्ष में धारा 11(2) के तहत माने गए अनुप्रयोग के रूप में ₹ 0.30 करोड़ के प्रतिदाय के संचय की अनुमति दी थी। इसी तरह, नि.व. 2014-15 और, नि.व. 2015-16 में, निर्धारिती को संपत्ति 'साणंद भूमि' और 'गिफ्ट सिटी लैंड' के प्रति क्रमशः ₹ 3.95 करोड़ और ₹ 4.37 करोड़ की सीमा तक अग्रिम के प्रतिदाय की प्राप्ति हुई, जिसे फिर से दोनों वर्षों में धारा 11(2) के तहत संचयन करने की अनुमति दी गई थी। अधिनियम की धारा 11(2) के प्रावधानों ने विशिष्ट उद्देश्यों के लिए केवल एक बार एक वित्तीय वर्ष की किसी भी आय के संचय की अनुमति दी। निर्धारित अवधि के भीतर और निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग नहीं होने पर निर्धारिती के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति पर आवर्ती आधार पर एक ही आय के संचय का दावा करने

का विकल्प खुला नहीं है। समान राशियों के बार-बार संचय की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 10.38 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें उपरोक्त नि.व. के लिए ₹ 3.50 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

- (viii) महाराष्ट्र में, सीआईटी (ई), पुणे प्रभार में, शैक्षिक गतिविधि में शामिल एक निजी न्यास, जिसकी सकल प्राप्त ₹ 424.75 करोड़ है, ने अक्टूबर 2016 में नि.व. 2016-17 के लिए आय की घोषणा ₹ 'शून्य' पर करते हुए आय की अपनी रिटर्न फाइल की। रिटर्न को शुरू में संक्षिप्त तरीके से संसाधित किया गया था और बाद में संवीक्षा के लिए चुना गया था और निर्धारण को दिसंबर 2018 में धारा 143(3) के तहत रिटर्न आय को स्वीकार करते हुए पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती द्वारा फाइल किए गए फॉर्म-10 में, उपयोग के लिए नि.व. 2011-12 से पहले निर्धारिती के लिए कोई संचित निधि उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा ने निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत 'संचित निधि और उपयोग के विवरण' से आगे पाया कि निर्धारिती ने अन्य बातों के साथ-साथ नि.व. 2016-17 से संबंधित पिछले वर्ष के दौरान नि.व. 2008-09 से 2010-11 तक संबंधित ₹ 301.90 करोड़ की संचित निधि के उपयोग का दावा किया था और इसे निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के दावे की अनुमति देते समय फॉर्म-10 में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में नहीं रखा। इसके लिए पूर्वाग्रह के बिना, निर्धारण अधिकारी द्वारा नि.व. 2008-09 से 2010-11 तक की संबंधित संचित निधि की अनुमति उपरोक्त प्रावधान के उल्लंघन में थी।

उत्तर में (जनवरी 2022), विभाग ने आपत्ति को अस्वीकार करते हुए बताया कि संवीक्षा के दौरान उपयोग के संचय को विधिवत सत्यापित किया गया था और इसने नि.व. 2006-07 से 2016-17 के लिए संचय के उपयोग का एक स्नैपशॉट प्रदान किया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। निर्धारिती के 'निधि के संचय और उपयोग के विवरण' के साथ-साथ बैलेंस सीट में वर्णित संबंधित निधियों अर्थात् भूमि भवन एवं अन्य परिसंपत्ति निधि, भूमि एवं भूमि विकास, परिसर विकास, भवन उपकरण निधि एवं अनुसंधान निधि की अप्रयुक्त राशि (31.03.2016 को अंत शेष) की आगे संवीक्षा की गई थी।

निर्धारिती के पास ₹ 1279.36 करोड़ की अधिक अप्रयुक्त राशि थी। यह इंगित करता है कि समर्पित निधि के लिए संचित राशि का उपयोग निर्धारित समय के भीतर नहीं किया गया था और प्रस्तुत किए गए विवरण पर भरोसा नहीं किया जा सकता था और आगे की संवीक्षा की आवश्यकता है। विभाग से अनुरोध है कि वे इसका सत्यापन करें।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

ऊपरोक्त से यह स्पष्ट है कि कुछ मामलों में, निर्धारिती ने छूट का लाभ उठाया था; हालांकि, संचित आय का उपयोग या तो निर्धारित समय के भीतर या विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था। इस प्रकार, धारा 11(2) के तहत आय के पिछले संचय और इसके उपयोग के मॉनिटरिंग तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

संचयों की अप्रभावी मॉनिटरिंग, और उनके उपयोग के मामले को सीएजी की 2013 की पहले के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 20 में भी इंगित किया गया था। पीएसी ने यह सिफारिश की थी कि विभाग यह एक उपयुक्त तंत्र विकसित करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संचित आय एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर न्यासों/संस्थाओं के उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है और विभाग को सभी निर्धारणों को कवर करने के लिए फॉर्म 10 की सख्त मॉनिटरिंग करनी चाहिए। उत्तर में, मंत्रालय ने बताया था कि आयकर विभाग सभी निर्धारितियों द्वारा रिटर्न की ई-फाइलिंग को अनिवार्य बनाने की प्रक्रिया में था। एक बार इसे प्राप्त किए जाने पर, इस तरह के मामलों के समाधान करने के लिए प्रणाली में आवश्यक डेटा बेस बनाया जाएगा। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी न्यासों/संस्थाओं के लिए ई-फाइलिंग को अनिवार्य बनाने के बाद भी इस मामले का समाधान नहीं किया गया है और इसके परिणामस्वरूप, कतिपय न्यासों/संस्थाएं अनुचित लाभ उठा रही हैं।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

7.1.12 धारा 10(23सी) के तहत संचय के उद्देश्य की घोषणा के लिए प्रावधान

अधिनियम की धारा 10(23सी) के परंतुक के अनुसार, निधि या न्यास या संस्था, या किसी भी विश्वविद्यालय, या अन्य शैक्षिक संस्था, या किसी भी अस्पताल, या अन्य चिकित्सा संस्था, जो धारा 10(23सी) के खंड (iv), (v), (vi) और (vii) के तहत पंजीकृत है, पूरी तरह से अपनी आय का उपयोग कर सकता है, या उपयोग करने के लिए संचय कर सकता है, और विशेष रूप से उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए इसे स्थापित किया गया है, और, ऐसे मामले

में जहां इसकी आय का 15 प्रतिशत से अधिक अप्रैल 2002 के पहले दिन या उसके बाद संचय होता है, तो इसकी आय के 15 प्रतिशत से अधिक राशि के संचय की अवधि, किसी भी मामले में, धारा 10(23सी) के तीसरे परंतुक के तहत पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि धारा 10(23सी) के तहत संचय के उद्देश्य की घोषणा के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। अधिनियम या नियमावली में कोई विवरण (फॉर्म 10 के समान, जैसा कि पैरा 5.4.2 में उल्लिखित है) निर्धारित नहीं किया गया है, जो निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाए, जो संचय के उद्देश्य/अवधि को सूचित करता है। इसके अलावा, पिछले संचय, इसके उपयोग और पांच वर्ष के बाद अप्रयुक्त राशि पर कर उदग्रहित करने या तो रिटर्न आय में एक उपयुक्त कालम के माध्यम से, या लेखापरीक्षा रिपोर्ट (फॉर्म 10बीबी) की कार्य-प्रणाली के माध्यम से मॉनिटरिंग करने हेतु कोई तंत्र नहीं है। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि वर्तमान वर्ष के संचय के मामले में, वर्तमान वर्ष के अनुप्रयोग में कमी को कर योग्य आय के रूप में मानने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। ऐसी प्रक्रिया के अभाव में, विभाग स्वतः ही वर्तमान वर्ष के अनुप्रयोग घाटे को संचय के रूप में मान रहा है, यद्यपि निर्धारिती द्वारा अपेक्षित फॉर्म 10बीबी में इसका दावा नहीं किया गया हो।

लेखापरीक्षा में ₹ 2.99 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले चार निर्धारण मामलें¹²⁹ देखे गए जहां विभाग ने निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद अव्ययित संचित आय को कर के दायरे में नहीं लिया; और वर्तमान वर्ष के अनुप्रयोग में कमी को धारा 10(23सी) के तहत संचय के रूप में माना। दो मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

- (i) तमिलनाडु में, सीआईटी (ई) चेन्नई प्रभार में शैक्षिक गतिविधियों में लगे एक निजी न्यास ने नि.व. 2017-18 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय की रिटर्न फाइल की और संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2019 में ₹ 'शून्य' की रिटर्न आय को स्वीकार करते हुए पूरा कर लिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नि.व. 2011-12 से संबंधित ₹ 3.46 करोड़ की राशि का संचय नि.व. 2016-17 तक अव्ययित रहा। नि.व. 2017-18 में अव्ययित संचय को कर में नहीं लाया गया था। इसके परिणामस्वरूप लागू ब्याज सहित ₹ 1.67 करोड़ का कर उदग्रहीत नहीं किया गया है।

¹²⁹ तमिलनाडु -3 और पश्चिम बंगाल -1

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (मार्च 2022) और मार्च 2021 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

- (ii) पश्चिम बंगाल में, सीआईटी (ई) कोलकाता प्रभार में, शैक्षिक गतिविधियों में लगी एक सोसाइटी, ने ₹ 'शून्य' आय पर नि.व 2016-17 के लिए आय की रिटर्न फाइल की। संवीक्षा निर्धारण नवंबर 2018 में पूरा किया गया था, जिसके बाद मार्च 2020 में धारा 154 के तहत ₹ 'शून्य' आय पर परिशोधन किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने धारा 10(23सी) के तीसरे परंतुक के तहत ₹ 2.97 करोड़ की आय के संचय की अनुमति दी थी, जिसे अगले पांच वर्षों में प्रयोग किया जाना था; हालांकि, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र (फॉर्म-10बीबी) के माध्यम से निर्धारिती द्वारा इस तरह के किसी भी संचय का दावा नहीं किया गया था। चूंकि निर्धारिती ने संचय का दावा नहीं किया था, इसलिए इसे छूट के रूप में नहीं माना जाना चाहिए था, और इस अवधि के लिए कर योग्य आय के रूप में माना जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.97 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 1.32 करोड़ के कर का कम प्रभार शामिल था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (मार्च 2022) और मार्च 2021 में धारा 263 के तहत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

इस प्रकार, एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव के कारण, धारा 10(23सी) के तहत आय के संचय और इसके उपयोग की मॉनिटरिंग के लिए कोई तंत्र नहीं था और कुछ मामलों में, निर्धारण अधिकारी स्वतः सज्ञान से वर्तमान वर्ष के अनुप्रयोग में कमी को संचय मान रहे थे, हालांकि निर्धारिती द्वारा इसका दावा नहीं किया गया था।

7.1.13 विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग को सत्यापित करने के लिए तंत्र का अभाव

गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/न्यासों को एफसीआरए 2010 द्वारा संशोधित विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) 1976 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विदेशी अंशदान (एफसी) प्राप्त करने की अनुमति है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) एफसी की प्राप्तियों की मॉनिटरिंग करता है और इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करता है, जिसमें ₹ एक करोड़ से

अधिक एफसी प्राप्त करने वाले संघ/न्यासों के वर्ष-वार/राज्य-वार विवरण दिखाए जाते हैं। एफसीआरए में एमएचए के पास एफसी के प्राप्तकर्ता के पंजीकरण की परिकल्पना की गई है। एफसीआरए में प्राप्त की गई एफसी के लिए एक नामित बैंक में अलग खाता के रखरखाव और लेखाओं में इसकी प्राप्ति के उद्देश्य का प्रावधान किया गया है। रिटर्न को वार्षिक रूप से एमएचए को प्रस्तुत करना होता है।

विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमावली, 2011 के नियम 24 के साथ पठित विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 7 में यह प्रावधान है कि किसी पंजीकृत संघ द्वारा प्राप्त किसी भी विदेशी निधि को भारत में किसी व्यक्ति/संगठन को पारित करने से पहले, हस्तांतरणकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राप्तकर्ता एफसीआरए 2010 के तहत भी पंजीकृत है और अधिनियम के तहत निषिद्ध नहीं किया गया है। एफसीआरए (नियमावली) के नियम 4 में यह भी प्रावधान है कि म्यूचुअल फंड और शेयरों सहित काल्पनिक माध्यम में विदेशी अंशदान का निवेश नहीं किया जा सकता।

विदेशी अंशदान और उनके उपयोग की अप्रभावी मॉनिटरिंग के मामलों को सीएजी की 2013 की पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 20 में भी इंगित किया गया था। पीएसी ने जुलाई 2018 में अपनी रिपोर्ट¹³⁰ में सिफारिश की थी कि आयकर विभाग/सीबीडीटी को प्राप्त एफसी और उन उद्देश्यों के लिए इनके अनुप्रयोग जिसके लिए ये प्राप्त हुई है, की जानकारी रखने के लिए एमएचए के साथ एक डेटा साझाकरण तंत्र तैयार करना चाहिए। समिति ने प्राप्त विदेशी अंशदान के अनुप्रयोग की मॉनिटरिंग करने और सभी निर्धारण अधिकारियों को इस संबंध में दिशानिर्देशों का एक स्पष्ट सेट जारी करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की भी सिफारिश की। उत्तर में, आयकर विभाग ने बताया कि सीबीडीटी प्राप्त विदेशी अंशदान से संबंधित डेटा साझा करने के लिए एमएचए के साथ चर्चा शुरू करेगा। डेटा मिलान परिणामों के जानने पर विचार करने के बाद डेटा साझाकरण तंत्र को सुव्यवस्थित किया जाएगा। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग ने अभी तक एमएचए के साथ डेटा साझा करने का तंत्र तैयार नहीं किया है जिससे प्राप्त विदेशी अंशदान (एफसी) और घोषित उद्देश्य के लिए उनके उपयोग की जानकारी रखी जा सके।

7.1.13.1 लेखापरीक्षा में 35 निर्धारण मामलों¹³¹ को पाया गया जहां न्यासों/संस्थाओं ने एफसीआरए के तहत पंजीकरण किए बिना विदेशी अंशदान प्राप्त

¹³⁰ 104वीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) का पैरा 28

¹³¹ दिल्ली -12, झारखंड -1, केरल -3, महाराष्ट्र -7, पंजाब -11 और उत्तर प्रदेश -1.

किया, आईटीआर में दिखाए गए विदेशी अंशदान के आंकड़ों और एमएचए में किए गए प्रकटीकरण, में बेमेलता प्राप्तकर्ता न्यास द्वारा अन्य न्यासों को विदेशी अंशदान का दान जो एफसीआरए, 2010 के तहत पंजीकृत नहीं किया गया था या काल्पनिक माध्यम में विदेशी अंशदान में निवेश किया गया था। सभी मामलों में, विभाग ने ₹ 182.10 करोड़ के कर प्रभाव वाले ऐसे विदेशी अंशदान पर छूट की अनुमति दी थी।

ऐसे आठ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

(i) दिल्ली, सीआईटी (ई) दिल्ली प्रभार में, चिकित्सा राहत की गतिविधि में लगे हुए एक निजी न्यास, ने ₹ 'शून्य' आय पर नि.व. 2014-15 के लिए आय की रिटर्न फाइल की। न्यास की सकल प्राप्ति ₹ 197.21 करोड़ थी और इसे पीए नमूने में 'शीर्ष 200' मामले के रूप में चुना गया था। संवीक्षा निर्धारण ₹ 'शून्य' आय को निर्धारित करते हुए दिसंबर 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने निर्धारिती द्वारा एमएचए को प्रस्तुत विदेशी अंशदान के लेखा से संबंधित फॉर्म एफसी -6 में पाया कि निर्धारिती को वर्ष के दौरान ₹ 196.67 करोड़ का विदेशी अंशदान प्राप्त हुआ था; तथापि, आईटीआर में विदेशी अंशदान के रूप में केवल ₹ 18.67 करोड़ दर्शाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप विदेशी अंशदान की कम रिपोर्टिंग हुई और परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 61.56 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 178.00 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

(ii) दिल्ली, सीआईटी (ई) दिल्ली प्रभार में, चिकित्सा राहत की गतिविधि में लगे हुए एक निजी न्यास, ने ₹ 'शून्य' आय पर नि.व. 2015-16 के लिए आय की रिटर्न फाइल की और संवीक्षा निर्धारण ₹ 'शून्य' आय को मानते हुए सितंबर 2017 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती को शिक्षा के उद्देश्य से ₹ 35.43 करोड़ का विदेशी अंशदान प्राप्त हुआ था, लेकिन अधिकांश राशि चिकित्सा राहत पर व्यय की गई थी। इस प्रकार, जिस उद्देश्य के लिए विदेशी अंशदान प्राप्त किया गया था, उसके अलावा अन्य उद्देश्य के लिए व्यय की गई राशि को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 30.41 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 13.41 करोड़ के कम कर का उदग्रहण शामिल था।

उत्तर में, एसीआईटी (छूट) सर्किल 2 (1), दिल्ली ने बताया कि विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग की मॉनिटरिंग गृह मंत्रालय के तहत

एफसीआरए विंग द्वारा की जाती है। न्यास धारा 11 के तहत पंजीकृत है और जब तक निर्धारिती अपने उद्देश्य के लिए प्राप्त निधि का उपयोग कर रहा है, जिसके लिए इसका गठन किया गया था, तब तक अधिनियम में इसे आय के उचित उपयोग के रूप में नहीं मानते हुए व्ययों को अनुमति नहीं देने का कोई प्रावधान नहीं है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एफसीआरए अधिनियम, 2010 की धारा 8(1)(ए) में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अधिनियम के तहत पंजीकृत है और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है या पूर्व अनुमति दी गई है और कोई विदेशी अंशदान प्राप्त करता है, वह ऐसे अंशदान का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए अंशदान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार, निर्धारिती ने एफसीआरए अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन किया, लेकिन फिर भी इस तरह के विदेशी अंशदान पर छूट की अनुमति दी गई, हालांकि इसे घोषित उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

- (iii) झारखंड में सीआईटी (ई) पटना प्रभार में, एक निजी धार्मिक न्यास, ने नि.व.2016-17 के लिए 'शून्य' आय पर आय की रिटर्न फाइल की। संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में ₹ 1.20 करोड़ पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने एक ही बैंक खाते के माध्यम से अपनी निधि (विदेशी अंशदान और घरेलू निधियों) का उपयोग किया और म्यूचुअल फंडों में ₹ 3.47 करोड़ के विदेशी अंशदान का निवेश किया जो सट्टे के स्वरूप में था और एफसीआरए नियमों के उल्लंघन में था। निर्धारण आदेश में, निर्धारण अधिकारी ने स्वीकार किया था कि निधि निर्दिष्ट माध्यम में जमा नहीं की गई थी, फिर भी निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.63 करोड़ का कम कर उदग्रहण किया गया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (मार्च 2022) और मार्च 2021 में धारा 263 के तहत आदेश जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।

- (iv) महाराष्ट्र में, सीआईटी (ई) पुणे प्रभार में, कई धर्मार्थ गतिविधियों में लगे एक निजी न्यास ने नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय की रिटर्न फाइल की, जिसे मार्च 2018 में संक्षिप्त में संसाधित किया गया था, जिसके बाद ₹ 'शून्य' पर आय निर्धारित करते हुए मार्च

2019 में धारा 154 के तहत परिशोधन किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती को एफसीआरए के तहत वैध पंजीकरण के बिना विदेश से ₹ 22 लाख प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार, निर्धारिती को वित्त वर्ष 2014-15 में भी ₹ पाँच लाख प्राप्त हुए थे। चूंकि यह राशि वैध पंजीकरण के बिना प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे ₹ 5.3 लाख के कर प्रभाव सहित विदेशी अंशदान की अनाधिकृत प्राप्ति के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)

- (v) दिल्ली में, सीआईटी (ई) दिल्ली प्रभार में, एक निजी न्यास ने नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 'शून्य' आय पर आय की रिटर्न फाइल की। संवीक्षा निर्धारण नवंबर 2018 में ₹ 'शून्य' की कुल आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती द्वारा फाइल की गई आईटीआर-7 की अनुसूची वीसी के अनुसार, वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा प्राप्त कुल विदेशी अंशदान ₹ 'शून्य' था। तथापि, गृह मंत्रालय को घोषित फॉर्म एफसी-6¹³² के अनुसार, विदेशी अंशदान की राशि को ₹ 79.23 करोड़ के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार विदेशी अंशदान के रूप में प्राप्त ₹ 79.23 करोड़ को वर्ष के दौरान निर्धारिती की आय के रूप में नहीं माना गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 79.23 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ब्याज सहित ₹ 35.00 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

- (vi) महाराष्ट्र में, सीआईटी (ई) मुंबई प्रभार में, एक निजी न्यास ने ₹ 'शून्य' आय पर नि.व. 2017-18 के लिए आय की रिटर्न फाइल की। संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2019 में ₹ 'शून्य' की कुल आय पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने आय और व्यय लेखा से पाया कि निर्धारिती ने वर्ष के दौरान ₹ 58.15 करोड़ का विदेशी दान प्राप्त किया था और फॉर्म एफसी-4¹³³ में विदेशी दान का विवरण प्रस्तुत किया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि फॉर्म एफसी-4 में निर्धारिती ने केवल ₹ 47.67 करोड़ की सीमा तक विदेशी दान प्राप्त करने की घोषणा की, जिसे कर लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया था। निर्धारिती आय और व्यय लेखा में दिखाए गए विदेशी दान के स्रोत और सत्यता का ₹ 10.48 करोड़ की सीमा तक हिसाब नहीं दे सका। इस अस्पष्टीकृत विदेशी

¹³² एफसीआरए अधिनियम के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक फॉर्म

¹³³ जनवरी 2016 से एफसीआरए अधिनियम के अंतर्गत से बनाए रखा जाने वाला एक फॉर्म

अंशदान को धारा 115बीबीसी (3) के तहत नामरहित दान के रूप में माना जाना आवश्यक था और निर्धारिती की कुल आय में वापस जोड़ा जाना था। चूक के परिणामस्वरूप लागू ब्याज सहित ₹ 10.77 करोड़ के कर के कम उदग्रहण के साथ ₹ 10.54 करोड़ तक की आय का कम निर्धारण हुआ।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

- (vii) दिल्ली, सीआईटी (ई) प्रभार में, धार्मिक गतिविधियों में लगे एक निजी न्यास, जिसकी सकल प्राप्ति ₹ 205.66 करोड़ है, ने नि.व 2015-16 के लिए अपनी आय की रिटर्न ₹ 'शून्य' पर फाइल की। निर्धारण अप्रैल 2016 में ₹ 'शून्य' पर संक्षिप्त तरीके से पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने आईटीआर में अन्य विवरणों के तहत ₹ 38.32 करोड़ के विदेशी अंशदान की प्राप्ति का उल्लेख किया था। हालांकि, आईटीआर की अनुसूची-वीसी (स्वैच्छिक अंशदान) में, निर्धारिती ने कॉर्पस निधि दान के तहत विदेशी अंशदान के रूप में केवल ₹ 11.21 करोड़ दिखाए थे। इस प्रकार, ₹ 27.12 करोड़ के अंतर को आय के रूप में शामिल किया जाना था और कर की पेशकश की जानी थी। हालांकि, निर्धारिती द्वारा इसको आय में इसे शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा, आयकर विभाग प्रणालियों के माध्यम से संक्षिप्त तरीके से रिटर्न को संसाधित करते समय, ₹ 27.12 करोड़ की अंतर राशि को भी निर्धारिती की आय के रूप में नहीं माना गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 27.12 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ब्याज सहित ₹ 10.39 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

- (viii) दिल्ली, सीआईटी (ई) प्रभार में, शैक्षिक गतिविधि में शामिल एक निजी न्यास जिसकी सकल प्राप्ति ₹ 160.43 करोड़ थी, का निर्धारण नि.व. 2016-17 के लिए मई 2017 में ₹ शून्य की आय पर संक्षिप्त तरीके से किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने आईटीआर की अनुसूची वीसी के अनुसार विदेशी अंशदान के रूप में ₹ 10.14 करोड़ दिखाए थे। आयकर विभाग की प्रणालियों के माध्यम से संक्षिप्त संसाधन में भी इसे स्वीकार किया गया था। तथापि, गृह मंत्रालय (एमएचए) को निर्धारिती द्वारा घोषित नियम-17(1) के तहत फॉर्म एफसी-4 से यह देखा गया था, प्रासंगिक नि.व. के लिए प्राप्त विदेशी अंशदान की राशि को ₹ 27.69 करोड़ के रूप में दिखाया गया

था। इस प्रकार, निर्धारिती द्वारा आईटीआर में विदेशी अंशदान की कम घोषणा की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.55 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 6.78 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।
मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

7.1.13.2 लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कुल 35 निर्धारण मामलों में से आठ में, आईटीआर में दिखाए गए विदेशी अंशदान के आंकड़ों और एमएचए में प्रकट किए गए आंकड़ों में बेमेलता पाई गई थी, जैसा कि निम्न तालिका 7.6 में दर्शाया गया है:

तालिका 7.6: न्यासों/संस्थाओं द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान में बेमेलता						
क्र. सं.	निर्धारिती	सीआईटी प्रभार	नि.व.	वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अंशदान (₹ करोड़ में)		
				आईटीआर-7 के भाग ए में अन्य विवरणों के तहत	आईटीआर 7 के लिए अनुसूची वीसी में	एमएचए को फाइल की गई रिटर्न में प्रकटीकरण
1	एस ₂ न्यास	सीआईटी (ई) दिल्ली	2015-16	38.32	11.21	लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध नहीं
2	आई ₂ फाउंडेशन	सीआईटी (ई) दिल्ली	2016-17	10.14	10.14	27.69
3	आई ₂ फाउंडेशन	सीआईटी (ई) दिल्ली	2015-16	11.53	11.53	11.6
4	जे ₂ विश्वविद्यालय	सीआईटी (ई) दिल्ली	2014-15	0.1	0	लागू नहीं है
5	टी ₅ संस्थान	सीआईटी (ई) दिल्ली	2015-16	0.67	0	लागू नहीं है
6	एम ₃ चर्च	सीआईटी (ई) कोच्चि	2016-17	4.25	4.1	लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध नहीं
7	एस ₈ संस्थान	सीआईटी (ई) कोच्चि	2014-15	1.96	0	लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध नहीं
8	आर ₁ संस्थान	सीआईटी (ई) कोच्चि	2014-15	1.67	0	लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध नहीं

सभी मामलों में, विभाग ने फॉर्म आईटीआर-7 के अनुसूची वीसी (स्वैच्छिक अंशदान) में निर्धारित द्वाारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर इस तरह के विदेशी अंशदान पर छूट की अनुमति दी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईटीआर को संसाधित करते समय, आयकर विभाग की प्रणाली प्राप्त विदेशी अंशदान से संबंधित राशि जिसका उल्लेख 'फॉर्म आईटीआर-7 के भाग ए में अन्य विवरण' और आईटीआर-7 के लिए अनुसूची वीसी (स्वैच्छिक अंशदान) में उल्लिखित राशि में अंतर का पता नहीं लगा सकी, इसने आयकर विभाग प्रणालियों में फॉर्म आईटीआर-7 में उपरोक्त क्षेत्रों के संबंध में उपलब्ध पर्याप्त जांच और सत्यापन की कमी को दर्शाया है। चूंकि अधिकांश मामलों को केवल संक्षिप्त तरीके से संसाधित किया जाता है, इसलिए आयकर विभाग प्रणालियों में प्रासंगिक जांच और सत्यापन के अभाव में, राजकोष को राजस्व की हानि के जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, एमएचए के साथ डेटा साझाकरण तंत्र के अभाव के कारण, आयकर विभाग द्वारा विदेशी अंशदान की प्राप्ति की और इसके उपयोग की मॉनिटरिंग कमी अभी भी जुलाई 2018 में अपनी रिपोर्ट में पीएसी की सिफारिश और पीएसी की सिफारिश के उत्तर में आयकर विभाग के आश्वासन के बावजूद बनी हुई है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2022)।

7.1.14 धारा 80जी के तहत पंजीकरण वाले सत्त्व द्वारा जारी रसीदों की अपर्याप्त मॉनिटरिंग

धारा 80जी कुछ निधियों और धर्मार्थ संस्थाओं को दिए गए दान के संबंध में किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना में कटौती का प्रावधान करती है। इसलिए, न्यासें/संस्थाएं इस प्रावधान का लाभ उठाती हैं और संभावित दानदाताओं को आकर्षित करने के लिए इस प्रावधान के तहत स्वयं को पंजीकृत कराती हैं। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि धारा 80जी के तहत कटौती का दावा करने के लिए भुगतान का पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2013 की सीएजी की प्रतिवेदन संख्या 20 में यह बताया गया था कि आयकर विभाग में धारा 80जी के तहत पंजीकरण वाले सत्त्व द्वारा जारी की गई रसीदों पर नियंत्रण रखने के लिए कोई आंतरिक तंत्र नहीं था। उत्तर में, आयकर विभाग ने पीएसी के समक्ष प्रस्तुत किया कि विभाग ने धर्मार्थ सत्त्वों के लिए ई-फाइल रिटर्न आईटीआर -7 शुरू किया था और सत्त्वों द्वारा प्राप्त दान की जानकारी को रिटर्न कैप्चर करता है। दूसरी ओर, एक दानदाता भी आय का रिटर्न ई-फाइल करता है जो एक दानग्राही के पैन और 80जी दान की

राशि का विवरण शामिल करता है। इस प्रकार, दानदाता और दानग्राही द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा को कैप्चर करके, प्राप्त दान और दिए गए दान के बीच सकल बेमेलता का पता लगाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने एक निर्धारिती के संबंध में तीन मामलों को पाया जहां दान की राशि की बेमेलता थी जैसा कि दानदाता और दानग्राही द्वारा प्रकट किया गया था जिसे नीचे दर्शाया गया है:

(i) सीआईटी (ई) चंडीगढ़ प्रभार, पंजाब में, कई धर्मार्थ गतिविधियों में लगे एक निजी न्यास को नि.व 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए संबंधित पार्टी से कॉर्पस दान के रूप में ₹ 17.14 करोड़ (2015-18) की राशि प्राप्त हुई। संबंधित पार्टी के रिकॉर्ड के प्रति-सत्यापन से पता चला कि संबंधित पार्टी ने धारा 80जी के तहत छूट का दावा किया था, लेकिन न तो निर्धारिती न्यास ने इस राशि को अपने आय और व्यय लेखाओं में जमा किया और न ही इसे धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था। आयकर विभाग ने सत्त्व द्वारा प्राप्त दान की प्रति-जांच नहीं की थी, जबकि रिकॉर्ड निर्धारण फ़ाइल में उपलब्ध था। चूंकि न्यास ने धर्मार्थ उद्देश्य के लिए दान का उपयोग नहीं किया था, इसलिए दान को कर योग्य आय में वापस जोड़ने की आवश्यकता थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.14 करोड़ का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 8.26 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (मार्च 2022) और मार्च 2021 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा 01.04.2021 से धारा 80जी (5ई) के नीचे स्पष्टीकरण 2ए को जोड़कर इस मामले को हल किया गया है।

7.2 आयकर विभाग द्वारा मॉनिटरिंग को मजबूत करने की आवश्यकता वाले मामले

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित मामलें देखे गए जिनके लिए धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के संबंध में आयकर विभाग में मॉनिटरिंग तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है:

(i) न्यासों/संस्थाओं द्वारा दावा की गई छूट की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए आईटीआर फॉर्म-7 और फॉर्म 10बी में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कमी

लेखापरीक्षा ने न्यासों/संस्थाओं द्वारा दावा की गई छूट की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म आईटीआर -7 और लेखापरीक्षा रिपोर्ट फॉर्म 10 बी में कुछ कमियों का उल्लेख किया। आईटीआर-7 में सरकारी और निजी सत्त्वों के लिए गतिविधि-वार अलग-अलग कारोबार कोड, तुलन पत्र का विवरण, परिसंपत्तियों और देनदारियों की अनुसूची, वर्ष-वार प्राप्ति और कॉर्पस दान का उपयोग, अंशदानकर्ताओं/दानदाता आदि का विवरण शामिल नहीं है। इसी प्रकार, फॉर्म 10बी में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में विभिन्न शीर्षों के तहत प्राप्तियों के ब्यौरे, कॉर्पस दान की प्राप्ति और उपयोग के बारे में जानकारी, आय का माना गया अनुप्रयोग, टीडीएस कटौती/कटौती योग्य का प्रकटीकरण आदि के बारे में लेखापरीक्षक का प्रमाणन शामिल नहीं है। ऐसी जानकारी के अभाव में, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित हुई है क्योंकि निर्धारितियों द्वारा किए गए गलत दावों को अनुमति दी गई जिसके कारण खजाने को राजस्व की हानि हुई जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैरा 5.3.5, 5.3.6 और 7.1.1 में चर्चा की गई है।

(ii) आय के संचय और इसके उपयोग की प्रभावी मॉनिटरिंग की कमी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि न्यासों/संस्थाओं द्वारा इस अधिनियम में निर्धारित तरीके से संचय और इसके उपयोग की प्रभावी मॉनिटरिंग की कमी है। यद्यपि, पीएसी ने अधिनियम में संशोधन करने या यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की सिफारिश की थी कि संचित आय एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर न्यासों/ संस्थाओं के उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है, फिर भी विभाग ने अभी तक इस संबंध में एक उपयुक्त तंत्र विकसित नहीं किया है। लेखापरीक्षा में पिछले संचय, इसके उपयोग और पांच वर्षों के बाद अप्रयुक्त शेष राशि पर कर उदग्रहण की मॉनिटरिंग के लिए क्रमशः धारा 11 (2) और 10(23सी) के तहत छूट का दावा करने वाले न्यासों/संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत फॉर्म 10 बी और 10बीबी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कमी को भी पाया है। संचय की मॉनिटरिंग और इसके उपयोग में कमी पर इस प्रतिवेदन के पैरा 7.1.11 और 7.1.12 में विधिवत चर्चा की गई है।

(iii) विदेशी अंशदान की प्राप्तियों और उनके उपयोग की अप्रभावी मॉनिटरिंग

पीएसी ने सिफारिश की थी कि विभाग को गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ एक डेटा साझाकरण तंत्र तैयार करना चाहिए ताकि न्यासों/संस्थाओं द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान (एफसी) और घोषित उद्देश्य के लिए उनके उपयोग की जानकारी

रखी जा सके। पीएसी ने यह भी सिफारिश की कि इस संबंध में सभी निर्धारण अधिकारियों को दिशानिर्देशों का एक स्पष्ट सेट जारी किया जाए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग ने अभी तक प्राप्त विदेशी अंशदान (एफसी) और न्यासों/संस्थाओं द्वारा घोषित उद्देश्य के लिए उनके उपयोग की जानकारी रखने के लिए वांछित तंत्र स्थापित नहीं किया है। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों को पाया जहां आईटीआर में दिखाए गए विदेशी अंशदान और जो एमएचए को भेजे गए आंकड़ों में बेमेलता थी और न्यासों/संस्थाओं द्वारा एफसीआरए, 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन भी किया गया था। इस प्रतिवेदन के पैरा 7.1.13 में विदेशी अंशदान की प्राप्तियों और उपयोग की अप्रभावी मॉनिटरिंग के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

(iv) धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों की मॉनिटरिंग में सर्वेक्षण की अपर्याप्तता

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सर्वेक्षण धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों की मॉनिटरिंग करने, वास्तविक वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने और छूट के फर्जी दावे का पता लगाने के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकता है। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों की बड़ी संख्या पर विचार करते हुए विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षणों की संख्या अपर्याप्त थी। पीएसी की विशिष्ट सिफारिश के बावजूद कि सभी शैक्षिक न्यासों का सर्वेक्षण, समयबद्ध तरीके से किया जाए, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा नमूने में शामिल शैक्षिक न्यासों के संबंध में 2014-15 से 2018-19 के दौरान बहुत कम सर्वेक्षण किए गए। इसके अलावा, उक्त अवधि के दौरान उच्च मूल्य (₹ 200 करोड़ या अधिक की प्राप्ति वाले) शैक्षिक न्यासों के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। इस प्रतिवेदन के पैरा 7.1.5 में कमी को इंगित किया गया है।

(v) पंजीकरण/अनुमोदन प्रक्रिया की आंतरिक लेखापरीक्षा

पीएसी की विशिष्ट सिफारिश के बावजूद कि अनियमितताओं को कम करने के लिए धर्मार्थ न्यासों /संस्थाओं के पंजीकरण/अनुमोदन की प्रक्रिया को विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में लाया जाना चाहिए, लेखापरीक्षा में बताया गया कि धारा 10(23सी) और 80जी के तहत अनुमोदित मामलों को अभी तक विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में नहीं लाया गया है। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की उक्त धाराओं के तहत अनुमोदन प्रक्रियाओं की कमजोर मॉनिटरिंग होगी। लेखापरीक्षा ने आगे बताया कि धारा 12ए के तहत पंजीकरण मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा वित्त वर्ष 2019-20 में प्रथम बार

शुरू हुई थी, लेकिन इसे सभी राज्यों/प्रभागों में समान रूप से लागू नहीं किया गया है, जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैरा 7.1.3 और 7.1.4 में इंगित किया गया है।

(vi) वर्तमान वर्षों की आय में से किसी एक न्यास द्वारा अन्य न्यास को दान देना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि न्यासों/संस्थाएं कतिपय मामलों में धर्मार्थ/धार्मिक संस्थानों की एक सीरिज/स्ट्रिंग के माध्यम से भेजे गए कई दानों की एक श्रृंखला बनाकर वर्तमान वर्ष की आय में से 15 प्रतिशत के अनुमेय संचय का लाभ उठाकर अनुचित लाभ उठा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों को दान देने से इनकार कर दिया गया और न्यासों/संस्थाओं को संचय करने में मदद मिली। आयकर विभाग के पास अन्य न्यासों को इस तरह के दान (ओं) की मॉनिटरिंग करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। इस प्रकार इस प्रावधान के दुरुपयोग के लिए आयकर विभाग द्वारा आगे की जांच की आवश्यकता थी। इस संबंध में लेखापरीक्षा के निष्कर्ष पैरा 5.1.2.7 में इंगित किए गए हैं।

(vii) वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे न्यास/संस्था की गतिविधियों की मॉनिटरिंग का अभाव

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे न्यास/संस्था की गतिविधियों की आयकर विभाग की मॉनिटरिंग में कमी है। किसी विशेष प्राधिकारी द्वारा इस आशय के लिए गतिविधि की सत्यता का प्रमाणन कि न्यासों/संस्थाएं वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों को कर रही हैं, अधिनियम के तहत छूट का दावा करने के लिए आवश्यक नहीं है। इसके परिणामस्वरूप न्यासों द्वारा छूट के फर्जी दावे के साथ-साथ दानदाताओं को धारा 35(1)(ii) के तहत फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने के उदाहरण देखे गए। इस प्रतिवेदन के पैरा 7.1.9 में इस कमी को इंगित किया गया है।

ऊपर उल्लिखित सभी मामले यह दर्शाते हैं कि सीबीडीटी द्वारा धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को उचित महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। विभाग को अनुमति दिए जा रहे अपात्र दावों के जोखिम को कम करने के लिए प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने और अपने मॉनिटरिंग तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करना कि केवल वास्तविक धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं की आय को कानून के अभिप्राय के अनुसार आयकर उदग्रहण से छूट दी गई है, और अपात्र राशि कर के तहत लाई गई है।

7.3 निष्कर्ष

आयकर विभाग ने सरकारी और निजी सत्त्वों की पहचान के लिए, बेहतर मॉनिटरिंग के लिए, निजी धर्मार्थ सत्त्वों के संबंध में बेहतर सतर्कता और संवीक्षा चयन के लिए जोखिमों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए अधिनियम की धारा 11 और धारा 10(23सी) की उप-धाराओं के साथ जोड़ते हुए विभिन्न धर्मार्थ गतिविधियों के लिए अलग-अलग कोड आवंटित नहीं किया हैं। विभाग ने नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग प्रणाली होने के बावजूद, अधिकांश मामलों में उचित कार्रवाई शुरू नहीं की। पंजीकरण प्रक्रिया की आंतरिक लेखापरीक्षा को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका। विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षणों की संख्या अपर्याप्त थी।

विभाग धारा 35(1)(ii) के तहत दावों के प्रमाणन के संबंध में धारा 35(2एए) और 35(2एबी) के अनुरूप आवश्यक प्रावधान करने पर विचार कर सकता है। न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए एक प्रभावी फीडबैक तंत्र की कमी थी। लेखापरीक्षा में न्यासों/संस्थाओं द्वारा पिछले संचय के उपयोग के साथ-साथ प्राप्त विदेशी अंशदान की प्राप्ति की मॉनिटरिंग में कमियां पाई गईं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विभाग प्रणालियाँ, आईटीआर को संसाधित करते समय, निर्धारिती द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान से संबंधित राशि में अंतर का पता नहीं लगा सके, जिसका उल्लेख 'फॉर्म आईटीआर-7 के भाग ए में अन्य विवरण' और आईटीआर-7 के लिए अनुसूची वीसी (स्वैच्छिक अंशदान) में किया गया है। इसके अलावा, प्राप्त विदेशी अंशदान से संबंधित राशि के प्रति-सत्यापन करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, जैसा कि आईटीआर में निर्धारिती द्वारा उपलब्ध कराया गया है और एमएचए के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार है।

सीएजी की 2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 20 में उल्लिखित कुछ अनियमितताएं जैसे संचय और इसके उपयोग की अप्रभावी मॉनिटरिंग, विदेशी अंशदान और इसके उपयोग की अप्रभावी मॉनिटरिंग, सर्वेक्षण की अपर्याप्तता, आदि, अभी भी बनी हुई हैं।

सीबीडीटी को न केवल लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामलों की समीक्षा करने की आवश्यकता है, अपितु बिना किसी अपवाद के अन्य न्यासों के मामलों की समीक्षा करने की भी आवश्यकता है।

7.4 सिफारिशों का सार

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

(i) आयकर विभाग, सरकारी और निजी सत्त्वों की पहचान करने के लिए, निजी धर्मार्थ सत्त्वों के संबंध में बेहतर मॉनिटरिंग, बेहतर सतर्कता और संवीक्षा चयन के लिए जोखिम के प्रभावी मूल्यांकन के लिए, उन्हें अधिनियम की धारा 11 और 10(23सी) की उप-धाराओं से लिंक करते हुए न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों के विभिन्न वर्गीकरणों के लिए अलग-अलग कोड आबंटित कर सकता है।

आयकर विभाग के कंप्यूटर सहाय्यित संवीक्षा चयन (सीएएसएस) को परिष्कृत किया जाना चाहिए ताकि सरकारी सत्त्वों के लिए कम जोखिम को दर्शाया जा सके और संवीक्षा के लिए चयन की संभावना को कम किया जा सके, अन्य बातों समान रहते हुए, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संवीक्षा के लिए आयकर विभाग के संसाधन सीमित हैं और निजी क्षेत्र में उच्च जोखिम वाले मामलों में बेहतर तरीके से परिनियोजित किया जाना चाहिए।

(पैराग्राफ 7.1.1)

उत्तर में, सीबीडीटी ने बताया कि यह ध्यान दिया जा सकता है कि आईटीआर -7 पहले से ही धारा कोड को कैप्चर करता है जिसके तहत छूट का दावा करने वाले सत्त्व को अनुमोदित/पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा, यह न्यासों/संस्थाओं के उद्देश्यों पर किए गए व्यय के स्वरूप को भी दर्शाता है।

सीएएसएस के तहत विभिन्न मामलों का चयन जोखिम निर्धारण ढांचे पर आधारित है। जोखिम निर्धारण ढांचा विभिन्न प्रकार के जोखिमों की पहचान करता है जिसके परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है। इस तरह के उल्लंघन धर्मार्थ संस्थाओं के मामले में हो सकते हैं जो सरकारी सत्त्वों के साथ-साथ गैर-सरकारी सत्त्व भी हैं। इसलिए, धर्मार्थ संस्थाओं पर सीएएसएस ढांचे पर कार्य करते समय सरकार के स्वामित्व वाले और अन्य धर्मार्थ संस्थाओं के बीच भेदभाव करना उचित नहीं होगा।

सीबीडीटी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा का तर्क धारा कोड जिसके तहत सत्त्व छूट का दावा करते हैं, बजाय न्यासों/संस्थाओं की विभिन्न गतिविधियों के लिए अलग-अलग कोड, और इसके अलावा, बेहतर मॉनिटरिंग के लिए, निजी धर्मार्थ सत्त्वों के संबंध में बेहतर सतर्कता और संवीक्षा चयन के

लिए जोखिम का प्रभावी निर्धारण करने के लिए अलग-अलग कोड आवंटित करने पर था।

सरकारी धर्मार्थ सत्त्वों को सरकार द्वारा नियंत्रित और पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है और इस प्रकार इनके आयकर छूट परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में कम जोखिम वाले क्षेत्रों में होने की संभावना है, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां निर्धारण अधिकारी ने उन्हें गैर-धर्मार्थ स्वरूप में माना है। इसलिए, मामलों की बड़ी संख्या में सरकार के न्यासों/संस्थाओं के संवीक्षा निर्धारण के लिए प्रयास और श्रमबल लगाना उतना प्रभावी नहीं होगा जितना समरूपी निजी सत्त्वों की संवीक्षा निर्धारण के मामलों में। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सीबीडीटी स्थिति पर पुनर्विचार करे।

(ii) आयकर विभाग अधिनियम की धारा 10(23सी) और 80जी(5) के तहत अनुमोदित मामलों को विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे में लाने के लिए निर्देश जारी कर सकता है।

(पैराग्राफ 7.1.4)

उत्तर में, सीबीडीटी ने बताया कि संवीक्षा निर्धारण के बाद, आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए मामलों की पहचान जोखिम-आधारित विश्लेषण के माध्यम से की जाती है और किसी सत्त्व द्वारा दावा की गई किसी भी छूट/कटौती को उचित महत्व दिया जाता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 10(23सी) या 80जी(5) के तहत छूट प्राप्त करने वाले सत्त्वों को मौजूदा प्रणाली में आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए लिया जाता है और आगे कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं की जाती है।

सीबीडीटी का उत्तर लेखापरीक्षा की सिफारिश के अनुरूप नहीं है क्योंकि सीबीडीटी ने अधिनियम की धारा 10(23सी) और 80जी(5) के तहत अनुमोदित मामलों के अनुमोदन की प्रक्रिया को विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में लाने की सिफारिश का उत्तर नहीं दिया है। सीबीडीटी अपने उत्तर पर फिर से विचार करे।

(iii) आयकर विभाग

(क) सीपीसी आईटीआर/आईटीबीए प्रणाली में डेटा अभिगृहीत कर सकता है, ताकि ग्रेनुलर बिजनेस कोड और अन्य साधनों के माध्यम से संबंधित न्यासों के स्वरूप और गतिविधि का पता लगाया जा सके; और

(ख) विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले छूट के मामलों में निजी शैक्षिक न्यासों/संस्थाओं, के संबंध में किए जा रहे सर्वेक्षणों की प्रमात्रा में वृद्धि की जाए, ताकि अधिक प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके और अपात्र दावों की संभावना को कम किया जा सके जैसाकि पीएसी द्वारा इच्छा व्यक्त की गयी है।

(पैराग्राफ 7.1.5)

उत्तर में, सीबीडीटी ने बताया कि आईटीआर -7 पहले से ही न्यासों/संस्थाओं की गतिविधि के विशिष्ट क्षेत्रों को कैप्चर करता है। आईटी अधिनियम की धारा 133 ए के तहत सर्वेक्षण कार्य विभाग के पास उपलब्ध प्रवर्तन उपकरणों में से एक है जिसका उपयोग कारोबार के विभिन्न क्षेत्रों में कर अपवंचन का पता लगाने के लिए एक तंत्र के रूप में किया जाता है। प्रवर्तन उपकरणों में से एक होने के नाते, सर्वेक्षण का उपयोग आवश्यक निवारण और स्वैच्छिक अनुपालन का वातावरण बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, सर्वेक्षण कार्य केवल उन मामलों में किए जाते हैं, जहां कर अपवंचन से संबंधित विश्वसनीय जानकारी विभाग के पास उपलब्ध होती है।

सीबीडीटी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा का तर्क निजी शैक्षिक न्यासों/संस्थाओं के संबंध में बेहतर मॉनिटरिंग और बेहतर सतर्कता के लिए सरकारी और निजी सत्त्वों की पहचान के लिए न्यासों/संस्थाओं के विभिन्न कार्यकलापों के लिए अलग-अलग कारोबार कोड के आवंटन पर था। इसके अलावा, सीबीडीटी पीएसी की 27वीं रिपोर्ट (16वीं लोक सभा) के पैरा 9 में शामिल निजी शैक्षिक न्यासों/संस्थाओं के गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए पीएसी की विशिष्ट सिफारिशों की भी जांच कर सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सीबीडीटी अपने उत्तर पर पुनर्विचार करे।

(iv) आयकर विभाग इस बात की जांच कर सकता है कि किसी भी निर्धारण वर्ष में विभाग ने गैर-धर्मार्थ वाली गतिविधियों पर विचार करते हुए किसी न्यासों/संस्थाओं को छूट देने से इनकार किया हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पहले के वर्षों के निर्धारण की फिर से जांच की जा सकती है कि ऐसे न्यासों/संस्थाओं द्वारा अनुचित लाभ नहीं लिया गया था।

(पैराग्राफ 7.1.6)

(v) आयकर विभाग पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करने से पहले न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए मानक परिचालन क्रियाविधि/दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

(पैराग्राफ 7.1.8)

उत्तर में, सीबीडीटी ने बताया कि वित्त अधिनियम, 2020 में अन्य बातों के साथ-साथ आयकर अधिनियम की धारा 12एए, 10(23सी) और 80जी में निर्दिष्ट सत्त्वों के अनुमोदन/पंजीकरण/अधिसूचना से संबंधित कई प्रावधानों में संशोधन किया गया है। यह प्रावधान किया गया था कि उक्त धाराओं के तहत छूट/कटौती के लिए पंजीकरण/अनुमोदन की मांग करने वाले ऐसे सत्त्वों को एक समय में पांच वर्ष तक की अवधि के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। पंजीकरण की नई प्रक्रिया उन सत्त्वों पर भी लागू होगी जो उक्त धाराओं के तहत पहले से ही अनुमोदित हैं, जिन्हें फिर से पंजीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा। यह भी प्रावधान किया गया था कि छूट की मांग करने वाले नए सत्त्वों, लेकिन जिन्होंने गतिविधियां शुरू नहीं की हैं, उन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है।

इसके अलावा, वित्त विधेयक, 2022 में धारा 12एबी और धारा 10(23 सी) में संशोधन का भी प्रस्ताव किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां किसी न्यास/संस्था को पंजीकरण/अनुमोदन या अस्थायी पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान किया गया है और बाद में, प्र.सीआईटी/सीआईटी ने एक या एक से अधिक निर्दिष्ट उल्लंघन की घटना देखी है, जैसा कि निर्धारित किया गया है, न्यास/संस्थान को दिए गए पंजीकरण/अनुमोदन या अस्थायी पंजीकरण/अनुमोदन को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद रद्द किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने सीबीडीटी के उत्तर से पाया कि सीबीडीटी द्वारा पुनः पंजीकरण और अस्थायी पंजीकरण के माध्यम से न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों की प्रामाणिकता के सत्यापन के संबंध में विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं, जिन्हें अभी पूरा नहीं किया गया है। वर्तमान वित्त विधेयक 2022 में पंजीकरण/अनुमोदन रद्द करने के संबंध में कई प्रस्ताव भी किए गए हैं। लेखापरीक्षा को पुनः पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम परिणाम के साथ-साथ वित्त विधेयक 2022 के प्रस्तावित अनुमोदन और कार्यान्वयन का इंतजार रहेगा। तथापि, सीबीडीटी को

यह सुनिश्चित करना होगा कि पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करने से पहले न्यासों/संस्थाओं की गतिविधि की सत्यता सत्यापित की गई है।

(vi) आयकर विभाग धारा 35(2एए) और 35(2एबी) के अनुरूप धारा 35(1)(ii) के तहत अनुमोदन प्रदान करते समय विशेष प्राधिकारी द्वारा किसी न्यास/संस्था की अनुसंधान गतिविधि के प्रमाणन पर विचार कर सकता है।

(पैराग्राफ 7.1.9)

उत्तर में, सीबीडीटी ने बताया कि वित्त अधिनियम, 2020 में अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर अधिनियम की धारा 10(23सी), 12एए, 35 और 80जी में निर्दिष्ट कुछ सत्त्वों के अनुमोदन/पंजीकरण/अधिसूचना से संबंधित कई प्रावधानों में संशोधन किया गया था।

दिनांक 26.03.2021 की अधिसूचना संख्या 19 के तहत, उपरोक्त धाराओं के तहत कवर की गई छूट प्राप्त सत्त्वों के पंजीकरण/अनुमोदन/अधिसूचना के लिए नई प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है।

पंजीकरण की नई प्रक्रिया में, अन्य बातों के साथ-साथ उन सभी सत्त्वों को पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है जो आयकर अधिनियम की धारा 35 के तहत पहले से ही अनुमोदित हैं। पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.03.2022 है। एक बार पुनः-पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, धर्मार्थ संस्थाओं के डेटाबेस को अद्यतित किया जाएगा। पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय, फॉर्म 3 सीएफ में अनुसंधान गतिविधियों और सुविधाओं के बारे में व्यापक विवरण प्रदान करने के अलावा धारा 35 के तहत अनुमोदन चाहने वाले सत्त्व को आवेदक द्वारा की गई अनुसंधान गतिविधियों के साथ-साथ अन्य सहायक दस्तावेजों पर एक नोट प्रदान करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य भी संलग्न करने की आवश्यकता होती है जो इसके गठन/ स्थापना के निगमन का साक्ष्य प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, धारा 35(1) के दूसरे परंतुक में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के तहत अनुमोदन प्रदान करने से पहले, उक्त सत्त्वों की गतिविधियों की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थाओं से दस्तावेज या जानकारी मांग सकती है। इसलिए, आयकर अधिनियम पहले से ही आयकर अधिनियम के तहत अनुमोदन मांगने वाले

सत्त्वों द्वारा की गई गतिविधियों की वास्तविकता का पता लगाने की शक्ति प्रदान करता है।

इसके अलावा, पंजीकरण की नई प्रक्रिया के तहत एक अतिरिक्त जांच के रूप में, फॉर्म 10बीडी में दान का विवरण अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर अधिनियम की धारा 35 के तहत अनुमोदित दान प्राप्तकर्ता द्वारा फाइल किया जाना आवश्यक है और दान का प्रमाण पत्र दानदाता को फॉर्म 10बीई में प्रदान किया जाना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि धारा 35 के तहत अनुमोदित सत्त्व द्वारा प्राप्त की गई राशि और निर्धारिती द्वारा कटौती के रूप में दावा की जाने वाली राशि के बीच एक-से-एक मिलान हो। यह तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है कि निर्धारिती का दावा उक्त निर्धारिती से कोई भी राशि प्राप्त करने वाले सत्त्व द्वारा प्रमाणित है।

लेखापरीक्षा भविष्य की लेखापरीक्षाओं में अनुसंधान गतिविधियों की वास्तविकता को सुनिश्चित करने और सत्यापित करने में इन प्रावधानों की प्रभावशीलता की समीक्षा करेगी।

(vii) आयकर विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए एक मॉनिटरिंग तंत्र (संवीक्षा निर्धारण के अलावा) तैयार कर सकता है कि आईटी अधिनियम की धारा 10(23सी), 11, 12, 13, 80जी(5) के तहत लाभ प्राप्त कर रहे सत्त्व उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं जिनके लिए उनका गठन किया गया है।

(पैराग्राफ 7.1.10)

उत्तर में, सीबीडीटी ने बताया कि विभाग ने 01.04.2021 से न्यासों/संस्थाओं के पंजीकरण/पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत नए सत्त्वों जिन्होंने गतिविधियां शुरू नहीं की हैं, को तीन वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है और उसके बाद पंजीकरण/अनुमोदन पांच वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करने से पहले, पंजीकरण/अनुमोदन के संबंध में न्यास/संस्थाओं की गतिविधियों की सत्यता के बारे में सक्षम प्राधिकारी के सत्यापन और संतुष्टि के संबंध में आईटी अधिनियम में पहले से ही प्रावधान किया जा चुका है।

इसके अलावा, वित्त विधेयक, 2022 में धारा 12एबी और धारा 10(23सी) में संशोधन का भी प्रस्ताव किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां पंजीकरण/अनुमोदन या अस्थायी पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान किया गया है और बाद में, सक्षम प्राधिकारी ने एक या एक से अधिक निर्दिष्ट उल्लंघन की घटना देखी है, जैसा कि निर्धारित किया गया है, तो न्यास/संस्थान को दिए गए पंजीकरण/अनुमोदन या अस्थायी पंजीकरण/अनुमोदन को रद्द किया जा सकता है।

इसलिए, उपरोक्त संशोधन यह सुनिश्चित करेंगे कि आयकर अधिनियम की धारा 11/10(23सी) के तहत लाभ प्राप्त कर रहे सत्त्व उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं जिनके लिए उनका गठन किया गया है।

लेखापरीक्षा ने सीबीडीटी के उत्तर से पाया है कि सीबीडीटी द्वारा पुनः पंजीकरण और अस्थायी पंजीकरण के माध्यम से न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों की वास्तविकता के सत्यापन के संबंध में विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं, जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है चूंकि पुनःपंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.03.2022 है। वर्तमान वित्त विधेयक 2022 में पंजीकरण/अनुमोदन रद्द करने के संबंध में कई प्रस्ताव भी किए गए हैं।

लेखापरीक्षा पुनः-पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम परिणाम के साथ-साथ वित्त विधेयक 2022 के प्रस्तावित अनुमोदन और कार्यान्वयन का इंतजार करेगी। तथापि, सीबीडीटी को सत्यापन और मॉनिटरिंग प्रक्रिया को सुदृढ करने के लिए मौजूदा प्रणालियों को मजबूत करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजीकरण और पुनः पंजीकरण के समय, केवल उन न्यासों/संस्थाओं को आईटी अधिनियम की धारा 10(23सी), 11, 12, 13, 80जी(5) के लाभों की अनुमति दी जाती है जो वास्तविक धर्मार्थ गतिविधियां कर रही हैं और उन उद्देश्यों की दिशा में कार्य कर रही हैं जिनके लिए वे गठित हैं।

(viii) फॉर्म 10बी को यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया जा सकता है कि रिटर्न आय में पिछले संचय में से उपयोग का विवरण को लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है। इसके अलावा, आयकर विभाग प्रणाली को डेटा को स्वचालित रूप से कैप्चर करने के द्वारा वर्ष-वार संचय और उपयोग की अनुसूची को अनुरक्षित रखने के लिए भी उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा

सकता है ताकि निर्दिष्ट अवधि के बाद किसी भी अव्ययित राशि पर तदनुसार कर लगाया जा सके।

(पैराग्राफ 7.1.11)

सीबीडीटी ने बताया कि इस संबंध में, संशोधित फॉर्म 10 बी का मसौदा 2019 में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था; हालांकि, वर्तमान कोविड -19 महामारी के कारण, अतिरिक्त अनुपालन बोझ की वृद्धि को रोकने के लिए, संशोधित फॉर्म 10 बी को अधिसूचित नहीं किया गया है। उक्त फॉर्म को आशोधित और उचित समय पर अधिसूचित किया जाएगा और उपरोक्त मामले की उसमें जांच की जाएगी।

लेखापरीक्षा मॉनिटरिंग तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए सीबीडीटी द्वारा किए गए प्रयासों के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करेगा।

(ix) फॉर्म 10बीबी को संशोधित किया जा सकता है ताकि धारा 10(23सी) (iv से viए तक) के तहत पंजीकृत न्यासों/संस्थाओं द्वारा संचित राशियों की मॉनिटरिंग की जा सके। इसके अलावा, आयकर विभाग फॉर्म 10 के समान निर्धारिती द्वारा की जाने वाली विशिष्ट घोषणा पर विचार कर सकता है, जिसके अनुसार धारा 11(2) के तहत निर्धारण अधिकारी/निर्धारित प्राधिकारी को विवरण प्रस्तुत किया जाना है, जो धारा 10(23सी) (iv से viए तक) के तहत पंजीकृत न्यासों/संस्थाओं द्वारा संचय के उद्देश्य/अवधि को सूचित करते हुए भविष्य के अनुप्रयोग के लिए आय के संचय का विकल्प चुनता है। इसके अलावा, सीपीसी-आईटीआर आईटीबीए प्रणाली को डेटा को स्वचालित कैप्चर करने के द्वारा वर्ष-वार संचय और उपयोग की अनुसूची को बनाए रखने के लिए भी उपयुक्त रूप से आशोधित किया जा सकता है ताकि निर्दिष्ट अवधि के बाद किसी भी अव्ययित राशि पर तदनुसार कर लगाया जा सके।

(पैराग्राफ 7.1.12)

सीबीडीटी ने बताया कि वित्त विधेयक, 2022 में, धारा 10 की उप-धारा (23 सी) के उप-खंड (iv) या (v) या (vi) और (viए) के तहत संदर्भित और धारा 12एए/12एबी के तहत पंजीकृत न्यासों और संस्थाओं से संबंधित प्रावधानों के साथ-साथ कई संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है, ताकि संबंधित धाराओं के तहत उक्त न्यास और संस्थाओं को प्रदान की गई छूट को शासित करने वाली दोनों व्यवस्थाओं के प्रावधानों को संरेखित किया जा सके।

वित्त विधेयक, 2022 में विशेष रूप से आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23 सी) के तीसरे परंतुक में व्याख्या 3 को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि इस परंतुक के तहत अनुप्रयोग की राशि निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए, जहां उक्त खंड के तीसरे परंतुक के खंड (क) में संदर्भित आय का पचासी प्रतिशत का पिछले वर्ष के दौरान, पूरी तरह से और विशेष रूप से उन उद्देश्यों पर प्रयोग नहीं किया गया है, जिनके लिए आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के तहत न्यास या संस्था की स्थापना की गई है, अपितु ऐसे उद्देश्यों पर अनुप्रयोग के लिए, पूर्ण या आंशिक रूप से, संचित या अलग रखी जाती है, इस तरह से संचित या अलग रखी गई ऐसी आय को, आय प्राप्ति वाले व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा बशर्ते निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाता है, अर्थात्:-

(क) ऐसा व्यक्ति निर्धारित फॉर्म में और निर्धारित तरीके से निर्धारण अधिकारी को एक विवरण प्रस्तुत करता है, जिसमें उस उद्देश्य को बताया जाता है जिसके लिए आय को संचित या अलग रखा जा रहा है और वह अवधि जिसके लिए आय को संचित या अलग रखा जाना है, जो किसी भी मामले में पांच साल से अधिक नहीं होगी।

(ख) इस तरह संचित या अलग राखी गई धनराशि को धारा 11 की उप-धारा (5) में निर्दिष्ट रूप या मोड में निवेश या जमा रखा जाता है; और

(ग) धारा 10 के खंड (23सी) के तीसरे परंतुक की व्याख्या 3 के खंड (ए) में संदर्भित विवरण पिछले वर्ष के लिए रिटर्न आय प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत विनिर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार, धारा 10 के खंड (23सी) के उप खंड (iv) या (v) या (vi) और (viए) के तहत संदर्भित न्यासों या संस्थाओं के लिए संचय के उद्देश्य के विवरण को प्राप्त करने के लिए आयकर अधिनियम में अपेक्षित संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

संचित आय और इसके अनुप्रयोग (वर्षवार) का ब्यौरा आईटीआर-7 की अनुसूची-1 में कैप्चर किया जाता है।

धारा 11 की उप-धारा (2) के तहत विभिन्न शर्तों की संतुष्टि पर रिपोर्ट और संचित आय के विशिष्ट विवरण को संशोधित फॉर्म 10 बी के मसौदे में लेखापरीक्षक से मांगा जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसे 2019 में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। हालांकि, कोविड -19 महामारी के कारण फॉर्म को अधिसूचित नहीं किया जा सका, लेकिन उचित समय पर किया जाएगा।

लेखापरीक्षा मॉनिटरिंग तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए सीबीडीटी द्वारा किए गए प्रयासों के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करेगा।

(x) आयकर विभाग

क. आईटी आधारित स्वतः अभिग्रहण तंत्र विकसित कर सकता है जिसमें आईटीआर में दर्शाए गए विदेशी प्राप्ति का प्रति-सत्यापन एमएचए के पास उपलब्ध विदेशी प्राप्ति के आंकड़ों से किया जा सके। आयकर विभाग अधिनियम में नए प्रावधानों को लाने पर भी विचार कर सकता है, ताकि एफसीआरए अधिनियम 2010 के उल्लंघन में न्यासों/संस्थाओं द्वारा प्राप्त, उपयोग किए गए, दान किए गए या निवेश किए गए विदेशी अंशदान को आय के रूप में माना जा सके जिसे धारा 11 और 10(23सी) के तहत छूट नहीं दी जानी चाहिए।

ख. आयकर विभाग प्रणाली में जांच और वैधीकरण का समावेश कर सकता है ताकि उपयोगकर्ता को आईटीआर फाइल करते समय समान/विभिन्न फॉर्मों के भीतर असंगत जानकारी/डेटा प्रदान करने के लिए प्रतिबंधित किया जा सके।

ग. अन्य सरकारी विभाग/निकाय के पास उपलब्ध प्रासंगिक सूचना/डेटा के उपयोग की व्यवहार्यता का पता लगा सकता है जो स्वचालित प्रणाली में आईटीआर संसाधित करते समय राजकोष में राजस्व की हानि को रोक सकता है।

(पैराग्राफ 7.1.13)

सीबीडीटी ने बताया कि वर्तमान आईटीआर-7 पहले से ही एफसीआरए, 2010 के तहत पंजीकरण और धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान की राशि से संबंधित विवरणों को कैप्चर करता है। धारा 10 के खंड (23सी) की धारा 12ए और पन्द्रहवें परंतुक के वर्तमान प्रावधानों में पहले से ही यह प्रावधान है कि संबंधित धाराओं के तहत छूट की मांग करने वाले न्यासों/संस्थाओं को भी तत्समय लागू किसी अन्य कानून की आवश्यकताओं का अनुपालन करना अपेक्षित है। इसलिए, आयकर अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों

के तहत एफसीआरए अधिनियम, 2010 के उल्लंघन में विदेशी अंशदान का कोई भी दुरुपयोग धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के पंजीकरण/अनुमोदन और संबंधित प्रावधानों के तहत छूट को रद्द करने के लिए एक आधार हो सकता है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एबी उनके पंजीकरण को रद्द करने अर्थात् विपंजीकरण, का प्रावधान करती है, यदि ऐसे न्यास या संस्था की गतिविधियां वास्तविक नहीं हैं या न्यास या संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं की जा रही हैं, जैसा भी मामला हो।

यदि किसी न्यास द्वारा किए जा रहे किसी भी उल्लंघन का पता आयकर विभाग के जांच निदेशालय द्वारा लगाया जाता है, जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन है, तो ऐसी जानकारी जांच निदेशालय द्वारा ऐसे न्यास के पंजीकरण को रद्द करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्धारण प्रभार को दी जाती है।

इसके अलावा, अपनी जांच के दौरान अन्य कानूनों के उल्लंघन का पता चलने पर, आयकर विभाग इसे संबंधित एलईए के साथ साझा करता है, जो इन एजेंसियों द्वारा अपने संबंधित कानूनों के तहत उचित कार्रवाई के लिए आवश्यक जानकारी है।

सीबीडीटी का उत्तर लेखापरीक्षा की सिफारिश के अनुरूप नहीं है क्योंकि सीबीडीटी ने गृह मंत्रालय या अन्य सरकारी विभाग/निकाय के पास उपलब्ध जानकारी/डेटा के उपयोग पर सिफारिश का उत्तर नहीं दिया है और निर्धारित न्यास/संस्था द्वारा फाइल की गई आईटीआर में समान/विभिन्न फॉर्म में असंगत जानकारी का पता लगाने के लिए आयकर विभाग प्रणालियों में स्वचालित वैधीकरण जांच लगाया है। सीबीडीटी की प्रतिक्रिया व्यापक रूप से संवीक्षा निर्धारण, जांच आदि के लिए की गई जांच तक ही सीमित है, जबकि लेखापरीक्षा की सिफारिश फाइल आईटीआर के विभिन्न फॉर्म में और एमएचए एफसीआरए डेटाबेस में उपलब्ध डेटा की स्वचालित प्रति जांच और उपयोग के लिए थी जो सभी निर्धारणों (संक्षिप्त निर्धारणों सहित) के लिए लागू होगी।

सीबीडीटी अन्य कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों को उनके संबंधित कानूनों के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए जानकारी/विवरणों का समय पर साझाकरण भी सुनिश्चित कर सकता है।

इसके अलावा, सीबीडीटी उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करते समय जुलाई 2018 की पीएसी की रिपोर्ट सं. 104 में शामिल पीएसी की सिफारिश पर दिए गए अपने उत्तर की भी जांच कर सकता है।

नई दिल्ली
दिनांक: 18 मई 2022



(मोनिका वर्मा)
महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर-1)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई 2022



(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(पैरा संख्या 1.2.1 देखें)

निर्धारण प्रक्रिया

(क) आय का रिटर्न:

धारा 139(4ए) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो ट्रस्ट या अन्य कानूनी दायित्व के तहत पूरी तरह से या धर्मार्थ उद्देश्यों या धार्मिक उद्देश्यों के लिए या केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए संपत्ति से प्राप्त आय प्राप्त कर रहा है; या ऐसे ट्रस्ट या संस्थान की ओर से स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से आय, जोकि कर योग्य है, को आय का रिटर्न फाइल करना चाहिए, यदि ऐसी आय (धारा 11 और 12 के तहत किसी भी छूट की अनुमति देने से पहले गणना की गई) अधिकतम राशि से अधिक है जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है। यदि आय (धारा 10 के प्रावधानों को लागू करने से पहले) अधिकतम राशि से अधिक है जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है, तो धारा 139(4सी) संस्थानों द्वारा अनिवार्य रूप से रिटर्न फाइल करने का प्रावधान करती है।

(ख) संक्षिप्त संसाधित करना {धारा 143(1), 143(1ए), 143(1बी)}

संक्षिप्त निर्धारण में, आईटीआर को अंकगणितीय सटीकता, आंतरिक स्थिरता आदि के लिए जांचा जाता है। आईटीआर को संसाधित करने के दौरान, निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई जानकारी को फॉर्म 26 एएस, वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईआर), ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली में कर क्रेडिट (ओएलटीएएस), पिछले संसाधित रिटर्न आदि के माध्यम से आयकर विभाग सिस्टम में उपलब्ध जानकारी के साथ क्रॉस चेक किया जाता है और आवश्यक समायोजन, यदि आवश्यक हो तो निर्धारिती से रिकॉर्ड और जानकारी को मांगे बिना प्रणाली द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार, संक्षिप्त संसाधन गैर-हस्तक्षेप प्रकार का है। तथापि, यदि प्रणाली द्वारा जानकारी में किसी भी बेमेलता का पता लगाया जाता है, तो निर्धारिती को सिस्टम-जनरेटेड संचार के माध्यम से सूचित किया जाता है और बाद में निर्धारिती इसे केवल प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत करता है। संसाधित करने के बाद, यदि निर्धारिती से कोई मांग देय है, तो इसे सिस्टम जनरेटेड डिमांड नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है। कर के अधिक भुगतान के मामले में, प्रतिदाय को रिफंड बैंकर स्कीम के माध्यम से जारी किया जाता है, कुछ असाधारण मामलों को छोड़कर जिसमें मैनुअल मोड में प्रतिदाय की अनुमति है।

केंद्रीकृत संसाधित केंद्र - आयकर रिटर्न (सीपीसी-आईटीआर), बेंगलुरु एक स्वचालित वातावरण में इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए आईटीआर को संसाधित करने के लिए था। इसके अतिरिक्त, विभाग की सभी कारोबार प्रक्रियाओं को स्वचालित वातावरण के अंतर्गत लाने के लिए और 'सिंगल विंडो इंटरफ़ेस/विभागीय पोर्टल' के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं को सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए, विभाग ने वर्ष 2018 में आयकर कारोबार अनुप्रयोग (आईटीबीए) नामक एक नया एप्लीकेशन प्रस्तुत किया। आईटीबीए की शुरुआत के बाद, सीपीसी-आईटीआर अनुप्रयोग को इंटरफ़ेस के माध्यम से इस नए अनुप्रयोग के साथ एकीकृत किया गया था और इसका उपयोग अन्य अतिरिक्त कार्यात्मकताओं जैसे संवीक्षा निर्धारण/सुधार आदि के लिए कर की गणना जैसे अन्य अतिरिक्त कार्यात्मकताओं के साथ आईटीआर को संसाधित करने के लिए किया जाना जारी रखा गया था।

(ग) संवीक्षा निर्धारण

निर्धारिती द्वारा फाइल किए गए आयकर रिटर्न को कम्प्यूटर सहाय्यित संवीक्षा चयन (सीएएसएस) के माध्यम से विस्तृत संवीक्षा के लिए चुना जाता है। सीबीडीटी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा कुछ मामलों का मैनुअल रूप से भी चयन किया जाता है। अधिनियम में दो प्रकार की नियमित संवीक्षा निर्धारण का प्रावधान है: (क) धारा 143 (3) के तहत निर्धारण जो निर्धारिती को अवसर प्रदान करने और रिकॉर्ड पर निर्धारिती के सभी प्रासंगिक तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को लेने के बाद तैयार किया गया है। (ख) धारा 144 (सर्वश्रेष्ठ निर्णय निर्धारण) के तहत निर्धारण तैयार किया जाता है जब नोटिसों के बावजूद, निर्धारिती उत्तर नहीं देता है और प्रतिक्रिया फाइल करने के अवसरों को छोड़ देता है। उपरोक्त के अलावा, खोज मामलों (धारा 153ए/153सी) के मामलों में संवीक्षा ब्लॉक निर्धारण किए जाते हैं।

संवीक्षा निर्धारण में, निर्धारण अधिकारी (नि.अ.) आयकर विभाग के साथ उपलब्ध निर्धारिती से संबंधित सभी रिकॉर्ड और जानकारी प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त निर्धारिती से रिकॉर्ड और जानकारी मांगता है ताकि स्वयं को संतुष्ट कर सके कि कोई आय बेहिसाब नहीं हुई है और कर की गणना सही ढंग से की गई है। अधिनियम नोटिस जारी करने और निर्धारण कार्यवाही को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करता है। निर्धारण अधिकारी निर्धारण कार्यवाही को अंतिम रूप देता है।

(घ) गलती में सुधार

आईटीआर को संसाधित करने के बाद, यदि विभाग द्वारा किसी भी गलती का पता चलता है, तो संसाधित आदेश को स्वतः सुधारा जाता है और मामले में, यदि निर्धारिती द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो उसे सीपीसी-आईटीआर, बेंगलुरु के माध्यम से धारा 154 के तहत आदेश पारित करके सुधारा जाता है, सिवाय कुछ असाधारण मामलों में जहां सुधार आदेश क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है।

(ङ) आय से बचने वाले निर्धारण

यदि निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए कर के लिए प्रभार्य कोई भी आय निर्धारण से बच गई है, तो वह ऐसी आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है और कर के लिए प्रभार्य किसी ऐसी अन्य आय का भी निर्धारण कर सकता है जो बाद में अधिनियम (धारा 147) के प्रावधानों के अधीन पुनर्निर्धारण के दौरान उसके संज्ञान में आता है।

(च) आदेशों में संशोधन

सीआईटी/पीसीआईटी यदि यह मानता है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गलत है, तो निर्धारण अधिकारी को धारा 263/264 के तहत निर्धारण को बढ़ाने या संशोधित करने या एक निर्धारण को रद्द करने और एक नया निर्धारण करने का निर्देश दे सकता है।

(छ) अपील प्रक्रिया

एक असंतुष्ट निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकता है, जो अपीलीय आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन करेगा। इसके अतिरिक्त, अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में तथ्य और कानून के प्रश्नों पर अपील करने की भी अनुमति है। धारा 260ए के तहत यदि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी मामले पर विचार नहीं किया गया है या गलत तरीके से विचार किया गया है तो उच्च न्यायालय के लिए अपील के लिए अधिमान्य हो सकता है और धारा 261 के तहत किसी भी मामले में, जिसे उच्च न्यायालय ने अपील के लिए उपयुक्त होने के लिए प्रमाणित किया है सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी अधिमान्य हो सकता है।

(ज) शास्ति

अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन के लिए एक निवारक प्रभाव रखने के लिए, अधिनियम शास्ति लगाने के लिए संपूर्ण प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 272ए(2)(ई) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति आय का रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है जिसे धारा 139 की उप-धारा (4ए) या (4सी) के तहत आवश्यक तरीके से, या इसे अनुमत समय के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक है, तो वह प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें विफलता जारी रहती है, शास्ति के रूप में एक सौ रुपये का भुगतान करेगा।

परिशिष्ट 2.1

(पैरा संख्या 2.5 और 4.3.7.2 का संदर्भ लें)
लेखापरीक्षा नमूने के शीर्ष 200 मामलों का गैर-प्रस्तुतीकरण

क्र. सं.	कार्यालय	सीआईटी का नाम	नि.व.	सकल प्राप्ति (₹ करोड़ में)	धारा जिसके अंतर्गत निर्धारण किया गया	दी गई छूट (₹ करोड़ में)
1	मुंबई	प्र. सीआईटी (केंद्रीय) - 1 मुंबई	2015-16	374.38	143(3)	335.08
2	मुंबई	सीआईटी (छूट) मुंबई	2014-15	194.56	154	194.56
3	चंडीगढ़	सीआईटी (छूट) चंडीगढ़	2015-16	242.79	143(3)	238.18
4	भुवनेश्वर	सीआईटी (छूट) हैदराबाद	2016-17	166.04	154	166.04
5	भुवनेश्वर	प्र. सीआईटी -1 भुवनेश्वर	2016-17	203.24	143(3)	203.24
6	अहमदाबाद	सीआईटी (छूट) अहमदाबाद	2016-17	735.25	154	735.25
7	मुंबई	सीआईटी (छूट) पुणे	2015-16	174.44	143(3)	174.44
8	मुंबई	सीआईटी (छूट) पुणे	2016-17	350.61	143(3)	350.60
9	बैंगलोर	सीआईटी (छूट) बैंगलुरु	2016-17	278.61	154	0.00
10	हैदराबाद	सीआईटी (छूट) हैदराबाद	2016-17	199.86	154	0.00
11	मुंबई	प्र. सीआईटी (केंद्रीय) - 3, मुंबई	2015-16	2,174.51	143(3)	1,358.64
12	मुंबई	प्र. सीआईटी (केंद्रीय) - 3, मुंबई	2016-17	3,824.81	143(3)	840.01
13	मुंबई	सीआईटी (छूट) मुंबई	2015-16	630.68	154	630.68
14	मुंबई	प्र. सीआईटी-21 मुंबई	2016-17	158.60	143(3)	158.60
15	बैंगलोर	सीआईटी (छूट) बैंगलुरु	2016-17	264.36	154	0.00
16	हैदराबाद	सीआईटी (छूट) हैदराबाद	2014-15	524.55	154	515.49
17	जयपुर	सीआईटी (छूट) जयपुर	2014-15	201.58	154	201.58

परिशिष्ट 3.1

(पैरा संख्या 3.3(i) का संदर्भ लें)

2019 के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 9 (प्रत्यक्ष कर) के अध्याय VI में शामिल 'धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट' की अनुवर्ती लेखापरीक्षा के संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की स्थिति

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
(i) ऐसे मामले जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया था						
1.	ओ ₁ फाउंडेशन	2014-15	6.3	धारा 13 (1) (सी) (ii) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संस्थानों की आय/संपत्ति को संबंधित समूह न्यास में हस्तांतरित कर दिया गया था।	24.61	मंत्रालय द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और दिसंबर 2019 में धारा 263 के साथ पठित धारा 143 (3) के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की गई। मंत्रालय को कोई और टिप्पणी नहीं भेजी गई।
2.	पी ₃ हॉस्पिटल	2014-15	6.8	विदेशी मुद्रा दान सहित स्वैच्छिक अंशदान को दानकर्ता के विशिष्ट दिशानिर्देश के बिना कॉर्पोस फंड के रूप में माना गया था।	13.17	मंत्रालय द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और दिसंबर 2019 में धारा 263 के साथ पठित धारा 143 (3) के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की गई। मंत्रालय को कोई और टिप्पणी नहीं भेजी गई।
3.	एस ₁ संघ	2012-13 से 2014-15	6.9.2	ट्रस्ट दान के लिए आय का अनुप्रयोग नहीं कर था और बल्कि संचय के प्रावधान का दुरुपयोग करके इसे संचित कर रहा था।	-	मंत्रालय द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और दिसंबर 2019 में धारा 263 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की गई। मंत्रालय को कोई और टिप्पणी नहीं भेजी गई।

परिशिष्ट 3.2

(पैरा संख्या 3.3(ii)(क) का संदर्भ लें)

2019 के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 9 (प्रत्यक्ष कर) के अध्याय VI में शामिल 'धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट' की अनुवर्ती लेखापरीक्षा के संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की स्थिति

(ii) ऐसे मामले जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था						
(क) मामला जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा ने मंत्रालय को कोई और टिप्पणी नहीं भेजी।						
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	पी ₂ फाउंडेशन	2012-13	6.6.1	निर्धारिती ने अपनी कंपनियों के समूह के शेयरों में निवेश किया, जो धारा 11 (5) के साथ पठित धारा 13 (1) (डी) (iii) के तहत एक निषिद्ध मोड है।	-	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया। मंत्रालय को कोई और टिप्पणी नहीं भेजी गई। तथापि, मंत्रालय को 01.06.1973 से पहले ऐसे न्यासों द्वारा निवेश के लिए छूट के प्रावधानों की निरंतरता की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

परिशिष्ट 3.3

(पैरा संख्या 3.3(ii)(ख) का संदर्भ लें)

2019 के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 9 (प्रत्यक्ष कर) के अध्याय VI में शामिल 'धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट' की अनुवर्ती लेखापरीक्षा के संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की स्थिति

(ख) ऐसे मामले जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा ने मंत्रालय के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया था						
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	एम ₇ ऐसोसिएशन	2014-15	6.9.1	आयकर विभाग ने न्यास का पंजीकरण रद्द कर दिया परंतु लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि विभाग ने पंजीकरण रद्द करने पर संचित राशि पर कर लगाया है या नहीं।	-	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया। आयकर अधिनियम की धारा 11 (3) के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं था, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि धारा 11 (2) के तहत संचित आय को पिछले वर्ष के ऐसे व्यक्ति की आय के रूप में समझा जाएगा जिसमें यह धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए लागू किया गया है। उपरोक्त को देखते हुए मंत्रालय से अपने उत्तर पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया था। आगे के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही थी। लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय सत्यापन से, पाया कि विभाग द्वारा आगे कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी (मार्च 2022)।
2.	एम ₈ अथॉरिटी	2014-15	6.9.1	आयकर विभाग ने न्यास का पंजीकरण रद्द कर दिया परंतु लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि विभाग ने पंजीकरण रद्द करने पर संचित राशि पर कर लगाया है या नहीं।	-	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया। मंत्रालय से कहा गया था कि वह अपने उत्तर के समर्थन में उच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने के लिए मंत्रालय के निर्णय की प्रति प्रस्तुत करे, जो प्रतीक्षित था। तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय सत्यापन से, नि.व. 2016-17

(ख) ऐसे मामले जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा ने मंत्रालय के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया था						
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						के निर्धारण आदेश से पाया कि दिसंबर 2018 में छूट को अस्वीकार करके और व्यावसायिक आय के रूप में आय का निर्धारण करके निर्धारण को पूर्ण किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारण आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि यदि अपील में निर्धारिती को धारा 11 के तहत कटौती की अनुमति दी गई थी, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट की अनुमति दी जाएगी।
3.	एस ₆ अर्थोर्टी	2014-15	6.9.1	आयकर विभाग ने न्यास का पंजीकरण रद्द कर दिया परंतु लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि विभाग ने पंजीकरण रद्द करने पर संचित राशि पर कर लगाया है या नहीं।	-	मंत्रालय ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया कि दिनांक 27.03.2014 के आदेश के तहत धारा 2(15) के परंतुक को लागू करने के बाद न्यास का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। निर्धारिती ने उक्त आदेश के प्रति आईटीएटी के समक्ष अपील फाइल की है, जो निपटान के लिए लंबित है। निर्धारिती को नि.व. 2009-10 से धारा 11 के तहत छूट से वंचित कर दिया गया है। मंत्रालय से धारा 11(3) के परंतुक के अनुसार धर्मार्थ प्रयोजन पर भविष्य के अनुप्रयोग के लिए धारा 11(2) के तहत संचित अथवा पृथक निर्धारित आय के कराधान के संबंध में उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, जो प्रतीक्षित था। तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय सत्यापन से नि.व. 2016-17 के

2022 की प्रतिवेदन संख्या 12 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

(ख) ऐसे मामले जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा ने मंत्रालय के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया था						
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						निर्धारण आदेश से पाया कि दिसंबर 2018 में छूट को अस्वीकार करके और व्यावसायिक आय के रूप में आय का निर्धारण करके निर्धारण को पूर्ण किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारण आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि यदि अपील में निर्धारिती को धारा 11 के तहत कटौती की अनुमति दी गई थी, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट की अनुमति दी जाएगी।
4.	एम ₅ कॉरपोरेशन	2014-15	6.9.1	विभाग ने अधिनियम के उद्देश्य के लिए न्यास की गतिविधियों को गैर-धर्मार्थ के रूप में माना है, परंतु इन न्यासों का धारा 12ए के तहत पंजीकरण रद्द नहीं किया गया था।	-	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गोवा औद्योगिक विकास निगम बनाम सीआईटी के मामले में अपने निर्णय के माध्यम से यह माना है कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ता की गतिविधियों को धारा 2 (15) के परंतुक के तहत कवर किया गया था, जो अपने आप में अपीलकर्ता की गतिविधियों को गैर-वास्तविक गतिविधियों के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा ताकि आयुक्त को पंजीकरण रद्द करने के लिए धारा 12ए (3) के तहत शक्ति का उपयोग करने का अधिकार दिया जा सके। इसलिए, रद्दीकरण उचित नहीं था। तथापि, क्षेत्र सत्यापन से, लेखापरीक्षा ने पाया कि नि.व. 2014-15 के संबंध में, माननीय आईटीएटी ने दिनांक 21.05.2021 के आदेश के

(ख) ऐसे मामले जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा ने मंत्रालय के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया था						
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						माध्यम से राजस्व अपील को खारिज कर दिया है। इसके अतिरिक्त, नि.व. 2016-17 के निर्धारण आदेश से लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसंबर 2018 में छूट को अस्वीकार करके और व्यावसायिक आय के रूप में आय का निर्धारण करके निर्धारण को पूर्ण किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारण आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि यदि अपील में निर्धारिती को धारा 11 के तहत कटौती की अनुमति दी गई थी, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
5.	एम ₆ अर्थोरीटी	2014-15	6.9.1	विभाग ने अधिनियम के उद्देश्य के लिए न्यास की गतिविधियों को गैर-धर्मार्थ के रूप में माना है, परंतु इन न्यासों का धारा 12ए के तहत पंजीकरण रद्द नहीं किया गया था।	-	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गोवा औद्योगिक विकास निगम बनाम सीआईटी के मामले में अपने निर्णय के माध्यम से कहा है कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ता की गतिविधियों को धारा 2 (15) के परंतुक के तहत कवर किया गया था, जो अपने आप में अपीलकर्ता की गतिविधियों को गैर-वास्तविक गतिविधियों के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा ताकि आयुक्त को पंजीकरण रद्द करने के लिए धारा 12ए (3) के तहत शक्ति का उपयोग करने का अधिकार दिया जा सके। इसलिए, रद्दीकरण उचित नहीं था। तथापि, क्षेत्र सत्यापन से,

2022 की प्रतिवेदन संख्या 12 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

(ख) ऐसे मामले जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा ने मंत्रालय के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया था						
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						लेखापरीक्षा ने पाया कि नि.व. 2014-15 के लिए, माननीय आईटीएटी ने दिनांक 23.11.2020 के आदेश के माध्यम से निर्धारिती अपील की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त, नि.व. 2016-17 के निर्धारण आदेश से लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसंबर 2018 में छूट को अस्वीकार करके और कारोबार की आय के रूप में आय का निर्धारण करके निर्धारण पूरा किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारण आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि यदि अपील में निर्धारिती को धारा 11 के तहत कटौती की अनुमति दी गई थी, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
6.	एम ₄ कॉरपोरेशन	2014-15	6.9.1	विभाग ने अधिनियम के उद्देश्य के लिए न्यास की गतिविधियों को गैर-धर्मार्थ के रूप में माना है, परंतु इन न्यासों का धारा 12ए के तहत पंजीकरण रद्द नहीं किया गया था।	-	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.01.2020 के अपने निर्णय के माध्यम से कहा है कि जहां निदेशक द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था कि निर्धारिती न्यास की गतिविधियां वास्तविक नहीं थीं या न्यास के उद्देश्यों के अनुसार गतिविधियां नहीं की जा रही थीं, जबकि निर्धारिती न्यास को दिए गए पंजीकरण को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यह सीधे धारा 2 (15) के परंतुक से प्रभावित था। इसलिए, रद्दीकरण उचित नहीं था।

(ख) ऐसे मामले जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा ने मंत्रालय के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया था						
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्र सत्यापन से, नि.व. 2016-17 के निर्धारण आदेश से पाया कि दिसंबर 2018 में छूट को अस्वीकार करके और कारोबार आय के रूप में आय का निर्धारण करके निर्धारण पूरा किया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
7.	एन ₇ ट्रस्ट	2014-15	6.9.1	विभाग ने अधिनियम के उद्देश्य के लिए न्यास की गतिविधियों को गैर-धर्मार्थ के रूप में माना है, परंतु इन न्यासों को धारा 12ए के तहत पंजीकरण रद्द नहीं किया गया था।	-	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.01.2020 के अपने निर्णय के माध्यम से कहा है कि जहां निदेशक द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था कि निर्धारिती न्यास को गतिविधियां वास्तविक नहीं थीं या न्यास के उद्देश्यों के अनुसार गतिविधियां नहीं की जा रही थीं, जबकि निर्धारिती न्यास को दिए गए पंजीकरण को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यह सीधे धारा 2 (15) के परंतुक से प्रभावित था। इसलिए, रद्दीकरण उचित नहीं था। तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय सत्यापन से पाया कि नि.व 2014-15 के लिए, माननीय आईटीएटी ने दिनांक 11.01.2021 के आदेश के तहत छूट के संबंध में निर्धारिती को अपील की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त, नि.व 2016-17 के निर्धारण आदेश से लेखापरीक्षा ने पाया कि नवंबर 2018 में छूट को अस्वीकार करके और

2022 की प्रतिवेदन संख्या 12 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

(ख) ऐसे मामले जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा ने मंत्रालय के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया था						
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						कारोबार आय के रूप में आय का निर्धारण करके निर्धारण पूरा किया गया था। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि पहले के वर्षों में, निर्धारिती की आय को धर्मार्थ नहीं माना गया था और धारा 11 के तहत छूट से इनकार कर दिया गया था जिसके लिए निर्धारिती ने अपील की थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
8.	एन ₅ फंड	2014-15	6.9.1	विभाग ने अधिनियम के उद्देश्य के लिए न्यास की गतिविधियों को गैर-धर्मार्थ रूप में माना है, परंतु इन न्यासों का धारा 12ए के तहत पंजीकरण रद्द नहीं किया गया था।	-	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गोवा औद्योगिक विकास निगम बनाम सीआईटी के मामले में अपने निर्णय के माध्यम से यह माना है कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ता की गतिविधियों को धारा 2 (15) के परंतुक के तहत कवर किया गया था, जो अपने आप में अपीलकर्ता की गतिविधियों को गैर-वास्तविक गतिविधियों के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा ताकि आयुक्त को पंजीकरण रद्द करने के लिए धारा 12ए (3) के तहत शक्ति का उपयोग करने का अधिकार दिया जा सके। इसलिए, रद्दीकरण उचित नहीं था। तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय सत्यापन से, पाया कि नि.व 2014-15 के लिए, निर्धारिती की अपील सीआईटी (अपील) के समक्ष लंबित है। इसके अतिरिक्त, नि.व. 2016-17 के निर्धारण आदेश से लेखापरीक्षा

(ख) ऐसे मामले जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा ने मंत्रालय के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया था						
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						ने पाया कि दिसंबर 2018 में छूट को अस्वीकार करके और कारोबार की आय के रूप में आय का निर्धारण करके निर्धारण पूरा किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारण आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि यदि अपील में निर्धारिती को धारा 11 के तहत कटौती अनुमति दी गई थी, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
9.	टी ₈ फंड	2014-15	6.9.1	विभाग ने अधिनियम के उद्देश्य के लिए न्यास की गतिविधियों को गैर-धर्मार्थ के रूप में माना है, परंतु इन न्यासों का धारा 12ए के तहत पंजीकरण रद्द नहीं किया गया था।	-	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.01.2020 के अपने निर्णय के माध्यम से कहा है कि जहां निदेशक द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था कि निर्धारिती न्यास की गतिविधियां प्रामाणिक नहीं थीं या न्यास के उद्देश्यों के अनुसार गतिविधियां नहीं की जा रही थीं, जबकि निर्धारिती न्यास को दिए गए पंजीकरण को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यह सीधे धारा 2 (15) के परंतुक से प्रभावित था। इसलिए, रद्दीकरण उचित नहीं था। तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय सत्यापन से पाया कि नि.व 2014-15 के लिए, निर्धारिती की अपील सीआईटी (अपील) के समक्ष लंबित है। इसके अतिरिक्त, नि.व 2016-17 के

2022 की प्रतिवेदन संख्या 12 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

(ख) ऐसे मामले जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा ने मंत्रालय के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया था						
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						निर्धारण आदेश से लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसंबर 2018 में छूट को अस्वीकार करके और कारोबार की आय के रूप में आय का निर्धारण करके निर्धारण पूरा किया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
10.	एस ₇ सोसाइटी	2014-15	6.9.1	विभाग ने अधिनियम के उद्देश्य के लिए न्यास की गतिविधियों को गैर-धर्मार्थ के रूप में माना है, परंतु इन न्यासों का धारा 12ए के तहत पंजीकरण रद्द नहीं किया गया था।	-	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.01.2020 के अपने निर्णय के माध्यम कहा है कि जहां निदेशक द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था कि निर्धारिती न्यास की गतिविधियां प्रामाणिक नहीं थीं या न्यास के उद्देश्यों के अनुसार गतिविधियां नहीं की जा रही थीं, जबकि निर्धारिती न्यास को दिए गए पंजीकरण को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यह सीधे धारा 2 (15) के परंतुक से प्रभावित था। इसलिए, रद्दीकरण उचित नहीं था। तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्र सत्यापन से पाया कि नि.व. 2014-15 के लिए निर्धारिती की अपील सीआईटी (अपील) के समक्ष लंबित है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने नि.व. 2016-17 के निर्धारण आदेश से पाया कि दिसंबर 2018 में छूट को अस्वीकार करके और कारोबार आय के रूप में आय का निर्धारण करके निर्धारण पूरा किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारण आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि

(ख) ऐसे मामले जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा ने मंत्रालय के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया था						
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						यदि निर्धारिती अपील में सफल होता है, तो आय की गणना धारा 11 के तहत की जाएगी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
11.	एन ₂ इन्स्टीट्यूशन	2014-15	6.9.1	विभाग ने अधिनियम के उद्देश्य के लिए न्यास की गतिविधियों को गैर-धर्मार्थ के रूप में माना है, परंतु इन न्यासों का धारा 12ए के तहत पंजीकरण रद्द नहीं किया गया था।	-	<p>मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.01.2020 के अपने निर्णय के माध्यम से कहा है कि जहां निदेशक द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था कि निर्धारिती न्यास की गतिविधियां प्रामाणिक नहीं थीं या न्यास के उद्देश्यों के अनुसार गतिविधियां नहीं की जा रही थीं, जबकि निर्धारिती न्यास को दिए गए पंजीकरण को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यह सीधे धारा 2 (15) के परंतुक से प्रभावित था। इसलिए, रद्दीकरण उचित नहीं था।</p> <p>तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्र सत्यापन से, पाया कि नि.व. 2014-15 के लिए माननीय आईटीएटी ने निर्धारिती की अपील की अनुमति दी है और दिनांक 02.08.2019 के आदेश के माध्यम से सीआईटी (अपील) को वापस भेज दिया है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने नि.व. 2016-17 के निर्धारण आदेश से पाया कि दिसंबर 2018 में छूट को अस्वीकार करके और कारोबार की आय के रूप में आय का निर्धारण करके निर्धारण पूरा किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारण आदेश में यह उल्लेख किया</p>

2022 की प्रतिवेदन संख्या 12 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

(ख) ऐसे मामले जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा ने मंत्रालय के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया था						
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						गया था कि यदि धारा 11 के तहत अपील में निर्धारिती को कटौती की अनुमति दी गई थी, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
12.	एन ₄ कॉरपोरेशन	2014-15	6.9.1	विभाग ने अधिनियम के उद्देश्य के लिए न्यास की गतिविधियों को गैर-धर्मार्थ के रूप में माना है, परंतु इन न्यासों का धारा 12ए के तहत पंजीकरण रद्द नहीं किया गया था।	-	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.01.2020 के अपने निर्णय के माध्यम से कहा है कि जहां निदेशक द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था कि निर्धारिती न्यास की गतिविधियां प्रामाणिक नहीं थीं या न्यास के उद्देश्यों के अनुसार गतिविधियां नहीं की जा रही थीं, जबकि निर्धारिती न्यास को दिए गए पंजीकरण को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यह सीधे धारा 2 (15) के परंतुक से प्रभावित था। इसलिए, रद्दीकरण उचित नहीं था। तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय सत्यापन से, पाया कि नि.व. 2014-15 के लिए, निर्धारिती की अपील सीआईटी (अपील) के समक्ष लंबित है। इसके अतिरिक्त, नि.व. 2016-17 के निर्धारण आदेश से लेखापरीक्षा ने पाया कि नवंबर 2018 में छूट को अस्वीकार करके और कारोबार की आय के रूप में आय का निर्धारण करके निर्धारण पूरा किया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।

(ख) ऐसे मामले जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा ने मंत्रालय के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया था						
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
13.	टी ₆ ट्रस्ट	2014-15	6.9.1	विभाग ने अधिनियम के उद्देश्य के लिए न्यास की गतिविधियों को गैर-धर्मार्थ के रूप में माना है, परंतु इन न्यासों के धारा 12ए के तहत पंजीकरण रद्द नहीं किया गया था।	-	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.01.2020 के अपने निर्णय के माध्यम से कहा है कि जहां निदेशक द्वारा कोई निर्णय दर्ज नहीं किया गया था कि निर्धारिती न्यास की गतिविधियां प्रामाणिक नहीं थीं या न्यास के उद्देश्यों के अनुसार गतिविधियां नहीं की जा रही थीं, जबकि निर्धारिती न्यास को दिए गए पंजीकरण को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यह सीधे धारा 2 (15) के परंतुक से प्रभावित था। इसलिए, रद्दीकरण उचित नहीं था। तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय सत्यापन से पाया कि नि.व. 2014-15 के लिए माननीय आईटीएटी ने दिनांक 04.11.2020 के आदेश के माध्यम से राजस्व अपील को खारिज कर दिया है। इसके अतिरिक्त, नि.व. 2016-17 के निर्धारण आदेश से लेखापरीक्षा ने पाया कि नवंबर 2018 में छूट को अस्वीकार करके और कारोबार की आय के रूप में आय का निर्धारण करके निर्धारण पूरा किया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
14.	एन ₁ इन्स्टीट्यूशन	2014-15	6.9.1	विभाग ने अधिनियम के उद्देश्य के लिए न्यास की गतिविधियों को गैर-धर्मार्थ के रूप में	-	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.01.2020 के अपने निर्णय के माध्यम से कहा है कि जहां

2022 की प्रतिवेदन संख्या 12 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

(ख) ऐसे मामले जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा ने मंत्रालय के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया था						
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
				माना है, परंतु इन न्यासों का धारा 12ए के तहत पंजीकरण रद्द नहीं किया गया था।		निदेशक द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था कि निर्धारिती न्यास की गतिविधियां प्रामाणिक नहीं थीं या न्यास के उद्देश्यों के अनुसार गतिविधियां नहीं की जा रही थीं, जबकि निर्धारिती न्यास को दिए गए पंजीकरण को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यह सीधे धारा 2 (15) के परंतुक से प्रभावित था। इसलिए, रद्दीकरण उचित नहीं था। तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय सत्यापन से, पाया कि नि.व. 2014-15 के लिए माननीय आईटीएटी ने दिनांक 03.03.2021 के आदेश के तहत निर्धारिती अपील की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, नि.व. 2016-17 के निर्धारण आदेश से लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसंबर 2018 में छूट को अस्वीकार करके और कारोबार आय के रूप में आय का निर्धारण करके निर्धारण पूरा किया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
15.	एम ₁ बोर्ड	2014-15	6.9.1	विभाग ने अधिनियम के उद्देश्य के लिए न्यास की गतिविधियों को गैर-धर्मार्थ के रूप में माना है, परंतु इन न्यासों का धारा 12ए के तहत पंजीकरण रद्द नहीं किया गया था।	-	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गोवा औद्योगिक विकास निगम बनाम सीआईटी के मामले में अपने निर्णय के माध्यम से यह माना है कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ता की गतिविधियों को धारा 2(15) के परंतुक के तहत कवर किया गया था, जो अपने आप में अपीलकर्ता की गतिविधियों को

(ख) ऐसे मामले जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा ने मंत्रालय के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया था						
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						<p>गैर-वास्तविक गतिविधियों के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा ताकि आयुक्त को पंजीकरण रद्द करने के लिए धारा 12एए(3) के तहत शक्ति का उपयोग करने का अधिकार दिया जा सके। इसलिए, रद्दीकरण उचित नहीं था।</p> <p>तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्र सत्यापन से पाया कि नि.व. 2014-15 के लिए, निर्धारिती की अपील सीआईटी (ए) के पास लंबित है। नि.व. 2016-17 के निर्धारण आदेश से पाया गया कि नवंबर 2018 में छूट को अस्वीकार करके और कारोबार की आय के रूप में आय को निर्धारित करके निर्धारण पूरा किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारण आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि यदि अपील में निर्धारिती को धारा 11 के तहत कटौती को अनुमति दी गई थी, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।</p>

परिशिष्ट 3.4

(पैरा संख्या 3.3 (iii) का सन्दर्भ लें)

2019 के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 9 (प्रत्यक्ष कर) के अध्याय VI में शामिल 'धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट' की अनुवर्ती लेखापरीक्षा के संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की स्थिति

iii) ऐसे मामले जहां मंत्रालय द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था						
ऐसे मामले जहां मंत्रालय ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था परंतु विभाग ने उपचारात्मक कार्रवाई की थी/आरंभ की थी या लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया था।						
क्र.सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	एस ₁₃ सोसाइटी	2015-16	6.3.1	निर्धारिती ने संबंधित पार्टी को ₹ 80.00 करोड़ का दान दिया, जिसे धारा 13(1)(सी)(ii) के प्रावधान के उल्लंघन में आय का अनुप्रयोग माना गया था।	27.19	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था। तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्र सत्यापन से पाया कि सीआईटी (ई) पुणे ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए कहा (सितंबर 2021) कि निर्धारिती ने धारा 10(23 सी)(vi) के 12वें परंतुक या आयकर अधिनियम की धारा 11(3) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया था क्योंकि ₹ 80 करोड़ का दान सिम्बायोसिस फाउंडेशन, इंदौर (और सिम्बायोसिस, पुणे नहीं) को दिया गया था, और यह वर्ष के दौरान निर्धारिती न्यास द्वारा अर्जित राजस्व आय से किया गया था न कि पहले के वर्षों की संचित आय से। इसके अतिरिक्त, धारा 13(3) के प्रावधान केवल तभी लागू होते हैं, जब अधिनियम की धारा 13(3) में निर्दिष्ट कोई लाभ व्यक्तियों को सुनिश्चित किया जाता है।

iii) ऐसे मामले जहां मंत्रालय द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था						
ऐसे मामले जहां मंत्रालय ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था परंतु विभाग ने उपचारात्मक कार्रवाई की थी/आरंभ की थी या लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया था।						
क्र.सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						चूँकि सिम्बायोसिस फाउंडेशन, इंदौर के बहीलेखा में उक्त दान के प्रतिपादन के बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य और इसके न्यासियों/सेटलरों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए गए थे, इसलिए, लेखापरीक्षा विभाग के तर्क को सत्यापित नहीं कर सकी।
2.	एस ₁₂ ट्रस्ट	2015-16	6.3	निर्धारिती ने संपत्ति की आय को संबंधित न्यास/संस्था में स्थानांतरित कर दिया, जिसे आय का अनुप्रयोग माना गया।	8.61	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था। तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्र सत्यापन से पाया कि सीआईटी (ई) पुणे ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार नहीं करते हुए कहा (सितंबर 2021) कि ₹ 25.34 करोड़ के उपहार/दान के कारण अचल संपत्ति में हुए संवर्धन को संचित आय में से न्यासों के उद्देश्यों के लिए किया गया अनुप्रयोग का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत था। न्यासों के उद्देश्यों के प्रति आय के विवरण और अनुप्रयोग से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वर्तमान आय के व्यय में से पूंजीगत परिसंपत्तियों में निवेश के शीर्ष से राशि को कम/घटाया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा ने तर्क दिया कि निर्धारिती ने संपत्तियों को अन्य न्यास को दान के रूप में उपहार में

2022 की प्रतिवेदन संख्या 12 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

iii) ऐसे मामले जहां मंत्रालय द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था						
ऐसे मामले जहां मंत्रालय ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था परंतु विभाग ने उपचारात्मक कार्रवाई की थी/आरंभ की थी या लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया था।						
क्र.सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						दिया था और पूंजीगत परिसंपत्तियों में निवेश के तहत चालू वर्ष में व्यय को दर्शाते हुए संचित निधियों में समायोजन कर रहा था। आय की गणना में पूंजीगत व्यय के विवरण से पता चलता है कि अचल परिसंपत्तियों भूमि और भवन (अन्य अचल संपत्तियां) में संवर्धन उपहार में दी गई संपत्ति के मूल्य को शामिल करके किया गया था जिसे भूमि निधि और परिसर भवन निधि के संबंधित निर्धारित निधियों के तहत निधियों के पुराने संचय के विरुद्ध समायोजित किया जा रहा था।
3.	पी ₁ अर्थो रिटी	2013-14	6.4	धारा 2 (15) के अनुसार गतिविधियों के प्रकार में धर्मार्थ नहीं होने के बावजूद निर्धारिती को छूट की अनुमति दी गई थी।	5.01	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था । तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय सत्यापन से पाया कि सीआईटी (छूट), पुणे ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार नहीं करते हुए कहा (सितंबर 2021) कि निर्धारिती प्राधिकरण संविधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित निकाय है, जिसमें शहरी आवास और अवसंरचना के विकास, भूमि उपयोग और निर्माण को विनियमित करने, नागरिकों को आवास के लिए पट्टे पर भूखंड प्रदान करने के उद्देश्यों के साथ

iii) ऐसे मामले जहां मंत्रालय द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था						
ऐसे मामले जहां मंत्रालय ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था परंतु विभाग ने उपचारात्मक कार्रवाई की थी/आरंभ की थी या लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया था।						
क्र.सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						पिंपरी चिंचवाड़ नया शहर बनाने का जनादेश है। इन उद्देश्यों को 'व्यापार, वाणिज्य के प्रकार की गतिविधि या किसी भी व्यापार, वाणिज्य या कारोबार, वाणिज्य के संबंध में किसी भी सेवा को प्रदान करने की गतिविधि के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है।
4.	आई ₃ फाउंडेशन	2014-15 और 2015-16	6.4	न्यास/संस्थान की गतिविधियां का प्रकार धर्मार्थ नहीं होने के बावजूद निर्धारिती को छूट दी गई थी।	7.22	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय सत्यापन से पाया कि सीआईटी(ई) मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए कहा (दिसंबर 2021) कि न्यास के मुख्य उद्देश्य में गरीबों को राहत, चिकित्सा राहत, शिक्षा और सामान्य जन सेवाओं के अन्य उद्देश्यों को शामिल किया गया है, जिसमें बच्चों के बीच शिक्षा, मुफ्त भोजन आदि के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बनाए रखना और बढ़ावा देना शामिल है। इससे स्पष्ट है कि मध्याह्न भोजन की आपूर्ति न्यास के उद्देश्य के अनुरूप है।
5.	टी ₇ ट्रस्ट	2009-10	6.5	आयकर विभाग ने धारा 11 के तहत छूट से इनकार कर दिया, परंतु व्यय के लिए कटौती की अनुमति दी	4.16	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय सत्यापन से पाया कि सीआईटी(ई) मुंबई ने जुलाई

2022 की प्रतिवेदन संख्या 12 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

iii) ऐसे मामले जहां मंत्रालय द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था						
ऐसे मामले जहां मंत्रालय ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था परंतु विभाग ने उपचारात्मक कार्रवाई की थी/आरंभ की थी या लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया था।						
क्र.सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
						2019 में कहा था कि आपत्ति और कर प्रभाव में वर्णित तथ्य पर लेखापरीक्षा का निष्कर्ष स्वीकार्य नहीं था, परंतु निश्चित रूप से निर्धारण अधिकारी की ओर से सत्यापन की कमी थी। इसलिए, धारा 263 के तहत दिनांक 31.03.2019 को आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसमें निर्धारण अधिकारी को लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों को सत्यापित करने का निर्देश दिया गया था।
6.	एस ₅ ट्रस्ट	2014-15	6.5	आयकर विभाग ने धारा 11 के तहत छूट से इनकार कर दिया, परंतु व्यय के लिए कटौती की अनुमति दी	31.24	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था। तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय सत्यापन से यह पाया कि अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत व्यय को केवल प्रशासनिक व्ययों के लिए सीमित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।
7.	टी ₆ ट्रस्ट	2009-10	6.5	आयकर विभाग ने धारा 11 के तहत छूट से इनकार कर दिया, परंतु व्यय के लिए कटौती की अनुमति दी	10.85	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
8.	टी ₆ ट्रस्ट	2009-10	6.5	आयकर विभाग ने धारा 11 के तहत छूट से इनकार कर दिया, परंतु व्यय के लिए कटौती की अनुमति दी	24.07	तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय सत्यापन से पाया कि, डीसीआईटी (ई) (मुख्यालय) (न्यायिक) मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए कहा (फरवरी 2020) कि आय के अर्जित करने से संबंधित व्ययों को अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त सीआईटी (अपील) ने निर्धारिती को छूट की अनुमति दी है।

iii) ऐसे मामले जहां मंत्रालय द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था						
ऐसे मामले जहां मंत्रालय ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था परंतु विभाग ने उपचारात्मक कार्रवाई की थी/आरंभ की थी या लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया था।						
क्र.सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
9.	ए ₁ फाउंडेशन	2014-15	6.5	आयकर विभाग ने धारा 11 के तहत छूट से इनकार कर दिया, परंतु व्यय के लिए कटौती की अनुमति दी	0.68	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था। तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय सत्यापन से पाया कि सीआईटी (ई) मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए कहा (फरवरी 2019) कहा कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की छूट से इनकार कर दिया है और निर्धारिती की आय को कारोबार की आय के रूप में माना है और इसे वैध व्ययों की उचित अनुमति दी गई है। इसलिए, निर्धारिती न्यास, जिसे व्यावसायिक इकाई के रूप में माना जाता है, स्थानीय प्राधिकरण को भुगतान किए गए करों के लिए और आयकर के प्रावधानों के अनुसार 'विविध व्यय और अन्य' के लिए व्यय की कटौती के लिए पात्र हो जाता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि गतिविधियों को व्यावसायिक गतिविधि के रूप में निर्धारण किए जाने के कारण छूट नहीं दी गई थी; इसलिए, कारोबार की आय की गणना करने के लिए संबंधित व्यय की केवल अधिनियम के अध्याय IV के अनुसार अनुमति होगी।
10	एस ₅ ट्रस्ट	2013-14	6.5	आयकर विभाग ने धारा 11 के तहत छूट से इनकार कर दिया,	31.12	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था। तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय सत्यापन से पाया कि

2022 की प्रतिवेदन संख्या 12 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

iii) ऐसे मामले जहां मंत्रालय द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था						
ऐसे मामले जहां मंत्रालय ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था परंतु विभाग ने उपचारात्मक कार्रवाई की थी/आरंभ की थी या लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया था।						
क्र.सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
				परंतु व्यय के लिए कटौती की अनुमति दी		जुलाई 2018 में अधिनियम की धारा 154 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।
11.	बी ₁ बॉउर्ज	2013-14	6.5	आयकर विभाग ने धारा 11 के तहत छूट से इनकार कर दिया, परंतु व्यय के लिए कटौती की अनुमति दी	0.60	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था। तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय सत्यापन से पाया कि अप्रैल 2019 में अधिनियम की धारा 154 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।
12.	जे ₁ ट्रस्ट	2009-10 से 2014-15	6.6.1	निर्धारिती ने अपनी कंपनियों के समूह के शेयरों में निवेश किया, जो धारा 11 (5) के साथ पठित धारा 13 (1) (डी) (iii) के तहत एक निषिद्ध मोड है। तथापि न्यासों के पंजीकरण की समीक्षा नहीं की गई।	-	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था। हालांकि, क्षेत्रीय सत्यापन से, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती का पंजीकरण पीसीआईटी 17, मुंबई द्वारा 31 अक्टूबर, 2019 के आदेश के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था।
13.	एन ₆ ट्रस्ट	2009-10 से 2014-15	6.6.1	निर्धारिती ने अपनी कंपनियों के समूह के शेयरों में निवेश किया, जो धारा 11 (5) के साथ पठित धारा 13 (1) (डी) (iii) के तहत एक निषिद्ध मोड था। तथापि, न्यासों के पंजीकरण की समीक्षा नहीं की गई थी।	-	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था। तथापि, क्षेत्रीय सत्यापन से, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती का पंजीकरण पीसीआईटी 17, मुंबई द्वारा 31 अक्टूबर, 2019 के आदेश के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था।
14.	टी ₃ ट्रस्ट	2009-10 से 2014-15	6.6.1	निर्धारिती ने अपनी कंपनियों के समूह के शेयरों में निवेश किया, जो धारा 11 (5) के साथ पठित धारा 13 (1) (डी) (iii) के तहत	-	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था। तथापि, क्षेत्रीय सत्यापन से, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती का पंजीकरण पीसीआईटी 17, मुंबई द्वारा 31 अक्टूबर, 2019 के

iii) ऐसे मामले जहां मंत्रालय द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था						
ऐसे मामले जहां मंत्रालय ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था परंतु विभाग ने उपचारात्मक कार्रवाई की थी/आरंभ की थी या लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया था।						
क्र.सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
				एक निषिद्ध मोड है। तथापि, न्यासों के पंजीकरण की समीक्षा नहीं की गई थी।		आदेश के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था।
15.	टी ₂ ट्रस्ट	2009-10 से 2014-15	6.6.1	निर्धारिती ने अपनी कंपनियों के समूह के शेयरों में निवेश किया, जो धारा 11 (5) के साथ पठित धारा 13 (1) (डी) (iii) के तहत एक निषिद्ध मोड था। तथापि, न्यासों के पंजीकरण की समीक्षा नहीं की गई थी।	-	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था। तथापि, क्षेत्रीय सत्यापन से, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती का पंजीकरण पीसीआईटी 17, मुंबई द्वारा 31 अक्टूबर, 2019 के आदेश के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था।
16.	एस ₅ ट्रस्ट	2009-10 व 2011-12 से 2014-15	6.6.2	निर्धारिती ने धारा 11 (5) के अंतर्गत निर्धारित मोड्स के अतिरिक्त अन्य मोड्स में निवेश किया हुआ है, किन्तु 1.6.1973 या उससे पहले न्यासों के कॉर्पस/ आय से निवेश किए गए थे, यह दर्शाने हेतु अभिलेख में कुछ भी नहीं था।	-	मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था। तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय सत्यापन से यह पाया कि नि.व. 2014-15 हेतु अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।
17.	एस ₄ ट्रस्ट	2009-10 से 2014-15	6.6.2	निर्धारिती ने धारा 11 (5) के अंतर्गत निर्धारित मोड्स के अतिरिक्त अन्य मोड्स में निवेश किया हुआ है, किन्तु 1.6.1973 या उससे पहले न्यासों के कॉर्पस/आय से निवेश किए गए थे, यह दर्शाने हेतु अभिलेख में कुछ भी नहीं था।	-	मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था। तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय सत्यापन से यह पाया कि नि.व. 2014-15 हेतु अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

2022 की प्रतिवेदन संख्या 12 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

iii) ऐसे मामले जहां मंत्रालय द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था						
ऐसे मामले जहां मंत्रालय ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था परंतु विभाग ने उपचारात्मक कार्रवाई की थी/आरंभ की थी या लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया था।						
क्र.सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्त का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
18.	टी ₇ ट्रस्ट	2009-10 व 2011-12 से 2014-15	6.6.2	निर्धारिती ने धारा 11 (5) के अंतर्गत निर्धारित मोड्स के अतिरिक्त अन्य मोड्स में निवेश किया हुआ है, किन्तु 1.6.1973 या उससे पहले ट्रस्टों के कॉर्पस/आय से निवेश किए गए थे, यह दर्शाने हेतु अभिलेख में कुछ भी नहीं था।	-	मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था। तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय सत्यापन से यह पाया कि डीसीआईटी (ई) 2 (1), मुंबई ने दिसंबर 2019 में धारा 263 के साथ पठित 143 (3) के अंतर्गत आदेश पारित करके नि.व. 2014-15 हेतु उपचारात्मक कार्रवाई की है। इसके अतिरिक्त, नि.व. 2013-14 हेतु दिनांक 17.03.2020 को धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी कर उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की गई।
19.	टी ₁ ट्रस्ट	2009-10 से 2014-15	6.7	सीबीडीटी के 10 नवंबर 2015 के आदेश के आधार पर दी गई छूट अनियमित थी क्योंकि पहले से खारिज किए गए आदेश को वापस लेना गलत था क्योंकि बोर्ड के पास अपने रद्द किए पूर्व आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी द्वारा आदेश पारित करने के बाद, विभिन्न नि.व. के लिए छूट प्रदान करने में निर्धारण अधिकारी द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण सुसंगत नहीं था क्योंकि निर्धारण	-	मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था। तथापि, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय सत्यापन से पाया कि अपर सीआईटी (ई) रेंज-2, मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए कहा (मार्च 2020) कि सीबीडीटी के दिनांक 10.11.2015 के आदेश द्वारा नि.व. 2009-10 के बाद से पिछले वर्ष के भी विदेशी प्रेषण की स्वीकृति दी गई।

iii) ऐसे मामले जहां मंत्रालय द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था						
ऐसे मामले जहां मंत्रालय ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था परंतु विभाग ने उपचारात्मक कार्रवाई की थी/आरंभ की थी या लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया था।						
क्र.सं.	निर्धारिती का नाम	नि.व.	2019 का प्रतिवेदन सं. 9 का पैरा सं.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
				अधिकारी ने नि.व. 2009-10 हेतु मार्च 2016 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143 (3) के अंतर्गत आदेश पारित कर और नि.व. 2011-12 और नि.व. 2012-13 हेतु दिसंबर 2015 में धारा 154 के अंतर्गत आदेश पारित कर छूट प्रदान की थी।		

परिशिष्ट 4.1

(पैरा सं. 4.1.1 का संदर्भ लें)

छूट का दावा करने वाले न्यासों/संस्थाओं का राज्यवार वितरण

निर्धारण वर्ष 2014-15 से निर्धारण वर्ष 2017-18 तक छूट का दावा करने वाले न्यासों/संस्थाओं का राज्यवार वितरण							
क्रम संख्या	राज्य का नाम	मामलों की संख्या (निर्धारण वर्ष वार)					कुल संख्या की प्रतिशतता
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल मामले	
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	7,034	8,562	10,052	9,854	35,502	5
2	बिहार	3,351	3,152	3,844	3,381	13,728	2
3	चंडीगढ़	1,662	2,049	2,156	2,247	8,114	1
4	छत्तीसगढ़	960	984	1,132	1,179	4,255	1
5	दिल्ली	12,479	13,135	14,441	14,498	54,553	8
6	गोवा	671	706	842	855	3,074	0
7	गुजरात	22,813	23,576	26,255	25,256	97,900	14
8	हरियाणा	3,078	3,964	4,911	4,879	16,832	2
9	हिमाचल प्रदेश	793	902	1,053	1,035	3,783	1
10	जम्मू और कश्मीर	413	553	653	653	2,272	0
11	झारखंड	1,833	1,806	1,977	1,886	7,502	1
12	कर्नाटक	10,256	10,978	12,429	12,599	46,262	7
13	केरल	5,480	6,060	6,888	7,118	25,546	4
14	मध्य प्रदेश	3,582	4,277	5,128	5,087	18,074	3
15	महाराष्ट्र	24,310	27,382	31,654	31,898	1,15,244	17
16	पूर्वोत्तर राज्य	748	969	1,279	1,144	4,140	1
17	ओडिशा	2,059	2,227	2,549	2,469	9,304	1
18	पंजाब	2,211	2,894	3,335	3,217	11,657	2
19	राजस्थान	7,304	9,023	10,453	10,098	36,878	5
20	तमिलनाडु और पुदुचेरी	15,025	17,681	20,867	20,739	74,312	11
21	उत्तर प्रदेश	10,267	11,672	14,084	13,940	49,963	7
22	उत्तराखंड	1,758	1,885	2,280	2,209	8,132	1
23	पश्चिम बंगाल	9,396	10,434	11,290	10,864	41,984	6
कुल		1,47,483	1,64,871	1,89,552	1,87,105	6,89,011	100

परिशिष्ट 4.2

(पैरा संख्या 4.1.5 का संदर्भ लें)

संक्षिप्त और संवीक्षा मामलों की संख्या

निर्धारण के प्रकारों के आधार पर कुल संख्या का विवरण							
निर्धारण वर्ष	कुल मामलें	संक्षिप्त मामले		संवीक्षा मामले		अन्य [®]	
		मामलों की संख्या	वर्ष के कुल मामलों की प्रतिशतता	मामलों की संख्या	वर्ष के कुल मामलों की प्रतिशतता	मामलों की संख्या	वर्ष के कुल मामलों की प्रतिशतता
2014-15	1,47,483	1,34,450	91.2	1,000	0.7	12,033	8.1
2015-16	1,64,871	1,50,534	91.3	7,071	4.3	7,266	4.4
2016-17	1,89,552	1,65,214	87.2	17,143	9.1	7,195	3.7
2017-18	1,87,105	1,79,707	96.0	#	लागू नहीं	7,398	4.0
कुल	6,89,011	6,29,905	91.4	25,214	3.7	33,892	4.9
# निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए संवीक्षा निर्धारण मामलों का डेटा लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान उपलब्ध नहीं था। ® अन्य में परिशोधन मामले, संशोधन मामले और अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाने वाले आदेश के मामले शामिल हैं।							

परिशिष्ट 4.3

(पैरा संख्या 4.1.6 का संदर्भ लें)

रिटर्न और निर्धारित आय

रिटर्न आय और निर्धारित आय के आधार पर कुल संख्या का वितरण							
निर्धारण वर्ष			2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
रिटर्न आय	₹ शून्य से कम	संवीक्षा	1	0	0	0	1
		संक्षिप्त	334	0	0	0	334
		अन्य [#]	37	0	0	0	37
		कुल	372	0	0	0	372
	₹ शून्य के बराबर	संवीक्षा	712	5,826	15,838	0	22,376
		संक्षिप्त	98,770	1,11,324	1,20,672	1,39,840	4,70,606
		अन्य [#]	8,429	4,607	4,927	1,006	18,969
		कुल	1,07,911	1,21,757	1,41,437	1,40,846	5,11,951
	₹ शून्य से अधिक और ₹ 50 लाख तक	संवीक्षा	283	1,031	1,403	0	2,717
		संक्षिप्त	35,256	39,120	44,457	39,289	1,58,122
		अन्य [#]	3,516	2,556	2,100	6,377	14,549
		कुल	39,055	42,707	47,960	45,666	1,75,388
	₹ 50 लाख से अधिक और ₹ एक करोड़ तक	संवीक्षा	6	73	29	0	108
		संक्षिप्त	55	42	44	202	343
		अन्य [#]	18	25	14	10	67
		कुल	79	140	87	212	518
	₹ एक करोड़ से अधिक	संवीक्षा	11	172	18	0	201
		संक्षिप्त	35	48	41	376	500
		अन्य [#]	20	47	9	5	81
		कुल	66	267	68	381	782
निर्धारित आय	₹ शून्य से कम	संवीक्षा	0	0	0	0	0
		संक्षिप्त	0	0	0	0	0
		अन्य [#]	20	0	0	0	20
		कुल	20	0	0	0	20
	₹ शून्य के बराबर	संवीक्षा	715	5,828	13,989	0	20,532
		संक्षिप्त	80,140	96,793	1,02,462	1,18,260	3,97,655
		अन्य [#]	8,020	4,141	2,413	859	15,433
		कुल	88,875	1,06,762	1,18,864	1,19,119	4,33,620
	₹ शून्य से अधिक और ₹ 50 लाख तक	संवीक्षा	281	1,026	2,571	0	3,878
		संक्षिप्त	52,445	52,451	60,838	54,692	2,20,426
		अन्य [#]	3,860	2,859	3,692	6,484	16,895
		कुल	56,586	56,336	67,101	61,176	2,41,199
	₹ 50 लाख से अधिक और	संवीक्षा	6	73	292	0	371
		संक्षिप्त	899	560	890	2170	4,519

रिटर्न आय और निर्धारित आय के आधार पर कुल संख्या का वितरण							
निर्धारण वर्ष		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल	
₹ एक करोड़ तक	अन्य [#]	57	92	400	23	572	
	कुल	962	725	1582	2193	5462	
₹ एक करोड़ से अधिक	संवीक्षा	11	175	436	0	622	
	संक्षिप्त	966	730	1,024	4585	7305	
	अन्य [#]	63	143	545	32	783	
	कुल	1,040	1,048	2,005	4,617	8,710	
कुल मामले		1,47,483	1,64,871	1,89,552	1,87,105	6,89,011	
# अन्य में परिशोधन मामले, संशोधन मामले और अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाने वाले आदेश के मामले शामिल हैं।							

परिशिष्ट 4.4

(पैरा संख्या 4.3.1 का संदर्भ लें)

लेखापरीक्षा नमूने के निर्धारण-वार विवरण का क्षेत्र और प्रकार

निर्धारण के प्रकार के आधार पर लेखापरीक्षा नमूने का क्षेत्र-वार विवरण				
राज्य का नाम	निर्धारण मामलों की कुल संख्या			
	संवीक्षा	संक्षिप्त	अन्य	कुल
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना	228	4	173	405
बिहार	44	1	18	63
दिल्ली	338	67	328	733
गुजरात	155	40	371	566
झारखंड	46	2	20	68
कर्नाटक और गोवा	293	93	264	650
केरल	171	22	111	304
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	144	62	233	439
महाराष्ट्र	746	51	731	1528
पूर्वोत्तर राज्य	23	1	15	39
ओड़िशा	65	21	49	135
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर	237	58	236	531
राजस्थान	174	31	201	406
तमिलनाडु	269	33	278	580
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड	150	21	52	223
पश्चिम बंगाल	188	11	150	349
कुल	3,271	518	3,237	7,026

परिशिष्ट 4.5

(पैरा संख्या 4.3.9.6 का संदर्भ लें)

संक्षिप्त रूप से संसाधित मामलों में जोखिम विश्लेषण

निर्धारण का प्रकार एवं छूट और विदेशी अंशदान-वार कुल संख्या का वितरण						
निर्धारण का प्रकार (संवीक्षा/संक्षिप्त/अन्य)	कुल संख्या		दावा की गयी छूटें		प्राप्त विदेशी अंशदान	
	मामलों की संख्या	प्रतिशत में	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत में	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत में
संवीक्षा	25,214	3.7	3,60,724.2	20.4	6,970.9	19
संक्षिप्त	6,29,905	91.4	12,88,501.6	73.1	28,081.5	76
अन्य ¹³⁴	33,892	4.9	1,14,202.1	6.5	1,847.2	5
कुल	6,89,011	100	17,63,427.9	100	36,899.6	100

¹³⁴ अन्य में परिशोधन मामले, संशोधन मामले और अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाने वाले आदेश के मामले शामिल हैं।

संकेताक्षर

क्रम संख्या	संकेताक्षर	विवरण
1.	एक्ट	आयकर अधिनियम, 1961
2.	एसीआईटी (ई)	सहायक आयकर आयुक्त (छूट)
3.	एडीजी (ऑडिट एंड इंस्पैक्शन)	अपर महानिदेशक (लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण)
4.	एआईआर	वार्षिक सूचना प्रतिवेदन
5.	एएलपी	आर्म्स लैथ प्राइस
6.	नि.अ.	निर्धारण अधिकारी
7.	नि.अ.पी	व्यक्तियों का संगम
8.	एएसटी	निर्धारण सूचना प्रणाली
9.	नि.व.	निर्धारण वर्ष
10.	सीएसएस	कम्प्यूटर सहाय्यित संवीक्षा चयन
11.	सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
12.	सीसीआईटी (ई)	मुख्य आयकर आयुक्त (छूट)
13.	सीआईटी (ए)	आयकर आयुक्त (अपील)
14.	सीआईटी (ई)	आयकर आयुक्त (छूट)
15.	सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
16.	सीटी	निगम कर
17.	प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स)	प्रधान महानिदेशक, आयकर (पद्धति)
18.	डीसीआईटी (ई)	आयकर उपायुक्त (छूट)
19.	डीआरपी	विवाद समाधान पैनल
20.	डीएसआईआर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
21.	एफसी	विदेशी अंशदान
22.	एफसीआरए	विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम
23.	वि.व.	वित्तीय वर्ष
24.	आईटी	आयकर
25.	आईटीएटी	आयकर अपीलीय अधिकरण
26.	आईटीबीए	आयकर व्यवसाय अनुप्रयोग
27.	आईटीडी	आयकर विभाग
28.	आईटीओ	आयकर अधिकारी
29.	आईटीओ (ई)	आयकर अधिकारी (छूट)
30.	आईटीआर/रिटर्न	आयकर रिटर्न
31.	जेसीआईटी (ई)	संयुक्त आयकर आयुक्त (छूट)
32.	एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
33.	एमसीए	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
34.	एमएचए	गृह मंत्रालय
35.	एमओपी	कार्यालय आदेश नियमपुस्तिका
36.	एनईपी	राष्ट्रीय शिक्षा नीति

क्रम संख्या	संकेताक्षर	विवरण
37.	एनएमएस	नॉन-फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम
38.	एनपीई	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
39.	ओएलटीएएस	ऑनलाइन कर लेखाकरण प्रणाली
40.	पीए	निष्पादन लेखापरीक्षा
41.	पीएसी	लोक लेखा समिति
42.	पैन	स्थायी खाता संख्या
43.	प्र. सीआईटी (ई)	प्रधान आयकर आयुक्त (छूट)
44.	प्र. सीसीआईटी	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
45.	नियमावली	आयकर नियमावली 1962
46.	आरडब्ल्यूएस	धारा के साथ पठित
47.	एसडीटी	विशिष्ट घरेलू संव्यवहार
48.	एसओपी	मानक परिचालन क्रियाविधि
49.	टीसीएस	स्रोत पर एकत्रित कर
50.	टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
51.	टीईपी	कर अपवंचन याचिकाएं
52.	टीपी	मूल्य अंतरण
53.	टीपीओ	मूल्य अंतरण अधिकारी
54.	डब्ल्यूआईपी	कार्य प्रगति पर है

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in